राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 10

बुधवार,

19 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री पानाचन्द मेघवाल।

रिसर्जेंट राजस्थान के आयोजन में हुई अनियमितताओं की शिकायतें

138. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए रिसर्जेंट राजस्थान के आयोजन पर सरकार की कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयोजन के पश्चात् प्रदेश में कितना औद्योगिक निवेश हुआ व कितने नये उद्योग स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को उक्त आयोजन में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या व उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) रिसर्जेन्ट राजस्थान आयोजन पर व्यय की गई राशि का मदवार विवरण अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 के तहत विभिन्न सैक्टर्स में लगभग रुपये 19,202.21 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 83 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं जिनका विवरण अनुसंलग्नक-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त आयोजन में अनियमितता के संबंध में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं लेकिन जब मैंने 10 अगस्त, 2019 का अख़बार देखा, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि तीन साल पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कार्यक्रम किया गया उसमें 80 करोड़ रुपये का घोटाला होने की संभावना है। उसमें 6 रोड शो के लिये 1 करोड़ 92 लाख रुपये देने थे, उसमें मात्र 2 रोड शो हुए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, अख़बार में क्या आया है उससे संबंध नहीं है। अख़बार से कोई संबंध नहीं है, आपके प्रश्न का जो जवाब आया है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): नहीं साहब, जो जवाब दिया है ...

श्री अध्यक्ष: कौनसा है, बताइए?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): उसमें यही लिखा हुआ है कि अभिनेता इरफान खान को 2 करोड़ 26 लाख रुपये फिल्म के लिये बिना टेंडर के दिये। 6 करोड़ 29 लाख रुपये कल्चरल नाइट पर खर्च किये गये। 4 करोड़ 71 लाख रुपये ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो सब तथ्य में दिये हैं, आप प्रश्न पूछो। यह तथ्य लिखे हुए हैं।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है, आपने कहा कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और आप ही का वक्तव्य है कि इसमें 80 करोड़ रुपये का घोटाला होने की संभावना है, तो क्या आपने इसकी किसी से जांच करवाई है और जांच करवाई है तो उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है, न कोई जांच के आदेश दिये हैं। माननीय लोकायुक्त महोदय को जरूर शिकायत मिली है, उसकी माननीय लोकायुक्त जांच कर रहे हैं। सरकार को अभी जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिला कृषि प्रधान जिला है, वहां पर पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त पानी है, क्या वहां पर नये उद्योग स्थापित करने की संभावना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए प्लीज।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): प्रश्न पूछ रहा हूं। पिछली सरकार द्वारा जिस प्रकार से आयोजन कर और इतना पैसा खर्च करके मात्र 10 परसेंट इन्वेस्टमेंट यहां आने की संभावना रही। क्या यह सरकार भी इसी प्रकार से नये उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कोटा में मांग कर रहे हैं, उस पर विचार किया जायेगा और कोटा में वैसे भी बहुत सारे उद्योग पहले से ही हैं और भी संभावना होगी तो निश्चित रूप से और नये एरिया डिक्लेयर करके हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): साहब, आपने जांच के लिये तो बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया, बैठें आप। माननीय ज्ञानचंद जी पारख।

पाली में पालनहार योजना के प्रकरणों का निस्तारण

139. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में पालनहार योजना में बजट आबंटन के अभाव में अब तक कितने प्रकरणों में राशि नहीं दी गई है? वर्गानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त प्रकरणों का निस्तारण कब तक करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की तर्ज पर पालनहार योजना में भी प्रतिमाह राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) पाली जिले में पालनहार योजनान्तर्गत 4915 प्रकरणों में बजट अभाव में राशि नही दी गई है। वर्ग अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

अन्य वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग	कुल
3140	1375	400	4915

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) उक्त लम्बित आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु पाली जिले को दिनांक 10.02.2020 को वर्ग अनुसार अतिरिक्त बजट आबंटन कर भुगतान किया जा रहा है:

अन्य मद	अनुसूचित जाति मद	अनुसूचित जनजाति मद
298.54 लाख	70.63 लाख	24.98 लाख

(3) जी हां। प्रतिवर्ष बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् बजट उपलब्धता के आधार समय पर भुगतान किया जाता है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा प्रश्न लगने के बाद में माननीय मंत्री महोदय ने राशि भिजवा दी, धन्यवाद आपको। यह राशि आपने कितनी अवधि तक की भिजवा दी, दिसम्बर, 2019 तक की या जनवरी की भी भिजवा दी, थोड़ा यह भी क्लीयर कर दो आप।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा है कि यह जो सामाजिक सुरक्षा योजना में आप प्रति माह पेंशन जारी करते हैं, क्या पालनहार योजना में भी आप ऐसा कोई एक्ट तैयार करके प्रति माह पेंशन उसके खाते में चली जाए, उसमें आपने जवाब दिया है कि अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् बजट उपलब्धता। आप सामाजिक सुरक्षा योजना में भी प्रतिवर्ष एक बार जीवित प्रमाण पत्र लेते हैं, उसमें भी एक बार अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले लें, मना नहीं है, पर प्रतिमाह उस विधवा को अपने बच्चों को पालने की राशि मिल जाए, वह मंशा आप रखते हैं या नहीं रखते, इसका जवाब दे दो आप।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने कुछ सरलीकरण किये हैं और अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, साल में तीन महीने में एक बार, चूंकि बार-बार उससे प्रमाण पत्र लेना उचित नहीं, ऐसे ही पालनहार में हमने नवम्बर, दिसम्बर में उसका फिक्स कर दिया। आपने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि भुगतान किस प्रकार से कब किया। हमने दिसम्बर तक का करीब-करीब भुगतान कर दिया है, कुछ ब्लाक्स में जनवरी तक का कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 10.02.2020 को हमने पैसा भेज दिया लेकिन ट्रैजरी की वजह से दो-चार दिन का समय उसमें और लगेगा और दो-चार दिन बाद पालनहार के व्यक्तियों को पैसा मिल जायेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, जो मैंने पूछा कि प्रतिमाह देने के लिये आप कोई ऐसा प्रावधान कर दोगे, क्योंकि अभी 8-9-10 महीने में एक बार मिलता है, प्रतिमाह देने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड एक, जो जवाब दिया है 4915 लोगों को आपको पालनहार का पैसा देना है। नीचे आप लिख रहे हो कि यह-यह पैसे हमने आबंटित कर दिये, तो क्या जितनी उसकी मांग थी, उसी डिमांड के अनुसार यह पैसा जारी कर दिया या मांग की तुलना में आबंटित पैसा कम है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूंकि कल बजट पेश होना है, ट्रेजरी पर एक हफ्ते के लिये थोड़ी-सी पाबंदी है और मामूली पैसा बचा है, यानी उसका 10 परसेंट पैसा हमने रोका है, बाकी पैसा जारी कर दिया है। बजट के बाद एक हफ्ते के अंदर-अंदर 4915 का पूरा पैसा जारी कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न जो इंपोर्टेंट है, उसको बताएं। पालनहार को हर महीने नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिनके मां-बाप नहीं हैं, उनको हर महीने मिल जाए? इस तरह की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पहले थोड़ा डिले चलता था लेकिन अब ऑनलाइन होने के बाद मेरा प्रयास यह रहता है कि ऑनलाइन होने के बाद एक महीना तो रहेगा लेकिन एक महीने से पहले उसके पास पैसा चला जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

140. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने आयुर्वेद औषधालय हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ऐसे कितने आयुर्वेद औषधालय हैं जिनमें चिकित्सक,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कम्पाउण्डर एवं परिचारक तीनों पद रिक्त हैं? रिक्त पदों के कारण कितने औषधालय बंद हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आयुर्वेद चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं एवं कितने पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आयुर्वेद चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों की अंतिम बार भर्ती कब व कितने पदों पर हुई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (श्री रघु शर्मा): (I) प्रदेश में कुल 3579 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आयुर्वेद औषधालय जहां चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक तीनों पद रिक्त हैं, की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। जिन औषधालयों में चिकित्साधिकारी एवं नर्स/कम्पाउण्डर दोनों पद रिक्त हैं, वहां निकटतम ऐसे औषधालय जहां दोनों पद भरे हों, यथासम्भव उपलब्धता अनुसार निकटस्थ चिकित्साधिकारी एवं नर्स/कम्पाउण्डर को सप्ताह में दो दिवस रिक्त पद पर कार्य-व्यवस्थार्थ लगाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) आयुर्वेद चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की अंतिम भर्ती वर्ष 2015 में 1015 पदों पर की गयी। कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर की अंतिम भर्ती वर्ष 2015 में 315 पदों पर की गयी थी। वर्तमान में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर के 416 पदों के विरुद्ध 397 पदों पर दिनांक 16.02.2020 को पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके हैं। परिचारक संवर्ग में सीधी भर्ती से अंतिम भर्ती 1995 मे गयी है, तदुपरांत परिचारक पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति अन्तर्गत मृतक आश्रितों को कार्मिक विभाग से प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

(5) विभाग में कार्यरत चिकित्सकों तथा नर्स कम्पाउण्डर की संख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। 33 योग

(आयुर्वेद मंत्री)

एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवायी गयी है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि यह जो 416 पद के विरुद्ध आपने 397 पदों को दिनांक 16/2 यानी अभी प्रश्न लगने के बाद तुरंत इनकी पोस्टिंग की है, उसमें धन्यवाद दूंगी कि राजसमंद जिले को भी इन्होंने 24 ऐसे कम्पाउंडर दिए हैं। लेकिन अभी भी राजसमंद जिले की जो स्थिति है, वह सदन के सामने रखना चाहूंगी कि 118 कम्पाउण्डर के पद हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न ही पूछ रही हूं। उसमें 36 काम कर रहे हैं, 24 इन्होंने लगा दिए। अभी 58 ऐसे पद हैं जो नहीं लगे हैं। चिकित्सक के 104 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 42 काम कर रहे हैं, 62 पद अभी-भी रिक्त हैं। दो इन्होंने डैपुटेशन पर लगा दिए। 42 ही काम कर रहे हैं और 62 रिक्त हैं, उसके बाद में भी दो आपने डैपुटेशन पर लगा दिए। उदयपुर आयुर्वेद कालेज में कूरज से दीपा बोहरा को लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि पहले ही हमारे पास कम्पाउण्डर्स नहीं हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, उसके बाद भी आप डैपुटेशन पर लगा रहे हैं तो क्या जो दो डैपुटेशन पर लगाए गए चिकित्सक हैं, उनका डैपुटेशन रद्द करेंगे या नहीं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बता दूं कि लंबे समय से डिपार्टमेंट के अंदर डीपीसी नहीं हुई है। 2011 से पीएमओ और अतिरिक्त निदेशक की डीपीसी नहीं हुई। 2008 से 2016 तक आठ वर्षों में जो डीपीसी पैंडिंग थी, डीडीओ और एसएमओ-1 की, वह हमने अभी पूरी की है। अभी हम डीपीसी करेंगे जिससे नीचे के पद वाले पदोन्नत होकर ऊपर चले जाएंगे। इससे प्रारंभिक पदों पर रिक्त पद होंगे तो फिर आरपीएससी को जो पद खाली होंगे, उन पदों के लिए रिक्वैस्ट करेंगे ताकि नीचे के पद भी भरे रहें। जहां तक डैपुटेशन की बात माननीय सदस्य ने

(श्री रघु शर्मा)

की है, आप मेरे को बता देना, अगर इससे आपकी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो ठीक कर देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): डैपुटेशन तो रद्द कर देंगे, अच्छी बात है लेकिन साथ-साथ नई पोस्टिंग भी करा देना क्योंकि 58 पोस्ट अभी-भी खाली हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो हमारे यहां पर चिकित्सक की भर्ती हुई है, वह 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी यह चिकित्सकों की भर्ती हुई, उसके बाद में एक भी चिकित्सक की भर्ती के बारे में, अभी यह कह रहे हैं कि आरपीएससी को भेजेंगे। 14 महीने में इन्होंने एक भी पोस्ट भेजी नहीं। हालत ये है कि...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ही पूछ रही हूं। मैं प्रश्न पूछूंगी तो उसके पीछे कुछ बताना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट फारवर्ड प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न पूछने के लिए कुछ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप सीधा प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम लोग प्रश्न लगाना ही बंद कर दें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कोई तकलीफ नहीं। कटारिया जी प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप आरोप लगाते हैं। सदन में यह तरीका नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि इस विभाग में जो वेकेन्सीज हैं, वह लंबे समय से हैं। इसकी अंतिम भर्ती 2015 के बाद किसी भी श्रेणी की निकाली है क्या? और नहीं निकाली तो क्या निकालने का मन है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिए सर, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में दिया है कि 16/2/2020 को हमने कम्पाउण्डर के 416 पदों का...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो वे हैं जो पहले से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सैंक्शन थे। दो साल से इंतजार करते हुए हमारे विधान सभा के क्वेश्चन के कारण से, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह जो वेकेन्सी 2015 की निकली है, 2015 के बाद अब 2019 तक इस विभाग में किसी भी ग्रेड में कोई वेकेन्सी एडवर्टाइज हुई है क्या? यदि हुई है तो किस-किस की और कब-कब हुई है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरे विभाग का ही ब्यौरा मैं आपको दे देता हूं। इसमें एक तो डायरेक्टर का पद है। उसके बाद पीएमओ और एडिशनल डायरेक्टर के हमारे 133 पद हैं। वह पूरे के पूरे क्योंकि प्रमोशन ही नहीं हुए तो वे खाली ही हैं। उन पर कार्य-व्यवस्था और दूसरे लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा एसएमओ-1 और डिप्टी डायरेक्टर के 500 पद हैं, उसमें से एक आदमी कार्यरत है, शेष कार्य-व्यवस्थार्थ लगे हुए हैं। एसएमओ-2 के 1500 पद हैं, उसमें से 1061 व्यक्ति कार्यरत हैं, शेष खाली हैं। एमओ के हमारे जरूर 2304 पूरे के पूरे कार्यरत हैं और उसमें एडिशनल कार्यरत हैं, 76 लोग। इस तरह से स्वीकृत पद 2304 हैं और एडिशनल 76 काम कर रहे हैं। उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। यह सच्ची बात है कि इसके बाद कोई वेकेन्सी नहीं निकली। लेकिन हमने अभी आरपीएससी को लिखा है करीब 536 पदों के लिए। अब इसमें आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी है। यह हमारी सरकार आने के बाद में हमने काम किया है। जैसे ही आरपीएससी हमको बोल देगी, हम भर्ती का काम शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में सहकारी समितियों के गोदाम का निर्माण

141. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2019-20 में भण्डारण की सुविधा से वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण करवाने की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम स्वीकृत हैं व कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति गोदाम विहीन हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सुचारु संचालन हेतु गोदाम विहीन समितियों के गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) बजट घोषणा 2019-20 में भण्डारण की सुविधा से वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदामों के निर्माण करवाने की घोषणा की गई है। 100 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 32 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्मित हैं एवं 6 ग्राम सेवा समितियां गोदाम विहीन हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2019-20 में राज्य की 100 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बजट घोषणा के अन्तर्गत गोदाम निर्माण की घोषणा की गई है। समितियों के पास भूमि की उपलब्धता एवं समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि 100 गोदाम विहीन ग्राम सहकारी समितियों एवं 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर कार्य पूर्ण कब तक करेंगे? 100 के अलावा वंचित हैं, वह भी कब तब बनेंगे या नहीं बनेंगे? समय निर्धारित करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग में गई हुई है। जल्दी से जल्दी बजट उपलब्ध हो जाएगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का जो मंतव्य है, इसमें वह आपने आधा किया है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि राजस्थान बजट घोषणा 2019-20 में भण्डारण की सुविधा से वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करवाने की स्वीकृति जारी की गई है? इसका तो आपने दे दिया, स्वीकृति जारी कर दी। यदि हां, तो कहां-कहां? यह लिस्ट आपने दे दी। कितनी-कितनी राशि की? इसको आपने प्रश्न के जवाब में कहीं भी इंगित नहीं किया कि इनके लिए कितनी राशि आपने स्वीकृत की? इसका कहीं भी जवाब नहीं है तो प्रश्न का आधा भाग आपने हां कहा, आधा छोड़ दिया, वह आधा क्या है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में 17 करोड़ रुपये की लागत से 100 गोदाम और 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम बनाये जाएंगे, 17 करोड़ की लागत है।

श्री अध्यक्ष: कितनी वित्तीय स्वीकृति दी है? यह पूछ रहे हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, लागत की पूछ रहे हैं, अमाउंट नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष: 2019-20 में कितनी वित्तीय स्वीकृति दी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): वित्तीय स्वीकृति के लिए हमने, वित्तीय स्वीकृति तो फाइनेंस विभाग देगा, हमने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। 100 की घोषणा की थी, 100 के प्रस्ताव भेज दिए हैं, 17 करोड़ की लागत है, बजट आना शेष है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमीन खां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पूरा साल भर निकल गया। अब केवल 40 दिन शेष हैं, जो समाप्त हो जाएगा 31 मार्च, 2020 को, अभी तक आपने इसकी स्वीकृति ही जारी नहीं की और आपको ही पता नहीं है कि स्वीकृति किस पोजीशन में है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): क्वेश्चन में कहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। वित्तीय स्वीकृति आने के अभाव में काम रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न, श्री अमीन खां।

पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने की कार्ययोजना

142. श्री अमीन खां (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमीन खां)

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत विगत एक वर्ष में जिला स्तर पर कितनी बैठकें हुईं तथा कितने अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया तथा भविष्य में सरकार कितने अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? स्थानान्तरित पैराटीचर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) 15 सूत्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत विगत एक वर्ष में 92 बैठकें जिला स्तर पर आयोजित की गईं तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से 731767 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया जाएगा। जिलेवार आयोजित बैठकों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मदरसों में लगे पैराटीचर्स को दूसरे जिले में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। केवल गम्भीर रोग से पीड़ित, विधवा, परित्यक्ता, विवाहित महिलाएं, डी-रजिस्टर्ड एवं शून्य नामांकन वाले मदरसों में कार्यरत कुल 212 शिक्षा सहयोगी को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर उसी जिले अथवा अन्य जिलों में कार्य व्यवस्थार्थ समायोजित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या दो का उत्तर मेरे समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि मदरसों के पैराटीचर्स के तबादलों के नियम बने हुए हैं कि नहीं, नियम हैं तो कौनसे? मंत्री जी ने एक तरफ तो कहा है जी नहीं, दूसरी तरफ 212 तबादले कर दिए। अब यह उत्तर सही है या गलत है, यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की तरफ से 20.12.2017 को एक आदेश जारी किया गया था। अभी तक यह संविदाकर्मी हैं, इसलिए इनके स्थानान्तरण नहीं हो सकते। कुछ

(श्री शाले मोहम्मद)

पैराटीचर्स ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ महिलाएं दूर-दराज लगी हुई हैं, उनको आने-जाने में तकलीफ होती है। हम उनको मानदेय ही दे पाते हैं। उनको कई प्रकार की परेशानी भी होती है, हमने इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र पर, जो मदरसे ऐसे हैं जहां पर शून्य नामांकन है, शून्य नामांकन की वजह से कहीं और भेजा जाए, ताकि दूसरा मदरसा संचालित हो सके। हमने इनका समायोजन किया।

श्री अध्यक्ष: उनके कहने का मतलब है, या तो नियम, नियम में रिलैक्सेशन ले लें। नियम में प्रोवीजन लें, रिलैक्सेशन होना चाहिए, जहां बच्चे नहीं हैं, वहां के हम ट्रांसफर कर सकेंगे। उनका प्रश्न था कि नियम तो यह बना रखा है और हम नियम के विपरीत 212 को दे रहे हैं। या तो नियम में प्रोवीजन करें, यह उनका प्रश्न है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तक पैराटीचर्स संविदाकर्मी होते हैं, उनके स्थानान्तरण के नियम नहीं बने हैं।

श्री अध्यक्ष: फिर 212 के अपन ने ट्रांसफर कैसे किए?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, मदरसा में शून्य रजिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए दूसरे मदरसा में समायोजन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: उनके कहने का मतलब यह है कि नियम में प्रोवीजन करके करें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, आपकी आज्ञा से, अगली बार यह कोशिश करेंगे। मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जैसे ही बिल आएगा, विधान सभा में पास होगा, उसके बाद नियम और कायदे बनाए जाएंगे, उसी के अनुसार हो पाएंगे। परंतु ऐसे मदरसे जहां संख्या नहीं है, बीमारी से पीड़ित पैराटीचर्स हैं, व्यवस्था के अनुसार लगाए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों द्वारा देय बीमा अंशदान

143. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण के लिए सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना में कर्मियों द्वारा देय अंशदान समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो जिला अलवर में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में उक्त जिले की सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होने से वंचित हैं और इन्हें कब तक लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उक्त योजना से लाभान्वित एवं वंचित महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना में मानदेय कर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त किया जा चुका है तथा अब सम्पूर्ण अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अलवर ज़िले में सामूहिक बचत एवं बीमा योजना से 2910 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु सामूहिक बचत आधारित योजना में 01.01.2014 से पूर्व नियुक्त समस्त मानदेय कर्मियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 01.01.2014 तथा उसके पश्चात् नियुक्त मानदेय कर्मी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। अलवर ज़िले में 247 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उक्त योजना से लाभान्वित होने से वंचित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। किन्तु इन मानदेय कर्मियों को उक्त योजना का नवीन रूप में लाभ देने के लिए वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। वंचित मानदेय कर्मियों को लाभान्वित करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एम.ओ.यू. की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

(3) बानसूर विधान सभा क्षेत्र में इस योजना से लाभान्वित महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 252 है, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। तथा इस योजना से वंचित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 19 हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने 2019 से अब तक, कब-कब भारतीय जीवन बीमा को पत्र लिखा? शेष मानदेय कर्मी हैं, जिनको लाभान्वित करना है, उनको कब तक लाभान्वित करने की मंशा रखते हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 01 जनवरी, 2014 से यह कार्य बंद किए जा चुके हैं। इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम प्राधिकरण (इरडा) है, उसने नई योजनाओं के आधार पर बीमा करने के लिए विभाग को कहा। पिछले पांच वर्षों में विभाग ने तीन बार एलआईसी को पत्र लिखा। मैं समझती हूं कि पूर्व सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया और 2016 के बाद वहां कोई पत्र नहीं भेजा गया। हमने सरकार में आते ही तीन बार एलआईसी को पत्र भेजा, वित्त विभाग को पत्र भेजा। मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी है कि एलआईसी से हमारा एमओयू बहुत शीघ्र हो रहा है। वित्त विभाग द्वारा भी इसकी मंजूरी दे दी गई है। पिछले पांच वर्षों से जो मानदेय कर्मी वंचित थे, उनको भी पुन: एलआईसी की योजना से जोड़ा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर हुई हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम से क्या-क्या जवाब आए हैं, वह देंगे या नहीं देंगे या पिछले पांच साल की तरह ही निकाल देंगे? पिछले पांच साल में कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की, अलवर ज़िले की बात करें तो 252 थे। सम्पूर्ण राजस्थान में करीब 6900 मानदेय कर्मचारी हैं, जिनको इन चीजों से लाभान्वित करना है। एलआईसी को हमने विभाग के माध्यम से पत्र लिखा है, एलआईसी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस बात की अनुमति दी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की नई पालिसी है, प्राधिकरण के नये नियम आ रहे हैं, उन नियमों के आधार पर राजस्थान सरकार से पालिसी कर ली है। वित्त विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। हम शीघ्र मानदेय कर्मियों का एलआईसी का बीमा करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 2014 तक जो स्कीम थी उसमें सामूहिक बीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी अंशदान था। 2014 के बाद जो लोग सेवा से मुक्त हुए हैं उनमें से कितनों को आपने बीमा का पैसा लौटा दिया या ऐसे कितने कर्मचारी रहे हैं, उन्होंने तो अपना अंशदान दे दिया, लेकिन बीमा कम्पनी को वह अंशदान नहीं गया और बीच में सीडीपीओ ने जेब में रख लिया, ऐसे आपके पास सैंकड़ों प्रकरण हैं, मुझे यही संख्या बता दें कि सेवानिवृत्त होने के बाद कितने लोगों को आपने यह लाभ दे दिया और कितने इससे वंचित रहे और वंचित के क्या कारण थे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद तो यह पालिसी राजस्थान सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पहले का कह रहा हूं। जिन्होंने पहले अंशदान का पैसा जमा करा दिया....

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): कब से पहले?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2014 से पहले, अंशदान की स्कीम थी, जिसके तहत बीमा होता था।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आपने यह आंकड़े मुझसे मांगे हैं, बहुत शीघ्र ही हम आपको यह आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन दु:ख की बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मानदेय कर्मी सेंसिटिव कर्मचारी हैं, पांच वर्षों तक इनका बीमा बंद करके रखा गया। सरकार द्वारा किसी प्रकार की गंभीरता नहीं रखी गई। हम लोगों ने आते ही इसका एमओयू किया और वित्त विभाग से इसकी परमीशन ली। आपके कार्यकाल में पांच वर्षों से मानदेय कर्मी वंचित थे। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि उनको भी जोड़ते हुए नई पालिसी के आधार पर हम उनको लाभान्वित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगसी राम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने पांच साल नहीं किया, उसका जो दंड देना है आप दे देना। मैं यह कह रहा हूं कि जिन्होंने अपना पैसा और अंशदान जमा करा दिया, लेकिन रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण, ऐसे लोग जो सेवानिवृत्त होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस समय उनको यह बैनीफिट, आधा सरकार मिलाती है, आधा वह देता है। कितने लोगों को दे दिया, कितने को देना बाकी है? यह हज़ारों की संख्या में हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उप नेता महोदय ...(व्यवधान) आधा-आधा नहीं देते। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगी कि आधा-आधा नहीं देते, 25 प्रतिशत सरकार दे रही है, 75 प्रतिशत मानदेय कर्मी दे रहे थे, 2018 से पहले। आपने मेरे से सूची मांगी है, मैं बहुत जल्द आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगी। बहुत शीघ्र ही हम चाहेंगे ऐसा कोई भी मानदेय कर्मचारी, हमारे विभाग में नहीं रहे, जिसको बीमा पालिसी से लाभ नहीं मिला हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका सीधा प्रश्न है। 2014 के पहले जिन लोगों ने जमा करा दिया, उन लोगों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं कि उनमें से मर गये, रिटायर हो गये, उनको देंगे कि नहीं देंगे। यह सीधा प्रश्न है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष से कहना चाहती हूं कि 2014 से पहले की ये जो सूची मांग रहे हैं इनको शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री जगसी राम।

रेवदर में जनजातीय युवक-युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण

144. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजातीय युवक-युवतियों को रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है? यदि हां, तो योजनावार विगत 5 वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र रेवदर के लाभान्वित एवं वंचित युवक-युवतियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनजाति वर्ग के किन-किन युवक-युवतियों को जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान नर्सेज प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु सहायता दी गई? कुल आवेदकों, लाभान्वितों एवं वंचितों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया) : (1) जी हां। यह सही है कि जनजातीय युवक-युवतियों को विभाग द्वारा निम्नांकित रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है:

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
2. फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण।
3. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में योजनावार गत 5 वर्षों के दौरान आई.टी.आई. प्रशिक्षण से 54, कौशल विकास प्रशिक्षण से 98, इस प्रकार कुल 152 युवक/युवतियां लाभान्वित हुए तथा आई.टी.आई. प्रशिक्षण में 12 युवक/युवतियां वंचित रहे हैं।

लाभान्वित एवं वंचित युवक-युवतियों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान नर्सेज प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु जनजाति के युवक-युवतियों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्रीजी ने पिछले पांच साल का जो आंकड़ा 152 का बताया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों में आपकी सरकार ने जनवरी, 2019 से अब तक नर्सेज प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार सहायता के पात्र युवक-युवतियों का कब-कब सर्वे करवाया, पंचायतवार संख्या या विवरण, सूची जो भी आपके पास उपलब्ध है, बताने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या दो में जो आपने बताया है, शून्य बताया है, 2019-20 के बीच में नर्सेज प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण व स्वरोजगार सहायता देने का कार्य किन-किन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया और जनवरी, 2019 से अब तक इन विभागों में रेवदर क्षेत्र के लिये क्या-क्या, कितने लक्ष्य निर्धारित किये, उपलब्धि क्या रही, अधूरे लक्ष्य क्या रहे और अधूरे लक्ष्यों के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ही अलग है। जो प्रश्न पूछा है, वही पूछो।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि 2019 और 2020 के बीच में इन्होंने कोई किसी प्रकार की योजना, जो लागू नहीं की, इसके जिम्मेवार कौन है, मंत्रीजी बताने की कृपा करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत सारी देय राशि भारत सरकार से आती है। भारत सरकार ने 2015-16 में यह सहायता राशि बंद कर दी है। भारत सरकार को पिछले टाइम पर भी हमने प्रस्ताव भेजे और आने वाले समय में भी हम प्रस्ताव भेज करके, जो भी प्रोसेस में होंगे, जो भी उस नियम में आयेंगे, इन सबको लाभान्वित कर दिया जायेगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2019-20 के बीच में रेवदर विधान सभा क्षेत्र के लिये आपने कौन-कौन से प्रयास किये हमारे यहां के जनजातीय क्षेत्र के भाइयों के लिये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वहां पर आपने किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की। इसलिये मैंने बार-बार, पिछली बार भी विधान सभा के अन्दर सवाल लगाया था और आज भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, रेवदर विधान सभा क्षेत्र के आदिवासियों के लिये कोई योजना, आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, वह पूछ रहे हैं आपसे।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना संचालित है पर भारत सरकार से इनकी सहायता राशि आती है, वह नहीं आ रही है पिछले 2015-16 से। (व्यवधान) जब भी भारत सरकार से राशि आयेगी, हमने प्रस्ताव भी भिजवाये हैं, अभी भी उसके प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं और जब भी राशि आयेगी, इस योजना में जो काम होंगे, वे पूर्ण कराये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि 2015 से ही राशि आना बंद हो गयी। आप जो चार्ट दे रहे हैं, 2015 से 2019 तक आपने 152 लोगों को यह राशि दी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

योजना बंद होते हुए भी दी है तो आपके आने के बाद 01 जनवरी, 2019 से ऐसी कौनसी आफत आ गई कि इतनी कम संख्या में जो बच्चे वहां हैं, केवल रेवदर का ही पूछ रहे हैं, सारे राजस्थान का पूछते तो नहीं, तो कितने बच्चे हैं, जिनको मिलनी चाहिए और आप उसको क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जो कि पांच साल तक दे रहे हो।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, 12 लोगों की सूची उपलब्ध करा दी है। जैसे ही राशि आ जायेगी, हम उनको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सीधा प्रश्न है। 2015 से भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। 2015 के बाद इनको पैसा मिला है तो स्टेट के फंड से मिला है, राशि तो जा रही है तो जो बचे हैं उनको राशि देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): जो भी राशि जिन बच्चों को उपलब्ध कराई गई है, जो हमारी बचत की राशि है, वह उनको उपलब्ध कराई गई है और आगे आने वाली राशि के आधार पर हम उसको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री भरत सिंह।

पक्षियों की मौतों की रोकथाम की कार्ययोजना

145. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में कुल कितने पक्षियों की मौतों की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है? उक्त के मौत या घायल होने के क्या कारण रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर, कुरजां व अन्य को जहरीला दाना डालकर मारे जाने के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो उक्त पर नियंत्रण के क्या प्रयास किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने आनरेरी वाइल्ड लाइफ हर जिले में नियुक्त कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या? उक्त का सरकार सहयोग लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) प्रदेश में गत वर्ष में पक्षियों की मृत्यु या घायल होने संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) जी हां। गत वर्ष में प्रदेश के कुछ वन मण्डलों में जहरीला दाना डालकर पक्षियों के मारे जाने के प्रकरण सामने आये हैं।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु अधीनस्थ स्टाफ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित गश्त की जाती है।

इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आने पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा आम जन में जागरूकता लाने के लिए पक्षी महोत्सव एवं वन्यजीव सप्ताह के आयोजन किये गये हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राज्य के जिलों में आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त नहीं किये हुए हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, मेरा प्रश्न पक्षियों की मौत और उनके संरक्षण और आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स के गठन के सम्बन्ध में है। उत्तर में मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में पक्षी मरे हैं। अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मैं प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि प्रदेश में जो चार प्रमुख पक्षी, जिनकी संख्या 90 प्रतिशत कम हो गई है, उनके संरक्षण के लिये, गोडावण के संरक्षण के लिये इन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोग्राम किया था तो उसमें एक साल में बजट घोषणा में, यह जो घोषणा की थी, उसमें सोरसन में इनको काम करना था, उसमें इन्होंने क्या काम किया? सारस और गिद्ध, जिनकी संख्या अब 90 प्रतिशत घट गई है। उनके कारणों में बड़े कारण जो हैं, पशुओं के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उससे गिद्धों की संख्या 90 प्रतिशत घटी है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिये जिन दवाइयों से ये गिद्ध मर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित करेगी सरकार? दूसरा, सारस और गिद्ध का कैप्टिव हाथ में लेगी? और जो

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
मोर पक्षी है, जो बड़ी संख्या में मरे हैं, और अभी जब विधान सभा चल रही है, कल ही 40 पक्षी नागौर में मरे, और 40 पक्षी विधान सभा से पहले मर चुके हैं। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मोर को मारने का कारण मीट और इनके पंखों के लिये मारा जाता है तो क्या पंखों के उपयोग पर प्रतिबंध हमारी सरकार लगायेगी, इस राष्ट्रीय पक्षी के, क्योंकि यह बड़ी संख्या में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्षजी, जहां तक गोडावण का प्रश्न है, वहां सब में बाकायदा हैचिंग सेन्टर चालू करके, नव अंडे एकत्रित करके चूजे तैयार किये गये हैं। अगले साल करीब 15 का लक्ष्य रखा गया है।

जहां तक मोर का प्रश्न है, जहां पर हमारे वन विभाग को इत्तला मिलती है तो मौके पर टीम जाती है। नागौर में भी मैंने खुद ने टेलीफोन किया और जो कैजुअल्टी हुई हैं, उसके अलावा और कैजुअल्टी रोकी गयी है। इसके साथ ही, जो भी जहरीली दवा से हो या दाने से हो या एक्सीडेंट से हो, जहां पर भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला मिलती है तो उसको रेस्क्यू करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं और फिर छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है कि यह मोर पंख के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे क्या? इसका उत्तर यह दें कि कैप्टिव-ब्रीडिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इसका उत्तर दें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्य, इन्होंने कहा कि आपकी बात पर विचार करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): नहीं, मेरा एक प्रश्न और है कि अभी बड़ी संख्या में जो पक्षी मरे हैं वैटलैंड में, उसके बाद में प्रदेश में वैटलैंड कमेटी बनाई गयी है। 20 सदस्य उसमें नियुक्त किये गये हैं, उसमें कोई पक्षी प्रेमी भी सदस्य है क्या? अगर उसमें वह सदस्य है तो आप नाम बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने यह अलग प्रश्न पूछा है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): उसमें आपकी नियुक्ति भी की गयी है। आपका नाम भी उसमें साथ में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि खंड2 में मंत्री महोदय, आपने खंड-2 में ... (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): आप भी उसमें सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्रीजी, आपने खंड-2 में यह उत्तर दिया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। आपने जो परिशिष्ट- 'अ' दिया है, उसमें एक-दो नहीं, कई जगह पर आपने यह लिखा है कि अवैध शिकार हुआ, अवैध शिकार नागौर के अंदर, टोंक में अवैध शिकार, गंगानगर में अवैध शिकार तो जो अवैध शिकार के प्रकरण आपके सामने आये हैं, उन पर कितनों पर आपने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 में और आई.पी.सी. में कार्यवाही की?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी शिकार की इत्तला मिलती है तो बाकायदा हमारी टीम जाकर मुकदमा दर्ज करती है और जांच करती है, उसका बाकायदा चालान करती है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है कि हमने इत्तला की और उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया हो, अपराधियों का चालान नहीं किया गया हो। बाकायदा गिरफ्तारी होती है। विधिवत तरीके से बिलकुल कार्यवाही चल रही है। यदि इस तरह की कोई शिकायत हो तो आप पर्टिकूलर बता सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न को आप जब पढ़ते हो तो उसका उत्तर भी उसी के अनुसार दिया करो। अब आपने पहले का उत्तर दिया। पहला प्रश्न है- 'प्रदेश में विगत एक वर्ष में कुल कितने पक्षियों की मौतों की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई?' कुल कितने पूछा है। अब आपने बड़ी चतुराई से संख्या लिख दी और जोड़ हम करें बैठकर, यही है न?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकायदा हमने जो परिशिष्ट- 'अ' दिया है उसमें वर्ष 2018-19 में 360 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: You can't force him.

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुखराम विश्नोई)

बाकायदा हमने जो साथ में परिशिष्ट- 'अ', उसमें वर्ष 2018-19 में 360 और 2019-20 में 337 की संख्या दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के विकास पर व्यय राशि

146. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में सुविधा बढ़ाने हेतु शेड निर्माण की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उक्त स्टेडियम में सुविधा बढ़ाने हेतु 2 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर व्यय किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 135 में उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में दर्शकों की सुविधा के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि से शेड निर्माण की घोषणा की गई थी।

(2) जी नहीं। उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में शेड निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. से एम.ओ.यू. किया जाकर टेण्डर जारी किया जा चुका है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने खंड1 में यह कहा, मैंने यह पूछा कि आपने घोषणा की? आपने कहा कि हां, की। मैंने पूछा कि आपने पैसा खर्च किया? आपने कहा कि अभी एक भी पैसा खर्च नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि आपने जो यह आर.एस.आर.डी.सी. से एम.ओ.यू. किया है, यह कितनी तारीख को किया है और टेंडर प्रक्रिया आपने शुरू की है तो क्या निविदा आपने निकाल दी और निकाल दी तो वह कौनसी तारीख को निकाली? आप यह बता दें, फिर अगला प्रश्न पूछूंगा।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि

(श्री अशोक)

आपने बिलकुल जो सवाल किया है कि क्या इसमें कोई राशि व्यय हुई है? तो हमने सीधा यह जवाब दिया है कि राशि व्यय नहीं हुई है। इसका केवल टेंडर फ्लोट हुआ है और आर.एस.आर.डी.सी. से एम.ओ.यू. हुआ है और इसकी पूरक सामग्री में हमने आपको मैमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग दिया हुआ है, अगर आप कहें तो इसको पढ़कर बताऊं या इसमें से तारीख देखकर बताऊं, आप क्या चाहते हैं?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, मेरे पास जवाब यह है, आप तो तारीख ही बता दो।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): ठीक है, इसमें से मैं आपको तारीख देखकर बता देता हूं। यह पांच पेज का है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं तो केवल तारीख पूछ रहा हूं कि एम.ओ.यू. कितनी तारीख को हुआ है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, एम.ओ.यू. की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वह खाली स्पेसिफिक तारीख पूछ रहे हैं। तारीख अपने पास में हो तो बता दें, बात खतम।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जी। तारीख मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और बताइये।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, रामलालजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। मैं यह सोचता हूं कि दो करोड़ रुपया और वह भी जोधपुर में, हम केवल इतना ही पूछ रहे हैं कि इसका टेंडर कब फ्लोट हुआ, टेंडर अगर एग्री हो गया तो कब हुआ और वर्कआर्डर दिया तो कब दिया, इतना ही तो बता दो, यह तीन बातें हैं। यह तो कम से कम इसमें होंगी न?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय नेता, प्रतिपक्ष को मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्कआर्डर हुआ नहीं है। टेंडर फ्लोट हुआ है और आर.एस.आर.डी.सी. से एम.ओ.यू. हुआ है, तारीखें आपको दे दी जाएंगी। और बताइये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जोधपुर का ही यह हाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके खड़े होने की कोई तकलीफ है? माननीय रामलालजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ इतना ही बता दो कि इस सदन के नेता के गृह जिले की घोषणा, सिर्फ दो करोड़ रुपये की घोषणा और उसके बावजूद भी अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए इस कार्य को शुरू नहीं किया तो क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस सदन के जो नेता हैं, उनके लिए गृह जिला और पूरा राजस्थान एक समान है और विपक्ष के माननीय सदस्य जो हमारे बैठे हुए हैं, उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि 17 हजार करोड़ रुपया राजस्थान का आज भी दिल्ली की सरकार देने को तैयार नहीं है, उसके कारण कई समस्याएं जरूर हो रही हैं और यह सदन के नेता का बड़ा दिल है कि वह पूरे राजस्थान को अपना गृह जिला समझते हैं और पूरे राजस्थान का कार्य वह समान रूप से करते हैं। गृह जिला और बाहर की कोई बात नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कार्यवाही करेंगे क्या?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): लेकिन, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गयी है तो कार्यवाही निश्चित रूप से कानून के अधीन रहकर होगी। और कोई बात? और पूछ लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा

147. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्ष 2019 में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, किन्तु सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(2) क्या सरकार किसानों को मुआवजा के साथ बीमा क्लेम भी देने का विचार रखती है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की तहसील मनोहरथाना, अकलेरा एवं असनावर में खरीफ फसल वर्ष 2019 में बाढ़ से फसलों में खराबा हुआ है। 54433 कृषकों को एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान राशि वितरण करने हेतु 2015.73 लाख का बजट आबंटन कर दिया गया है, जिनमें से 54184 कृषकों को राशि 2008.52 लाख का भुगतान किया जा चुका है, शेष कृषकों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि आदान अनुदान सहायता दी जाती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार बीमित इकाई क्षेत्र में फसल विशेष के औसत उपज समंक की निर्धारित गारंटी उपज से तुलना कर बीमा क्लेम दिया जाता है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मनोहरथाना क्षेत्र में मौसम सत्र खरीफ 2019 में 6539 कृषकों की 5921.84 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा किया गया। बीमा क्लेम की गणना की जा रही है। बीमा कंपनियों को राज्यांश प्रीमियम एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि का भुगतान करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा कृषकों को बीमा क्लेम राशि का भुगतान किया जाता है। राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक तो सही है कि मनोहरथाना, अकलेरा और असनावर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान अगले हफ्ते, पांच-सात दिन पहले इन्होंने सरकार द्वारा भुगतान खाते में डलवा दिया गया है परंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 2019 खरीफ की फसल का बीमा क्लेम का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ और कब तक कर देंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर माननीय कृषि मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से बता दिया, फिर भी मैं केवल एक लाइन के ऊपर यह कहना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपये की जो हमारी योजना है, उसके आधार पर पैसा

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

उसमें से दे दिया गया है और जैसा माननीय कृषि मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इस राशि का जल्दी से जल्दी भुगतान किसानों को कर दिया जाएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल।

जनता क्लीनिक खोले जाने की कार्ययोजना

148. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछले बजट में जनता क्लीनिक खोलने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2020 तक प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्र गांवों में भी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक एक जनता क्लीनिक वाल्मीकि कच्ची बस्ती, कम्युनिटी हाल, मालवीय नगर, जयपुर-द्वितीय में खोला गया है।

जयपुर में उपरोक्त एक सहित 12 एवं जोधपुर में 3 जनता क्लीनिकों का भवन निर्माण हो चुका है। जयपुर में दिनांक 15.02.2020 तक 5 जनता क्लीनिक प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। जनता क्लीनिक हेतु जारी दिशा-निर्देश अनुसार जनता क्लीनिक का संचालन राज्य के शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों एवं दूर-दराज की सघन बस्तियों में निवास स्थान के नजदीक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया जाता है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के बजट बिन्दु संख्या 95 पर अंकित है कि राज्य में मोहल्ले और गली में जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। इसमें शहर-गांव का कोई जिक्र नहीं है। क्या राजस्थान शहरों में ही बसता है? शहरों में बड़े-बड़े अस्पताल हैं। गांवों में लोग मर रहे हैं। 200 किलोमीटर की दूरी पर भी सुविधा नहीं है तो सरकार गांवों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? आप स्पष्ट करें।

दूसरा, सरकार गांवों में सुविधा देने के लिये सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोले जाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अलग प्रश्न है। प्रश्न तो यह पूछ रहे हैं और सप्लीमेंट्री क्या कर रहे हैं? क्या गांव और ढाणी में जनता क्लीनिक खोलना चाहते हैं?

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या आप गांव और ढाणी में जनता क्लीनिक खोलना चाहते हैं? यदि हां, तो कब तक खोलेंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में ही मैंने इसका जवाब दे दिया था। यह शहरी क्षेत्र की उन कच्ची बस्तियों और ढाणियों में, जिनको डोर-स्टेप तक चिकित्सा व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए शहरी क्षेत्रों में जनता क्लीनिक खोलने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंसमेंट किया था और इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिये पिछले बजट में जो हमने 200 सब-सेंटर खोले हैं, 10 सब-सेंटर्स को पीएचसी में कन्वर्ट किया है, 100 नयी पीएचसी खोली हैं और 50 नयी सीएचसी खोली हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों का काम बजट में आपने पिछली बार देखा होगा और वह खोल दी गयीं करीब-करीब सब जगह। अगला बजट अब आ रहा है तो यह शहरी क्षेत्र के लिये हमारे पास करीब 15 जनता क्लीनिक तैयार हैं, जिनमें हम पीएचसी स्तर की सुविधाएं दे रहे हैं और जो इसका इम्पैक्ट आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बहुत शानदार आया है। 629 ओ.पी.डी. टोटल पहुंची हैं इन पांच जनता क्लीनिक में। बाकी के जनता क्लीनिक तैयार है, तीन जोधपुर की भी तैयार हैं और जयपुर की लगभग 12 तैयार हैं। जैसे-जैसे डिमांड आती जाएगी, शहरी क्षेत्रों में हम इसको खोलते जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गुरदीप सिंह।

हनुमानगढ़ जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने की योजना

149. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हनुमानगढ़ जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डानुसार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

आधार पर भारत सरकार द्वारा चयनित किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में हनुमानगढ जिला सम्मिलित नहीं है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले में कुल सात ब्लाक हैं। उन ब्लाकों की अल्पसंख्यक आबादी हनुमानगढ़ में 26.85 प्रतिशत है। संगरिया ब्लाक में अल्पसंख्यक आबादी 37.78 प्रतिशत है और यही प्रतिशत टिब्बी ब्लाक है, उसके अंदर 28.96 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भारत सरकार का मापदण्ड है, उसी से ..(व्यवधान)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): तब उसकी गाइड लाइन के अंदर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के बिन्दु संख्या 4 और 5 पर क्लीयर लिखा हुआ है, जो 25 प्रतिशत आबादी है अल्पसंख्यकों की, उन ब्लाकों को जोड़ने के लिये लिखा हुआ हैं। मैं मंत्रीजी से यही पूछना चाहता हूं कि बिन्दु संख्या 4 और 5 पर 25 प्रतिशत लिखी हुई है, उसका भारत सरकार को आप प्रस्ताव भिजवाने का विचार रखते हो? कब तक भिजवा दोगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भारत सरकार ही इसमें यह तय करती है कि जो भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं, उनका चयन भारत सरकार करती है। 2001 के अंदर हनुमानगढ़ जिला था और 2011 की जनगणना में हनुमानगढ़ जिला उन पैरामीटर्स में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से उसे बाहर कर दिया गया। अब जो माननीय सदस्य ने बात कही है, जो भी इसके पैरामीटर्स हैं हनुमानगढ़ जिले के, तो आपने कहा है तो हम इसका अलग से भारत सरकार को भिजवा देंगे। यदि उस मापदण्ड के अंदर आएगा तो भारत सरकार करेगी तो आगे काम कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बाबु लाल।

जनजाति उपयोजना के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

150. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना में जनजातियों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो

(श्री बाबु लाल)

विगत 3 वर्षों में योजनावार कितना बजट आबंटित किया गया व कितना व्यय हुआ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना में जनजातियों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजाति उपयोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु विभिन्न विभागों द्वारा मांग संख्या 30 के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में किये गये आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**जनजाति उपयोजना आबंटन**	**व्यय**
1.	2017-18	12,896.43	11,345.56
2.	2018-19	14,584.20	13,576.47
3.	2019-20 (माह जनवरी, 2020 तक)	15,946.89	8,855.46

उक्त का विभागवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिसम्पत्तियों का निर्माण कराते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मेरे झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में आपने सड़क, एनीकट और पुलिया और पुलिस का भी दिया है। पुलिस के लिये भी हम भवन निर्माण करेंगे तो इन परिसम्पत्तियों पर कितना-कितना पैसा व्यय किया एक वर्ष में, यह मुझे बताएं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभागवार माननीय सदस्य को मय राशि के सूची उपलब्ध करा दी गयी है और मांग संख्या 30 के अन्तर्गत जो टीएडी विभाग की राशि व्यय की गयी, वह भी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागवार टोटल बताया हैं। केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितना खर्च किया, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होर्टिकल्चर, यह बागवानी लगाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितनी बागवानी लगायी? कौन-कौनसे फलदार वृक्ष लगाए? यह बताएं। तीसरा प्रश्न मैं इसी में आपसे और पूछ ही लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न तो पूछा है स्टेट का और झाड़ोल पर आ गये आप। प्रश्न के संदर्भ में आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न भाग संख्या-3 पर है। उस पर आप पूछें। झाड़ोल की सूचना उपलब्ध करा देंगे। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं इन आंकड़ों से समझा हूं, जो बजट आपका इस मांग संख्या 30 में दिया हुआ है और जो खर्च है वह आपने विभाग को बजट सुपुर्द कर दिया। व्यय नहीं हुआ। यह जो सारी लिस्ट है कि आपने किस विभाग को कितना दिया तो आप ट्रांसफर विभाग हो या जमीन पर काम हो, उसके लिये भी कोई देखने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, यह बजट तो ट्रांसफर आप बता रहे हो 2017 का, 2018 का, 2018-19, सबका बता रहे हो। लेकिन यह केवल बुकिंग हैं विभाग को। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, वह पूछ रहे हैं हम आपसे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने यह जानना चाहा है, एक्चुअल खर्चा परिशिष्ट 'अ' में विभागवाइज दे दिया गया है और जहां इन्होंने विभागवाइज पूछा है, टी एस पी एरिया का भी हमने अलग-अलग व्यय राशि आपको उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा आपको इसमें कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य ने पूछा है, झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र का भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

जयपुर के हिरण पार्क में हिरणों की देखरेख पर व्यय

151. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के हिरण पार्क में जनवरी, 2015 में कितने हिरण थे और वर्तमान में कितने हिरण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) उक्त पार्क में प्रतिवर्ष हिरणों की देखरेख पर कितनी राशि व्यय की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पार्क में हिरणों को समय पर खाना व पानी नहीं देने के कारण से हिरण मर रहे हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2020 तक कितने हिरणों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पार्क में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) चिकित्सा निदेशालय जयपुर के पास स्थित अशोक विहार डियर पार्क में जनवरी, 2015 में 156 चीतल हिरण थे, जिसमें से वर्ष 2016 में 37 चीतलों को झालाना लैपर्ड रिजर्व एवं वर्ष 2017 में 33 चीतलों को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में स्थानान्तरित कर दिया गया। जनवरी, 2015 के बाद प्राकृतिक जन्म एवं मृत्यु के बाद वर्तमान में चीतल हिरणों की संख्या 96 है।

(2) हिरणों की देखरेख पर वर्ष 2018-19 में 15.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(3) जी नहीं। 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक कुल 12 चीतल हिरणों की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई है।

(4) जी नहीं। किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा हिरणों के रखरखाव में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

(12:00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों को एक वर्ष से आर.टी.ई. का भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति-

(श्री अध्यक्ष)

जनजाति को आरक्षण से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के आदिवासी परिवारों को पिछले 70 सालों से बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जालौर जिले के बावतरा गांव में खेतों में झूल रहे बिजली के तारों से कृषि कार्य कर रहे पति-पत्नी की करंट लगने से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान की युवती को फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग में फंसाकर हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू बांध के पानी के रिसाव से आम रास्ता बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के विद्यालयों में मिड-डे मील योजना में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मेंद्र कुमार एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री बाबु लाल (झाडोल), सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायत सहायकों को मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में संचालित संस्था 'पीपुल फार स्ट्रीट डाग्स' को प्रशासन द्वारा हतोत्साहित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा-कुम्भराज सड़क के अधूरे पड़े कार्य से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों के कोष में जमा करोड़ों रुपये का

(श्री अध्यक्ष)

जिला स्तर पर मीटिंग में होने के कारण उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर के तहसील कार्यालय में उप पंजीयक के रिक्त पद से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से पृथ्वीराज नगर, जयपुर में अचानक 20 प्रतिशत से ज्यादा नियमन शुल्क बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से सलूम्बर तथा उदयपुर ग्रामीण में पैंथर के हमले से घायल तथा मृतकों को सरकार द्वारा मुआवजा राशि नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर में बजरी माफियाओं द्वारा केकड़ी के पत्रकार पर हमला किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों के कनेक्शनों का भार परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से पिछले कुछ महीनों से लूणकरणसर में हुए 40 हिरणों के शिकार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा थर्मल पावर प्लांट की इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से बागोड़ा जिला जालौर में कृषि भूमि अवाप्ति के विरोध में 70 दिनों से जारी धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 754 K के लिए गरीब किसानों की भूमि अवाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री गुलाब चंद कटारिया, सदस्य की ओर से प्रदेश के शिक्षा विभाग में

(श्री अध्यक्ष)

भारी संख्या में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कार्यालयों में किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत घरेलू विद्‌युत कनेक्शन की राशि पुनः लौटाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(24) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में कथित तौर पर खान विभाग की मिलीभगत से फेल्सपार खनिज को अवैध रूप से राज्य से बाहर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यगण, कल बीएसी की मीटिंग है, जो-जो डिमांड डिस्कस होगी, उस दृष्टि से हमने कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में आज चर्चा नहीं की। आज जो नहीं बोले हैं, उनके स्थगन प्रस्ताव को लिया है। एक बार डिमांड का फैसला होने के बाद, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो डिमांड नहीं आ रही है, उस डिमांड के सम्बन्ध में यदि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहें तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उपादेय चर्चा होगी, आप उस पर ध्यान दें।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(25) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में कर्ज से दबे किसानों की जमीनों की कुर्की होने से आत्महत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(26) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के मौजा, सागवाड़ा में बसे गरीब आदिवासियों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(27) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नील गायों द्‌वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(28) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं वन 7 का दुरुपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(29) श्री पुखराज गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में हो रहे स्टेट हाईवे संख्या-63 के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह लूथरा, श्री रामप्रसाद, श्रीमती कल्पना देवी, श्री नारायण बेनीवाल एवं श्री पुखराज गर्ग को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में दिनांक 10.02.2020 को बीगोद के पास रोडवेज चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना के मृतक 09 लोगों तथा 15 घायलों को सहायता राशि दिए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन तथा अन्य दिनों में रियायती दर पर महिलाओं को यात्रा करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्रामीण इलाकों में संचालित जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों के स्थान पर जलदाय विभाग से संचालित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना की धीमी गति से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र, आमेर के वार्ड नंबर 91 को जयपुर डिस्काम के जयपुर शहर कार्यालय से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में पेयजल की समस्या का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से गडरा रोड में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद सरकार द्वारा शराब की बिक्री बढ़ाने के प्रावधान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री जे. पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से नगर परिषद् बारां में आने वाले 11 गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने तथा कार्यकाल में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कतिपय गांवों के किसानों की राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा बहुत ही कम दर से मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ऐतिहासिक गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 19 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम	विषय
1.	श्री सुरेश टाक (किशनगढ़)	राज्य में सामान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु निर्धारित तिथि पर पुनर्विचार कर कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)	मावली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों के कार्य बंद पड़े होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)	राजस्व भू-अभिलेख से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
4.	श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)	चित्तौड़गढ़ जिले के स्थानीय बेरोजगार युवकों को हिन्दुस्तान जिंक दरीबा व चंदेरिया व बिड़ला सीमेंट चन्देरिया में रोजगार दिलवाये जाने तथा उक्त फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।

श्री बलवीर सिंह लूथरा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में किसानों द्वारा जमीनों की कुर्की होने पर आत्महत्या

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कर्ज से दबे किसानों की जमीनें कुर्क करने पर किसानों द्वारा रोजाना आत्महत्याएं की जा रही हैं।

मेरे श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर तहसील के गांव छापावाली में युवा किसान महेन्द्र वर्मा ने कर्ज से तंग आकर दिनांक 14 फरवरी को कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उस पर बैंक का लगभग दस-ग्यारह लाख रुपये का कर्ज था। इसी 16 फरवरी रविवार शाम को इलाज के दौरान हमारे युवा किसान ने दम तोड़ दिया। अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सका। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। उसके चार छोटे-छोटे

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

बच्चे जिनमें तीन बेटियां और एक छोटा बेटा है, उनके पालन-पोषण का कोई जरिया नहीं रहा। इससे पहले श्रीगंगानगर जिले के गांव मोहनपुरा के वृद्ध किसान मक्खन सिंह ने 12 फरवरी, 2020 को सुबह 10 बजे कर्ज से परेशान होकर सल्फॉस की गोलियां निगल लीं जिससे उसकी मौत हो गई। इस किसान पर भी 12-13 लाख का बैंक का कर्ज बकाया था।

मेरी विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अधिकांश किसानों के विरुद्ध वसूली हेतु बैंकों द्वारा रोडा एक्ट में केस विचाराधीन हैं जिसमें एसडीएम, तहसीलदार किसानों की जमीनें नीलाम कर ऋण वसूली की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके लिए इनको 5 प्रतिशत कमीशन इंसेंटिव के रूप में मिलता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से राजस्थान के सभी उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को किसानों की जमीन कुर्क नहीं करने के लिए निर्देशित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य बोल रहे हैं। यह माननीय मंत्री हैं, देखो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अपने-अपने स्थान पर जाएं। यह बिलकुल गलत परंपरा है। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): कर्ज से तंग आकर जिन किसानों ने आत्महत्या की, उनका सम्पूर्ण कर्ज माफ कर उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने घोषणा की थी, आपको ध्यान है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, प्लीज। गलत परंपरा नहीं। आपको बोलने का मौका है। मंत्री रहे हैं आप। माननीय रामप्रसाद जी।

मौजा सागवाड़ा में बसे आदिवासियों की अतिक्रमण के नाम पर बेदखली

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के मौजा सागवाड़ा में खसरा नंबर 196 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 1902/196 रकबा 1 बीघा भूमि व मौजा सागवाड़ा के खसरा नंबर 5721 की भूमि पर वर्षों से गरीब आदिवासियों का बसेरा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पानाचन्द जी, सदस्य बोल रहे हैं और आप क्रास करके जा रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं?

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): जिसको राजस्व विभाग ने सागवाड़ा नगरपालिका को आवंटित कर दिया है। वहां पर दिनांक 18.12.2019 को उपखंड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा ने बार एसोसिएशन की अधिवक्ता कालोनी पर अतिक्रमण बताकर उन गरीब आदिवासियों के आशियाने तोड़ दिए हैं जबकि हमें जानकारी है कि उक्त जमीन नगरपालिका ने बार एसोसिएशन अधिवक्ता कालोनी के लिए आबंटित नहीं की है, लेकिन उपखंड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा द्वारा मनमर्जी से बार एसोसिएशन को आबंटित होना बताकर उन गरीब आदिवासियों के आशियाने तोड़ दिए हैं। वह गरीब आदिवासी सभी अधिकारियों से अपने आशियाने बचाने के लिए गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।

सागवाड़ा का ही एक मामला खसरा नंबर 4956 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा श्रीमती नागेर पति कोदरा मीणा भील, निवासी सागवाड़ा के नाम से तत्कालीन उपखंड मजिस्ट्रेट सागवाड़ा द्वारा बिलानाम कर उस जमीन को नगरपालिका व पंचायत समिति सागवाड़ा के नाम दर्ज कर दिया। उस पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है एवं उक्त गरीब आदिवासी महिला दर-दर की ठोकरें अपनी जमीन के लिए खा रही है लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नियम 50 में देखकर नहीं बोलते हैं। 295 में बोलते हैं। बिना देखकर बात कहें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): हां। ऐसे ही सागवाड़ा में सिलोही गांव है। वहां पर 19 काश्तकारों के पट्टे, जो कडाणा डैम के कारण 40 साल पहले दिए थे, उनको आज तक उस जमीन पर नहीं बसाया गया। अगर वह एसडीएम, कलेक्टर कहीं पर भी जाते हैं तो यह कहा जाता है कि जो आपके पट्टे हैं,

(श्री रामप्रसाद)

उनका नंबर सही नहीं है जबकि 40 साल पहले कडाणा में मकानों के लिए आबंटन किया था लेकिन आज तक उनको आबंटन नहीं किया गया है।

कडाणा जो डैम बना है, उस डैम के जो डूब प्रभावित गांव हैं, उन प्रभावित गांवों में बेरुवा, नैनसावा, कालीकापारड़ा, कसारिया, सिलोही, ऐसे नजदीक के जितने भी डूब क्षेत्र में आते हैं, उन सारे गांवों की जो जमीन डूब में गई हैं, उसके बदले में उनको पट्टा तो दिया गया, लेकिन आज तक जमीन पर उनको नहीं बसाया गया है। उनको स्थाई रूप से कब्जा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाकर जो प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजा और तत्काल आबंटन की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में नील गायों द्वारा फसलों को नुकसान

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। आजीविका का साधन कृषि है। लेकिन आज पूरे राज्य में हम सभी चिंतित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बिना देखे बोलने के लिए अवसर दिया है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): हम सब लोग किसान की बातें कर रहे हैं। यह समस्या सिर्फ मेरे क्षेत्र में नहीं है बल्कि बहुत सारे सदस्य हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। वह समस्या नील गाय की है।

अध्यक्ष महोदय, अभी गेहूं की फसल तैयार हो रही है। जहां भी मैं जाती हूं तो किसान की यह पीड़ा मेरे सामने आ रही है कि नील गाय की समस्या का समाधान करें। नील गाय के कारण आये दिन सड़कों पर मोटर दुर्घटना होने और फसलों के नुकसान के बारे में किसान हमें सुना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, फसलों का प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान

(श्रीमती कल्पना देवी)

होता है, उसके लिए सरकार ने मुआवजे का प्रावधान कर रखा है लेकिन नील गाय से जो फसलों को नुकसान हो रहा है, उससे किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार से अनुरोध करें कि नील गाय से जो फसलों का नुकसान होता है, उसका भी मुआवजा किसान को दिलाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं 177 का दुरुपयोग

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन का ध्यान नागौर शहर में काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 और धारा 177 के दुरुपयोग के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लेकर आया हूं। धारा 16 के अंदर प्रावधान है कि भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस अधिनियम में है कि राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, नियम में किसी वाद के होते हुए खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में प्राप्त नहीं होंगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा है, गोचर भूमि।

अध्यक्ष महोदय, नागौर तहसील के राजस्व ग्राम चैनार के खसरा नंबर 46 जो कि गैर मुमकिन गोचर भूमि है, न्यायालय के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जगपाल सिंह वर्सेज अन्य वर्सेज पंजाब, इसमें भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आप गोचर की भूमि को नहीं दोगे। उसके बावजूद वहां के उपखंड अधिकारी ने 4 बीघा जमीन एक व्यक्ति को दे दी। हमने जब जगह-जगह इस मामले में आवाज उठाई तो बड़ी मुश्किल से वहां के जो तहसीलदार हैं, उन्होंने उसकी अपील का हमें आश्वासन दिया है।

माननीय राजस्व मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मैं निवेदन यह करूंगा कि हर बार वह यह कहते हैं कि इसमें ऊपर से दबाव है। आखिर में ऊपर शब्द जो है, एक तरफ जीरो टोलरेंस की बात कर रहे हैं और ऊपर के दबाव के नाम पर इतनी बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा 177 का जो है, इसके अंदर है कि यदि भूमि,

(श्री नारायण बेनीवाल)

जिस प्रयोजन से वह धारण करता है, उसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन में होती है तो उसमें सिवाय चक घोषित करने का प्रावधान है लेकिन इसके अंदर यह भी प्रावधान है कि यदि भूमि अधिकारी ऐसा प्रकरण लेकर के आते हैं तो नोटिस जरूर दिया जाता है उस काश्तकार को लेकिन बिना नोटिस दिए उनकी जमीनें सिवाय चक घोषित कर दीं और अब सैटिंग करके रिव्यू का आप्शन भी खुला रखा है और बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी नागौर जिले में हो रही है। आरएए और उपखण्ड कार्यालय, नागौर में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

बनाड़ से कुचेरा, राज्य राजमार्ग संख्या 63 के निर्माण में अनियमितताएं

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे जोधपुर, बनाड़ से कुचेरा, एक महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पर चल रहे कामों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, नागौर जिले से कुचेरा तक निर्माण हो रहा है, इस राज्य राजमार्ग संख्या 63 के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही और अनियमितता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त राजमार्ग पर निर्माण कार्य विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कुल 126 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो सड़क बनने जा रही है, इसमें किसी भी तरह का गुणवत्ता का, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस सड़क में चाहे अर्थ वर्क हो, चाहे अर्थ वर्क के बाद में कंक्रीट, गिट्टी की कुटाई हो, चाहे डामरीकरण हो, उसमें किसी तरह के मानदण्ड जो डीपीआर के अंदर लिए हुए हैं उनको फोलो नहीं कर रहे हैं, न ही जो अधिकारी हैं वे किसी तरह से इसके

(श्री पुखराज)

बारे में मोनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो सड़क बनाड़कुचेरा है, वह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 15 किलोमीटर तक इस पर सेना के वाहनों का आवागमन भी होता रहता है। इस तरह की जो कमजोर सड़क बनाई जा रही है, उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इसके कार्य को सही तरीके से करवाने की व्यवस्था की जाए, मैं इसकी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: 295. श्री सतीश पूनियां, पहले बोल लेंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

आमेर के वार्ड 91 के क्षेत्रों को जयपुर डिस्कॉम के जयपुर शहर वृत्त से जोड़ना

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर के वार्ड नम्बर 91 (पुनर्गठन पश्चात् वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4) के नगर निगम के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों को वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र जेसीसी से जुड़ा हुआ नहीं माने जाने के कारण वहां के स्थानीय निवासियों/उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्धी छोटे-छोटे कार्यों के लिए यथा मीटर बदलवाना, नए कनेक्शन जारी करवाना, मीटर की रिपोर्ट, विद्युत व्यवधान आदि हेतु पहले कुण्डा की ढाणी, तत्पश्चात् कनिष्ठ अभियंता कार्यालय, भानपुरकलां जाना पड़ता है, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है जबकि कुण्डा, आमेर में ही शहरी कार्यालय (ई-4, जयपुर शहर वृत्त) संचालित है। वर्तमान में विद्युत विभाग ने इन क्षेत्रों को ग्रामीण कार्यालय, कुण्डा की ढाणी (जयपुर जिला वृत्त) के अंतर्गत कर रखा है।

मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय निवासियों की इस समस्या को जनहित में दृष्टिगत रखते हुए वार्ड 91 (पुनर्गठन पश्चात् वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4) के नगर निगम अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों को कार्यालय, जयपुर शहर वृत्त से जोड़ते हुए स्थानीय निवासियों/उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान कराएं जो स्थानीय आमजन के हित में होगी। अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में हुई दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को सहायता राशि का भुगतान

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग पर स्थित बीगोद के पास रोडवेज चालक की लापरवाही से वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे गांव संतरा, जिला मंदसौर निवासी 11 व्यक्तियों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां के नजदीकी अस्पताल बीगोद में न तो चिकित्सक हैं और न ही 108 रोगी वाहन। वहां पर एक चिकित्सक है, वह भी प्रतिनियुक्ति पर है, जो तीन-तीन दिन ही सप्ताह में आता है। नजदीकी तहसील मुख्यालय में जो एम्बुलेंस है, वह भी खराब एवं नाकारा अवस्था में है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उक्त रिक्त पद पर कब तक नियुक्ति होगी एवं क्या वहां पर रोगी वाहन मुहैया कराने का विचार रखते हैं? माननीय परिवहन मंत्रीजी से भी पूछना चाहता हूं कि दुर्घटना के दोषी चालक पर विभागीय कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? इससे सदन को अवगत कराएं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में हुई भीषण दुर्घटना में मृतक एवं घायलों के परिजनों को सहायता राशि दी जाए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। इस बारे में सरकार क्या विचार रखती है, इससे सदन को अवगत कराए।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

रोडवेज की तरह निजी बसों में महिलाओं को नि:शुल्क/रियायती यात्रा की सुविधा

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

आने जाने हेतु रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा तथा अन्य दिनों में 75 प्रतिशत किराये पर यात्रा करवाई जाती है, जो काबिले तारीफ है लेकिन यह सुविधा केवल उन मार्गों पर दी जाती है, जिन पर रोडवेज की बसें चलती हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि जिन मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं, उस क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं का क्या कसूर है कि पूरे राज्य की महिलाएं तो नि:शुल्क यात्रा करती हैं और उनको किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है। इस पर मेरे कुछ सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. रक्षाबंधन पर्व पर प्राइवेट बस मालिकों को पाबंद किया जाए कि सभी महिला यात्रियों को नि:शुल्क एवं अन्य दिनों में 75 प्रतिशत किराये पर यात्रा कराये तथा राज्य सरकार उस किराये का पुनर्भरण करे। यह उसी प्रकार है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

2. प्राइवेट बस मालिक महिला यात्रियों को कराई गई नि:शुल्क एवं रियायती दर की यात्रा का बिल, सम्बन्धित जिले के परिवहन कार्यालय को पेश करें। उस राशि का समायोजन बस मालिक द्वारा भरे जाने वाले रोड टैक्स में कर दिया जाए। अत: मंत्री महोदय से व सरकार से मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि प्रदेश की महिला शक्ति के सम्मान में यह निर्णय लेकर राज्य में निवास करने वाली सभी माता-बहनों को यह भरोसा दिलाया जाए कि सरकार प्रदेश के कोने-कोने व आखिरी छोर पर निवास करने वाली महिला शक्ति के सम्मान में खरी उतरेगी।

अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर सदन का ध्यान नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर तहसील निवासियों को चम्बल पेयजल परियोजना से पेयजल आपूर्ति

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल का विकट संकट है। चम्बल पेयजल

(श्री गोपी चन्द मीणा)

परियोजना द्वारा पूरे जिले में पेयजल आपूर्ति कर दी गई है, लेकिन जहाजपुर तहसील क्षेत्र के गरीब लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। चम्बल पेयजल परियोजना को स्वीकृत होने के सात-आठ साल होने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लापरवाही बरतने वाले सम्बन्धित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए तथा इसके साथ ही क्षेत्र में रिकार्ड तोड़ बारिश होने के बाद भी पीएचईडी द्वारा पेयजल परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

योजना बनास से गाढोली लुहारी कलां, स्कीम टीकड़ कुचलवाड़ा, ऊंचा पेयजल परियोजना बनास कुराड़िया, इसी तरह पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों के अधीन जनता जल पेयजल योजनाओं का संधारण सही नहीं होने के कारण आम जन को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। जनता जल पेयजल योजना पूर्व में पीएचईडी विभाग के द्वारा योजना अधीन थी, जिससे समय पर योजना का अच्छा संधारण होता था, पर अब ग्राम पंचायत के अधीन होने के कारण बिजली के बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और विद्युत कनेक्शन काट दिए जाते हैं। सम्बन्धित कर्मचारियों, अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी कुशवाह (अनुपस्थित)।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का मानदेय एवं भत्ता बढ़ाने के क्रम में।

महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य में से अभी सरपंचों को 3500 रुपये मासिक मिलते हैं, जो बहुत कम हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम दस हजार रुपये मासिक कराने की कृपा कराएं।

वार्ड पंच को 187 रुपये बैठक भत्ता दिया जाता है। वह भी बहुत कम है। कम से कम पांच सौ रुपये दिये जाएं। पंचायत समिति सदस्य जो कि लगभग सात से दस हजार लोगों का पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

एवं जिला परिषद् सदस्य जो लगभग पचास हजार से सत्तर हजार लोगों का जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें वर्तमान में मानदेय के नाम पर एक रुपया भी नहीं मिलता है तथा बैठक भत्ता क्रमशः पंचायत समिति के सदस्य को दो सौ रुपये व जिला परिषद् सदस्य को पांच सौ रुपये दिये जाते हैं तथा बैठकें भी बहुत कम होती हैं।

पंचायत समिति की महीने में एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी देखें तो बैठकें बहुत कम होती हैं। लम्बा-चौड़ा क्षेत्र होने की वजह से इन्हें प्रवास पर भी रहना पड़ता है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति के सदस्यों को भी दस हजार रुपये मासिक मानदेय एवं जिला परिषद् के सदस्यों को बीस हजार से पच्चीस हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए एवं बैठक भत्ते पांच सौ से सात सौ रुपये दिलाने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में पेयजल की समस्या का समाधान

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में पेयजल संकट की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के सम्बन्ध में मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल नदी के किनारे स्थित कोटा शहर की कई कालोनियां आज भीषण जल संकट का सामना कर रही हैं। कोटा शहर की लगभग 150 कालोनियां व बस्तियां ऐसी हैं, जहां अभी तक जलदाय विभाग पानी नहीं पहुंचा पाया है। कई कालोनियों में पानी की पाइप लाइन तक नहीं बिछायी गयी है। भीषण गर्मी के दिनों में इन कालोनियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। कोटा शहर के प्रेम नगर, रंगबाड़ी, सूर्य नगर, लखावा, आंवली, नया गांव, रानपुर में भीषण जल संकट है।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के आर के पुरम, श्रीनाथपुरम, सुभाष नगर, गणेश नगर, स्वामी विवेकानन्द नगर आदि कालोनियों में सुबह-शाम कुछ घंटे ही जलापूर्ति की जाती है। वहीं, भीषण गर्मी के दिनों में शहर की पॉश कालोनियां- इन्द्रा विहार, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर सहित औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी का संकट खड़ा हो जाता है। कोटा के

(श्री संदीप शर्मा)

इन इलाकों में पानी की सप्लाई के लिये पांच साल पहले यहां बड़ी पाइप लाइन डालने की एक योजना बनी थी। वह आगे नहीं बढ़ पायी। पिछले साल उस योजना को अमृत योजना में मर्ज करके इंद्र विहार, राजीव गांधी नगर व न्यू राजीव गांधी नगर में एक-एक टंकी और बड़ी पाइप लाइन डालने की योजना बनी। दस करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो गये, लेकिन अभी तक टेण्डर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।

दादाबाड़ी, तलवण्डी, विज्ञान नगर, बसन्त विहार, राजीव गांधी नगर, टीचर्स कालोनी, महावीर नगर, शापिंग सैंटर और सिन्धी कालोनी गुमानपुरा में पानी की पाइप लाइन पुरानी हो चुकी है। इस कारण काफी कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है। स्मार्ट सिटी में इन कालोनियों में नयी पाइप लाइन बिछाने का कार्य केवल कागजों में ही सिमटकर रह गया है। अमृत योजना के तहत पेयजल योजनाओं के लिये 75 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक केवल 24 करोड़ रुपये के ही कार्य हो पाये हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित बजट घोषणा के तहत 85 करोड़ रुपये का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अमृत योजना के तहत हुए कार्यों में पक्षपात हुआ है। पूरे क्षेत्र में केवल 18 किलोमीटर पाइप लाइन ही डाली गयी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में कोटा दक्षिण में पेयजल कार्यों के प्रस्ताव को अधिकारियों ने बदलकर या तो निरस्त कर दिया है या उसमें कटौती कर दी है। शहर में जलदाय विभाग के मेन फीडर और पम्प सैट काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 70 एमएलडी प्लान्ट के निर्माण की काफी आवश्यकता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कोटा शहर में पेयजल की स्थिति को दुरुस्त किया जाए तथा पेयजल योजनाओं के लिये शीघ्र बजट उपलब्ध करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री अमीन खां।

गडरा रोड में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्वीकृति

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। महोदय निवेदन है कि सीमावर्ती उप खण्ड गडरा रोड में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने की

(श्री अमीन खां)

स्वीकृति की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका आफिस वर्क आज तक चालू नहीं हुआ है। गडरा रोड उप खण्ड के सीमावर्ती उप खण्ड से शिव उप खण्ड 150 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जिससे लोगों के आने-जाने में भारी खर्चा व समय लगता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने गडरा रोड उप खण्ड स्वीकृत किया है।

अंत में राज्य सरकार से विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र एसडीओ आफिस गडरा रोड में खोलकर कार्य चालू किया जाए और इसके भवन को बनाने के लिये सिवायचक भूमि में बाड़मेर कलेक्टर ने भूमि फ्री करने का विचार कर लिया है, नहीं तो वहां की जनता गडरा रोड एसडीओ के आफिस के लिये जमीन फ्री में देने के लिये तैयार है। अत: शीघ्रातिशीघ्र गडरा रोड एसडीओ आफिस कार्यालय शुरू करने के आदेश दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनावों के समय एक नारा लगता था...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295 बोलना है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): वही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, देखकर। इसमें जो लिखा है, वही बोलना है।

शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध के बावजूद सरकार द्वारा शराब की बिक्री बढ़ाने के प्रावधान

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध है, लेकिन सरकार ने हाल ही जारी आबकारी नीति में शराब की बिक्री बढ़ाने के खुलेआम प्रावधान किये हैं। सरकार ने आबकारी नीति में शराब की दुकानों के लिये उठाव का कोटा बढ़ा दिया है। यही नहीं, कोटे से कम शराब बेचने पर अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान किया है।

इसी तरह से, नयी आबकारी नीति में सरकार ने राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन (आरटीडीसी) कैम्पस में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का जिक्र किया है, यानी राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ना तय है, जबकि सरकार कई बार यह कह चुकी है कि दुकानों की संख्या नहीं बढ़ायी जाएगी।

(श्री प्रताप सिंह)

इसी तरह से, नयी आबकारी नीति में बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार ने होटल बार में शराब के एक से तीन अतिरिक्त काउंटर लगाने का जिक्र किया है। नयी आबकारी नीति का एक प्रावधान तो सीधे-सीधे Conflict of Interest का मामला है। नीति में होटल बार के लिये 15 से 30 लाख रुपये तक की वार्षिक फीस निर्धारित की गयी है, लेकिन सिविल क्लब को दो लाख रुपये और राज्य कर्मचारियों के क्लब को एक लाख रुपये की ही फीस देनी होगी। ऐसा करके आबकारी नीति बनाने वाले अफसरों ने खुद और अपने साथियों से सम्बन्धित क्लबों को सीधा-सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है, जो अपराध है। सरकार को सभी लाइसेंस फीस एक जैसी करनी चाहिए और इसमें खुद को फायदा पहुंचाने का प्रावधान करने वाले अफसरों पर कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार की आबकारी नीति में शराब के कोटे को यथावत रखा जाए और इससे कम शराब बेचने पर अतिरिक्त जुर्माने को हटाया जाए। सरकार को राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन (आरटीडीसी) कैम्पस में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय भी वापस लेना चाहिए। अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी के चिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत उप खण्ड चिड़ावा जिला झुंझुनूं में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कर प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अनेक सरपंचगण यथा सरपंच नूनिया गोठड़ा, सरपंच लाम्बा गोठड़ा, सरपंच बख्तारपुरा, सरपंच खुडाना, सरपंच ओजटू, सरपंच अडूका, सरपंच घरडाना कलां तथा अन्य शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की पुरजोर मांग है कि उप खण्ड चिड़ावा जिला झुंझुनूं में राजकीय महाविद्यालय तुरंत खोला जाए, क्योंकि पूरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु यहां पर पूर्व में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई तथा आमजन द्वारा अनेक बार आंदोलन किये गये हैं। अब उन्हें आशा है कि कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार राजस्थान में आ गयी है

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

और चिड़ावा उप खण्ड में राजकीय महाविद्यालय शीघ्र खोल दिया जाएगा। यह क्षेत्र किसानों और मजदूरों का है, जिनके बच्चे किसी भी प्राइवेट संस्था में अध्ययन करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में भारी फीस होती है, जो किसान और मजूदर परिवार वहन नहीं कर सकते। इसी कारण यहां पर एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस और आमजन निरंतर इस बात के लिये मांग करते आये हैं कि चिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए।

पिलानी विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पर्याप्त संख्या में हैं, जिनमें अध्ययन करके निकलने वाले छात्र-छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा के लिये कोई भी राजकीय महाविद्यालय उप खण्ड चिड़ावा में उपलब्ध नहीं है। इस कारण गरीब, मजदूर, किसान व दलित परिवारों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि शुरुआती तौर पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भूमि व भवन सरकार को बिना किसी वित्तीय व्यय के चिड़ावा में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां पर राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा। अत: चिड़ावा उप खण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलना अत्यंत आवश्यक है।

अत: विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए चिड़ावा में शीघ्रातिशीघ्र राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर इसे प्रारम्भ कर अनुग्रहीत करें।

श्री अध्यक्ष: श्री पानाचन्द मेघवाल।

बारां नगर परिषद् के गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बारां नगर परिषद् में शामिल 11 गांवों सहित कच्ची बस्तियों में मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान बारां शहर के इस जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

वर्ष 2006 में बारां नगरपालिका के समीपवर्ती काजीखेड़ा, गगनपुरा, नलका, रजपाली, मेलखेड़ी, गोपालपुरा, मियाणा, लक्ष्मीपुरा, आम्बापुरा, दुर्जनपुरा, तलावड़ा, कुल 11 गांवों को मिलाकर नगर परिषद् का गठन किया गया, लेकिन पिछले 14 वर्षों के बाद भी इन गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इन गांवों में आज भी कच्ची सड़क और कीचड़ की समस्या है। लोगों की सुविधा के लिए पार्क विकसित नहीं हो पाए हैं तथा पूर्व में निर्मित शौचालय और श्मशान भी जीर्ण-जीर्ण हालत में हैं। इन गांवों में सार्वजनिक रोशनी का उचित इंतजाम नहीं है, पेयजल के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है तथा लोगों के निजी आयोजनों के लिए सामुदायिक भवन भी निर्मित नहीं है। इसके अलावा, बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र की कई बस्तियों और गांवों में अभी तक पट्टे जारी नहीं हो पाये हैं। इसके अतिरिक्त, बारां शहर में राजीव गांधी कच्ची बस्ती, लक्ष्मीपुरा रोड कच्ची बस्ती, बरडिया बस्ती, ग्रेड बस्ती और लालबाई चौक कच्ची बस्ती लम्बे समय से बसी हुई है, लेकिन राज्य सरकार के प्रतिबन्ध के कारण इन लोगों को मकानों के पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से राजीव गांधी कच्ची बस्ती और लक्ष्मीपुरा रोड बस्ती डूब क्षेत्र में घोषित है, जबकि बारां में डाइवर्जन चैनल बन जाने के बाद यह क्षेत्र डूब और बाढ़ की समस्या से मुक्त हो चुका है। बरडिया बस्ती और लालबाई चौक बस्ती खनिज विभाग की भूमि पर होने के कारण यहां के पट्टे भी जारी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि सरकारी दस्तावेजों में ग्रेड बस्ती को रेलवे की भूमि पर बताया गया है पर हकीकत में यह बस्ती रेलवे की चारदीवारी से बाहर स्थित है।

एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के जो पट्टे जारी किये जाते हैं उसमें कड़े प्रावधान हैं कि पट्टाधारी मकान को बेच नहीं सकता, इस पट्टे पर बैंक लोन नहीं, ऐसे मकानों को न तो वसीयत और न ही दान किया जा सकता है जिससे कच्ची बस्ती का गरीब इंसान अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बारां शहर में आने वाले इन गांवों में जन-सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाए तथा इन प्रतिबन्धित बस्तियों को नियमों में छूट देकर पट्टे जारी किये जाएं तथा पट्टे में जो प्रावधान किये जाते हैं उनका सरलीकरण किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295 समझ नहीं रहे हैं आप? पढ़ा हुआ माना जाए। माननीय सदस्य, बैठें आप। श्री पब्बाराम।

पंचायत सहायकों के मानदेय तथा कार्यकाल में वृद्धि

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से पंचायत सहायकों के मानदेय, कार्यकाल में वृद्धि एवं नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत सहायक पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायतों में अल्प मानदेय (6000 रुपये मात्र) में अपनी सेवायें नियमित रूप से दे रहे हैं और आमजन को लाभान्वित कर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका मानदेय बहुत अल्प है जिससे इनकी आजीविका चलाना दुष्कर हो गया है। इसके फलस्वरूप प्रदेशभर में लगभग 70 कर्मचारी जिन्दगी से अपनी जंग हार गये हैं। आपकी सरकार ने घोषणा पत्र में अल्प मानदेयकर्मियों को नियमितीकरण करने व सम्मानजनक मानदेय करने का वादा भी किया था।

मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि इनका न्यूनतम वेतन 18,000/- (अठारह हजार रुपये मात्र) करने एवं कार्यकाल बढ़ाने और इनका नियमितीकरण करने के साथ-साथ एक विभाग करने से इन पंचायत सहायकों को लाभ मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन के किसानों की राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मुम्बई-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत आने वाले बूंदी जिले के केशोरायपाटन पंचायत समिति के गांवों सुनारी, रामपुरिया, टोकसपुरिया, आमली खेड़ा, बिशनपुरा, देवपुरा, नाथगांव, हरदेव गांव, धाकड़खेड़ी व दौलतपुरी के किसानों की खेती की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा किसानों को बदले में मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है। इस क्षेत्र में किसानों के कृषि के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है इसलिए किसानों को मुआवजा राशि नई कृषि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नीति के तहत दी जाए तथा जिन ग्रामीणों के आवास स्थल भी इसमें आ रहे हैं उन्हें आवासीय भूमि भी उपलब्ध करवाई जाए।

इसी प्रकार नेशनल हाईवे 52 रामगंजमण्डी के कई गांवों में होकर निकल रहा है जिसमें अरनिया, सुकेत, हिरियाखेड़ी गांवों के किसानों की जमीन आई है, उनको वर्तमान डीएलसी दर से भी कम राशि मुआवजे के रूप में दी जा रही है। उपखण्ड अधिकारी की सुनवाई में भी कई किसानों द्वारा आपत्ति की गई, जिसमें एक भी आपत्ति की सुनवाई नहीं की गई। इसमें भू-अवाप्ति अधिकारी जो कोई भी हो, उसके खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाए, क्योंकि जब नई कृषि नीति बनी तो किसानों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। इसमें भू-अवाप्ति अधिकारी और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह काम हो रहा है। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के बालापुरा व आसपास के किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सड़क के एक ओर चार गुना मुआवजा और दूसरी ओर डीएलसी रेट पर, ऐसा क्यों? इसकी जांच करवाई जाए वरना किसानों का आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। अत: उक्त समस्या पर विचार कर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

सूरसागर (जोधपुर) के गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन गंगलाव तालाब के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

वर्षा जल संरक्षण की अनमोल विरासत के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में रियासतकाल में बनाया गया यह तालाब, परकोटा शहर की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ हर उत्सव में जल पूजन का बहुत बड़ा केन्द्र था, परन्तु धीरे-धीरे इसके कैचमेंट एरिया पर हुए अवैध अतिक्रमण और फिर तालाब क्षेत्र पर ही हुए अतिक्रमण से अब यह तालाब अपने स्वरूप को खो चुका है। हाल ही में सरकार ने यहां एक योजना बनाकर तालाब क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवाने की स्वीकृति जारी की है, परन्तु खेद का विषय है कि इस योजना में तालाब के कैचमेंट एरिया, तालाब के मूल क्षेत्र को

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अतिक्रमणमुक्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण तालाब की वर्तमान योजना में सभी अतिक्रमियों का बचाव करते हुए उन्हें यथावत रखते हुए शेष बचे मलबे से अटे पड़े तालाब क्षेत्र को ही शामिल किया गया है। इससे गंगलाव तालाब बचाने की यह योजना अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगी। कैचमेंट एरिया का अतिक्रमण नहीं हटने से तालाब में वर्षा जल संरक्षण हेतु पहुंच ही नहीं पायेगा। तालाब में क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हटाने से विकसित होने वाला क्षेत्र मूल गंगलाव तालाब क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। ऐसे में इस योजना से गंगलाव तालाब बचाने का मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पायेगा।

अत: मेरा निवेदन है कि सरकार इस योजना को विस्तार देते हुए गंगलाव तालाब के कैचमेंट एरिया, मूल तालाब क्षेत्र के समस्त क्षेत्र को शामिल किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

नोखा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री बिहारीलाल (नोखा): अध्यक्ष जी, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त नियम के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के राजकीय विद्यालयों की क्रमोन्नति के लिए स्थानीय अभिभावक लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार से मेरी मांग है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (राप्रावि दासून, राप्रावि किरतासर, राप्रावि भौम बिनियासर, राप्रावि कवालिया प्याऊ राम नगर), उच्च प्राथमिक से माध्यमिक (राउप्रावि मूंजासर, राउप्रावि कुम्भासर, राउप्रावि लिखालों की ढाणी बंधड़ा) व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (रामावि घड्डू, रामावि मैयासर) स्तर पर विद्यालयों को जल्द से जल्द क्रमोन्नत करें, ताकि विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर पढ़ने की सुविधाएं मिल सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत नहीं है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर बच्चे कला वर्ग में प्रवेश लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि गांव में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय होने के बावजूद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। सरकार से मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र के सभी उच्च

(श्री बिहारीलाल)

माध्यमिक विद्यालयों में कला संकाय शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री सुरेश टाक।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज पर्ची पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं सरकार का ध्यान राज्य के किसानों के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, सरकार 31.01.2012 तक आवेदन किये हुए सामान्य वर्ग और ओबीसी श्रेणी के कृषकों को ही विद्युत कनेक्शन दे रही है। मेरा निवेदन है कि इस डैडलाइन को बढ़ाया जाए। विगत दस वर्षों में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजह से बिजली चोरी बढ़ रही है, किसानों की समस्या बढ़ रही है। इस बार क्योंकि राज्य में बारिश बहुत अच्छी हुई है और हमारा जल स्तर भी बहुत बढ़ गया है। आपकी एक डैडलाइन और थी, 2009 के बाद के जो कुएं खुदे हैं, उन पर भी आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये दोनों डैडलाइन्स, इन पर पुनर्विचार करें और राज्य के किसानों को जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसान हैं, उनको भी विद्युत कनेक्शन मिले और आपकी इस संवेदनशील सरकार और हमारे राज्य के मुख्य मंत्री जो लगातार किसानों के बारे में सोच रहे हैं, उनका एक बड़ा मैसेज राज्य के किसानों को जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक निवेदन और करूंगा कि करीबन ढाई लाख कनेक्शन राज्य में अभी बाकी हैं। जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें विभाग द्वारा कनेक्शन जारी होंगे, तब हम हमारे खेतों में पानी की सिंचाई कर पाएंगे।

मैं यह चाहूंगा कि कल बजट घोषणा है और आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को मैने पत्र दिया था और इस बारे में निवेदन किया था कि इस पर विचार करें और राज्य के किसानों को

(श्री सुरेश टाक)

एक बड़ी राहत देकर आप एक बड़ी सौगात दें जिससे ये जो सामान्य और ओबीसी के कृषक हैं, जो 2012 से लगातार आवेदन कर रहे हैं, उनको आज तक विद्युत का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको विद्युत का कनेक्शन मिले, छीजत में कमी आएगी। इसके साथ-साथ किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 31.01.2012 की जो डैडलाइन दी हुई है, उसे बढ़ाया जाए, साथ ही जिन किसानों के कुएं खुद चुके हैं। चाहे वे कभी भी खुदे हों, चाहे 2009 में खुदे हों, चाहे 2009 के बाद खुदे हों, उन सबको विद्युत कनेक्शन का आवेदन करते हैं तो उनको कनेक्शन जारी करने का आदेश जारी करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पुन: सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सरकार इसी बजट में घोषणा कर राज्य के सभी श्रेणी के किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी कर राहत प्रदान करे और 2009 के बाद खुदे हुए कुओं को भी जो बैन किया गया, उस बैन को भी समाप्त कर, सभी आवेदकों को, जो आवेदन कर रहे हैं। उनको विद्युत कनेक्शन जारी करे, यह अपने आपमें सरकार का किसानों के हित के लिए..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिपीटीशन हो रहा है, प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक बड़ा कदम होगा, जिससे राज्य के किसानों में खुशहाली आएगी और सरकार के प्रति भी किसानों का विश्वास बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में स्वीकृत सड़कों के बंद कार्य

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में अधूरी सड़कों की तरफ दिलाऊंगा। मावली विधान सभा क्षेत्र में 60 सड़कें, जिनका कहीं न कहीं काम चल रहा है, बजट के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। मैंने राज्य सरकार से प्रश्न के माध्यम से निवेदन किया था तो मुझे जवाब मिला कि सड़कें इसलिए अधूरी हैं कि बजट का अभाव है, कुछ ठेकेदार की लापरवाही है। मुझे आश्चर्य है कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

ठेकेदार को जब पूछते हैं तो ठेकेदार कहते हैं कि बजट नहीं है, हमको पेमेन्ट नहीं हुआ। अधिकारियों को पूछते हैं दबी जुबान से, वे कहते हैं कि पेमेन्ट नहीं आ रहा है, इसलिए सड़कें नहीं बन रही हैं।

मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि ऐसी जो बड़ी सड़कें हैं, लिंक रोड हैं, सब जगह यानी बिलोता से माणक्यावास की सड़क अधूरी पड़ी है, आधा काम चालू हुआ और बंद हो गया। ऐसे ही मावली से साकरोदा होकर के बनेड़िया से जो आपके क्षेत्र में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में जाती है वह सड़क अधूरी पड़ी है। इटाली से लेकर और भीलाखेड़ा की सड़क अधूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहनगर से लदाणी की वह सड़क अधूरी है यानी लगभग 60 सड़क मावली क्षेत्र में अधूरी पड़ी हैं। जिनका काम चालू नहीं हुआ, एक साल हो गया। राज्य सरकार के पास एक ही जवाब है कि बजट का अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 100 प्रश्नों में से 21 प्रश्नों का जवाब यह है कि जैसे ही वित्त विभाग इसकी स्वीकृति देगा, बजट आएगा, आपका काम चालू कर दिया जाएगा। मेरा अंतिम विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो अधूरे बंद पड़े काम हैं, मुझे जो राज्य सरकार ने सूची दी है, आपके माध्यम से मैं यह सूची सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आप मुझे स्वीकृति दें ताकि वे काम चालू हो जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति में हुई अनियमितताएं

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बड़ा गंभीर मामला है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में भूअभिलेख निरीक्षक जो आरआई से नायब तहसीलदार बने, उनमें 2015-16 और 2017 में वरिष्ठता सूची बनाई गई और वरिष्ठता सूची बनने के बाद में, अभी हाल ही में जो नायब तहसीलदार बनाये गये हैं। जो पात्र लोग थे, जिनका हक था, वे तो आज वंचित रह गये, नायब तहसीलदार नहीं बन सके। जो पात्र नहीं थे, वे आज नायब तहसीलदार बन गये और पूरा रिकार्ड, उदाहरण मेरे पास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि किस अधिकारी ने

(श्री मदन प्रजापत)

आपको अंधेरे में रखा है या आपकी जानकारी में है कि वास्तव में अन्याय जो हुआ है, उनको हक आप दिलाएंगे। जिस अधिकारी ने घोर पाप किया है, उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करने की मंशा रखेंगे? क्योंकि, जो नौकरी लगती है और वरिष्ठता सूची बन गई और उनको आशा होती है कि मैं नायब तहसीलदार बनूंगा और जो न बन के, अपात्र लोग बन जाते हैं तो उनके साथ इससे ज्यादा कुठाराघात हो ही नहीं सकता। हर वर्ग के पात्र लोग वंचित रहें। मेरे जिले में तो विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है और हक जिनको मिलना चाहिए था, उनको हक नहीं मिला है और सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करते हुए, पहले लिस्ट डिपार्टमेंट ने क्यों बनाई और बनाने के बाद में उनको नायब तहसीलदार नहीं बनाना, वरीयता सूची को दरकिनार करते हुए सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से जो यह हुआ है। मैं लिखित में भी निवेदन माननीय मंत्री जी से करूंगा कि आप जवाब देना चाहेंगे कि वास्तव में, मैं यह गलत नहीं कह रहा हूं और मेरी कोई मंशा नहीं है लेकिन ये गरीब अनुसूचित जाति के साथ अन्याय होता है, हमारा हक बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चुप नहीं बैठ सकते और ये घोर पाप हुआ है। ये उन पात्र लोगों को न्याय मिले। ये ही आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

चित्तौड़गढ़ जिले के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को नियुक्ति

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से बेरोजगारी और पर्यावरण के गंभीर मामले पर सदन में विचार रखने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। बेरोजगारी की समस्या इतनी व्यापक हो गई कि एक दिन सदन के अंदर चर्चा का समय दें, ताकि इस पर पूरी चर्चा हो और किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।

ये पूरे हिन्दुस्तान की समस्या हो गई है। बेरोजगार युवाओं को उद्योग धंधों के अंदर, जो रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वह उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। एक बड़ा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

चिंता का विषय है, हालांकि चित्तौड़ जिले में उद्योगों की दृष्टि से पूरी सम्पन्नता है। सात-सात सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, सौ से डेढ़ सौ के बीच में मार्बल की फैक्ट्रियां हैं, कई सुपर फास्फेट की छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं और बड़े उद्योगों में सीमेन्ट फैक्ट्रियों में बिरला सीमेंट, चन्दराई सीमेंट, आदित्य सीमेंट, वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट, लावर सीमेंट और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और चित्तौड़ की सीमा में ही दरीबा जिंक स्मैल्टर लगा हुआ है लेकिन यह

(13.00 बजे)

इतने उद्योग धंधे होने के बाद भी हमारे स्थानीय बेरोजगार युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। नेताओं के चक्कर लगाते हैं, एमएलए, एमपी, यूनियन के नेताओं के चक्कर लगाते हैं फिर भी रोजगार उनको नहीं मिलता है। हमारे स्थानीय युवाओं को, हमारी बदकिस्मती यह है, धूल, धुआं, जहरीली हवा, जहरीला पानी, खराब मिट्टी यह सब हमारे हिस्से में आया है और रोजगार दूसरों के हिस्से में गया है। दमा, खांसी, खुजली, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हमारे क्षेत्र के लोगों को होती हैं और रोजगार दूसरे प्राप्त करते हैं। कई बार तो इन उद्योग धंधों में दुर्घटनाएं घटती हैं उस कारण भी, दरीबा के अंदर पिछले तीन-चार साल में 10 लोगों की बॉयलर फटने के कारण मृत्यु हुई है। अभी 3 महीने पहले बिरला सीमेंट के अंदर गरम-गरम कोयला 15 लोगों के ऊपर गिरने से लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस समय उद्योगों की स्थापना होती है तो उद्योग मालिक गांव में जाता है। वह कहता है कि 90% स्थानीय लोगों को मैं रोजगार दूंगा, लेकिन उद्योग लगने के बाद में वह इस वादे को भूल जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कई आईटीआई वाले, कई एमबीए किए हुए बच्चे, कई डिप्लोमा किए हुए बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार ऐसा कोई न कोई प्रावधान करे कि स्थानीय लोगों को स्थानीय उद्योगों में पहली प्राथमिकता देकर रोजगार दिया जाए और पर्यावरण जिस प्रकार से दूषित हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की चिंता हम सबको करने की आवश्यकता है। जहां-जहां पर सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और एसिड जो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से निकलता है वह अंडर ग्राउंड वाटर लेवल में मिल रहा है और मैंने गांव में जा करके देखा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची पर 10 विषय नहीं आ सकते। बात हो गई।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ऐसा पानी दूषित हुआ मैंने देखा है, हैंडपंप से पानी लेकर के आए, दूध और पानी को मिलाया तो दूध फट गया, ऐसा जहरीला पानी लोग पी रहे हैं। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से कि स्थानीय बेरोजगारों को स्थानीय उद्योग धंधों में रोजगार दिलाया जाए, ऐसी महती कृपा करें। सरकार ऐसा कोई न कोई कानून लाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली की शिवाजी नगर लेबर कालोनी का हस्तान्तरण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, निर्माण, आवास एवं आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के तहत राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास पाली, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, ब्यावर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर तथा जावर माइंस में श्रमिकों को रहवास के लिए आवास दिए जाने के उद्देश्य से 2,592 मकानों का निर्माण किया गया था। इनका उद्देश्य अल्प आय वर्ग के श्रमिकों को आवास की समस्या से मुक्त कराना था। इस योजना का लाभ वे श्रमिक ही ले सकते थे जो कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत श्रमिक की परिभाषा में आते हैं तथा खान अधिनियम, 1952 के अनुसार खदानों में नियोजित हैं। इस योजना के तहत निर्मित मकानों का आबंटन एवं किराया वसूली की प्रक्रिया राजस्थान औद्योगिक आवास आबंटन नियम, 1957 के अनुसार संपादित होती है। पाली नगर में मुख्यतः महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के श्रमिकों के लिए शिवाजी नगर, लेबर कालोनी आवास योजना निर्मित की गई थी। औद्योगिक आवास योजना, पाली के अंतर्गत 600 आवास निर्मित किए गए थे जिनका category-wise विवरण निम्नानुसार है- दो कमरे वाले मकान-120, एक कमरे वाले मकान-192, एक कमरे वाले पुराने मकान-288, कुल मकान-600 और 600 मकानों में से आबंटित किए गए उनकी संख्या निम्न प्रकार है- आबंटित किए गए मकानों की संख्या-580, मालिकाना हक दिया गया-558, मालिकाना हक दिया जाना है-22, विवादित मकानों की संख्या-14 और सरकारी उपयोग में लिए जा रहे हैं जो मकान हैं वह छह हैं।

(श्री टीकाराम जूली)

राजस्थान औद्योगिक आवास आबंटन नियम, 1957 के नियम 3(2) के तहत गठित प्रबंधन समिति द्वारा आवासों का आबंटन पाली मिल्स के प्रतिनिधि, श्रम विभाग के अधिकारी व श्रमिकगणों के प्रतिनिधि मिलकर करते थे बाद में श्रमिकों द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर राजस्थान विधान सभा के वर्ष 1983-84 के बजट सत्र में इन 2,592 भवनों का स्वामित्व उन श्रमिकों, जिन्हें भवन नियमानुसार आबंटित किए हुए हैं तथा वर्तमान में भवन उनके कब्जे में हैं को दिए जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के अनुसरण में श्रम विभाग द्वारा दिनांक 19.9.1983 को आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों के फलस्वरूप आवासों में रहने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर रजिस्ट्री करवाकर उन्हें मालिकाना हक दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक आवास योजना के लिए कुल आबंटित भूमि 2,19,155.66 वर्ग गज 125 बीघा आबंटित की गई थी। इस जमीन पर लेबर कालोनी में 600 आवासों का निर्माण कुल भूमि 2,04816.78 वर्ग गज पर करवाया गया था। शेष रही जमीन जो कि 14,338.88 वर्ग गज है, का आबंटन राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 7.10.1996 द्वारा शिक्षा विभाग को स्कूल खोलने हेतु निःशुल्क आबंटन कर दिया गया था। उक्त भूमि के अतिरिक्त कोई खाली रिक्त भूमि श्रम विभाग के अधीन नहीं है। वर्तमान में एवं काफी समय से लेबर कालोनी, शिवाजी नगर के अंदर सड़कों का रखरखाव, बिजली व्यवस्था, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं नगर परिषद्, पाली द्वारा की जाती हैं। पाली औद्योगिक आवास योजना की खाली जमीन पर जगह-जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। नगर परिषद्, पाली द्वारा भी खाली जमीन पर सामुदायिक भवन एवं चारदीवारी का निर्माण किया गया है। पूर्व में इस आवास योजना हेतु चौकीदार आदि नियुक्त थे, लेकिन आज इस प्रकार का कोई पद नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। आवास योजना की खाली पड़ी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए व वर्तमान में श्रम विभाग, पाली के पास स्टाफ की कमी के कारण, इस आवास योजना का सम्पूर्ण कार्य एवं खाली पड़ी भूमि इस औद्योगिक आवास योजना के 1 भाग भूखंड पर 180x200 फीट पर श्रम विभाग का कार्यालय निर्मित है। अतः इस भूखंड को छोड़कर नगर परिषद्, पाली को आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर हस्तांतरित किए जाने पर श्रम विभाग सहमत है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपका आभार, धन्यवाद। बरसों से पुराने लंबित प्रकरण को आपने सहजता से सहमति दे दी। एक तो यह आप कब तक हस्तांतरित करवा देंगे? क्योंकि बहुत पुराना प्रकरण है यह और जैसा माननीय मंत्री महोदय, आपने जवाब दिया है न कि कुल 580 मकानों का आबंटन किया और उसमें से 556 का मालिकाना हक दे दिया तो जो 22 बचे हैं] उनका मालिकाना हक भी उनको मिल जाए, क्योंकि आप हस्तांतरित कर दोगे बहुत जल्दी ही फिर चला जाएगा नगर परिषद् के पास तो वहां हो सकता है देरी हो जाए तो आप जब हस्तांतरित करो तो इस प्रकरण को साथ में ही निपटा देना।

एक जो आपने विवादित मकानों की संख्या लिखी है 14 तो यहां भी वर्षों से श्रमिक निवास कर रहे हैं। कोई कागजों में एक कमी या देरी से राशि जमा कराई ऐसा कोई छोटा-मोटा विवाद है तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसका निस्तारण भी आप करवाकर ही अगर हस्तांतरित करोगे तो यह डिस्प्यूट भी निपट जाएगा पर एक और डिस्प्यूट इसमें आएगा, माननीय मंत्री महोदय, यह जब आवासीय बस्ती बनी न, मकान बने न तो यह बहुत खुली-खुली कालोनी थी और हर मकान के साइड में एक खाली जमीन लेबर डिपार्टमेंट ने छोड़ी थी। अब यह जो 580 मकान मालिक हैं इन 580 मकान मालिकों ने कोई बाकी नहीं बचा है एक भी, वह साइड की जो भूमि है न, उस पर भी कोई न कोई आवासीय निर्माण करवा दिया। उनके पास उस भूमि का मालिकाना हक अभी तक नहीं है क्योंकि कोई डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहा था तो यह जो अतिरिक्त भूमि पर निर्माण करवा दिया, सारा लेबर वर्ग है, गरीब है। मेरा आग्रह रहेगा आप ट्रांसफर कर दोगे उसके बाद में वह स्ट्रिप आफ लैंड मांगेंगे तो लाखों रुपये उनका डिमांड नोट आ जाएगा तो मेहरबानी करके उनको उसी दर पर जिस दर पर आपने मकान आबंटित किए थे या और कोई आप उसके ऊपर और शुल्क लगाना चाहते हो, विलंब शुल्क लगाना चाहते हो, इसका भी आप निर्धारण करवा देंगे तो शायद यह काम बहुत बेहतरीन तरीके से सुलट जाएगा। मैं आपके इस सकारात्मक रुख से बहुत खुश हूं और जो यह 1-2 मकान खाली हैं तो उसके लिए आपके पास आवेदन आए हुए पड़े हैं पैंडिंग हैं। उनको भी दे दो। जो भी बचा है न एक-दो, तो आवेदन आपके यहां वर्षों से लंबित हैं, तो उसका भी निपटारा करा दो तो यह सारा काम निपट जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि पहली बात तो यह कि जो इस प्रकार का विवादित आपने बताया है, निश्चित तौर पर इससे श्रमिकों का फायदा ही होगा तो मैं इस दिशा में कार्रवाई करते हुए जो हमारा जेएलसी, जोधपुर बैठता है, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लूंगा जिसमें डीएलसी, पाली, हमारा लेबर इंस्पेक्टर, पाली और आयुक्त या उनका कोई भी प्रतिनिधि, नगर परिषद् की तरफ से इसके अंदर सदस्य बनाकर और आने वाले 1 माह के अंदर हम इसकी सम्पूर्ण कार्रवाई पूरी कराएंगे और मजदूरों को उनका हक दिलाकर और जितने भी विवाद हैं तुरंत प्रभाव से इन विवादों का निपटारा करवाएंगे। जो-जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, उन सबका निपटारा करके और हम इसको एक महीने के अंदर-अंदर ही नगर परिषद् को, स्वायत्त शासन विभाग को ट्रांसफर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। नैक्स्ट 131, श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही के ग्राम बनास तहसील पिण्डवाड़ा में एक ही खसरे का रूपान्तरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 131 के अंतर्गत माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

यह कि मूल खसरा नंबर 23 व इससे बने मिन नंबरों व मूल खसरा नंबर 18 एवं इससे बने मिन नंबर ग्राम बनास तहसील पिंडवाड़ा के बाबत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्रमांक एफ.8(1)सदन/विस/2019/1/131/2/2 दिनांक 15.1.2019 राजस्व विभाग में दिनांक 15.1.2019 को प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर विभाग द्वारा दिनांक 23.1.2019 को प्रेषित किया गया था एवं इसके पश्चात् संभागीय आयुक्त प्रकरण की जांच 15 दिवस में कर राज्य सरकार को प्रेषित करने एवं राज्य सरकार के अग्रिम आदेश तक भूमि अधिग्रहण के

(श्री हरीश चौधरी)

मुआवजा भुगतान की कार्यवाही रोकने के आदेश दिनांक 8.2.2019 को दिये गये थे। जांच रिपोर्ट संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 5.11.2019 को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा संबंधित भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को तुरंत प्रभाव से आदेश दिनांक 31.12.2019 के द्वारा हटा दिया गया। अब उन्हीं खसरों पर माननीय विधायक महोदय ने बार-बार समान प्रयोजन रूपान्तरण बाबत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है एवं जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट से भी मूल खसरा नंबर 23 पर बार-बार रूपान्तरण की कार्यवाही के संबंध में नवीन तथ्य सामने आये हैं।

चूंकि पूर्व में माननीय विधायक महोदय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर को विस्तृत जांच रिपोर्ट के आदेश दिये गये थे एवं माननीय विधायक महोदय द्वारा उन्हीं खसरों बाबत कुछ अन्य शिकायतें एवं नवीन तथ्य सामने लाने पर राजस्व विभाग द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर को माननीय विधायक महोदय द्वारा उठाये गये नवीन बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मूल रूप से रेलवे ओवरब्रिज की भूमि अवाप्ति के मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से 50 करोड़ रुपये ज्यादा हड़पने का षड्यंत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जो ध्यानाकर्षण भेजा, उसमें 9 बिन्दुवार मंत्री जी से सूचना चाही है। मंत्री जी ने एक का भी बिन्दुवार जवाब नहीं दिया, गोलमाल जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण के उत्तर में सिरोही के जिला कलेक्टर, जो सरकार के लैंड रेवेन्यू के इंचार्ज होते हैं, 9 के 9 बिन्दुओं का जवाब जो 14 तारीख को सरकार को भेजा है, उसमें 9 के 9 बिन्दु उन्होंने प्रमाणित माने हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने जब यह लिस्ट हो गया तो 18 तारीख को उन 9 बिन्दुओं के प्रमाणन के संबंध में कलेक्टर से फिर डाकूमेंट मांगे और आज सारे डाकूमेंट कलेक्टर ने भेज दिये कि यह 9 के 9 बिन्दु प्रमाणित हैं, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, रजिस्ट्री हुई नहीं, म्यूटेशन हो गया। कन्वर्जन हुआ नहीं और म्यूटेशन हो गया, यह सारे प्रमाणित हैं। बीजेपी की सरकार ने तो 2018 में भुगतान पर रोक लगाई थी, मुझे बहुत खेद है आपके रेवेन्यू सैक्रेटरी ने 31 दिसम्बर को भुगतान पर से रोक हटा दी और उसी संभागीय आयुक्त को आप फिर जांच दे रहे हैं कि फिर

(श्री संयम लोढ़ा)
दूसरी बार लीपापोती करके आएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, आप कलेक्टर की रिपोर्ट को टेबल कर दीजिए जो इस ध्यानाकर्षण के जवाब में आई है, माननीय अध्यक्ष महोदय देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई गोलमाल जवाब नहीं दिया गया है, नियम और प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाती है। किसी सदस्य के द्वारा किसी प्रकार के नियमों के अंतर्गत कोई भी मांग हुई तो उसकी प्रक्रिया यही रहती है कि विभाग में जांच कराई जायेगी और जो कोई भी तथ्य आपने सामने रखे हैं, उन बिन्दुओं पर जांच कराई जायेगी और जो भी दोषी पाये गये तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान) मेरे को पूरी बात तो करने दो, नहीं तो आप बात कर लें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी बोलें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अब यह बात कह रहे हैं कि एक अधिकारी ने यह बात की है। उसी पद पर रहते हुए एक अधिकारी ने किन्हीं नियमों के तहत वह आदेश दिये। पद तो वह का वह ही है। विभाग को कम से कम जांच करने का तो मौका दो। अगर आपको लगता है कि संभागीय आयुक्त से जांच कराने में संतुष्ट नहीं हैं तो आप बोलोगे उस अधिकारी से जांच करा देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है, आप रेवेन्यू सैक्रेटरी से करवा दीजिए।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): ठीक है, रेवेन्यू सैक्रेटरी से जांच करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे

(वर्ष 2018-19)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-1 एवं 2) वर्ष 2018-19 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला।

राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अंतर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 29 से 60)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2019-20 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

(1) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 168वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 29वां प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 165वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 30वां प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 271वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 31वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 276वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 32वां प्रतिवेदन।

(5) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 313वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 33वां प्रतिवेदन।

(6) जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 215वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 34वां प्रतिवेदन।

(7) जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 236वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 35वां प्रतिवेदन।

(8) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 266वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 36वां प्रतिवेदन।

(9) जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 242वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 37वां प्रतिवेदन।

(10) जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 280वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 38वां प्रतिवेदन।

(11) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.1 एवं 3.7 जन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 39वां प्रतिवेदन।

(12) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.12, 3.13, 3.14 एवं 3.15 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 40वां प्रतिवेदन।

(13) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.2 एवं 3.11 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 41वां प्रतिवेदन।

(14) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 42वां प्रतिवेदन।

(15) जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 257वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 43वां प्रतिवेदन।

(16) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 172वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 44वां प्रतिवेदन।

(17) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.8 तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 45वां प्रतिवेदन।

(18) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 279वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 46वां प्रतिवेदन।

(19) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2016-17 का अनुच्छेद संख्या 1.2.4 वित्त, कृषि, देवस्थान, उद्योग, स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 47वां प्रतिवेदन।

(20) जन लेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 48वां प्रतिवेदन।

(21) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.2 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 49वां प्रतिवेदन।

(22) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 1.8 वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 50वां प्रतिवेदन।

(23) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 263वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 51वां प्रतिवेदन।

(24) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 133वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 52वां प्रतिवेदन।

(25) जन लेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 220वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 53वां प्रतिवेदन।

(26) जन लेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 155वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 54वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(27) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 183वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 55वां प्रतिवेदन।

(28) जन लेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 156वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 56वां प्रतिवेदन।

(29) जन लेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 154वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 57वां प्रतिवेदन।

(30) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 128वें प्रतिवेदन में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 58वां प्रतिवेदन।

(31) जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 174वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 59वां प्रतिवेदन।

(32) जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 267वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 60वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर राजकुमार शर्मा।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में

(डा. राजकुमार शर्मा)

समाविष्ट कृषि विपणन संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 9.1 से 9.7) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2019-20 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद हमने ब्रिटेन, फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत की जीडीपी 10510 अरब डालर के बराबर जापान और जर्मनी से भी अधिक हो गई है। ऐसे समय में आज हम इस जीएसटी बिल पर जो बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चेयर को देखकर बोलें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपकी तकलीफों से भारत रूकने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी का यह जो बिल है, यह बिल सेंट्रल जीएसटी की काउंसिल के अनुमोदन के बाद, यह राज्य में अनुमोदन के लिये आया है और राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन करके इसका अनुमोदन पहले अपने स्तर पर करके आज सदन में लाए हैं। महोदय, यह ठीक है कि इसका अनुमोदन करना है, पर कुछ चीजें राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है और मैं उसके लिये आपको सुझाव देना चाहता हूं। इस सरकार ने बनते ही पैट्रोल और डीजल पर जो 4 प्रतिशत वैट था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किया और राजस्थान की जनता को राहत दी थी, हमारे सीमावर्ती जिलों को राहत दी। सीमावर्ती जिलों के हजारों लोग जो उस स्टेट से जुड़े हुए थे, उनको राहत दी है। कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको बढ़ाया। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप जब जीएसटी का बिल ला ही रहे हैं और इसका अनुमोदन करना है तो जल्दबाजी नहीं करके, पांच-सात दिनों में कुछ अच्छे सुझाव लें और इसमें जो 4 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया था, उसको कम किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सैक्शन-22 में जो प्रस्ताव दिया है, उसमें गुड्स के साथ-साथ सर्विसेज को भी जोड़ा जाना चाहिए। उसमें 40 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे, उसमें गुड्स को तो 40 लाख तक की छूट दी है, पर छोटे-छोटे काम करने वाले जैसे लेबर है, सफाई है, मैनपावर सप्लाई है, प्रोफेशनल हैं, उन सर्विसेज को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

धारा-25 में जो प्रस्ताव दिया है कि आधार नंबर पेश करना जरूरी है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। कुछ ऐसे निर्णय हैं, जो सेंट्रल जीएसटी को भी करने हैं। मैं सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि राज्य वहां अपनी बात रखेगा तभी जाकर हमें इनमें छूट मिलेगी। इसकी हमको छूट मिल सकती है।

(श्री अशोक लाहोटी)

धारा-31ए में इन्होंने कहा है कि डिजिटल पेमेंट लिया जाएगा। मैं यह कहता हूं कि बहुत सारे छोटे व्यापारी भी हैं। निश्चित रूप से डिजिटल पेमेंट लें और उसमें डिजिटल पेमेंट देने वालों को कुछ छूट दी जाए, लेकिन इसमें फिजिकल पेमेंट की भी छूट दी जा सकती है। राज्य इसमें अमैंडमेंट करवाए।

इसी के साथ-साथ बिल के कालम 10 में जो धारा-50 है, उसमें लिखा है कि ब्याज का भुगतान रिटर्न देरी की स्थिति में सकल देय कर के स्थान पर शुद्ध देय कर दिया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इसे आप नेट पर लें, वह तो ठीक है। लेकिन जब से जीएसटी शुरू हुआ है यह छूट 2017 से मिलनी चाहिए। दो साल पहले जो जीएसटी की कटआफ डेट थी, उस दिन 01.07.2017 से किया जाना, आवश्यक रूप से राज्य के उद्योग और व्यापार जगत के लिए जो परेशानी हो रही है, उसमें आप बहुत बड़ी छूट दे पाएंगे।

इसी के साथ-साथ धारा-95 और नयी धारा 101 (ए) में जो नेशनल अपील अथोरिटी बन रही है, निश्चित रूप से बनेगी। मंत्री जी जीएसटी काउंसिल में जाते हैं।

(13.21 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप वहां पर यह प्रस्ताव रखें कि या तो यह अपील अथोरिटी हर स्टेट में बने और राजस्थान की राजस्थान में बने। यदि वह नहीं मिलता है, तो कम से कम राजस्थान का एक व्यक्ति उस अपील अथोरिटी में मैम्बर बने, जिससे राजस्थान के व्यापारियों को आप उसका लाभ दिलवा सकें, आप इसकी अपील जरूर करें।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ आजकल सब काम आई.टी. के आधार पर डिजिटल कर रहे हैं। जिला नहीं तो कम से कम डिविजनल हैडक्वार्टर पर एक-एक आई.टी. सैल की स्थापना की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि हर चीज में विलम्ब होता है, उसके लिए अनावश्यक रूप से व्यापारियों को दंडित होना पड़ता है और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। खंडीय स्तर पर आई.टी. सैल होने के कारण हैड आफिस में कनवर्सेशन में जो प्रोब्लम होती है, वह नहीं होगी।

इसी के साथ-साथ जो जीएसटी की रिटर्न लेट होती है, उसकी फीस में। जीएसटी में छोटे-बड़े व्यापारियों को समान कर दर है। मेरा यह अनुरोध है

(श्री अशोक लाहोटी)

कि छोटे व्यवसायी कई बार समय पर रिटर्न नहीं भर पाते, उन पर पैनल्टी कम होनी चाहिए और बड़े व्यापारियों से आप जो पैनल्टी ले रहे हो, वह ठीक है। इसी प्रकार से इस पैनल्टी को युक्तिसंगत किया जाए।

सभापति महोदय, ई-वे बिल की जो मौद्रिक सीमा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी फिनिश्ड गुड है, उसको गोदाम तक ले जाने के लिए या किसी स्थान तक ले जाने के लिए ई-वे बिल बनाया जाता है। बंगाल सहित कई राज्यों ने उसमें छूट दी है। हमारे यहां उसमें एक भी किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है। यह टैक्निकल इश्यू है, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, यदि सुन लें तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ई वे बिल में एक भी किलोमीटर की छूट नहीं है। ई-वे बिल में दो लाख रुपये तक की सीमा बढ़ायी जाए। एक किलोमीटर की बजाय इसकी दूरी 50 किलोमीटर की जाए ताकि आम व्यापारियों को राज्य के अंदर ही अपने माल को गोदाम तक लेने जाने के लिए जो ई-वे बिल बनाया जाता है, उसके लिए। इसके मामले में कई जगहों पर इसकी छूट आलरेडी दी हुई है।

इसके अलावा स्टेट व सेंट्रल जीएसटी का जो समन्वय नहीं है, उस समन्वय के लिए राजस्थान पहल करे और अपने यहां पर स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों की मीटिंग समय-समय पर हो। पंजीयन प्रमाण -पत्र निरस्त कर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् रिटर्न प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होने के कारण विभाग द्वारा निरस्त किये जाने की तारीख विलम्ब शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए या अलग से प्रावधान करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण रिवाइज रिटर्न। सभापति महोदय, यह मानवीय भूल है। रिटर्न भरते समय कई बार भूल हो जाती है, जो भूल हो गयी उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। रिवाइज रिटर्न का प्रावधान पहले था। उस रिवाइज रिटर्न का प्रावधान वापस रखना चाहिए क्योंकि मानवीय भूल को भूल मानकर व्यापारियों को दंडित नहीं किया जाए।

इसी के साथ बिल के कालम-9 धारा-49 में वर्तमान सीजीएसटी इलेक्ट्रोनिक, केश लेजर ब्याज शास्ति अलग-अलग दर्शाये हुए हैं, मेरा सुझाव है कि कैश लेजर में एक ही कालम बना दिया जाए जिससे शब्दों में इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर, जमा राशि का समायोजन व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मद में करके शास्ति को ब्याज में ला सके।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कुछ और छोटे-छोटे सुझाव देना चाहूंगा कि रिटर्न फाइल करने में जो दिक्कत होती है, वह सबसे ज्यादा होती

(श्री अशोक लाहोटी)

है। जब रिटर्न की डेट आ जाती है, तो उस समय घंटों तक सर्वर डाउन रहता है। शनिवार एवं रविवार को सर्वर आफ रहता है। जब ऑनलाइन रिटर्न है, तो शनिवार और रविवार को भी काम किया जा सकता है और तकनीकी गड़बड़ियों और करदाताओं को वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालना में असुविधा, हताशा और कठिनाई होती है। यदि आप ऑनलाइन रिटर्न भरने का समय 24X7 कर दें तो व्यापारियों को इसमें बहुत ज्यादा सुविधा होगी। व्यापारियों को बहुत बड़ी संख्या में नोटिस प्राप्त हो रहे हैं।

सभापति महोदय, व्यापारी ब्याज की गणना की छूट पूर्व में सही स्कीम की स्वीकृति, ब्याज के अलावा चार्ज करने का भिजवा रहे हैं। कई रकम पर ब्याज बन जाता है, उसकी जगह कुल आउटपुट में से अवेलेबल आईटीसी कम करने के पश्चात् जो रकम बचती है, करदाता को ब्याज का भुगतान किया था, लेकिन मांग की जा रही है कि ब्याज की गणना नैट पर नहीं करेगा, ग्रोस पर हो रही है। वह नैट पर ही हो, इन सब चीजों का हमको इस पर ध्यान देने के साथ-साथ सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, पंजीकृत व्यापारी रिटर्न फाइल करते समय दाखिल करना मुश्किल बन जाता है तथा तत्काल समाधान के लिए जीएसटी पोर्टल से समस्याओं को देखा जाना चाहिए। पोर्टल की क्षमता को बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। करदाताओं द्वारा उलट होने की आवश्यकता में, मतलब भुगतान पहले किया जाना चाहिए। क्रेडिट बही में, नकद में नहीं है, वह भी किया जाना चाहिए।

जो आउटपुट टैक्स का उपयोग किया था, वह सकल राशि पर जो लेवी पदार्थ है, उसमें सरकार को सही अर्थों में कानून की व्याख्या करनी चाहिए। धारा-36(4) में प्रावधान के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं में अधिकांश जीएसटी आर.1 तिमाही फाइल करते हैं। सकल राशि पर ब्याज की लेवी एवं उनकी कार्यशील पूंजी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। धारा-16(4) में जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, उनको ठीक करने के साथ-साथ करदाताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा हाल ही में अपलोड किये गये चालानों का जो विवरण है, वह उन्होंने जीएसटीआर-1 में दायर किया था और 2017 से 15 जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिये समय दिया गया था। चालान न जमा कराने के कारण करदाताओं ने आईटीसी का दावा नहीं किया, क्योंकि चालान उनके जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित नहीं थे। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष करों के

(श्री अशोक लाहोटी)

तहत करदाताओं को संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय रिटर्न दाखिल करने की त्रुटियों को सुधारने की अनुमति थी, वह वापस दी जाए। टू रेट क्रेडिट थी, जो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, वह एक साथ ठीक हो सके।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ पिछली बार के बजट में मुख्य मंत्री जी ने एमनेस्टी स्कीम की यहां पर घोषणा की थी। आज उस घोषणा को एक साल हो गया है, लेकिन वह लागू नहीं हो पायी। व्यापारी उससे परेशान हो रहे हैं। आपकी खुद की घोषणा थी। इसके साथ में सरकार सर्विस टैक्स की घोषित माफी योजना के अनुसार ब्याज व शास्ति के अलावा कर में भी छूट देनी चाहिए। विभाग के द्वारा जिन व्यापारियों पर रिकवरी की कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही को भी, आप जब एमनेस्टी ला ही रहे हैं तो उस कार्यवाही को भी स्थगित करना चाहिए। वाणिज्यिक कर विभाग के 30.06.2017 के क्लोजिंग स्टाक पर जीएसटी लागू करे। दूसरा, राज्य के बाहर से आने वाला जो कच्चा माल है, उस पर आपने जो आयात शुल्क लगा रखा है और वह ही माल बनकर वापस जाता है तो इस आयात शुल्क में छूट होनी चाहिए, जिससे यहां ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां उनको आयात करके यहां पर प्रोसेस माल को तैयार कर सके। सभापति महोदय, जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। तीन दिन पहले जब परिवहन विभाग का मामला पकड़ में आया था, वह भी जीएसटी से ही संबंधित मामला था। जब तक हम जीएसटी चोरी नहीं रोकेंगे। सबसे बड़ी बात, सभापति महोदय, आप अधिकारियों की हिम्मत देखें, मैं एक बहुत गंभीर विषय आपके सामने ला रहा हूं कि तीन दिन पहले इतनी बड़ी कार्यवाही होने के बावजूद भी आज मीडिया ने रतनपुर चौकी पर आधे घंटे का आपरेशन किया है और फिर वे ही अधिकारी वहां पर फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े गये हैं। फिर रिश्वत लेते हुए यह मीडिया के स्टिंग आपरेशन में आया है। आखिर यह क्या है? क्या सरकार का अधिकारियों पर कंट्रोल खतम हो गया है। (व्यवधान) हम जीएसटी में सुधार की बात कर रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। बैठिए। प्लीज सहयोग करें। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या सरकार का अधिकारियों पर कंट्रोल हो गया? सभापति महोदय, आज ही स्टिंग हुआ है। मंत्री महोदय, आप इसमें व्यवस्था दें। अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। इतनी बड़ी कार्यवाही के

(श्री अशोक लाहोटी)

बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज रतनपुर चौकी पर अधिकारियों का स्टिंग हुआ है। सभापति महोदय, चोरी पर चोरी हो रही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। मैं बोलने के लिए अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजस्थान की 7 करोड़ जनता शर्मसार हो रही है सरकार के इस कृत्य से। क्या अधिकारियों का सरकार से डर खतम हो गया है? सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है। लगातार इस तरह से चोरियां पकड़ में आ रही हैं। कभी परिवहन विभाग में आ रही हैं, आज फिर स्टिंग आपरेशन में पकड़ में आया है। सभापति महोदय, यदि इन पर रोक नहीं लगेगी तो राजस्थान में सरकार का इकबाल खतम हो गया।

इस जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन 1 लाख 18 करोड़ रुपये देश में कम हुआ, वह उन्हीं राज्यों से कम हुआ है, जिनमें इस तरह की चोरियां पकड़ी गई हैं। राजस्थान भी इसमें एक जिम्मेदार राज्य है। आप बार-बार कहते हैं सेन्ट्रल से हमको पैसा कम मिला है, आपका टैक्स कलेक्शन ही कम हुआ है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय, आप पहले जनमत जानने के लिए लगाते, फिर बोलते।

श्री सभापति: लाहोटी जी, एक मिनट विराजिए आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए। यह कतई अच्छी परम्परा नहीं है। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कभी आप इधर से बोलकर उनको इंटरवीन कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपको बोलना है तो खड़े होकर इजाजत लें, फिर बोलें। इस तरह से अलाउ करना

(श्री सभापति)

परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है। ध्यान रखिए आप। आप नये-नये लोग आए हैं, क्या परम्परा डाल रहे हैं? कुछ सीख लीजिए। सीखने की मंशा नहीं है, जब मन करे तब खड़े हो जाएंगे। माननीय श्री लाहोटी। जल्दी समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, केवल एक मिनट लूंगा। एक जुलाई, 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय राजस्थान ही एकमात्र राज्य था, जिनके प्रतिनिधिमंडल में यहां से राजपाल सिंह जी शेखावत, जब वहां केन्द्र में गए और उन्होंने एक योजना लागू करवाई कि यदि सालाना आप 14 परसेंट कलेक्शन नहीं भी करते हैं तो भी उस रकम की पांच साल तक केन्द्र भरपाई करेगा। उसी के कारण राजस्थान आक्सीजन पर चल रहा है वर्ना जिस तरह की जीएसटी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, जिस तरह से परिवहन विभाग में लूट का खेल पकड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद आज फिर स्टिंग आपरेशन में पकड़े गये हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक घटना राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई। मंत्री जी वक्तव्य देते समय आज की घटना को ध्यान में रखकर आगे पुख्ता इंतजाम करें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से पुन: आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आपको यह बिल पास करना है, सेन्ट्रल का अनुमोदन करना है। हम अनुमोदन करवाएंगे लेकिन जो व्यावहारिक सुझाव हम अपने यहां ठीक कर सकते हैं, अपने राज्य के व्यापारियों को बचाने के लिए ठीक कर सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप इसको पांच-सात दिन का और व्यापारियों से इसमें जनमत करके, व्यापारियों से सुझाव लेकर एक कमेटी के माध्यम से इसको लागू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। विराजिए आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड..

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य का मैंने नाम बुला लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा कर रहा है। आज ही के दिन सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, हमारे सबके लिए गौरव का दिन है। गौरव का दिन इसलिए कि अमरीका की संस्था वर्ल्ड पापुलेशन रिव्यू, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उस रिपोर्ट में माना है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

209 करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मैं समझता हूं यह सारे सदन के लिए प्रशंसा की बात है।

सभापति महोदय, मूल रूप से यह जो राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर सदन जो चर्चा कर रहा है, ये जो हमारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है, इस मूल अधिनियम में कुछ संशोधन मंत्री महोदय लेकर आए हैं परंतु ये सारे संशोधन, वे संशोधन हैं जो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के सरलीकरण के लिए, जीएसटी के अंदर व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही थी, उनको दूर करने के लिए ये सारे संशोधन आए हैं। इस राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2, 10, 22, 25, 31क, 39, 44, 49, 50, 52, 53क, 54, 95, 101क, 102, 103, 104, 105, 106 और 171 में मंत्री महोदय आप संशोधन लेकर आए हैं। आपने जो इसके साथ वित्तीय ज्ञापन लगाया है, मंत्री महोदय, आपने उसमें लिखा है कि इसमें कंसोलिडेट फंड पर कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ये सिद्ध कर रहा है कि सारे के सारे प्रस्ताव, जो संशोधन आप लेकर आए हैं, ये प्रक्रियात्मक हैं, ये प्रशासनिक तौर पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें मूल रूप से, समग्र रूप से अगर हम बात करें तो आप जो 2017 के क्लाज 3 की धारा 10 में एक नई धारा इन्सर्ट कर रहे हैं धारा 2क, उसके अंतर्गत उद्यमी को जो कुल उसका टर्न ओवर होगा, उसमें तीन परसेंट से ज्यादा आप जीएसटी वसूल नहीं कर सकते, ये लोगों की मांग थी, जीएसटी काउंसिल ने मंजूर किया, परंतु जीएसटी काउंसिल में आपके द्वारा यह प्रस्ताव रखा नहीं गया था।

इसी तरह आपके उद्देश्य और कारणों के कथन को जब हम पढ़ते हैं, तो कम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो 50 लाख तक टर्नओवर का व्यापारी, वह इसका फायदा ले सकता था। अब ये आप पर छोड़ दिया जीएसटी काउंसिल ने कि इसको बढ़ाकर राज्य सरकार चाहे तो डेढ़ करोड़ तक कर सकती है। इसलिए मूल रूप से अगर हम देखें तो जिन बातों का जिक्र अभी सांगानेर से आने वाले सदस्य ने किया, आपने सैक्शन 25 के अंदर आधार नंबर की आवश्यकता की बात भी की, सैक्शन 31ए के अंदर जीएसटी के अंदर डिजिटल पेमेंट की बात भी कहीं, मैं इन सारी बातों को इसलिए आगे नहीं बढाऊंगा क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं, यह प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए हैं। परंतु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस देश के अंदर एक कर हो, एक बाजार हो, उनका एक कानून हो। लंबे समय से यह बात चलती आई थी और इन डायरेक्ट टैक्स के रिफोर्म की बात बहुत लंबे समय से हुई। 1980 के दशक में केलकर कमेटी बनी, यह मकड़जाल था, पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स लेती थी, सर्विस टैक्स लेती थी, कस्टम टैक्स लेती थी, सीएसटी लगाती थी और राज्य सरकारें वैट, मनोरंजन कर, एंट्री टैक्स, परचेज कर और लग्जरी टैक्स और कई प्रकार के सैस, ये सारे एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, इसके लिए इस सदन को धन्यवाद देना चाहिये और मुझे अफसोस इस बात का है मंत्री महोदय जवाब देंगे, आज तक मैंने आपका जवाब कभी सीधा-सादा सुना नहीं। आप जीएसटी को कहेंगे गब्बर टैक्स है, इसलिए कहेंगे कि आपको वे ही बात दोहरानी हैं जो एक ऐसे व्यक्ति के मुख से निकलती है, जिनको हिन्दुस्तान की संस्कृति मालूम नहीं, जिनका पूरा बचपन विदेश में बीता। वह कुछ भी कह दें, वह किसी भी बात पर, किसी भी रिफोर्म्स के लिए कुछ भी बयां कर दें, उस बात को दोहराना आपका फर्ज है।

सभापति महोदय, 122वां संविधान का संशोधन हुआ था और इस पर एक नये आर्थिक परिवर्तन का आगाज हुआ था। मंत्री महोदय, इंटीग्रेटेड इन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम ईज आफ डूइंग बिजनस, पहले आर्टिकल 110 और 111 के अंदर राज्य और केन्द्र सरकार को अलग-अलग टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला था। समग्र रूप से इस 122वें संशोधन के माध्यम से 246ए, एक नई धारा आई और उसके बाद मंत्री महोदय, आप इसकी खूब आलोचना करते हैं। आजकल हमारे सदन के नेता, उनका सान्निध्य किसी न किसी कारण से इस वित्त विभाग में कुछ अधिकारी हैं, अधिकारियों से लगाव भी हो जाता है, कुछ नजदीकियां भी हो जाती हैं, उनके साथ ज्यादा उठना-बैठना भी हो गया तो अर्थशास्त्री बन गए और अर्थशास्त्री के रूप में कोई उनका भाषण ऐसा नहीं होता जिस भाषण के अंदर वे शुरू करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश का संविधान संकट में है और उसके बाद वे सीधी बात करते हैं कि हम इसलिए कुछ काम नहीं कर पाए कि केन्द्रीय करों के अंदर हमारा हिस्सा बढ़ा नहीं, केन्द्रीय करों के अंदर हमारा हिस्सा केन्द्र सरकार ने रिलीज नहीं किया। मैं निवेदन करूं 2006-07 में आप थे, 2006-07 के बजट के भाषण के अंदर जिन प्रणब मुखर्जी को आप मानते हैं, उन्होंने यह कहा था कि हम अप्रैल, 2010 से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू करेंगे। लागू नहीं कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाए, 56 इंच का सीना नहीं था। डोर किसी दूसरी जगह बंधी हुई थी। मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान ने रिफार्म करने में कसर नहीं छोड़ी। ये ही सदन था, 2003 के अंदर, जब हम राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के स्थान पर वैट लेकर आए थे और इसी वैट का लोजिस्टिक स्टैप अगर आगे कोई है तो वह जीएसटी था।

सभापति महोदय, ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हैं, पहले टैक्स बाई टैक्स लगता था। हालांकि मुझे अभी बड़ा अचरज हुआ जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि एक्सपोर्ट के लिए कोई आइटम रॉ -मैटीरियल के रूप में आता है, उसको ठीक करके, उसको मैन्युफैक्चर करें, उसको फिनिश करके बेचते हैं, उस पर भी आप टैक्स पर टैक्स ले रहे हैं। इसको तो आप जरूर दिखाएं। पहले टैक्स पर टैक्स लगना आम बात थी। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जब जीएसटी आया उसके बाद राजस्थान को फायदा हुआ है। साढ़े सात करोड़ की हमारी आबादी है, हमारा बड़ा बाजार है, हम कंज़ूमर स्टेट हैं और कंज़ूमर स्टेट को निश्चित तौर पर राजस्थान को फायदा हुआ और मंत्री महोदय, आप अपनी बात कहेंगे और कहीं न कहीं पत्थर जरूर फेकेंगे, जीएसटी पर भी, गब्बर सिंह टैक्स पर भी परंतु आपने बजट एट ए ग्लांस देखा होगा। इस बजट एट ए ग्लांस के पृष्ठ 7 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें आपने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी है, उसका आंकड़ा दे रखा है। 2018-19 में यह आंकड़ा 21 हजार करोड़ था। आप जब आर ई में आए, एक्चुअल्स आपके सामने आए तो यह हो गया 23500 करोड़, यानी 3 हजार 500 करोड़ का आपका जीएसटी बढ़ा है। आप दुबारा आरई में आएंगे तो पता लगेगा कि कितना हुआ, 29 हजार करोड़। मैं कह सकता हूं कि कंज़ूमर स्टेट होने के नाते जीएसटी राजस्थान के लिए वरदान है। यह दूसरी बात है, जिसका जिक्र सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस टैक्स कलेक्शन में ईमानदारी के साथ-साथ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। ऊपर से नीचे टीम की जागरूकता भी होनी चाहिए। यह टैक्स का लीकेज है। इसको ठीक करने का काम पारदर्शी व संवेदनशील सरकार का होना चाहिए। परन्तु जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं इसलिए सारी बात कह रहा हूं कि आप जो संशोधन लेकर आए हैं, यह संशोधन जीएसटी काउंसिल ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपनी सिफारिशों में कहा। इसी आधार पर, जीएसटी काउंसिल के अंदर व्यवहारियों का सरलीकरण करने का प्रयास हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीएसटी के माध्यम से 29 हजार करोड़ का एसजीएसटी का बजट एस्टीमेट दिया है, मंत्री महोदय, हमारा कुल कितना बजट एस्टीमेट था, वह 73 हजार 921 करोड़ था, यानी आपके टोटल टैक्स रेवेन्यू में 49 परसेंट हिस्सा जीएसटी का है। आप इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी का बयान भी मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में हमारा हिस्सा है वह, मंत्री महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का जो हिस्सा है, वह जमाना चला गया, जब केन्द्र सरकार की कोई बात हुई थी। अब यह सारा हिस्सा आकर हमारे 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर टिक गया। 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें अभी प्रस्तुत हुई हैं। 14वें वित्त आयोग में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 42 परसेंट है। हमारा डिवीजीबल पूल में जो हिस्सा है वह 5.6 परसेंट के आस-पास मिलता है। जिस बात का जिक्र अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, यह कह रहे थे कि राज्यों में जीएसटी जब लागू हुआ, तो राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। नया सिस्टम लागू हो रहा है और नये सिस्टम में निश्चित रूप से लीकेज की बात भी होगी।

सभापति महोदय, राज्य सरकारों की जीएसटी में कमी होने की आशंका थी, उसमें केन्द्र सरकार ने तय किया कि आपका तीन साल का जितना वैट है, उसका 14 परसेंट प्रोजेक्शन यह मानकर कि अब वृद्धि होगी, उसके अनुसार राज्य सरकारों को, अगर आपकी एसजीएसटी भी कम रही, तो उसका भी हिस्सा मिलेगा। जीएसटी के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहे हैं। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात चलाई, आज आपके परव्यू के अंदर वह चीज़ें भी हैं, जिन पर आप वैट लगा रहे हो, जो जीएसटी की परिधि से बाहर हैं।

आपने घोषणा पत्र में लंबी-चौड़ी बात पैट्रोल व डीजल पर कही थी। घोषणा पत्र में इसलिए कही थी कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। आप कितनी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गए? जिस दस्तावेज को आपकी पहली मंत्रिमण्डल की बैठक ने कानूनी दस्तावेज माना, आपके शासन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का आधार आपने माना। इसको कभी गीता, कभी बाइबिल अलग-अलग भाषण करते हो जन घोषणा पत्र के आधार पर। जन घोषणा पत्र के आधार पर, आपको जीएसटी काउंसिल में जाकर यह कहना चाहिए था, जीएसटी काउंसिल उसको माने या नहीं माने, कि पैट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाओ। आपने यह बात क्यों कही, यह बात इसलिए कही, हमारी सरकार के समय डीजल पर 18 परसेंट वैट था, पैट्रोल पर 26 परसेंट था, आपको लगा कि यह ज्यादा है, इसलिए आप जन घोषणा पत्र में यह बात करके आए।

मैं पूछना चाहता हूं कि 5.7.2019 केएफटी 25/12 टैक्स 2019-23 इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने क्या किया? जीएसटी काउंसिल में लाकर आपने वादा किया, लोगों को भ्रम में रखा कि पैट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो उसका टैक्सेशन कम होगा। आपने कितना बढ़ाया, डीजल पर 4 परसेंट, पैट्रोल पर 4 परसेंट। आज की तारीख में हमारे राजस्थान में पैट्रोल पर 30 परसेंट, डीजल पर 22 परसेंट वैट है। आपने यह कर दिया। आज की तारीख में हमारे जो पड़ौसी हैं, सभापति महोदय, 16 स्टेट लगते हैं, उनमें 22 से 24 परसेंट वैट पैट्रोल पर, 6 से 20 परसेंट डीजल पर वैट है। मैं समझता हूं यही कारण है, आपने जब से टैक्स बढ़ाया 2019 में, 5.7.2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार, पैट्रोल-डीजल की कुल बिक्री 18 से 28 परसेंट तक कम हो गई। बिक्री इतनी कम हो गई तो उस पर वैट कम मिलेगा, वैट कम मिलेगा तो टैक्स रेवेन्यू कम आएगी, टैक्स रेवेन्यू कम आएगी तो वैसे भी, इस बार राजस्थान में पहली बार आर्थिक आपातकाल लगा है।

सभापति महोदय, बजट और राज्यपाल का अभिभाषण, यह दो दस्तावेज ऐसे हैं जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा नीति पत्र है। इसके साथ सैटीएंट हमारी भावना है, यह हमारी आत्मा है। आप आत्मा को रोज तोड़ते हो। नंदीशाला का सवाल आता है, स्टेडियम का सवाल आता है, तो आप कहते हैं कि एक पैसा नहीं दिया। सभापति महोदय, आपसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा। हमारे सवाल बहुत कम लगते हैं। जितना हमारा अधिकार है, उसमें से लाटरी निकलती है। यह तो बानगी है। यह आज आपका चेहरा है जो ऐसे दिखाई दे रहा है, राजस्थान की बर्बादी, बदहाली का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू व अलवर जिला हरियाणा से लगता हुआ है। आज हरियाणा में 7.31 रुपये हमें सस्ता डीज़ल मिल रहा है। हनुमानगढ़, गंगानगर में हालत खराब है।

श्री सभापति: वहां वित्त मंत्री जी को कहकर आप फ्लोर रेट तय करवाइये ताकि यह डिफरेंस खतम हो जाए। आप फ्लोर रेट तय करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, क्या फर्माया, इसीलिए मैं आपकी विद्‌वता का क़ायल हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि आप जैसे व्यक्ति को.....

श्री सभापति: यह काम तो आपको करना पड़ेगा। माननीय राठौड़ साहब, यह काम आपको करना पड़ेगा। एक फ्लोर रेट तय करवाइये ताकि राजस्थान भी बच जाए और बाकी स्टेट भी बच जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपका यह मौलिक विचार आया है। यह शेखावाटी के अर्थशास्त्री का विचार है। शेखावाटी के अर्थशास्त्री को मैं राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में अपने साथ ले जाकर, मैं आपकी भावना वहां ले जाना चाहता हूं। यह मेरी भावना को कुचल रहे हैं। सभापति महोदय, आप उनकी जगह बैठे होते तो मुझे देखकर ज्यादा मुस्कुराते। पता नहीं इनको मेरे से क्या एलर्जी है, जब भी मैं बोलने खड़ा होता हूं तो मुंह बना लेते हैं। सभापति महोदय, मेरी भावना टूट रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पैट्रोल व डीजल में अंतर है, 8.92 रुपये सस्ता मिल रहा है हरियाणा में, आप इसको कम कीजिए। आपको इससे बहु त नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारे यहां चीनी पर इन्होंने मण्डी टैक्स 1.60 रुपये लगा रखा है। हमारे पड़ौसी राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात, कहीं मण्डी टैक्स नहीं है, पर आपने लगा रखा है। आप खड़े होकर कह देंगे कि आपके समय था। हमारे समय था, हमने गुनाह किया, जनता ने हमें यहां बिठा दिया। 0.5 फीसदी, सभापति महोदय, 0.5 फीसदी किसको कहते हैं, 200 में से एक आदमी का मन बदला और हम यहां आ गए। फर्क कितना है? इसलिए मैं कहता हूं कि हमने किया या नहीं किया, चीनी पर 1.60 रुपये मण्डी शुल्क प्रति क्विण्टल है, इसको आप कम क्यों नहीं करते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात कहीं भी नहीं है। एक क्विण्टल चीनी हमारे यहां 60 से 100 रुपये तक महंगी हो गई। इस पर 2.5 परसेंट एसजीएसटी है।

सभापति महोदय, पड़ौसी राज्यों से लोग बिल लेकर आते हैं। होलसेलर वहां से लाकर रिटेलर का दे रहे हैं, आपको 300 करोड़ की चपत लगती है। आपको 300 करोड़ की चपत और मण्डी शुल्क आता है 38 करोड़ रुपये। आप मुझे करेक्ट कर देना जब आप बोलना चालू करो तब।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आज जीएसटी बिल पर चर्चा हो रही है। वैट, एसजीएसटी में मर्ज हो गया, आईजीएसटी-सीजीएसटी इसके कम्पोनेंट हैं। हर कम्पोनेंट के अंदर, हमारा एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के अनुसार स्टेट का हिस्सा है। टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। उपभोक्ता पर टैक्स लगता है। हमारे यहां एक कर, एक देश, एक नियम बनाने की बात लंबे समय से थी वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बना दी। सभापति महोदय, जब कभी अनफोर्मल इकोनोमी से फोर्मल इकोनोमी की तरफ जो भी देश बढ़ा है, नोटबंदी की बात करते हैं न, बहुत बड़ी बात करते हैं, जी.एस.टी. को भी साथ में जोड़कर बात करते हैं। क्या हालत थी। हिन्दुस्तान के अन्दर एक पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनोमी चल रही है। उस ब्लैक मनी की इकोनोमी ने हमारे गरीब और अमीर के दायरे को ऊंचा कर दिया। गरीब, गरीब ही रहा। धन्ना सेठों की तिजोरी में पैसा जाकर बंद हो गया। तिजोरी खुली, नोटबंदी के अनुसार हमारा टैक्स कलेक्शन बेस कितना बढ़ गया।

मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो शराब है। इस शराब पर अपने यहां, आपने वैट 35 प्रतिशत लगा रखा है। हमारे हरियाणा में 18 प्रतिशत है और पंजाब में 26 प्रतिशत है। मतलब, सभापति महोदय, एक बोतल जब चलती है, कोई वहां हरियाणा से लेकर आये, उसको ढाई सौ-तीन सौ रुपये का फायदा हो जाता है। मतलब आपने क्या कर रखा है। यह शराब की कालाबाजारी, यह तस्करी, ये चूरू, सीकर, झुंझुनूं के अन्दर हरियाणा के अपराधियों की ऐशगाह बन गई। आज हमारी कानून-व्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो गया। आज यह जर्जर होती कानून-व्यवस्था, जिसका जिक्र अभी राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों से हम सब लोगों ने किया। यह इसकी देन है, पर आप विचार नहीं करोगे। आपको इससे छह हजार करोड़ की आय होती है तो निश्चित तौर पर आपको पड़ौसी राज्यों की तरफ देखकर इस पर भी बात करनी चाहिए।

मंत्री महोदय, अब तो यह भी होने लग गया कि वाहनों पर आपने पंजीयन के लिये जो टैक्स लगा रखा है, वह 8 से 12 प्रतिशत है। अपने पड़ौस में, पंजाब में 5 प्रतिशत, हरियाणा के अन्दर 8 प्रतिशत है। लोग वहां से वाहन खरीदकर यहां चला रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि जब आप यह सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह विचार करना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर किस प्रकार हम आने वाले समय के अन्दर इस सारी चीज को ठीक कर सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जब आपको मालूम है कि केन्द्र सरकार ने यह तय कर दिया कि वैट के तीन प्रतिशत औसत के आधार पर 14 प्रतिशत ग्रोथ मानते हुए आपको पैसा दे रहे हैं। इस बार, सभापति महोदय, 2019-20 के अन्दर, जो यह सैस था, जो पैसा इनको दे रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं, कम्पनसेशन कर रहे हैं, उसके लिये केन्द्र सरकार ने सैस लगाया। यह सैस लगाया, सभापति महोदय, इसको लग्जरी, एस.यू.वी. अपने आती है, आप तो नहीं विराजते, पर मंत्री महोदय उसी में चलते हैं। उसमें 28 प्रतिशत जी.एस.टी. लगा, पर 22 प्रतिशत सैस भी लग गया। यह सारा पैसा कलेक्शन के बाद राज्यों को जी.एस.टी. के अन्दर वैट के अनुपात में जो नुकसान होता है, उसके 14 प्रतिशत तक उस पर हर साल देते हैं। मान लीजिये, इस बार हमारी एस.जी.एस.टी. का कलेक्शन, निश्चित तौर पर सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता की, अगर हमारी बसें, इसी प्रकार से हमारा टैक्स लीकेज होता जायेगा, इसी प्रकार का एक काला तंत्र आपके सामने खड़ा मिलेगा तो टैक्स कम आयेगा, पर उसमें 14 प्रतिशत तो केन्द्र सरकार दे देगी। पर यह जी.एस.टी. के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं, सदन के नेता बोल रहे हैं और कभी गब्बर सिंह टैक्स, कभी दूसरे टैक्स के हिसाब से। सभापति महोदय, क्या हो रहा है, जी.एस.टी. अगर कम होगी, सी.जी.एस.टी. कम होगी आई.जी.एस.टी. कम होगी, हमारा हिस्सा उसमें कम होगा। इस बार 2019-20 के अन्दर जो इस सैस के लिये, जो प्रोजेक्शन किया था, वह था 109343 करोड़ रुपये और अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, सिर्फ 55447 करोड़ रुपये मिले हैं। ये कहते हैं न, अभी ये कहेंगे कि हमें जो मिलना चाहिए था, भरपाई के लिये पैसा मिला, पूरा नहीं मिला, 65250 करोड़ रुपये राज्यों को बांट दिया। अब जब केन्द्र सरकार के पास इस सैस के कम्पोनेंट के अन्दर पैसा कम आये, आप जैसे लोगों के भाषण के कारण से पैसा कम आयेगा, तो केन्द्र कहां से देगा।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम कुछ मामलों के अन्दर आप लोगों को अपनी असलियत के साथ बात करनी चाहिए और यह भारत जो आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बने, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह सदन इस देश के प्रधान मंत्री को मेज थप-थपाकर बधाई दे कि हमने पांचवीं अर्थव्यवस्था तो बना ली। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यह जनमत जानने के लिये, क्योंकि इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं, अगर यह व्यापारियों के पास जनमत जानने हेतु चला जाए, मंत्री महोदय, आप उनकी एक बैठक बुला लें, उसके बाद इसको लेकर आयें तो अच्छा है। जनमत जानने हेतु इसको परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापतिजी, राजस्थान जी.एस.टी. (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

आज देश में देश की जनता ने प्रधान मंत्री की कुर्सी पर ऐसे विजनरी नेता को बैठाया है, जो वर्षों से देश में एक मांग चल रही थी कि देश में एकरूपता होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत माता में हर मायने में एकरूपता झलकनी चाहिए। हम अलग-अलग धर्मों को, समभाव मानने वाले लोग भी एकरूपता में हिन्दुस्तान में रहते हैं, तो इस देश में किसी हिस्से में अलग विधान और अलग निशान नहीं हो सकता। उसको खतम करने का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय देश के प्रधान मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने किया। उस पर पूरे देश ने उनको बधाई दी लेकिन शायद वर्तमान सरकार भी इस मामले में उनको बधाई नहीं देगी। देश में एक कानून होना चाहिए और उस कानून को एक लम्बे समय से, आपकी सरकारें भी केन्द्र में रहीं लेकिन आपमें वह हिम्मत, जज्बा, हौसला नहीं हो पाया, न ऐसी ताकत आप कर पाये कि इस निर्णय करने में हिम्मत चाहिए, वह आप में थी नहीं, इसलिये यह लम्बे समय से लागू नहीं हुआ। देश में मजबूत प्रधान मंत्री आये, और उन्होंने देश में एक कानून लागू कर दिया। आज उसी की परिणति है कि देश, हिन्दुस्तान दुनिया का पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उसका भी धन्यवाद। उप नेता प्रतिपक्ष ने तो कहा, लेकिन सामने बैठे साथी नहीं करेंगे। थोड़े दिन पहले टिड्डी पर चर्चा यहां इस सदन में हुई। माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था से कृषि मंत्रीजी ने सदन में कागजों के माध्यम से टिड्डी पर बहुत बड़ा कंट्रोल करके दिखाया। उस पर सदन के नेता ने स्वयं खड़े होकर कहा कि राजस्थान सरकार की पीठ केन्द्र के मंत्री ने भी थपथपाई है। उनका नाम लेकर भी

(श्री बिहारीलाल)

बताया कि पुरुषोत्तम रूपाला जी केन्द्र के कृषि राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने इस पर राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाई है। हम तो बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा जिगर रखते हैं। आपकी इस नाकामी पर भी पीठ थपथपा देंगे लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने जो इतने शानदार हौसले वाले मजबूत निर्णय किये, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश को एकाकार किया, उन पर भी आप बड़े कंजूस निकले जो मेजें नहीं थपथपाएंगे, उनका धन्यवाद नहीं करेंगे।

माननीय मंत्रीजी, इस संशोधन पर हमारे कुछ निवेदन हैं, कुछ सुझाव हैं। सरकार पहले भी बजट घोषणा कर चुकी है कि 8-10 साल पुरानी पैनल्टीज, ब्याज के लिये हम एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आयेंगे, उसमें भी इस पर प्रकाश डालना चाहिए था। उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। नये करदाता, जो छोटे-छोटे व्यापारी, जिनका टर्न-ओवर एक करोड़ रुपये से कम है, इन पर भी लेट फीस बड़े-बड़े उद्योगपतियों की तरह लगाई जाती है। जी.एस.टी. कौंसिल को आपको यह लिखना चाहिए कि इस लेट फीस को माफ करें या कम करें, इस पर भी एक संशोधन लाया जा सकता था। प्रत्येक व्यापारी की असेसिंग अथोरिटी एक ही होनी चाहिए। स्टेट के अधिकारी भी उसी व्यापारी को परेशान करते हैं, सेन्टर के अधिकारी भी उसी व्यापारी को परेशान करते हैं। इस बात का भी आपको विचार करना चाहिए। एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. कोर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बराबर निश्चित अंतराल पर होनी चाहिए। गवर्नमेंट से कोई रिफण्ड व्यापारी मांगता है, नहीं मिलता, पैंडिंग पड़े हैं और गवर्नमेंट का बकाया अगर कोई नहीं देता है तो खाते अटैच कर दिये जाते हैं, बैंक अकाउण्ट सीज कर दिये जाते हैं। जोधपुर में जी.एस.टी. बैंक स्थापित करने की बात थी। अब तक नहीं हुई, न सदस्यों की घोषणा, कार्यालय का अता-पता नहीं। यह व्यवस्था सुचारु रूप से चले, इसके लिये एस.जी.एस.टी. का, आर.जी.एस.टी. का एक एडिशनल कमिश्नर रैंक का अधिकारी डिविजिनल हैडक्वार्टर पर भी बिठाना चाहिए ताकि जयपुर तक व्यापारियों को भागकर नहीं आना पड़े।

बजट की परामर्शदात्री कमेटी की मीटिंग बजट से पहले होती है, कई चरणों में होती है। उसमें कम से कम हर जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे बीकानेर सम्भाग के चारों जिलों से शायद ही उसमें किसी का प्रतिनिधित्व है। इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय मंत्री महोदय, तीन नम्बर पाइंट पर 2017 के राजस्थान अधिनियम संख्या 9 की धारा 10 में आप संशोधन लेकर आये हैं। मूल धारा 10 की उप धारा 2 व उप धारा 3 के बीच में नई उप धारा 2(क) के नाम से जोड़ी है। उसमें 50 लाख के टर्न ओवर पर 3 प्रतिशत की दर की बात की है। यह रेट बहुत ज्यादा है। इसको एक प्रतिशत तक लाया जाये। यह एक प्रतिशत से ज्यादा न किया जाये।

राजस्थान सरकार की एक इन्वेस्टमेंट एण्ड इंडस्ट्री डवलपमेंट स्कीम चल रही है। उसकी एक बड़ी दुविधा है कि उसमें किसी को उसका लाभ पूर्व में मिल जाता है तो उसके वारिस, जो उसके बेटे हैं, किसी के बाप ने उसमें लाभ ले लिया, उनके बेटों ने अलग व्यापार किया तो उनको वह लाभ नहीं मिल पाता। इसमें भी आपको एक संशोधन करना चाहिए।

माननीय, एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बडी बात, जो हमारे इस कर के ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है, फेक बिलिंग, रेवेन्यू के लीकेज के हिसाब से जी.एस.टी. में बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आया है। अभी तक अनुमानित 2 हजार करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू का नुकसान केवल राजस्थान का माना गया है।

(14.00 बजे)

फेक बिलिंग करने वाले एक गिरोह या रैकेट के रूप में काम करते हैं। वह बिलिंग को पहले एक राज्य में, फिर एक से दूसरे राज्य में, फिर दूसरे से तीसरे राज्य में ले जाते हैं पर राज्य के अधिकारियों की सीमाएं सीमित हैं। मजबूरी यह है कि उनको कार्य करने का अधिकार राजस्थान की सीमाओं तक ही है तो सारी कार्यवाही कागजों में दफन होकर रह जाती है। इसके लिए राजस्थान के अधिकारियों को भी सक्षम किया जाए। सेंट्रल के अधिकारियों में डी.जी. विजिलेंस को पूरे इंडिया में कहीं पर भी काम करने का पूरा अधिकार है, वैसी ही सक्षमता, राजस्थान में भी ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाए। राजस्थान के अधिकारियों द्वारा यह प्रस्ताव भी जी.एस.टी. काउंसिल में ले जाया जाए, जिससे आने वाले समय में राजस्थान का रेवेन्यू बढ़े, यह सुनिश्चित हो वर्ना पांच साल तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम मुआवजा हासिल कर लेंगे और अब तो उसमें दो साल ही और बचे हैं पर उसके बाद हमारे टैक्स कलेक्शन की क्या स्थिति होगी, वह बड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश होती है।

आपने टैक्स कलेक्शन को पारदर्शी ढांचा, पारदर्शी तरीके से करने की

(श्री बिहारीलाल)

बात कही है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार से यह आग्रह है कि पारदर्शिता इतनी ज्यादा भी न हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में राजस्थान भ्रष्टाचार में सिरमौर आता है। इतनी पारदर्शिता की जरूरत भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट विभाग में इतने बड़े भ्रष्टाचार को राजस्थान की ए.सी.बी. पकड़ती है और उसके बाद आज भी अधिकारी कोई सबक नहीं लेते और आज भी एक स्टिंग आपरेशन में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं तो इतनी पारदर्शिता भ्रष्टाचार में आप ले आये हैं कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पहले नम्बर पर आया है, इस बात को हमें कबूल करना पड़ेगा। इस बात को हमें सुधारना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी हमें टैक्स कलेक्शन में बढ़ानी पड़ेगी, व्यापारियों की सहूलियत के लिए और राजस्थान की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह आग्रह करूंगा कि इस संशोधन को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सरकार ने अध्यादेश के खंड-4 की धारा-9 में संशोधन करने के लिए यह लिखा है- जिसमें ऐसी किसी प्रदायकर्ता के मामले में जो अन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है, उच्च स्तर छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख से अधिक की रकम तक करने के लिए उपलब्ध किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन सीधा-सीधा मुनाफाखोरी की ओर, लूट की ओर बढ़ाने के लिए लाया गया है। सरकार और मंत्री इतनी बड़ी कृपा मुनाफाखोरों पर कर रहे हैं तो वह थोड़ा-सा ध्यान कर्ज में दबकर आत्महत्या कर रहे किसानों पर भी दे देते। सरकार किसानों को 20 लाख की छूट नहीं देती, 40 लाख की छूट नहीं देती तो कम से कम 10 लाख की तो उनके लिए भी करते।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अध्यादेश के खंड-11 में, धारा-52 में वार्षिक संग्रहण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को बढ़ाने के लिए आयुक्त को अधिकार दिये हैं। क्या ऐसा अधिकार बिजली कम्पनियों के

(श्री गिरधारीलाल)

ए.ईएन. को भी दिये जा सकते थे? जो किसान बदहाली के कारण समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं, उन किसानों की तो आपकी सरकार खड़ी फसलों को जलाने के लिए ट्रांसफार्मर भी उतार रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अध्यादेश के खंड-21 की धारा-2 में मुनाफाखोरों के प्रति बड़ी संवेदनशील होकर हमारी सरकार यह कहती है कि अगर मुनाफाखोरी पकड़ी जाती है तो मुनाफाखोरी की रकम का केवल 10 प्रतिशत ही मुनाफाखोर द्वारा सरकार को जमा करवाने पर उसे 90 प्रतिशत राशि उपहार में दी जाएगी और वी.सी.आर. भरने के लिए, किसान की वी.सी.आर. भरी जाती है तो आपकी सरकार किसानों को चोर घोषित करती है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह इस सदन में स्वीकार किया है कि 2013-14 में जिस डूंगरगढ़ के किसानों ने मूंगफली की फसल सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसीज द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची थी, आज तक आपकी सरकार ब्याज और शास्ति राशि तो छोड़िए, उसका मूलधन भी किसान को नहीं मिल पाया। काश! हमारी सरकार मुनाफाखोरों की मुनाफाखोरी बढ़ाने के बजाय थोड़ा ध्यान बर्बाद होकर आत्महत्या कर रहे प्रदेश के किसानों की तरफ देती।

माननीय सभापति महोदय, इसी में मुनाफाखोरी को बढ़ाने वाली इस माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के संशोधनों का विरोध करता हूं और इसे जनता के लिए तीन माह के लिए परिचालित और प्रसारित करने के लिए मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने इस जी.एस.टी. के संशोधन विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, जी.एस.टी. को हमारे प्रधान मंत्री महोदय एक देश और एक कर को माध्यम बनाकर लाये थे और मुझे आश्चर्य जब होता था तब मैं अखबारों में यह पढ़ता था कि सारे देश के, अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्री उसमें शामिल होते थे और उन बैठकों में शामिल होने के बाद उनके सुझाव भी सम्मिलित किये जाते थे परंतु कांग्रेस पार्टी की जहां-जहां सरकारें थीं, बाहर आकर उसका विरोध करते थे। यह क्या स्थिति है? मुझे यह

(श्री धर्मनारायण जोशी)

लगता है कि जी.एस.टी. सामान्य आदमी को रोजमर्रा की वस्तुओं पर, एक आदमी फैक्ट्री से जब माल निकलता, माननीय सभापति महोदय, वहां पर टैक्स देता। होलसेल व्यापारी के पास माल जाता तो वहां पर टैक्स कटता। रिटेल व्यापारी के पास जाता तो वहां पर टैक्स कटता।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को एक जनरल निवेदन करना है कि हम काम में पारदर्शिता लाएं। इंस्पेक्टर राज धीरे-धीरे समाप्त हो गया। पारदर्शिता का मतलब क्या है? मैंने यह गुजरात में देखा है कि एक हमारे डिपार्टमेंट चलता है कारखाना एवं बायलर, माननीय सभापति महोदय, गुजरात सरकार ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी ने, कारखाना एवं बायलर डिपार्टमेंट किसलिए है? इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाता, फैक्ट्री में पानी की ठीक से व्यवस्था है कि नहीं है, प्रदूषण तो नहीं है, साफ-सफाई है या नहीं है, कर्मचारियों की ड्रेस है कि नहीं है, यह सब देखता। उसके बाद भी यदि उस इंडस्ट्री में कैजुअल्टी हो जाती तो वह इंस्पेक्टर रिपोर्ट दे देता कि फैक्ट्री चलने योग्य है। कैजुअल्टी होने के बाद, कैजुअल्टी की भरपाई फैक्ट्री वाला करेगा, इंस्पेक्टर का कोई दायित्व नहीं है। उन्होंने कारखाना बायलर डिपार्टमेंट समाप्त कर दिया।

जैसे देश में श्री नरेंद्र मोदीजी के प्रधान मंत्री बनने के बाद ऐसे जो कानून थे, 1200 कानून जिनका कोई अर्थ ही नहीं था, ऐसे कानूनों को समाप्त किया। ऐसे ही कारखाना एवं बायलर डिपार्टमेंट को समाप्त करके उस इंडस्ट्री वाले को कहा कि 100 रुपये स्टाम्प पर यह जो 20 बातें हैं, यह आप लिखकर दीजिए कि हमारे यहां पर प्रदूषित नहीं है, पानी की व्यवस्था है तो अपने आप ही वह लायबिलिटीज तय हो जाएंगी।

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह काम में पारदर्शिता लाए। गुजरात में तीन स्टेट्स की सड़कें जाती हैं राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की। मोदीजी ने एक बार कहा कि हमारे यहां पर 400 करोड़ रुपये महीने का कलेक्शन टैक्स का था। ट्रक जाते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी कर्मचारी को चोर नहीं कहा और कानून में कोई तब्दीली नहीं की, केवल मात्र नाके पर कैमरे लगा दिये और सैक्रेटेरिएट में कैमरे लगा दिये और जो भी ट्रक निकलेगा, वहां पर भी उसकी एंट्री होगी। आपको आश्चर्य होगा कि गुजरात सरकार 400 करोड़ रुपये मंथली टैक्स को

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बढ़ाकर उसी साल, जब कैमरे लगा दिये तो 2000 करोड़ रुपये की इनकम गुजरात सरकार ने कर दी तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप पारदर्शिता लाएं।

मेरे एक व्यापारी मित्र अजमेर में हैं। दस साल पहले वह फ्रूट का व्यापार करते थे। एपल बेचते थे, आपको आश्चर्य होगा कि जिस भाव में एपल आती थी, वह उसी भाव में एपल बेचते थे। मैंने कहा कि तोलारामजी, यह जिस भाव में एपल आती है, उसी भाव में एपल कैसे बेचते हैं, आप कमाई कहां से करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस भाव में एपल आती है, मैं सौ पेटी एपल रोज बेचता हूं। सौ पेटी जिस भाव में आती है, उसी भाव में एपल बेचता हूं परंतु जो पेटी का खोखा है लकड़ी का, वह दो रुपये का एक खोखा जाता है तो मेरे दो सौ रुपये दिन की उसकी इनकम हो जाती है तो मुझे यह लगता है कि सरकार को हर काम में पारदर्शिता लाकर, यह गब्बर सिंह टैक्स धीरे-धीरे स्वीकार भी करते जा रहे हैं और आपसे मेरी यह प्रार्थना है, मंत्री महोदय अभी नहीं हैं, जवाब दें तब जवाब दे देना, यह मेरा निवेदन है कि आज ही मंत्री महोदय इसकी घोषणा करके जाएं कि 4 परसेंट जो वैट लगाया है पैट्रोल और डीजल पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विधेयक पर एक बात भी बोले नहीं हैं, मंत्रीजी क्या जवाब देंगे आपका? विधेयक पर एक भी बात आपने नहीं कही, क्या जवाब देंगे मंत्रीजी?

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मैं कह रहा हूं न वैट पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो ऐसा करिए कि विधेयक का वाचन कर दीजिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): वैट पर जो चार प्रतिशत टैक्स लगा, उसको आज ही समाप्त करने की घोषणा करें। राजस्थान की जनता को पैट्रोल-डीजल के कारण सारे सामान महंगे मिल रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, यह उस समय भी मनमोहन सिंहजी की सरकार में 80 रुपये पैट्रोल-डीजल चला गया था, आज भी वही भाव है, कोई ज्यादा भाव नहीं है। सरकार बहाना करती है। कच्चा तेल उस समय सस्ता था। मेरी आपसे प्रार्थना है वैट को कम करके राजस्थान की जनता को राहत दें और जनता को राहत मिलेगी, सब सामान सस्ता होगा। यही आपसे प्रार्थना है। इस विधेयक को जनमत के लिये

(श्री धर्मनारायण जोशी)

भेजा जाए और जनमत संग्रह के बाद इसको पारित किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सम्माननीय सभापतिजी, आज यह सदन राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें सरकार दिख रही है कि कितनी गंभीर है, उन्हें यह लग रहा है कि यह विषय कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट की उदासीनता आप देखिए।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें, अपनी बात कहें। पूरा सदन सुन रहा है आपकी बात। आप तो अपनी बात कहें, पूरा सदन सुन रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं-नहीं, हम तो रखेंगे ही, लेकिन आप भी व्यवस्था करवाइए कि एक भी मिनिस्टर सदन में नहीं है। चलिए, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो एक बात कहूंगी हम सबके लिये, पूरे देश के लिये बहुत गर्व की बात है कि आज एक रिपोर्ट जो अमेरिका की एक संस्था है 'वर्ल्ड पापूलेशन रिव्यू' उनकी जो रिपोर्ट आयी है, उस रिपोर्ट के अंदर भारत को विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बतायी है। यह कितनी बड़ी बात है कि आज देश के प्रधान मंत्रीजी के लिये, जिनके लिये यह सारे कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था बड़ी डगमगा रही है। अब इतनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट जो आयी है, उससे तो आप खुश हैं न? उससे हरेक भारतीय नागरिक खुश है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अमेरिकन प्रेसीडेंट आ रहे हैं इंडिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान से बोलिए, बोलना है तो। बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, किसी-किसी का काम डिस्टर्ब करना ही है लेकिन कोई बात नहीं। आप तो प्रधान मंत्रीजी की जो पहले हुई थी, जो नीतियां उन्होंने बनायी थीं, जिस नीति के ऊपर उन्होंने यह कहा था कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। वह आत्मनिर्भर बनने की जो नीतियां थीं - मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जहां जितने घपले हो रहे थे, उन सारी चीजों को उन्होंने लैट डाउन करके खतम किया और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह मेक इन इंडिया की जो कांसेप्ट वे लेकर आये, उसको आज देखें कि क्या-क्या चीजें इंडिया में बनने लगी हैं और भारत देश हमारा आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने लगा और यह स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से कितने हमारे नौजवान अपने नये प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और उन सब प्रोजेक्ट्स के मेंटर्स होकर वह प्रोजेक्ट्स फुलफिल होकर काम पर आ गये। यह सारी चीजें हैं तो यह जो भारत के प्रधान मंत्रीजी की नीतियां उन्होंने देश के सुधार के लिये बनायीं, उन नीतियों का ही प्रतिफल है कि आज यह सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से आ रही हैं।

आज हमारी जो जी.डी.पी. है वह 29 खरब 40 अरब डालर के बराबर हो गयी, जो ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ रही है। यह कितने गर्व की बात है, माननीय सभापतिजी, कि 2018 में आई एम एफ ने कहा था कि भारत जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार उनकी नीतियां आगे बढ़ रही हैं, जरूर 2019 में यह पांचवें स्थान पर अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा और यह हुआ है। यह हम लोगों के सामने है और इसका डिक्लेरेशन हुआ है, इसका हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी इतनी अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों द्वारा कई समय से यह मांग चल रही थी 'वन नेशन वन टैक्स' 'एक देश एक कर'। यह ऐसा नहीं है कि देश के प्रधान मंत्रीजी मोदीजी ने लगाया इसलिए इन लोगों का काम विरोध करना हुआ बल्कि कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट में भी यह चीज आयी थी कि हम लोग 'वन नेशन वन टैक्स' लाना चाहते हैं, लेकिन जब बीजेपी वाले 'वन नेशन वन टैक्स' लेकर आ गये तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका काम है कि बीजेपी जो भी कहे, वह विरोध हमें करना ही करना है और बिना सोचे-समझे इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधीजी कहने लगे इसे गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन उन्हें यह देखना होगा कि किस प्रकार यूपीए के अंदर यह सारी चीजें आयी थीं।

आज सी.ए.ए. का वह विरोध कर रहे हैं। सी.ए.ए. के लिए खुद उनके मनमोहन सिंहजी ने लैटर लिखा कि सी.ए.ए. आना चाहिए, एन.आर.सी. आनी चाहिए, लेकिन यह सब चीजें जब वह कहते हैं तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्रीजी, मोदी कहते हैं तो इन्हें करंट लग जाता है कि यह मोदीजी कैसे लेकर आ गये। इसलिए यह सारी चीजें आज जब 'वन नेशन वन टैक्स' में जो जीएसटी लागू हुआ, एक अम्ब्रेला के रूप में, माननीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापतिजी, इतने सारे टैक्सेज, चौदह से ज्यादा और टैक्सेज थे, जो अलग-अलग समय पर लोगों को देने होते थे और उस सबसे कितनी परेशानी आती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, कितने लेवल पर हमारे एजेंट्स होते थे, उन सारी चीजों को खतम करके अब जब जीएसटी लागू हुआ तो अब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है। एक ही जगह पर हम सारी चीजों को चुकता कर देते हैं, हमें कहीं कोई आगे परेशानी नहीं। जीएसटी को अब व्यापारी भी समझने लगे कि यह बहुत अच्छा हो रहा है। यह सारी चीजें अब एडमायर होने लगी हैं। लेकिन यहां पर इस सदन के अंदर जब बजट रखा जाता है 2019-2020, उस बजट के अंदर कुछ बातों की घोषणा की जाती है। जैसे उसमें कहा गया कि जीएसटी एक्ट में संशोधन करके कुछ नवीन चीजें लेकर आएंगे, कुछ नवीन प्रावधान हम जोड़ेंगे। जिसमें इन्होंने नवीन प्रावधान के बारे में कहा था, उसमें कहा था एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क से हम लोग छूट देंगे। इन्होंने कहा अवार्ड्स द्वारा टीडीएस कटौती करने का प्रमाण पत्र फार्म वैट 41 जारी करने का प्रावधान किया जाएगा जिससे ठेकेदारों को टीडीएस के समायोजन का लाभ मिल सकेगा। बिल्डर्स और डवलपर्स द्वारा लम्प-सम भुगतान संबंधी विकल्प देने के लिये वैट 69 की सुविधा देकर लाभान्वित किया जाएगा। इनका हमेशा से काम रहा है, माननीय सभापति जी, कि बड़ी-बड़ी घोषणा करो, चाहे वह किसान के संदर्भ में हो कि उनका कर्जा माफ कर देंगे, चाहे वह हमारी बसेज चालू कर देंगे इतनी सारी ग्रामीण सेवा के अंदर, हम 24 घंटे बिजली दे देंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इनकी यह सारी थोथी घोषणाएं हैं। यह सब केवल घोषणाएं करते हैं। एक भी व्यापारी को इस घोषणा के अनुसार किसी प्रकार की कोई स्कीम, एक साल हो गया, लागू नहीं की और अब कल नया बजट आ जाएगा और फिर उस नये बजट में नई घोषणाओं के साथ में शुरू हो जाएगा और नये सपने वापस दिखाने का काम शुरू कर देंगे।

हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं उनके स्टेटमेंट में, कि हमारी सरकार पारदर्शी होनी चाहिए, सरकार जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। यह बड़ी-बड़ी बातें हैं लेकिन अगर यह मूलत: देखें कि क्या यह सरकार कितनी संवेदनशील है। कोटा के अंदर जे.के. लोन अस्पताल के अंदर हमने देख लिया, कितनी संवेदनशीलता है। यह सरकार पारदर्शी है, देख लिया हमने ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा घोटाला जो हो गया, वह देख लिया। जवाबदेही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है, किसी के ऊपर कोई कार्यवाही हुई हो तो बताओ कि हमने यह कार्यवाही की। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर हो रहा है और पारदर्शिता की सिर्फ बात ही बात की जा रही है। सारी बातों में एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। वह पूरा राजस्थान देख रहा है कि यह इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह सबके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक बात कहूंगी कि यह जो हमारे जीएसटी की जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, उसमें केन्द्र के संचालन में जीएसटी में कुछ परेशानी आ रही है। नो डाउट कुछ व्यापारियों ने इसे सीखा नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गयी है। अब ऑनलाइन के अंदर छोटे व्यापारी, लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ प्राब्लम ऑनलाइन टैक्स भरने में आ रही है तो उसके लिये गवर्नमेंट इस बात की सुविधा करे कि जैसे हर तहसील मुख्यालय के ऊपर, जिला मुख्यालय पर कुछ ऐसे सेंटर्स खोले, जो सेंटर्स उन लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दें तो प्रशिक्षण के सेंटर्स होने चाहिए। अगर वह सेंटर्स हो जाएंगे तो यह जो लघु उद्योग वाले हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनको एक सुविधा मिल जाएगी। वह सीख लेंगे। पहले पहले जब कम्प्यूटर आया था तो किसी को नहीं आता था कि कैसे कम्प्यूटर पर काम करना है। मेल कैसे करना है, नहीं पता था, लेकिन अब जब वह लोग चीजों को सीखने लगे तो बड़ा ईजी लगने लगा तो जीएसटी भी वन आफ दैम है। जब सीख लेंगे तो इतना आसान तरीका टैक्स-पे करने का कुछ है ही नहीं। न कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी, न किसी की जरूरत होगी, न किसी के पास में जाकर कहने की जरूरत होगी, खुद ही नैट के ऊपर अपने कम्प्यूटर के ऊपर अपना काम कर लेंगे और अपना टैक्स चुकता कर लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस प्रकार के सेवा केन्द्र को वह स्टार्ट करे, उन्हें प्रशिक्षण दे और कुछ सेवा केन्द्र अपने लेवल पर गवर्नमेंट स्थापित करे ताकि जिस किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी आ रही है तो वह वहां जाकर अपना जो टैक्स चुकाना है, वह चुका सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में, आपके माध्यम से सदन के अंदर रखना चाहूंगी कि जीएसटी के लिये हमारा जिस प्रकार से मार्बल उद्योग है, मेरा राजसमंद क्षेत्र मार्बल उद्योग का ही है और इस क्षेत्र के उन मार्बल व्यापारियों से जब मेरी बातचीत होती है तो यह चीज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सामने आती है कि आज मार्बल उद्योग बहुत ही ज्यादा यानी बहुत परेशानी के अंदर आया हुआ है और इस परेशानी से कैसे उसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि काम्पीटिशन इतना हो गया है। एक तरफ सिरेमिक टाइल्स आ गयी, जितनी माइंस थीं उनका उत्पादन का कोस्ट इतना बढ़ गया है और इतने सारे काम्पीटिशन के अंदर आ गये, आर्टिफिशियल मार्बल बनने शुरू हो गये हैं, सिरेमिक टाइल्स बननी शुरू हो गयीं। उस काम्पीटिशन में कैसे यह अपने आपको बनाये रख सके। काम्पीटिशन में बने रहने के लिये यह जो जीएसटी है उस जीएसटी को, जो 18 प्रतिशत अभी है। उस 18 परसेंट को 5 परसेंट पर लेकर आएं क्योंकि इम्पोर्टेंट मार्बल से भी फेस करना है, सिरेमिक टाइल्स से भी फेस करना है और जो हमारी आधुनिक सारी चीजें हैं, फ्लोरिंग के लिए जो सारे मैटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं उन सारी चीजों को फेस करने के लिए इसलिए जब राजस्थान से जी.एस.टी. काउंसिल में हमारा प्रतिनिधित्व हो तो वह प्रतिनिधित्व विशेष तौर से इस बात को ध्यान रखे कि मार्बल के ऊपर हम लोग जी.एस.टी. को कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि उससे हमारे यहां की इकोनोमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू मार्बल से और मिनरल्स से आता है, इनके ऊपर जी.एस.टी. कम करने की बात राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो भी जी.एस.टी. काउंसिल में जाते हैं वे इस बात को रखें और 18 परसेंट से 5 परसेंट तक लेकर आने के बारे में कहें तो यह ज्यादा उत्तम होगा।

आज यह जो सारी हम लोगों ने बात कही है, उसमें मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जी.एस.टी. तो कर के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और इस क्रांतिकारी कदम पर सब को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें हम लोग किस प्रकार से अपने आप में रिलीज हो सकें, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारे पाइंट यहां पर उठाए, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये जो हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं, उन सारे इश्यूज को इस प्रकार से नहीं लिया जाए क्योंकि इस तरफ से लोग कह रहे हैं इसलिए इनकी बात को नजर अंदाज किया जाए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं अगर इश्यूज का सरलीकरण होगा तो व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी और हम लोग जी.एस.टी. से लाभान्वित तो हैं ही लेकिन साथ-साथ यह सारे ईजी मोड आफ बिजनस हो जाएंगे तो उससे वे और ज्यादा ईजी फील होंगे। राजस्थान के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अंदर जी.एस.टी. आज कह रहे हैं कि हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों का उतना कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जितना शेयर हमें मिलना है वह नहीं मिल पा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां। अगर शेयर की भी बात करें तो एक तरह से केवल यह इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि केन्द्र सरकार से, अब अगर हम लोग लास्ट 2019 का देखें दिसम्बर तक, तो दिसम्बर तक केन्द्र सरकार ने प्रदेश को 3780 करोड़ जी.एस.टी. की भरपाई यहां पर की है। इसलिए सारी चीजों का भ्रम नहीं फैलाएं लेकिन उसको ईजी मोड कैसे कर सकते हैं, यह देखें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं आज फिर से देश के प्रधान मंत्री जी को इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था में हमारा भारत देश आया है, उसके लिए बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। साथ-साथ जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे सरकार जो विधेयक लेकर आई है उस पर बोलने का अवसर दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस टैक्स को ...(व्यवधान) हां, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह तो वे ही अध्यक्ष बनने वाले हैं न, या तो सोनिया जी बनेंगी या राहुल जी बनेंगे या फिर बनेंगी तो प्रियंका बनेंगी क्योंकि एक ही परिवार है, और तो कोई है नहीं, इतना बड़ा लाखों का करोड़ों का देश है उसमें पार्टी के पास सिर्फ यह ही परिवार है। उन्होंने जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहा और बहुत बुरी तरह से प्रचारित भी किया लेकिन हम सबको ध्यान है कि यह योजना बहुत सालों से लगातार चल रही थी लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको अपनी इच्छा शक्ति के साथ में लागू नहीं कर पाई क्योंकि माननीय सभापति महोदय, जब कोई नई चीज लान्च होती है न, तो उसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और उन बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए मेहनत करनी पड़ती है पर उन व्यवस्थाओं के लिए मेहनत कौन करे। जब व्यवस्था परिवर्तित होती है, जब हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसकी चिंता करे बगैर वह सोचते हैं कि यह सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ इच्छा शक्ति का काम नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे उपाय करने पड़े, बहुत सारी समस्याओं को पूर्व में ही आकलन करके उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, वह किया गया और पूरे देश में, क्योंकि हमारा देश एक संघीय व्यवस्था में बंधा है, संघीय ढांचा है इसलिए प्रत्येक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भी इस काउंसिल में है और उस स्टेट की क्या परेशानियां हैं और कैसे हम टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि इस देश का विकास कर सकें, इसके लिए यह जी.एस.टी. लाया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगी, मैं दो-तीन निवेदन करना चाहूंगी और वे दो-तीन निवेदन इस प्रकार से हैं। एक, जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। पहला तो यह है कि जो जी.एस.टी. फार्म भरने होते हैं उस जी.एस.टी. फार्म की बहुत शार्ट अवधि होती है। कुछ दिनों पहले यह फार्म जारी हुए और उसकी लास्ट डेट भी तुरंत ही आ गई। ऐसी स्थिति में व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वह व्यापार करे कि इस फार्म की चिंता करता रहे कि, भाई, वह फार्म कब निकलेगा, कब भरना है और जल्दी उसको भरकर जमा कराना है तो इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए और फार्म ईजीली अवेलेबल होना चाहिए।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि व्यापार बहुत सुदूर तक गांव-गांव में फैला हुआ है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है इसलिए ई-मित्र जैसी सर्विसेज यदि हम प्रोवाइड करवा सकें या उन व्यवहारियों के लिए हमें ऐसे सेंटर्स खोलने चाहिए ई-मित्र जैसे ताकि वह व्यवहारी वहां जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अभी सिर्फ एक टेलीफोन नंबर संभाग स्तर पर दिया हुआ है और जब भी व्यवहारी उस टेलीफोन नंबर पर फोन करते हैं तो उस फोन पर कोई रिप्लाई नहीं है, उस फोन को कोई अटेंड

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं करता है, वह फोन नो रिप्लाई रहता है। साथ ही साथ यह जो ई-मित्र खोले जाएं उन ई-मित्रों में जितने भी सी.ए. हैं जो इस बाबत अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं ताकि व्यवहारियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। मेरा निवेदन है क्योंकि संभाग स्तर से भी इसको जिला स्तर पर पहुंचाना है। अभी आपने संभाग स्तर पर सिर्फ एक टेलीफोन नंबर की सुविधा दी है इसलिए इसको जिला स्तर पर ले करके जाएं और संभाग स्तरों पर ई-मित्र जैसे सेंटर्स खोल देंगे तो निश्चित रूप से यह ज्यादा अच्छा होगा।

इसमें सरलीकरण के उपाय करने चाहिए। यह जो पोर्टल है यह स्टेबल नहीं है, कभी कुछ, कभी कुछ, तो हम इसको स्टेबल कैसे करें, जब यह स्टेबल रहेगा तब ही बिजनस करने वाले लोगों को और प्रोफेशनल्स को इससे सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अतिरिक्त निवेदन करना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो वैट लगाया है उस वैट में एमनेस्टी स्कीम भी लाई जानी चाहिए जैसे केन्द्र सरकार एक्साइज और सर्विस टैक्स में ले करके आई है वैसे ही स्कीम यदि ले करके आएंगे तो निश्चित रूप से व्यवहारियों को और बिजनेसमैन को इसका लाभ मिलेगा।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगी कि डीलर्स को प्रोपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए क्योंकि प्रोपर ट्रेनिंग के अभाव में वह अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से अमलीजामा नहीं पहना पा रहे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त इतना भी निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि जब कोई भी माल बेचने वाला व्यक्ति होता है और वह माल बेचने वाला व्यक्ति टैक्स में चोरी करता है तो उसको तो सजा के प्रावधान हैं लेकिन जो खरीदने वाला है, मैंने कुछ चीज खरीदी और उसके लिए टैक्स ही पे नहीं किया, तो जो व्यक्ति उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है वह भी प्रोपर तरीके से टैक्स दे, उसको भी पता हो कि मुझे यह टैक्स चुकाना है तभी वह व्यवहारी भी उससे टैक्स लेगा और वह टैक्स देगा, तभी जाकर के हम जो यह विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उस विकास तक पहुंच पाएंगे। तो जो माल खरीदने वाला व्यक्ति है वह यदि टैक्स नहीं चुका रहा है तो उसमें भी कोई न कोई पैनल्टी का प्रावधान होना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अतिरिक्त समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए स्टेट लेवल पर कोई ऐसी साइट विकसित करें जहां कोई भी व्यवहारी अपनी प्रोब्लम डाले तो उस प्रोब्लम का तुरंत समाधान हो सके लेकिन स्टेट लेवल पर इस प्रकार की कोई साइट नहीं है जिससे समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो पिछली बार बजट भाषण दिया था उसकी ओर आना चाहूंगी। बहुत अच्छे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम अच्छी व्यवस्था करके लाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि जब हम कोई भी व्हीकल ले करके रोड पर चलते हैं तो हम एक बार उसका मोटर वाहन कर चुकाते हैं जिसको पहले स्टेट रोड टैक्स कहते थे, उस रोड टैक्स को अब बदल करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मोटर वाहन कर नाम दिया है। अब आप देखिए, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर पर भी टैक्स देते हैं और टू व्हीलर पर भी टैक्स देते हैं। एक बार हमने रोड टैक्स दे दिया उसके बावजूद जब हम रोड पर निकलते हैं तो फिर हमको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स के रूप में जो कर है वह देना पड़ता है, तो यह डबल-डबल टैक्स की व्यवस्था कैसे है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के पास भी 2 व्हीलर जरूर है, 2 व्हीलर तो वह चलाता ही चलाता है। आजकल 2 व्हीलर हाई लेवल पर नहीं माना जाता है। आजकल साइकिल कोई नहीं चलाता है, सब लोग 2 व्हीलर ही चलाते हैं। इस 2 व्हीलर में भी जो टैक्स है वह इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को लगता है कि जितनी कीमत उस व्हीकल की है, उससे डबल उसको टैक्स देना पड़ता है, 4 व्हीलर पर आप टैक्स लगाएं यह लग्जीरियस है, लग्जरी आइटम में गिना जाता है, लेकिन 2 व्हीलर आजकल लग्जरी आइटम नहीं है। इस पर से टैक्स को कम कैसे किया जा सकता है? जो आटो सैक्टर में मंदी आई है, उसमें यदि स्टेट अपनी सहभागिता देना चाहे तो इस टैक्स में कमी करके दे सकता है। इससे हम आटो सैक्टर की जो मंदी है, उसको किसी तरह से कम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट में 218 नंबर पर घोषणा की थी कि, 'राज्य में एलपीजी/सीएनजी से संचालित गैर परिवहन एवं परिवहन श्रेणी के वाहनों पर देय एकबारीय कर की राशि में छूट को 25 प्रतिशत से

(श्रीमती अनिता भदेल)

बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इन्होंने इस पर 25 प्रतिशत से 50 क्यों किया है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस प्रकार के व्हीकल्स जो सड़क पर चलते हैं, वह गिनती के हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हो कि कितने व्हीकल चल रहे हैं। इससे टैक्स कलेक्शन नहीं होना है। उन्होंने इसलिए सोचा कि जनता की वाहवाही कैसे लूटी जाए! जनता की वाहवाही लूटने के लिए इन व्हीकल्स पर तो उन्होंने 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, लेकिन जो पैट्रोल से चलने वाले हैं, डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, उन पर उन्होंने बढ़ाया है।

सभापति महोदय, मैं आपको पढ़कर के बताती हूं, 'राज्य में पंजीकृत होने वाले औसतन 50 हजार रुपये मूल्य के 200 सीसी इंजन क्षमता तक के दुपहिया वाहनों पर लागत का 8 प्रतिशत। औसतन रुपये 1.5 लाख मूल्य के टू व्हीलर जो कि 200 सीसी से 500 सीसी तक के वाहनों पर कीमत का 13 प्रतिशत। औसतन 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक मूल्य की 500 सीसी से अधिक क्षमता के टू व्हीलर्स पर कीमत का 15 प्रतिशत एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

सभापति महोदय, जो व्हीकल लोग खरीद नहीं रहे हैं, जो चल नहीं रहे हैं उन पर तो 25 से बढ़ाकर के 50 प्रतिशत कर रहे हैं और जो कंटीन्यू चल रहे हैं, उनको आप लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब डबल कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं, चौगुना कर रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि व्यावहारिक बातें करें। जो व्यवहार में चीजें हैं, उन पर लागू करें तो ज्यादा अच्छे से हम इस प्रदेश के लोगों को राहत दे पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ट्रांसपरेंसी की बात इस सरकार में है ही नहीं। जितनी चोरियां, जितने लीकेज हो रहे हैं, उससे जीएसटी कलेक्शन में भी प्रोब्लम आ रही है। स्टेट यदि जीएसटी कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, मैन पावर के माध्यम से और अपने उपायों के माध्यम से तो निश्चित रूप से इसमें स्टेट को ही हानि होने वाली है। केन्द्र को हानि नहीं होने वाली है। एक बार यह लागू हुआ है तो इसको ठीक प्रकार से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, व्यवहारियों तक कैसे सुविधा पहुंचा सकें। वह व्यवहारी जो कम्प्यूटर नहीं जानते हैं, जो ऑनलाइन करना नहीं जानते हैं, वह भी अधिकतर किसी न किसी सी.ए. की मदद लेते हैं। हर 3 महीने में उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उस हर 3 महीने के रिटर्न फाइल को यदि यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

हमारे लेवल से हो सकता है तो हम करें और हमारे लेवल से नहीं हो सकता है तो हम कौंसिल में जाकर के इस बात को कहें। अभी निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने शायद यह बात कही भी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम कैसे इसको लोंग टर्म में कर सकते हैं, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर यह हमारे स्तर का नहीं है तो यह जो नेशनल कौंसिल बनी है, इसमें इस बात को रखना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं अभी पूर्व वक्ताओं के विचार सुन रहा था। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का खाना नहीं पचता है, जब तक कि यह गांधी परिवार को याद नहीं कर लेते। लेकिन इनको यह भी बताना चाहिए कि विजयाराजे सिंधिया से लेकर वसुन्धरा राजे सिंधिया और दुष्यंत सिंह तक आप कैसे आ गए? प्रमोद महाजन और उसकी बेटी कहां से आ गई? गोपीनाथ मुंडे और उसकी बेटी कहां से आ गई? प्रेमकुमार धूमल और उनके सुपुत्र कहां से आ गए? साहिब सिंह वर्मा और प्रवेश वर्मा कैसे आ गए? अपने गिरहबान में भी झांककर के देखो। प्रजातंत्र में कोई कहीं भी जन्म ले, इस सदन में हो या भारत के पार्लियामेंट में हो, हिन्दुस्तान की जनता जब जनादेश देती है तभी पहुंचते हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस कांफ्रेंस को तो ठीक करो।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके बारे में ही बात कर रहे थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे बारे में बात आप बाहर कर लेना।

श्री सभापति: कृपया शांति रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, अभी सदन में रह-रह करके जब भी नरेन्द्र मोदी साहब का नाम आता था तो कुछ थप-थप की आवाज आती थी। हमारे प्रतिपक्ष के मित्र मेजें थपथपा रहे हैं या अपनी छाती कूट रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा था। इस सरकार ने देश को किस कगार पर पहुंचा दिया, वह पूरी दुनिया देख रही है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, 2016-17 में क्या विकास दर थी? 9 परसेंट, 2017-18 में कहां आ गए? 7.2 पर। 2018-19 में कहां आ गए? 6.8 पर। अब 5 फीसदी के इर्द-गिर्द सिमटने की तैयारी में हैं। यह छाती पीटने की वजह से हो सकती है या मेजें थपथपाने की वजह हो सकती है। लोग हंस रहे होंगे बाहर देखकर के।

सभापति महोदय, क्या-क्या वायदे किए थे? जब नोट बंद किए रात को 8 बजे, आतंकवाद की फंडिंग खतम। काला धन वापस। भ्रष्टाचार खतम। कहां है काला धन? जितने नोट 500 और एक हजार के बाजार में थे, वह कुल प्रचलित मुद्रा के 86 परसेंट थे, लेकिन जब जमा हुए और बहुत बाद में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने आंकड़ा जारी किया तो पता चला कि 99.3 परसेंट नोट तो जमा हो गए। मात्र 10 हजार करोड़ रुपये के नोट बाहर रहे। नए नोट छापने पर खर्चा भारत की जनता का करीब 22 हजार करोड़ रुपया हो गया।

आज भी आप बताने की स्थिति में हैं कि इस नोट बंदी से देश को क्या फायदा हुआ? आज भी नकली नोट छप रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं। जो 2 हजार रुपये का नया नोट आप लाए हो, जहां आतंकवादियों के यहां छापे पड़ते हैं, वहां 2 हजार रुपये के नए नोट मिल रहे हैं। पूरी तरह से निर्णय मूर्खतापूर्ण था लेकिन आज तक देश की हुकूमत ने यह स्वीकार नहीं किया देश की जनता के सामने कि हमसे गलती हो गई।

सभापति महोदय, क्या कहा था? महंगाई खतम करेंगे। कर ली खतम? क्या सस्ता कर दिया आपने? दूध सस्ता कर दिया? प्याज सस्ता कर दिया? डीजल सस्ता कर दिया? पैट्रोल सस्ता कर दिया? वह गैस वाली बाई, जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, 5 रुपये बढ़ते थे तो गोद में सिलेंडर लेकर के आ जाती थीं। आज जब लोगों की पहुंच से गैस का सिलेंडर बाहर हो गया तब कोई भारत सरकार का नुमाइंदा उस पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। देश की गरीब जनता की पीड़ा कहने को कोई तैयार नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप जो कह रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करिए। आपका नाम है। बिलकुल शांत रहें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कहा था? मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, वह कहां हैं? शट डाउन इंडिया में बदल रहे हैं। जिन स्मार्ट सिटीज के लिए जितना पैसा आबंटित किया था, उसका 11 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। रिजर्व बैंक से तय करा दिया। उसका 1.76 लाख करोड़ का भंडार है। उसमें से 58 हजार करोड़ ट्रांसफर करा लिए। देश की जनता क्या समझती नहीं है कि आपकी आर्थिक हालत क्या हो रही है और आपको यह क्यों करना पड़ा?

आपने विनिवेश लक्ष्य 1 लाख 5 हजार करोड़ का रखा था। भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि आप 12 हजार करोड़ का भी विनिवेश नहीं करा सके। हर मोर्चे पर विफल होने के बाद भी इस सदन में मेजें थपथपाई जा रही हैं। जब लोगों ने जानकारी में लाया, देश की सरकार के, कि देश बहुत भारी मंदी से ग्रस्त है तो देश के मंत्री रवि शंकर प्रसाद क्या कहते हैं, मुझे तो कहीं मंदी नहीं दिखाई पड़ती, दो अक्टूबर को तीन फिल्में रिलीज हुई हैं, एक सौ बीस करोड़ रुपये का व्यवसाय किया और फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने मुझे यह जानकारी दी है। यह देश की सरकार के मंत्रियों की सोच है, फिल्मों के कारोबार से इकोनोमी की हालत को तय करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आह्वान विफल होता है, एक सपना टूटता है, नया सपना पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ाया था, कैशलैस इकोनोमी, क्या रहा कैशलैस इकोनोमी का रिजल्ट? 9 दिसम्बर, 2016 को लोगों के पास 7.7 लाख करोड़ रुपये की नकदी थी और जून 2018 में यही आंकड़ा बढ़कर 18.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। यह कैशलैस इकोनोमी के सपने का परिणाम रहा।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि हम दुनिया की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। उस आंकड़े से देश की तरक्की तय नहीं होगी। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने इनक्लूसिव डवलपमेंट इंडैक्स, समावेशी विकास सूचकांक में 74 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 62वें नम्बर पर रखा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुल्क में 1 परसेंट आबादी के पास देश की 73 परसेंट दौलत है, 73 परसेंट दौलत है। आज भी भारत के 60 प्रतिशत लोग 230 रुपये प्रतिदिन से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में पांच मिलियन इकोनोमी का ख्वाब दिखा रहे हो, देश

(श्री संयम लोढ़ा)

के सवा सौ करोड़ लोगों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा तो अर्थव्यवस्था का आकार कहीं ले जाकर खड़ा कर दें तो संविधान में वर्णित लक्ष्य हैं वह लक्ष्य रोज हमको दम तोड़ते हुए दिखाई देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आप फैसले क्या करते हैं? कारपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, 1 लाख 46 हजार लाख करोड़ रुपये का नुकसान किया। उत्पाद के पैसे हैं, प्रोडक्ट के दाम में कोई कमी आई? यह फायदा देने के बाद भी देश की जनता को कोई लाभ हुआ? आप जीएसटी के बारे में बात करते हैं। क्या कहा था नरेन्द्र मोदी साहब ने जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे? आज भी यू-ट्यूब पर उनका वीडियो मौजूद है, किस प्रचण्ड तरीके से आप जीएसटी का विरोध कर रहे थे, जीएसटी को देश हित के खिलाफ बता रहे थे, जन हित के खिलाफ बता रहे थे लेकिन जैसे ही सरकार में आए, जिन-जिन मुद्दों पर आपने मनमोहन सिंह सरकार के फैसलों का विरोध किया था, वे सारे फैसले आप लागू करने की तरफ हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक महीने तक आपने एफडीआई के मुद्दे पर भारत की पार्लियामेंट नहीं चलने दी लेकिन सत्ता में आए, रक्षा में आप एफडीआई ले आए, इंश्योरेंस में आपने एफडीआई का परसेंटेज बढ़ा दिया। अब इस बार के बजट में हायर एजुकेशन में भी एफडीआई लाने का आपने अनाउंस कर दिया। माननीय सभापति महोदय, जीएसटी में अगर राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि जीएसटी का इस देश की गरीब जनता को, आम जनता को लाभ मिले, आप कांफ्रेंस करते हैं, आप परिषद् की बैठकों में बैठते हैं। मैं पूछ सकता हूं कि पैट्रोल और डीजल को आप उसके दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों? आप लाएंगे तो देश के जनता को लाभ होगा, उसको कम पैसे पर पैट्रोल मिलने लगेगा, कम पैसे पर डीजल मिलने लगेगा लेकिन आपको देश की आम जनता को लाभ नहीं देना है, आपको तो अपनी सरकार का खजाना भरना है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि इस सदन को यह तय करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। जीएसटी में विकास दर का क्या लक्ष्य रखा था, जीएसटी विकास दर का, दस फीसदी, जबकि इसमें भी चार फीसदी की कमी आई है। जो छूटें मांगी जा रही हैं, वह दी नहीं जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो नया संशोधन विधेयक सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

लेकर आई है, यह सब जगह पर जो चर्चा हुई है, जिस गलत तरीके से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, आपको खुद को पता है, माननीय सभापति महोदय, देश के हर कोने में इसके लागू करने के तरीके का विरोध हुआ। यही जीएसटी अगर बातचीत करके, संवाद करके, समझाइश करके लोगों को विश्वास में लेकर लागू की जाती तो उसके ज्यादा अच्छे और सार्थक परिणाम निकल सकते थे, लेकिन जैसे-जैसे लोग कमियां बताते हैं, उस पर चर्चा करके सुधार का प्रयास होता है। इस विधेयक के जरिये भी यह हुआ है। इसमें पहले कोई अपील प्राधिकरण नहीं था। इस विधेयक के माध्यम से इस प्राधिकरण के गठन का निर्णय हुआ क्योंकि देश में अनेक तरह के व्यापार हैं, अनेक तरह के सेवा क्षेत्र हैं, उनकी अनेक तरह की जटिलताएं हैं तो इस प्राधिकरण के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि लोगों की टैक्स सम्बन्धी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

एक्ट के सैक्शन 101 से 106 तक इसके गठन, काम, शक्ति, इन सबका वर्णन, माननीय सभापति महोदय, किया गया है। सेवा और मिश्रित सप्लाई में 50 लाख रुपये तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को इस विधेयक के माध्यम से फायदा मिलेगा। नई कम्पोजीशन स्कीम के जरिये वे अपना टैक्स भर सकेंगे। मासिक रिटर्न भरने का इस क्षेत्र के व्यापारियों का था, उससे उनको मुक्ति मिल सकेगी। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर इस संशोधन के जरिये जो छोटे व्यापारी हैं, उनको जीवनदान मिलेगा, वे बड़े व्यापारियों के साथ में प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे। जो वस्तु व्यापार है, उसमें चालीस लाख की लिमिट रखने से लाखों व्यापारी जीएसटी रीजन से बाहर हो जाएंगे और छोटे व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर सकेंगे। जो सरकारी दायित्व का निर्वहन उनको करना पड़ता था उससे उनकी मुक्ति हो सकेगी। इसमें रिटर्न भरने में कमिश्नर को जो पावर दिया है, उसे डेट चेंज करने का अधिकार स्टेट लेवल पर आ जाएगा। कमिश्नर तय कर सकेंगे और उसके माध्यम से कठिनाई जो सामना कर रहे थे उस कठिनाई से भी मुक्त हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रयास है, इस जीएसटी में पहले फर्जी कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन बहुत होता था क्योंकि प्रक्रिया इसी तरीके की थी, कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। हम सबने देखा है कि कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान इससे सरकार को हुआ है लेकिन इस

(श्री संयम लोढ़ा)

संशोधन के जरिये रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड को और आईडी को जोड़ा है इससे फर्जी फर्म बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रावधान किए हैं, डिजिटल पेमेंट में इम्प्रूव होगा, रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा और जो नैट टैक्स लाइबिलिटी है, उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से यह जो विधेयक है, यह पूरी तरह से देश के व्यापारिक जगत की सहूलियतें बढ़ाएगा। मैं आने वाले वक्त में आशा करता हूं कि टैक्स की भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद, राज्यों की हालत खराब हुई है, उनका रेवेन्यू घटा है और भारत सरकार की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। जो राज्यों को नुकसान हो रहा है, उसकी जो भरपाई होनी चाहिए, जैसा हमारे माननीय मंत्रीजी ने दिल्ली में प्रवास के दौरान भी कहा था लेकिन इस मामले में भारत सरकार पूरी तरह से रिलेक्टेंट दिखाई पड़ती है तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि पूरा देश जीएसटी को लेकर एक हुआ है सबकी सहमति से इसको लागू किया गया है तो आने वाले वक्त में राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसको लेकर मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

सूचना

बी.बी.एम.बी. की बैठक में राजस्थान के हिस्से के पानी में बढ़ोतरी की आवश्यकता

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया है, 400 क्यूसेक पानी शेयर बढ़ने से हमको मिल सकता है। डैम में पानी है, मैंने अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको कह दिया, माननीय सभापति महोदय, मैं यहां हूं, मेरे इलाके के लोगों के फोन आ रहे हैं, यदि हम आज फसल नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम लोगों को, किसानों को मुंह कैसे दिखाएंगे। माननीय सभापति महोदय, हजारों-हजार किसानों के पेट का सवाल है, बहुत मुश्किल से लोग बिजाई कर पाते हैं। बहुत अच्छी फसल थी, एक बारी की जरूरत है, मैंने बार-बार यह कहा है, सम्भव नहीं होता तो मैं अतार्किक बात करता ही नहीं। हमारा हिस्सा है, सिर्फ सवाल

(श्री बलवान पूनियां)

इतना है कि हमारी राजस्थान की सरकार कल बीबीएमबी की बैठक है, इसमें यह तय करवा दें कि हिस्सा बढ़ेगा, इंडेंट दे रखा है साढ़े बारह सौ क्यूसेक का, हिस्सा बढ़ेगा, जो आज चार सौ है, साढ़े नौ सौ तक हिस्सा करवा लें एक माह के लिए, मात्र एक माह के लिए तो पेयजल की भी नोहर-भादरा में वाया हरियाणा जो पानी आता है, वह आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। इन्दिरा गांधी कैनाल अलग चीज है, अमरसिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर अलग चीज है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, अब बैठने की जगह तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी यह मांग पूरी कराएं। अब बस की बात नहीं रही।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरी यह मांग पूरी कराएं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री नारायण सिंह देवल।

धरना

(माननीय सदस्यगण श्री बलवान पूनियां व श्री गिरधारीलाल का सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह समसामयिक इसलिए है कि कल बीबीएमबी की बैठक है और पोन्ड में पर्याप्त पानी है। एक बारी अगर नहीं मिली तो किसान तबाह हो जाएगा। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। आज किसान की पकी-पकाई फसल समाप्त हो रही है और माननीय सदस्य कितने व्यथित हैं। मैं इनकी आंखों से बहता हुआ नीर देख रहा हूं इनकी पीड़ा देख रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए आप लोग।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): एक तरफ तो आप उनका समर्थन करते हैं और हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। दोहरी चाल।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, जो नीचे बैठे हुए हैं। सरकार

(श्री सभापति)

के संज्ञान में आ गया है। सरकार अपने आप ध्यान देगी। आप अपने स्थान पर विराजें। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान) आपने मुझे सूचना देने के लिये समय मांगा था। आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान) अपने स्थान पर जाएं आप। प्लीज, सहयोग करें। आपने समय मांगा सूचना देने के लिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, शांत रहें आप। आपने सूचना देने के लिये समय मांगा। मैंने आपको समय दिया। आप सहयोग करें। सरकार के संज्ञान में आ गया। सरकार अपने आप ध्यान देगी। आप विराजें। (व्यवधान) मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं यहां। सरकार के संज्ञान में आ गया। सरकार अपने आप ध्यान देगी। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय से कह दें। ये बात कर लेंगे उनके चैम्बर में जाकर। मंत्री महोदय अभी निद्रा में हैं। आप उन्हें कह दें, वे जाग्रत हो जाएं और माननीय सदस्य से बात कर लें।

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर विराजें। सरकार के संज्ञान में आ गया है। ...(व्यवधान) मैं कैसे आश्वस्त करूंगा? सरकार के संज्ञान में आ गया है मामला। सरकार अपने आप ध्यान देगी। आप अपने स्थान पर तो विराजें। यहां बैठने से कोई फैसला नहीं होने वाला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप समय तय करा दें। मंत्री महोदय के चैम्बर में जाकर मिल लेते हैं। मंत्री महोदय को उठना ही तो है। सभापति महोदय, आप यहां मार्शल को कहें, वह चाय लेकर चला जाएगा, टक-टक करेगा, मंत्री उठ जाएंगे और ये अपनी पीड़ा कह देंगे। सरकार पूरी तरह सोयी हुई है।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं, सरकार के संज्ञान में आपने बात ला दी। सरकार अपने आप ध्यान देगी। आप अपने स्थान पर तो विराजिए। सरकार भी गम्भीर है। निश्चित रूप से किसान की फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बारे में चर्चा करके किसानों के हित में फैसला लिया जाए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने कह दिया। किसानों के हित में जो भी अच्छा फैसला होगा, सरकार लेगी। निश्चित रूप से मैंने सरकार को कहा है। माननीय मंत्री महोदय, इस पर संज्ञान लें। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य, पूरा सदन इस बात से चिंतित है कि किसान की फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आप इस पर संज्ञान लें।

श्री नारायण सिंह देवल।

(माननीय सदस्यगण श्री बलवान पूनियां व श्री गिरधारीलाल का धरना समाप्त)

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल ओर सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 की आज सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारा देश लम्बे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजों ने हमारे देश को खूब लूटा। फिर भी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय भी यह कहा जाता था कि यह देश सोने की चिड़िया है। आजादी के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ था। पूरा सदन जानता है, देश जब आजाद हुआ, गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं, सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे। उसके बाद में जब से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, कई सरकारें विभिन्न पार्टियों की आयीं और गयीं और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि गांवों में हम आज शहर जैसी सुविधाएं भोग रहे हैं। उसके पीछे जो कारण है, वह यह है कि जितना भी व्यापार होता है, उसके ऊपर सरकारें अलग-अलग टैक्स ले रही हैं।

सभापति महोदय, इस देश में कई बार 'वन नेशन, वन टैक्स' की आवाजें उठी हैं। पहले व्यापार करने में बहुत सारी समस्याएं थीं। राजस्थान से बाहर अगर माल साउथ में जाता था, हमारे यहां अलग टैक्स था, वहां अलग टैक्स था तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक टैक्स लाया गया, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में कई तरह के टैक्स थे- सैल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था और एक्साइज ड्यूटी थी और अब एक ही टैक्स हो गया है। मेरी राज्य और केन्द्र सरकार से यह भी मांग रहेगी कि हमारे यहां जितनी भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आती हैं, उनके ऊपर आप कम से कम टैक्स लगाएं, तभी हम लोग आर्थिक विकास की ओर जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कर वसूली को ऐसा व्यावहारिक बनाया जाए जैसे कि

(श्री नारायण सिंह देवल)

मधुमक्खी और फूल का जो सम्बन्ध है। मधुमक्खी फूल के रस से शहद का निर्माण करती है और फूल के अस्तित्व पर भी कोई संकट नहीं आता है। आर्थिक व्यवस्थाओं को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना होगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें होती थीं। केन्द्र में जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी, जीएसटी का एक खाका बना और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें केन्द्र सरकार के कमजोर नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में वह लागू नहीं हो पाया। जब 2014 में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, मजबूत इरादे वाली सरकार बनी, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की परिकल्पना करने वाली सरकार बनी तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में एक ही टैक्स की घोषणा कर दी। माननीय सभापति महोदय, इस घोषणा के बाद लोक सभा और राज्य सभा में खूब विरोध हुआ। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स तक कहा। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पूरे विश्व में हमारा देश अर्थव्यवस्था में पांचवें पायदान पर आ गया है और हमारे जो साथी सामने बैठे हैं, आपका काम तो खाली विरोध करना है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35-ए हटे, चाहे तीन तलाक हटे, चाहे राम मन्दिर का फैसला आ जाए, आपको तो सिर्फ विरोध करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक पर बोलिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आपका काम तो एकमात्र विरोध ही करना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह फ्री डिबेट नहीं है। आप विधेयक पर बात कर लें। फ्री डिबेट न बनाएं इसे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं विधेयक पर ही बात कर रहा हूं। (व्यवधान) केन्द्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये बड़ी चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं या जीएसटी पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं जीएसटी पर ही बोल रहा हूं। केन्द्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब जीएसटी का खाका तैयार हुआ और इसे लागू देश के प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी ने किया। तब भी आप विरोध कर रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। जो भी हम काम करें, आपको उसका विरोध ही विरोध करना है और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी बहुत विद्वान हैं, वे कह रहे थे कि इस जीएसटी में सबसे चर्चा करा लेते, मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र में जीएसटी के जितने भी स्लैब हैं, साल में इसकी दो से तीन मीटिंग होती हैं और जो भी महानुभाव जनप्रतिनिधि अपने सुझाव देते हैं, निश्चित तौर से उन पर अमल होता ही है। माननीय सभापति महोदय, पहले कई अलग-अलग तरह के टैक्स थे। व्यापारी को अलग-अलग कई सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है पर आज एक ही प्रकार का टैक्स होने के कारण व्यापारी को बहुत कुछ अच्छा महसूस हो रहा है।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैंने भी मुम्बई में खूब समय तक व्यापार किया है। पहले जब कैश से व्यापार होता था, व्यापारी रात को 9-9, 10-10 बजे तक जगता रहता था पर जब से यह जीएसटी लेकर आये हैं तब से व्यापार करने में बहुत ही आसानी हो गई है। इस साल जनवरी, 2020 में एक लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। देश के प्रधान मंत्री जी ने इस अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना देखा है। अभी मेरे से पूर्व कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि देश में बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है 70 सालों के अन्दर, जब 2013 में जब अर्थव्यवस्था थी वह डेढ़ ट्रिलियन थी और 5 साल की इस सरकार ने इस डेढ़ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 3 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। आप खुद सोचो कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वह काम इस केन्द्र सरकार ने पांच साल के अन्दर कर दिया। मैं सदन में कहना चाहूंगा कि 2024 तक देश की जो अर्थव्यवस्था है वह 5 ट्रिलियन हो जाएगी।

यह जो आज विधेयक लेकर आये हैं मैं उसमें कुछ कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जब जीएसटी लागू कर दिया तो राज्य सरकार को अलग से जीएसटी लाने की क्या आवश्यकता है? राज्य सरकार जीएसटी का रिटर्न करवाना चाहती है क्या? सैंट्रल गवर्नमेंट जब तीन महीने में रिटर्न भरवा रही

(श्री नारायण सिंह देवल)

है तो राज्य सरकार प्रत्येक महीने के अन्दर यह रिटर्न भरवाएगी। राज्य सरकार जो केन्द्र का जीएसटी है उसके अलावा एक वार्षिक एनुअल रिटर्न भी भरवाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): वह तो बता देंगे। आप मिल लेना, मैं बता दूंगा। आप ही ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अगर कोई व्यापारी समय पर रिटर्न नहीं भरता है तो 18 परसेंट पैनल्टी का भी इसमें प्रावधान किया गया है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। राज्य सरकार एक भय कर व्यापारियों पर एक इंस्पेक्टर राज थोपना चाहती है और चौथ वसूली करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसान की समस्या आ रही है उसके बारे में निवेदन करूंगा। पहले किसान के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली थी, ट्राली का पंजीयन होता था तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था और अब अगर वह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसको कामर्शियल टैक्स देना पड़ता है, तो मैं मांग करता हूं कि उसको हटाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं मांग करता हूं कि इसको छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की। इस सम्बन्ध में दो बातें विशेषकर आयीं और सामने से बोल रहे थे कि आज जीएसटी पर चर्चा हो रही है और अन्तर जीत का कितना है, जितना कम अन्तर होता है, कम अन्तर वाली जीत ही ज्यादा दिनों तक याद रहती है। माननीय सभापति महोदय, कहावत भी है कि

(श्री मदन प्रजापत)

पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन समझ में नहीं आता कि सीनियर, वरिष्ठ नेता भी क्या-क्या बोल जाते हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आता और बाद में मालूम पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं क्योंकि आदत पुरानी है। मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं कि खूब प्रयास करते हैं लेकिन धारीवाल साहब पकड़ में नहीं आते कि पकड़ें तो पकड़ें कहां से। अभी आधा घंटे बाद जब धारीवाल साहब जवाब देंगे तो शायद ये सुनने के लायक नहीं रहेंगे, इतने परेशान हो जाएंगे क्योंकि वास्तव में जिस बात में वज़न होता है, जिस बात में गंभीरता होती है वह सही होती है। आज कोई भी बात आये तो नेहरू जी जिम्मेदार, आज जीएसटी पर चर्चा हो रही है तो भी कह देंगे कि नेहरू जी जिम्मेदार। जब नोटबंदी होती है और कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का वास्तव में सीना होता तो माननीय सभापति महोदय, आज देश के आर्थिक हालात ये नहीं होते।

ये गुजरात माडल की बात करते थे, अगर गुजरात माडल वास्तव में होता तो जब अमरीका के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, गरीबों को घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं दीवारें बनाई जा रही हैं। अगर आर्थिक हालात इतने मजबूत होते और गरीब को बंगले में शिफ्ट कर देते तब हिन्दुस्तान की जनता गुजरात माडल को मानती। माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है, मैं धन्यवाद पूर्व प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह जी को देता हूं कि पूरे विश्व में मंदी थी, पूरे विश्व में संकट था लेकिन अपने देश में मंदी का असर नहीं हुआ क्योंकि यह उनका अनुभव था और मनमोहन सिंह जी का पूरा विश्व कायल है कि वे आर्थिक विशेषज्ञ हैं और ईश्वर ने जो इनको दिमाग दिया है उसमें अपने को गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे विद्वान ने अपने देश में जन्म लिया है। माननीय सभापति महोदय, आज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कहीं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ये बात को गम्भीरता से यों नहीं लेते कि जब प्रधान मंत्री नहीं बने, सरकार में नहीं थे और जिन-जिन बातों का भयंकर विरोध किया और सरकार में आने के बाद में शायद वही जीएसटी है जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। जीएसटी का विरोध करने के बावजूद बिना अनुभव के कारण सौ बार इसमें संशोधन किए गए, बार-बार बैठकें बुलाईं। वही हालत नोटबंदी की हुई, वही हालत इन्होंने

(श्री मदन प्रजापत)

जीएसटी को आनन-फानन में रात को घंटा बजाकर शुरू कर दिया क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बुद्धिजीवी लोगों के सुझाव लिये जाते हैं लेकिन न तो सुझाव लेना और न बाद में गलती को स्वीकार करते हैं। अगर कोई गलती भी हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति स्वीकार भी कर ले तो समझ में आ जाता है कि इसमें सुधार हो रहा है लेकिन इतनी जिद, इतना अहंकार, यह लोकतंत्र के मायने से सही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज देश में जीएसटी में बार-बार संशोधन करके, महंगाई और जीडीपी की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। महंगाई में मंत्री स्मृति ईरानी जी बार-बार, टीवी पर नारा आता था कि मैंने मेरी मां को धुआं-फूंक करते देखा, अगर आपने वास्तव में किसी मां को धुआं-फूंक करते हुए देखा होता तो गैस सिलैण्डर की रेट आज यह लागू नहीं करते। क्या हालत है? आपने गरीब के साथ में मजाक किया है। पहले तो किश्तों में उज्ज्वला योजना के नाम पर आपने गरीब को टंकी दी और फिर हर महीने, हर साल बढ़ोतरी की। कहां हैं वे मंत्री जी, क्यों चुप हैं, बोलती क्यों बंद हो गई?

माननीय सभापति महोदय, आज आटो सैक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हर क्षेत्र में जो मंदी का दौर है, आज हर क्षेत्र में हालत इतनी खराब है लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज नोटबंदी के दो साल बाद भी आंकड़े तक नहीं दे सके कि देश में कितना पैसा 500 और 1000 के नोट के रूप में जमा हुआ है क्योंकि आंकड़े इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मूल पूंजी से ज्यादा जमा हो गए। इसके कारण इनको शर्म आनी चाहिए। ये बातें करते थे कि आतंकवाद मिट जाएगा, काला धन आएगा, महंगाई कम होगी, देश प्रगति करेगा लेकिन इनके पास में रटा-रटाया जवाब यह है कि कोई भी बात हो कि महंगाई कैसे बढ़ गई तो नेहरू जी जिम्मेदार, मंदी कैसे आ गई तो नेहरू जी जिम्मेदार। देश को आजाद हुए 70 साल हो गये, आपके 5-7 सालों में यह देश नहीं बना है, देश बनाने में कई लोगों का योगदान है, किसी एक व्यक्ति और एक लीडर से देश नहीं बनता। देश में लाखों हजारों की भागीदारी, कइयों ने मेहनत की है, कइयों ने प्रयास किया है, इसलिए देश बना है, लेकिन आज हर सत्र में कह रहे हैं पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, 56 इंच के सीने, किस बात का धन्यवाद। हमें भी गर्व होता है अगर देश प्रगति करता है, पक्ष-विपक्ष अलग बात है, लेकिन अगर हर बात के ऊपर, आज देश की आर्थिक स्थिति और जीडीपी गिर रही है। इतनी अर्थव्यवस्था खराब होने के

(श्री मदन प्रजापत)

बावजूद भी आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। अगर खुशी की जगह आप चिंतन करते कि क्या कारण रहे हैं इस मंदी के, जीडीपी क्यों गिर रही है? किसका अनुभव है, जिसको हम काम में ले सकते हैं, देश आगे कैसे बढ़ सकता है, महंगाई कम कैसे हो सकती है, गरीब का भला कैसे हो सकता है।

सभापति महोदय, टैक्स देने वाले हम हैं, टैक्स का पैसा जनता व्यापारी देता है और व्यापारी का फर्ज बनता है ईमानदारी से टैक्स का एक-एक पैसा चुकाये और सरकारों का दायित्व बनता है कि उस पैसे का जो जनता के पसीने के पैसे हैं। उस पैसे का एक-एक रुपये का सही मायने में उपयोग हो, सरलीकरण हो।

माननीय सभापति महोदय, जितना सरलीकरण आसान होगा, व्यापारी के लिए आसान होगा और व्यापारी ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से अगर टैक्स चुकाएंगे तो यह देश के हित में होगा, देश मजबूत होगा। देश की मजबूती इसी में है कि उस पैसे का सही मायने में एक-एक रुपये का उपयोग करते हुए, आज देश की जीडीपी पहले से अगर बढ़ती, तो हम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते। तब हम मानते कि 56 इंच के सीने की बात करते हैं लेकिन ये साबित हो गया चाहे एफडीआई हो, चाहे तमाम आधार कार्ड हो, तमाम जो पुरानी योजनाएं हैं, किसी का नाम बदलकर, किसी को उसी नाम से, ये लागू करने और देश के हालात से ऐसा लगता है कि ये भाषण देने में जरूर माहिर हैं। सभापति महोदय, जीभ चलाना अलग बात है लेकिन सरकार चलाना अलग बात है। सरकार चलाने और जीभ चलाने में अंतर होता है।

माननीय सभापति महोदय, गुजरात माडल की जो मैंने पहले बात की। आज जो हकीकत है, उसको बताने में किस बात की शर्म है। अगर पर्दा डाल डालकर कितने दिन देश की प्रगति को आप बयां करते रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, और भी कई बातें हैं टैक्स की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): चाहे कोई भी हो, सरकार में सरलीकरण की जो बातें, माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक मिनट, मैं माननीय सभापति

(श्री मदन प्रजापत)

महोदय, जीएसटी की धारा 50, उपधारा 1 के तहत ब्याज की गणना सकल दायित्व के बजाय, नैट दायित्व की जाए तो उचित होगा। नियम 36 के उपनियम 4 को हटाना, इस उप नियम में आईटीसी मिसमैच टू ए का 10 प्रतिशत तक ही इनपुट को पाबंद किया गया है। इस नियम को जीएसटी की सफलता के लिए हटाना निहायत आवश्यक है। उप नियम 1 जनवरी, 2020 से आ गया, जीएसटी की धारा 16, उप धारा 4, आईटीसी क्लेम करने की समय सीमा तय की गई है, इसमें आने वाले की गलती की वजह से जीसीटी धारक को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए इस उपधारा में दी गई समय सीमा को हटाया जाए, तो यह जनहित में होगा। एक नया प्रावधान जुड़ जाए, जिसके तहत जीएसटी रिटर्न या रिवीजन करने की छूट दी जाए, देरी से रिटर्न भरने वालों के कारण लगने वाली पैनल्टी को यानी लेट फीस में छूट प्रदान करने के अलावा और भी माननीय सभापति महोदय, कई जो प्रावधान माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जो किये हैं, ये व्यापारी के हित में, प्रदेश के हित में और मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी बातों से सबका हित होगा और आपने समय दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अविनाश (जैतारण): पाइंट आफ इंफोर्मेशन...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस एक्ट के ऊपर अपने-अपने विचार रखे और विशेष रूप से हमारे माननीय विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र जी राठौड़ साहब और हमारे सांगानेर से आने वाले सदस्य ने बहुत विस्तार से बहुत आंकड़ों के माध्यम से और बहुत सुधार की गुंजाइश वाली सारी बातें कह दीं।

उसके बाद में बहुत सारे वक्ताओं ने अनेक बातें कहीं, मुझे दु:ख इस बात का है कि जब मंत्री जी को गंभीर होकर जवाब देने की बात आती है, जो व्यक्ति जवाब देने के लिए कई सारे पाइंट्स उठाते हैं, उनके बारे में ये कहते

(श्री अभिनेश महर्षि)

हैं कि आपकी तो बात में दम ही नहीं था, फिर आज कह देंगे कि आपकी बात में तो दम ही नहीं था।

श्री सभापति: इन सब बातों से...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए, एक दिक्कत और है। हम आसन के खिलाफ कोई बात बोलना नहीं चाहते हैं और मैं नया सदस्य हूं लेकिन माननीय सभापति महोदय, विनम्र निवेदन है जब कोई व्यक्ति सामने की साइड से बोलता है तो माननीय मंत्री महोदय कह देते हैं कि बड़ी चौपड़ के ऊपर भाषण नहीं दे रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी चौपड़ के ऊपर भाषण दे रहा है। हमारे सामने की साइड से कोई व्यक्ति बोलता है तो वह चाहे बड़ी चौपड़ पर बोलें चाहे आपके बंगले से बोलें, एक ही भाषा के अंदर एक ही बात बोलते हैं और चाहे कोई माननीय सदस्य अभी-अभी बोल रहे थे, सिरोही से आने वाले सदस्य ने भी बहुत सारी बातें कहीं और दस मिनट तक तो यही बातें कहीं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया है, उनको कैसे कंडेम कर सकते हैं। इनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है, वह किया है, देश का मान दुनिया के अंदर इस देश के प्रधान मंत्री ने ही बढ़ाया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति भी प्रोटोकाल तोड़कर, इसी देश के प्रधान मंत्री के लिए रैड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं। यह देश का मान यदि किसी ने बढ़ाया है तो देश के 56 इंच छाती वाले नरेन्द्र मोदी जी ने बढ़ाया है, जिसकी आपको बहुत सारी तकलीफ है। माननीय, ये भी अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जीडीपी की बात कर रहे थे, मेरे सामने वाले माननीय सदस्य, उनको यह बताना चाहता हूं कि यदि सही मायने के अंदर उनसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है तो वह बताने के अंदर सक्षम नहीं हैं कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है। जीडीपी का अर्थ एक माननीय बोहरा जी, जरूर समझते हैं। मैं समझता हूं कि इनके पिताजी बहुत लम्बे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं लेकिन, इनकी आदत है ये एक जगह बैठकर बात नहीं करेंगे। ये दूसरे की सीट पर जाकर के कोई न कोई कमेंट करेंगे। मैं छठी जगह देख रहा हूं। इसलिए ये वैसे बोलने की स्थिति के अंदर नहीं और माननीय सभापति महोदय कानून सिखाने के लिए अभिनेश महर्षि और हमारे पार्टी के सदस्य लोग हैं, खड़े होते ही सबसे पहले टोक कर कहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

उनके धाराओं में आप संशोधन इस बिल के माध्यम से लेकर के आये हैं। जो संशोधन आप लेकर के आये हैं और जिनके अंदर जो आपकी भावना है अच्छी, उस भावना की हम कद्र करते हैं, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, जिनको एड किया जा सकता है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, यदि आपको उन धाराओं के अंदर माननीय मंत्री महोदय जवाब देना और उसके अंदर यदि कुछ करना है तो मान लेना, सांगानेर से आने वाले सदस्य की बात मान लेना, राजेन्द्र जी राठौड़ साहब की बात और मान लेना, पचपदरा से आने वाले आपके सदस्य, उन्होंने भी इसके अंदर संशोधन की बात कहीं है लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको वापस लेना पड़ा है। कुछ बिन्दुओं में प्रक्रियाओं में सरलीकरण की बात है। जो हम भी मानते हैं प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। आम व्यापारी जो है, वह व्यापार करते समय यह महसूस करे कि मेरा प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से है। मुझे इंस्पेक्टर राज के द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। जीएसटी, अब आप एक तरफ कहते हो कि हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री, उन्होंने जीएसटी लाने की कोशिश की, आपने विरोध किया था। माननीय, आप यह भूल जाते हैं कि जब हम जीएसटी लेकर आए तो आप सबसे पहले विरोध के अंदर खड़े हो गये और यह कहने लग गये यह तो गब्बर सिंह टैक्स है। अब कैसे-कैसे शब्द ढूंढ़कर लाये हो, आप एक तरफ कहते हो कि हमने यह चालू किया, श्रेय लेने की बात करते हो। दूसरी तरफ आप इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हो। एक तरफ आपके मुख्य मंत्री सदन के नेता, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि इन जातियों को यहां पर नागरिकता दे दी जाए और जब हमने नागरिकता दे दी तो आपके सदन के नेता जी ने सबसे पहले आगे आकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया।

पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, वे यह कह रहे थे कि कोई भी बात कर लो तो हमारे नेहरू जी का कसूर बता देते हैं। आप अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए आज कोई भी काम अच्छा हुआ, जब मेरे माननीय मित्र हमारे सदस्य बता रहे थे कि देश के प्रधान मंत्री ने क्या-क्या काम अच्छे किए इस देश के अंदर तो आप लोगों को तकलीफ हो गई। बीच के अंदर खड़े होकर के बोलने लग जाओ लेकिन किया था नेहरू जी ने काम, आप कह रहे हो न, कि नेहरू जी ने क्या काम किया था, जो हमने काम किया। नेहरू जी ने काम किया इस देश के टुकड़े करवाने का। आप लोग भूल गए इस बात को। नेहरू जी ने काम किया था कश्मीर के अंदर केनसन

(श्री अभिनेश महर्षि)

लागू करने का, वह काम तो नेहरू जी ने किए थे और यदि आप ज्यादा बात करते हो कि नेहरू जी ने क्या किया था और इस गांधी परिवार ने क्या किया था तो आप चले जाइए इतिहास के अंदर और जो संयम लोढ़ा जी यूट्यूब के ऊपर आप बात करे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत सारी बातें नेहरू जी के बारे में भी हैं, और बाकी गांधी और उन परिवार के लिए भी हैं। आप +++ महात्मा गांधी जी को आगे रखकर के कब तक इस देश के साथ में धोखा करते रहोगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) यह फिर खड़े हो गए। मैं जीएसटी की बात बोल रहा हूं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): यह जीएसटी पर डिस्कस कर रहे हैं या नेहरू परिवार पर डिस्कस कर रहे हैं? आप अलाउ कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): जीएसटी पर डिस्कस कर रहे हैं या नेहरू परिवार पर डिस्कस कर रहे है?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जीएसटी पर आप लोग क्या कर रहे थे? जीएसटी के ऊपर डिस्कशन कर लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हमारे माननीय सदस्य जब पालिसी की बात करने लगे तब तकलीफ होने लगी। मैं जानता हूं आपके इतिहास को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है इसलिए आप लोग शांति से रहिए, एक देश, एक निशान और एक कानून यह इस देश के अंदर होकर रहेगा और यह हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र जी मोदी ने करके दिखाया तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अभी ज्ञान की बातें कर रहे थे। (व्यवधान) छोटे और बड़े व्यापारियों के ऊपर ...(व्यवधान) आप लोगों को तकलीफ होने लग गई।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिए। जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है उस पर न तो आप इधर से बोल रहे हैं और न आप इधर से बोल रहे हैं। मैं

(श्री सभापति)

निश्चित रूप से यह चाहूंगा कि विधेयक के अलावा आप जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, यह कोई फ्री डिबेट नहीं है। विधेयक पर चर्चा करेंगे, इधर-उधर की बात बिलकुल नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, इंटरवीन नहीं करें बीच में आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यह परंपरा जो लागू करता है वह रोकने की बात नहीं करता है। परंपरा आप लागू करोगे तो हमें बोलना आता है। हमारे को भी इतिहास का मालूम है कि क्या इतिहास आप लोगों का है। इस देश के अंदर जो इतिहास आपने लागू किया, उस इतिहास के कारण आज देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है। जब बात कर रहे थे आप लोग कि अमेरिका और बाकी पूरे देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे तो ये हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने इस देश को आर्थिक मंदी से रोकने का काम किया और जिस टैक्स की बात कर रहे थे ...(व्यवधान) हां-हां, हमने किया ...(व्यवधान) तकलीफ होने लगी आप लोगों को। बहुत तकलीफ हो रही है आप लोगों को।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ...(व्यवधान) हम लोग बोलेंगे तो चौपड़ पर बोलेंगे, वाह, साहब वाह, बड़ी जोरदार बात है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यदि सदन को इसी तरह से चलाना है तो मैं सीधा-सीधा मंत्री को रिप्लाई के लिए इनवाइट करूंगा। यह बिल्कुल नहीं चलने वाला है कि आप इस तरह से हाउस को हाईजैक करें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाउस को हाईजैक करने की इजाजत न आपको है, न आपको है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। दोनों तरफ से ही आप यदि गंभीरता नहीं बरतेंगे तो मुझे सीधे-सीधे ही माननीय मंत्री महोदय को

(श्री सभापति)

इनवाइट करना पड़ेगा। हाउस चलेगा तो पूरी गंभीरता से चलेगा। हाईजैक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। माननीय सदस्य, हाईजैक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। गंभीरता बरतेंगे तो बोलेंगे वरना मैं मंत्री जी को इनवाइट करूंगा। सीधे-सीधे विषय पर आइए और अपनी बात कहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरी चिंता इस बात की तरफ है कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सरकार के अंदर जब पहले इसी सदन के यही नेता थे हमारे सदन के मेरे से स्वयं बात हुई थी कि हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर जो सैस के अंदर फर्क है इस सैस के अंदर अध्ययन करके हम किस तरह से कम कर सकते हैं। यह चिंता व्यक्त की थी लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज इसी सदन के नेता वही नेता जी हैं और आज हरियाणा के अंदर 8 रुपये का डीजल का हरियाणा और राजस्थान के अंदर 8 रुपये का फर्क है। अब आप इसके लिए भी केन्द्र को कह दो कि यह तो केन्द्र के कारण हुआ है। पंजाब और राजस्थान के अंदर जो अंतर है वह भी इसी कारण से है कि राजस्थान के कारण से है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, बात समझ में नहीं आती साहब, हमारे नेता को ये ही मिले थे क्या?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हां, हम ही मिले थे। नेता जी से पूछ लेना, हम ही मिले थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये बीच-बीच में हमें ऐसे रोकेंगे-टोकेंगे तो हमारा समय तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। पूरा सदन आज आपके नाम की चर्चा कर रहा है, विराजिये आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): देश के बारे में आम आदमी के जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की जीवन यापन में काम आने वाली जो भी चीजें हैं उन वस्तुओं के ऊपर जीएसटी रेट को कम करने के लिए और राजस्थान से

(श्री अभिनेश महर्षि)

जाने वाले सरकार के प्रतिनिधि को मजबूती से जीएसटी काउंसिल के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए और जो सैस आपने ज्यादा लगा रखे हैं, बढ़ा रखे हैं उनके बारे में गंभीरता से आप विचार करके उस सैस को तो कम करिए और सैस को कम करेंगे, अब पंजाब से और हरियाणा से लोग गाड़ी खरीद करके लाते हैं क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगता है, राजस्थान के अंदर ज्यादा लगता है। मेरा चूरू जिला हरियाणा से लगता है। वहां पर अनेक चीजें हरियाणा से महंगी मिल रही हैं। वहां से लोग-बाग लेते हैं, उसके बाद में यह कह रहे हैं कि यहां पर जो यह विसंगति है इस विसंगति के कारण यहां पर चोरी होती है तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के प्रधान मंत्री जी की इच्छा है कि एक देश के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए, एक तरह का टैक्स लागू होना चाहिए, उनका जो प्रयास है उसके अंदर आप लोग सहायता करो और राजस्थान की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे जिससे देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बहबूदी से लोग जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि विषय से इतर नहीं हों। अपनी बात विषय पर कहें। 2 मिनट कहें, 3 मिनट कहें और ज्यादा भी कुछ नहीं आ रहा है तो यह विधेयक आपके पास जो आया हुआ है न इसका वाचन करके और जो भी जिसको कहना है वह कह कर समाप्त करें। सदन में इस तरह की निरर्थक चर्चा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। न इधर है, न उधर है। आसन को डायरेक्शन मत दीजिए आप इधर-उधर की। माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप भी बैठे हुए हैं। अपने सदस्यों से आप यह कहें, मैं अपेक्षा करूंगा कि विषय से इतर बात नहीं करेंगे। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो पूछ लें साहब, जनमत जानने के लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं अपने भाषण में। कही नहीं यह बात तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जी के इस वाक्य का स्वागत

(श्री वासुदेव देवनानी)

करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि सदन में इस बिल पर ही बात होनी चाहिए लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा कि स्वयं इसका पालन करना सीखें। आज जब से सदन चला है तब से लगातार जब भी उत्तर देने शुरू हुए हैं उसको अनर्गल की ओर ले जाने का सबसे ज्यादा श्रेय है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को है। यदि आज से पालन करेंगे तो सदन का वातावरण अच्छा बनेगा। दूसरा जब ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह जीएसटी लागू करने का प्रयत्न कांग्रेस के समय में भी हुआ और हमारे समय में भी हुआ लेकिन पूरी इच्छाशक्ति का अभाव होने के कारण ये जीएसटी को लागू नहीं कर पाए और जो जीएसटी को लागू करना चाहते थे उन अच्छे विद्वानों की इन्होंने कदर नहीं की। न तो यह नरसिम्हा राव जी का नाम लेते हैं और न प्रणब मुखर्जी का नाम लेते हैं। यदि चाहते तो प्रणब मुखर्जी को प्रधान मंत्री बनाते तो शायद यह जीएसटी सबसे पहले लागू हो जाता। इन दोनों को इन्होंने कभी इंपोर्टेंस नहीं दी लेकिन जब मोदी जी आए और देखा कि एक राष्ट्र, एक टैक्स, ये एक राष्ट्र की बात तो करते हैं लेकिन इनको एक राष्ट्र की बात समझ में आएगी नहीं क्योंकि देश का विभाजन किया, एक राष्ट्र कभी माना नहीं इसलिए यह न मानने के कारण से एक टैक्स की बात भी इनके समझ में आ नहीं सकती और इस पर बराबर बात होती थी कि कई तरह के टैक्स हैं। मुझे ध्यान है 17 तरह के टैक्स हुआ करते थे। इंस्पेक्टर राज था। हर व्यापारी के पास हर विभाग का इंस्पेक्टर पहुंच जाता था और उससे वसूली किया करता था जिसके कारण से व्यापारी परेशान था। उस व्यापारी को राहत दिलाने के लिये पूरे देशभर में एक ही टैक्स लगे। कोई टैक्स राजस्थान में कम है तो कोई ज्यादा है। तमिलनाडु में कुछ अलग है, केरल में कुछ अलग है, कश्मीर में कुछ अलग है। उन टैक्सों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में माल मंगाने की बात होती थी, उसमें भी कई प्रकार की परेशानियां थीं और कई प्रकार के फार्म भरने से व्यापारी भी परेशान था। इन सबको एक साथ दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने लागू किया। लेकिन जैसा मैंने कहा इनकी समझ में आ नहीं सकता था। इनके नेता को पता नहीं गब्बर से क्या प्रेम हो गया कि बार-बार गब्बर सिंह, गब्बर सिंह कहने लग गये। इतना ही प्रेम है तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसके साथ दोस्ती कर लो, देश के साथ क्यों दोस्ती करते हो। कहते हैं कि देश बड़ा संकट में आ गया, जीएसटी के कारण देश की सारी आर्थिक स्थिति खराब हुई। जीएसटी के कारण देश में एक ईमानदार अर्थनीति के आधार पर ईमानदार शासन की स्थापना हुई है। आज कहीं कोई बेईमानी नहीं कर सकता। मैंने अपने व्यापारियों से पूछा कि आप इस जीएसटी पर क्यों आपत्ति करते हो, आप तो कस्टमर से लोगे। जब कस्टमर से जीएसटी लोगे तो व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारी कहते हैं कि पहले हम बिना बिल के सामान ले आते थे, अब बिल से लाना पड़ता है, जिसके कारण से हमको परेशानी है। मोदी जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वोट मिला था। तब आसमान से लेकर पाताल तक कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन सबसे मुक्ति दिलाने का जो वादा था, उस वादे के आधार पर यह जीएसटी को लाये। यह कह रहे हैं कि जीएसटी में केन्द्र से पैसा कम मिलता है। जीएसटी में स्पष्ट लिखा हुआ है पांच साल तक जीएसटी से जो कलेक्शन आयेगा, उसका प्रतिशत तो मिलेगा लेकिन यदि वह पहले से कम होगा तो आपको उसका पुनर्भरण भी केन्द्र सरकार करेगी, फिर आपको आपत्ति क्या हुई, आपको उतना ही मिल रहा है। लेकिन चूंकि आपके यहां कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, कलेक्शन नहीं होगा तो कोई भी केन्द्र सरकार आपको कहां से पैसा देगी। अब कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वह इसलिए नहीं हो रहा है कि सत्ता के दो केन्द्र हैं। अफसर किसी की मानते नहीं हैं। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा तो सामने आ चुका है। यह तो एक विभाग के एक डिपो का आया है, यदि सारे विभागों की जांच हो जाये तो निश्चित रूप से सारे कुए में भांग ही मिलेगी, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। (व्यवधान) पूरा कुआं ही भांग का है। यह ये क्यों भूलते हैं कि भारत का एक संघीय ढांचा है लेकिन संघीय ढांचे में विश्वास तब तक है जब तक इनकी केन्द्र में सरकार है। जैसे ही केन्द्र में सरकार जायेगी तो संघीय ढांचे में इनका कोई विश्वास ही नहीं है। जीएसटी केन्द्र सरकार ने लागू किया, लागू करने के बाद इनका दायित्व बनता है उसको लागू करना। इनको तो कमियां निकालनी हैं, चाहे वह सीएए हो, जब इमरजेंसी लगी तब तो इनको संघीय ढांचा याद नहीं आया लेकिन आज संघीय ढांचा याद आ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब पहली जीएसटी की मीटिंग थी, उस समय निश्चित रूप से कई प्रकार की कठिनाइयां थीं लेकिन आज 27 मीटिंगें हो चुकी हैं और हर मीटिंग में हर राज्य का वित्त मंत्री जाता है। वह कोई सुझाव देता है, उसके आधार पर उसमें करेक्शंस आते हैं और उन करेक्शंस के आधार पर अब जाकर डेढ़ करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाले को किसी प्रकार की कोई रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक महीना था, उसको तीन महीने किया है। सरलीकरण एक नियमित प्रक्रिया है। पहले की तुलना में सरलीकरण होता गया है। आप में से कोई वहां जाता है तो वहां प्रस्ताव रखो, वहां कोई बोलता ही नहीं है। या तो जाते नहीं हो और जाते हो तो बोलते ही नहीं हो, वहां पर सुझाव रखो। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री पूछने लगे ट्रिलियन में कितने बिन्दु होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हुए इनको नहीं पता, मैं बताता हूं कि 13 बिन्दु होते हैं, गिनती कर लेना आप।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं समझता हूं कि जितने आप टैक्स के आकार कम करते जायेंगे, उतना कलेक्शन बढ़ेगा। मैं चाहूंगा कि सुझाव अपनी ओर से जाये कि किसी भी वस्तु पर अधिकतम 12 परसेंट से ज्यादा जीएसटी नहीं होगा तो अधिक कलेक्शन होगा, अधिक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, राज्यों को भी अधिक मिलेगा। आज जो हम विश्व में पांचवीं वित्तीय स्थिति में आये हैं ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): विश्व में भारत का परचम फहरायेंगे और मोदी जी का नाम विश्व गुरू के स्थान पर लेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर। एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं उच्च शिक्षा जैसे विषय पर सदन में चर्चा होनी है। सार्थक बात आप भी कहें, सार्थक बात आप भी कहें और जितनी जल्दी से इस विधेयक से आप फारिग होंगे, उच्च शिक्षा पर चर्चा ज्यादा सार्थक हो पायेगी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है तो आप सभी के सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा। आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि सहयोग करें और विषय से इतर नहीं जाएं। माननीय मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय सत्ता में बैठे लोगों ने जीएसटी का खूब विरोध किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने विरोध क्यों किया क्योंकि उससे आम उपभोक्ता को लाभ होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेज को हम जोड़ते हैं तो वह जीएसटी से ज्यादा होते हैं और हर पाइंट पर वह टैक्स लगता था। यह मूल्य वर्धित होता है, उस पर टैक्स लगता है और इसके कारण से आम उपभोक्ता को लाभ होता था। इसके कारण से यह सत्ता में बैठे लोग उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि आम लोगों को उसका फायदा नहीं होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इससे व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। लाभ इस तरह से हुआ है कि इंस्पेक्टर रोज-रोज आकर उनकी चौखट पर खड़ा हो जाता था। उनको डर लगता था कि पता नहीं क्या कमी निकालेगा और कितना पैसा ले जायेगा। धौंस देकर पैसे ले जाते थे और उनको अपमानित करते थे, उनसे उनको निजात मिली है। आज जब व्यापारियों से हम मिलते हैं तो यह कहते हैं कि जीएसटी आने से हमारा अपमान होने से बच गया है, हम अपने आपको सम्मानित महसूस कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि शक्कर, घी और गुड़ पर मंडी टैक्स क्यों लगता है। यह कोई मंडी में बिकता है क्या? शक्कर, घी, गुड़ पर मंडी टैक्स लेते हैं। इससे मंडी का कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी लेते हैं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्स को बंद करें, इसके कारण से बहुत सारे लोगों को घाटा होता है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब ट्रेन स्पीड से चलती रहती है और कहीं जाकर जब वह ट्रैक बदलती है तो थोड़ी धीमी भी होती है और पटरियों पर खड़खड़ाहट की आवाज भी होती है। फिर पांच मिनट के बाद वह स्मूथली चलने लग जाती है। जीएसटी जब लागू की तब एकदम खड़खड़ाहट हुई, सारे लोग हल्ला करने लग गये कि जीएसटी क्या आ गया, गब्बर सिंह टैक्स कहां से आ गया, यह लोगों को लूटने वाला है, व्यापारियों को लूटने वाला है, इनको तंग करने वाला है, परन्तु यह समझते नहीं कि जब ट्रैक बदलते हैं तो लोगों को थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट होती है और इसके कारण पूरे देश में इन्होंने ऐसा हंगामा करने की कोशिश की कि जैसे मोदी जी कोई

(श्री मदन दिलावर)

गलत काम कर रहे हों लेकिन अब इस बात को उपभोक्ता भी मानता है और इस बात को उद्योगपति भी मानता है, व्यवसायी भी मानता है कि जीएसटी के कारण देश में अच्छा हुआ है और देश का विकास गति पकड़ने लगा है क्योंकि टैक्सेज भी काफी मिलने लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा जिले के रामगंज मण्डी क्षेत्र से आता हूं। कोटा स्टोन पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसकी चमक भी प्रसिद्ध है। आजकल कोटा स्टोन उद्योग खतरे में है, बहुत संकट में है। संकट में इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट कई नामों से उस पर अलग-अलग टैक्स लेने लगी है। ओवर लोडिंग का टैक्स भी बढ़ा दिया है, उसके कारण से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि कोटा स्टोन पर जीएसटी को शून्य करना चाहिये। जीएसटी काउंसिल में जब यहां का प्रतिनिधि जाये तो वह इस बात को पूरी ताकत से रखे कि कोटा स्टोन को बढ़ावा देने के लिये उस पर जीएसटी समाप्त करना चाहिये ताकि कोटा स्टोन उद्योग गति पकड़े परंतु अभी तक इन्होंने जीएसटी काउंसिल में इस बात को रखा नहीं है। मैं यह भी चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह यहां सीएए पर संकल्प लाये हैं, उसी प्रकार से पैट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू हो, उसका संकल्प भी लाना चाहिये परंतु मैं जानता हूं कि यह सरकार नहीं लायेगी क्योंकि यह सरकार तो इस पर टैक्स लगातार बढ़ा रही है। चार परसेंट वैट बढ़ा दिया और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहां महंगा बिक रहा है। इनको तो लालच हो गया है। पैट्रोल-डीजल पर लगातार वैट बढ़ाते हो और जनता को लूटते हो, इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव ये जीएसटी काउंसिल नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संकल्प भी पारित नहीं करेंगे और संकल्प भी नहीं लाएंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का संकल्प लाये कि जो पैट्रोल-डीजल है, इसको जीएसटी में शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि शराब और गुटखे की जीएसटी अभी से दस गुना कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी इसको खरीदने के दायरे में नहीं रहेगा तो उसका परिवार सुखी रहेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी और उसके बच्चे अच्छी तरह पढ़-लिख सकेंगे और अच्छे व्यापारी, अच्छे उद्योगपति, अच्छे अफसर बन सकेंगे। शराब और गुटखे के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, अनेक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं और उसके कारण कई परिवार टूट गये हैं। हजारों लोग

(श्री मदन दिलावर)

कैंसर से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब और गुटखे की जीएसटी बढ़ा देनी चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन था, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020, रात से मैं इसको पढ़ने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार इसमें कुछ राहत देना चाहती है या कुछ लगाना चाहती है। एक जगह थोड़ा-सा संकेत मिला कि व्यापारियों को कोई सुविधा दे रहे हैं।

श्री सभापति: आपने यह पढ़ने वाली गलती क्यों की?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): नहीं, मैं समझता हूं कि क्या बोलना है? पर जो सच है, सच बोलना भी चाहिए। सभापति महोदय, इस संशोधन के अंदर मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप लोगों की नीयत राजस्थान को आगे बढ़ाने की है तो मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूं। पड़ौसी राज्य हरियाणा, पंजाब हैं, दूसरे राज्य गुजरात के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर यहां टैक्स में भिन्नता है। आपने जो पैट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा रखा है, इसके कारण राजस्थान की बिक्री घटी है। हनुमानगढ़, गंगानगर जिला और आधे बीकानेर में पूरा पैट्रोल-डीजल हरियाणा और पंजाब से आता है। दुनिया भर की चोरी होती है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वह जो डीजल-पैट्रोल आता है, उसमें मिलावट होती है। सस्ते के लालच में लोग पंजाब और हरियाणा के बोर्डर पर जो पम्प हैं, वहां से खरीदकर लाते हैं और इनमें मिलावट भी है, उससे हमारे किसानों के ट्रैक्टर और मशीनरियां भी बर्बाद होती हैं और हमारे प्रांत की बिक्री घटती है। आप सोचते होंगे कि इससे हमें फायदा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप तजुर्बे के तौर पर एक महीने ही घटाकर देख लें, पता लग जाएगा कि कितनी बिक्री बढ़ती है?

सभापति महोदय, इसी तरह से पेस्टीसाइडों में भी गड़बड़ है। पता नहीं क्यों, चीनी लाते हैं तो हरियाणा से, पंजाब से। पेस्टीसाइड खरीदकर लाते हैं तो उधर से। यह जो समानता नहीं है। आप राजस्थान की बहबूदी को बढ़ाने के लिए पास के जो प्रांत हरियाणा और पंजाब हैं, उनके समान टैक्स दर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लगायें ताकि किसानों को, उपभोक्ताओं, व्यापारियों को, सबको राहत मिले। सभापति महोदय, मैं कल सदन में देख रहा था, मेरे कहने का भावार्थ है कि इस बिल के अंदर आप कोई किसानों को, व्यापारियों को बहुत बड़ी छूट देते तो कोई बात समझ में आती है। छूट नाम की चीज देने के लिए तो आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और भाषण करने के मामले में आपके समान कोई धरती पर ही नहीं है। सभापति महोदय, कल जब नरेन्द्र मोदी का नाम लेकर किसानों के बीमे वाली बात कही तो हमारे नेता महोदय धारीवाल जी को बड़ी कड़वी लगी। सभापति महोदय, जो सत्य है, आज किसानों को पनपाने का जो काम किया है, वह बीमा लागू होने से यह जो खेती बर्बादी के कगार पर थी, उसको थोड़ा-बहुत पनपाने का काम किया है तो उसका नाम नरेन्द्र मोदी है। हमारे विपक्ष के नेता महोदय कटारिया जी कह रहे थे, कल मैं बीच में गया भी था।

श्री सभापति: समाप्त करें। विषय पर बात करें। आप अपनी बात करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): छूट की बात नहीं करूं। बीजेपी के टाइम की छूट देने की बात बता रहा हूं। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के राज में अरबों रुपये की राहत किसानों को दी। पक्के खालों की किश्त माफ की। 1955 से पूर्व वाली भूमि दो मुरब्बे बिना किश्त दी। फ्रिकमेंट समाप्त किया, दस्तबदारी पर जो टैक्स लगता था, उसको समाप्त किया। कोई एक काम है। भाखड़ा के अंदर जो वाटरमेंट टैक्स लगता था, उसको समाप्त किया। अनेक हैं, मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो मेरा कालजा यूं करने लगेगा।

श्री सभापति: कालजा यूं मत करिये, आप बैठ ही जाइये। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शराब की तस्करी हो रही है तो हरियाणा और पंजाब से हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि टैक्स में समानता नहीं है। आये दिन ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं तो फिर लोगों को चोरी करने का मौका क्यों देते हो? आप समानता के हिसाब से टैक्स लागू करें ताकि आये दिन ये जुर्म नहीं हो, चोरी नहीं हो और राजस्थान की बिक्री नहीं घटे। सभापति महोदय, मैं इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कह रहा हूं कि इसमें न तो किसानों के लिए छूट है और न ही व्यापारियों के लिए लगी, न ही किसी के लिए ज्यादा छूट है। आपको छूट देनी है तो किसानों को

(श्री रामप्रताप कासनियां)

दें। संशोधन करें, हम आपके साथ हैं। पशुओं का प्रबंध करें, हम आपके साथ हैं। विपक्ष के नेता महोदय ने आपको कहा था कि किसी भी चीज पर टैक्स लगाएं, ये जो बेसहारा पशु हैं, इनका इंतजाम कर दें। विपक्ष आपके साथ है, टैक्स लगाएं। हमारे नेता महोदय ने हर चीज पर छूट दे दी, तो फिर आप वापस क्यों खींच रहे हैं, टैक्स लगाएं, नंदी शाला बनायें, आपके पास हजारों बीघा भूमि पड़ी है। गोचर भूमि पड़ी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ठीक सभापति महोदय। मेरा ही काटते हैं, सब आधा-आधा घंटा बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते। सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है।

श्री सभापति: आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे मित्र हैं। माननीय सदस्य, आपने बीड़ी छोड़ दी?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सच बोलूं कि झूठ?

श्री सभापति: सच।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पहले 25 पीता था, अब 5 पीता हूं और यह सदन समाप्त होगा, उतने में पूर्णत: छुट्टी।

श्री सभापति: ये पांच भी छोड़ दें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस दिन कहा था कि आपने मुझे गुरू ग्रहण कर लिया तो गुरू दक्षिणा में आप बीड़ी छोड़ने का संकल्प ले लें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैंने गुरू इसलिए कहा कि आपने इतना बारीकी से पकड़ लिया कि इनका बीड़ी के कारण सांस बोल रहा है, इसलिए मैंने आपको गुरू और आपकी बात पर गंभीरता से विचार करूंगा, यह भी कहा था।

श्री सभापति: जब गुरू धारण कर लिया है तो गुरू दक्षिणा में यह बीड़ी छोड़ दें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): हां, बिलकुल, गुरू धारण कर लिया और बिलकुल बीड़ी छोड़ दूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): साहब, जीएसटी के कारण बीड़ी छोड़ी है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप जीएसटी इस पर और ज्यादा लगाएं। बीड़ी पर, सिगरेट पर, गुटखे पर। जैसा दिलावर जी ने कहा, उससे मैं भी सहमत हूं।

श्री सभापति: आपकी बीड़ी छोड़ने की गुरू दक्षिणा को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप गुरू दक्षिणा स्वीकार करें। आप पंडित हो, मैं गुरू दक्षिणा दूंगा भी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के कुछ संशोधन मैं आपके बीच रख रहा हूं।

श्री सभापति: आगे से बोलने में भी आपका ध्यान रखूंगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यह सब्जैक्ट इतना टफ है इसलिए हमारे कई साथी आपकी डांट खा चुके हैं। इतना टफ सब्जैक्ट है जो खुद जीएसटी लागू करने वालों को पता नहीं है। देश में 30 जून, 2017 की, आधी रात को ही करते हैं ये सारे काम, आधी रात को ही जीएसटी लागू की थी। उसके बाद अभी तक 700 से अधिक अधिसूचनाएं इसमें जारी की गई हैं। बार-बार यह सुनने को मिल रहा है कि इंस्पेक्टर का राज खतम हुआ है तो यह भी मत भूलिए कि सीए का राज आ गया। एक व्यापारी, छोटा खुदरा व्यापारी जो यह नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर कब आया और कब गया? उसको सीए के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सीए रिटर्न भर कर नहीं देगा तो व्यापारी के दिमाग में यह बात आ जाती है कि पता नहीं किस तरीके से नोटबंदी की तरह कब फिर चूहे की तरह झपट जाए और आपका सारा माल ले जाए।

सभापति महोदय, हमारे यहां जो टैक्स की बात आई, 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट और 28 परसेंट टैक्स की अलग-अलग दरें हैं। कहा यह गया था कि एक समान टैक्स होंगे। टैक्स की दर अलग-अलग होकर आज फिर बड़े पूंजीपति को छूट है। जिस तरीके से मेरे साथी रामप्रताप जी कह रहे थे कि पैट्रोल-डीजल जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर है। इसका दंश हम सब झेल रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि हरियाणा से 8 रुपये लीटर सस्ते के चक्कर में हम वह

(श्री बलवान पूनियां)

तेल लाकर काम में ले रहे हैं, जो एक्चुअल में तेल है ही नहीं। हमारे सदन में पिछले 5-7 दिनों से यही चर्चा चल रही है कि जो हम खा रहे हैं, उसमें मिलावट है। मैं समझता हूं कि जीएसटी की जो मंशा थी, वह मंशा थी क्या? आखिर सरकार चाहती क्या थी? ये थी कि जो हिन्दुस्तान का संविधान है, संविधान के मुताबिक संघ और राज्य, केन्द्र और राज्य के जो संबंध थे, क्या उन संबंधों को तार-तार करने के लिए सारी शक्ति केन्द्र में लाने के लिए जीएसटी को लाया गया। जिस तरीके से हमारे सदन के नेता ने कहा कि राजस्थान के हिस्से का साढ़े सत्रह हजार करोड़ रुपया बजट में, केन्द्र से हमें मिला नहीं, सारे राज्य ऐसी ही बातें कर रहे हैं। हरियाणा हमारे नजदीक में, हम हरियाणा में भी गये, हरियाणा के अफसर भी यही बात कह रहे हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम पंजाब में भी गये, पंजाब के अफसर भी यह बात कह रहे हैं। राजस्थान का हिस्सा भी बीस हजार करोड़ अख़बार में आया था, जिस दिन केन्द्र का बजट आया था कि बीस हजार करोड़ हमारे टैक्स के हिसाब से हमें वापस मिलना चाहिए राज्य के विकास के लिए लेकिन नहीं मिले। क्या जीएसटी का मतलब यह था कि सारे राज्यों से टैक्स इकट्ठा करके केन्द्र की सरकार बड़े पूंजीपति को फायदा देगी। मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि केन्द्र की सरकार अपने खजाने को भर रही है। नहीं, अगर खजाने को भर रही होती तो किसानों की डिग्गियों के पैसे आज तक न अटके होते, अगर केन्द्र खजाने को भर रही होती तो शिक्षा से पैसे न घटाती, अगर केन्द्र की सरकार खजाने को भर रही होती तो रक्षा में एफडीआई को न लेकर आती, खुदरा मार्केट में एफडीआई लेकर न आती, शिक्षा में एफडीआई लाने की बात न करती। खजाना केन्द्र का भी खाली है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा बड़े-बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है।

सभापति महोदय, अल्टीमेटली हिन्दुस्तान की प्रजा पर लगने वाले ये टैक्स जो कांग्रेस की सरकार में आने वाले थे, बीजेपी विरोध कर रही थी। जब बीजेपी राज में आई तो इन्होंने लागू किया। मैं समझता हूं कि यह भेद कौन स्पष्ट करेगा कि वो जीएसटी शुद्ध थी, ये जीएसटी अशुद्ध है या फिर ये अशुद्ध है, वो शुद्ध थी, ये भेद कौन बताएगा? हम यह चाहते हैं कि जीएसटी जैसे कानून से अगर हिन्दुस्तान में पारदर्शिता आती तो नोटबंदी फेल क्यों होती? अगर हिन्दुस्तान में जीएसटी के बाद सारी चीजें ठीक हो जातीं तो नोटबंदी के समय सपने झूठे क्यों दिखाए गए? या तो नोटबंदी गलत थी या जीएसटी

(श्री बलवान पूनियां)

गलत है। इनमें से भेद कौन बताएगा, हिन्दुस्तान की प्रजा आज भी पूछ रही है। ये जो ऊल-जलूल बातें हम कर रहे हैं, घूम-फिर कर बातें हमारे पर आ जाती हैं। हमारे को मिलने वाली सुविधाओं पर आ जाती हैं। हमारे को मिलने वाली सुविधा घटी है, हर क्षेत्र में घटी है इसलिए मैं समझता हूं कि जीएसटी कानून में खामियां हैं। वह खामियां हिन्दुस्तान की सरकार पूरी करे। राजस्थान की सरकार जो यह विधेयक लेकर आई है, इस विधेयक में उन खामियों को दूर करने की चीजें भी शामिल करे।

सभापति महोदय, हमारे सामने जो कर की दरें हैं, उन दरों को विश्व में सबसे ज्यादा कर की दरों के रूप में देखा गया। हिन्दुस्तान में जिस तरीके से सारी की सारी चीजें आपके और हमारे सामने आई कि आज तक जीएसटी में जितनी लीकेज आई, सिरसा, हरियाणा में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। उस आदमी की हकीकत क्या निकली? 90 फर्जी कंपनियां थीं उसके पास, 173 बैंक खाते और 7672 करोड़ के फर्जी बिल और उसके बाद 660 करोड़ की कर चोरी। ये जीएसटी के बाद की घटना है। देश में अगर इतने बड़े लीकेज हैं तो मैं समझता हूं कि नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर देश की जनता को ठगा गया था। जैसे साथी संयम लोढ़ा की बात से कुछ साथियों को गुस्सा आता है। ये सदन पक्ष-विपक्ष में बंटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह डैमोक्रेसी की पहचान है लेकिन असली बात यह है कि हिन्दुस्तान की आम रियाया, आम प्रजा के पक्ष में न तो नोटबंदी थी और न जीएसटी है। आज भी खुदरा मार्केट में लोगों की स्थिति यह है कि अभी एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या मध्यप्रदेश में की। उसके बालिग पुत्र ने यह कहा कि जिस दिन आप हमें मारें तो नींद की गोली दे देना। बाप ने बेटे और बेटी को मारा। उसके बाद पति-पत्नी आत्महत्या कर गये। ये एक उदाहरण नहीं है। हिन्दुस्तान में सैकड़ों, हजारों उदाहरण हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जिस तरह से किसानों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, उसी तरीके से खुदरा मार्केट के व्यापारी और छोटे व्यापारी की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। जीएसटी से अगर कर की सारी चीजें कनक्लूड होतीं और ठीक हो जातीं तो आज कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते न अटके होते। अगर जीएसटी से सब कुछ ठीक हिन्दुस्तान में हो जाता तो आज

(श्री बलवान पूनियां)

हिन्दुस्तान की परिस्थिति ये नहीं होती कि दुनिया के रेपो रेट पर हम नीचे जा रहे हैं और लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मेरा दिया हुआ संशोधन वापस लेते हुए इस बिल को पास करने की वकालत करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया। मैं शुरू में ही आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। इस संशोधन विधेयक में आपने 2017 का जो राजस्थान अधिनियम है, उसकी संख्या 9 की धारा 2 से लेकर धारा 171 तक बहुत कुछ संशोधन इस अधिनियम में किये। आपने कुछ प्रावधान इस अधिनियम के सरलीकरण के भी किए। हम उसकी आलोचना नहीं करते। जिस तरीके से आपने बताया, मैं बताना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था बनकर उभरी है। लगभग 209 करोड़ डालर की मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ में आज हिन्दुस्तान पुन: उस शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जहां इस देश की 130 करोड़ अवाम की जनभावना है कि स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में दिये गये उस ऐतिहासिक वक्तव्य को साकार करने का समय आ गया और इक्कीसवीं सदी का समय इस विश्व के अंदर हिन्दुस्तान का रहे। विश्व में हिन्दुस्तान संख्या बल के आधार पर, कौशल के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी कार्य-कुशलता के आधार पर इस विश्व का सिरमौर बने। यह परिकल्पना भी साकार होने का समय आ गया। चूंकि आज सुबह से हम लोग सुन रहे हैं जिन-जिन भी वक्ताओं ने इस अधिनियम पर या इससे पहले भी अपनी बात रखी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया। विरोध और पक्ष की बातें होती रहती हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं, आप पक्ष में हैं। जीएसटी की बात हो रही है। इस जीएसटी के लिए देश के पूर्व वित्त मंत्री और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब की यह परिकल्पना थी कि इसको 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में लागू कर देंगे परंतु आप लागू नहीं कर पाए क्योंकि उस समय आप सत्ता में थे। उसके बाद में इस देश के प्रधान मंत्री

(श्री अविनाश)

मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इसको लागू किया था। यह जो बिल है, इसे आप लोग बाधाएं पैदा करने वाला मान रहे हैं।

(16.00 बजे)

मैं कहना चाहता हूं कि विरोध हो सकता है, आलोचना हो सकती हैं, लेकिन जब किसी देश का शासक ईमानदारी से, खिचड़ी और दलिया खाकर देश की सेवा करता है तो वह भ्रष्ट और दलाल विचारधाराओं को हड्डी और बिरयानी नहीं खिला सकता इसलिए यह विरोध आज सुबह से हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी का सारे विपक्ष वाले विरोध करते हैं, पिछले 6 वर्षों में क्या एक भी वित्तीय अनियमितता या घोटाले का आरोप केन्द्र सरकार पर लगा है? कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्षों में लगा हो। हो सकता है हमारी कुछ बातों में आपकी असहमति रही होगी, लेकिन इस मामले में ईमानदारी से हम लोग अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे तो पिछले 6 वर्षों में हमने यह पाया कि एक भी घोटाले का आरोप हमारी केन्द्र की सरकार के ऊपर नहीं लगा।

आप लोग आर्थिक मंदी की बात करते हैं। माननीय सदस्यों ने भी कुछ बातें कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक मंदी तो महाराणा प्रताप के समय भी आई थी, लेकिन उन्होंने घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। देश को बर्बाद होने से बचा लिया था, यह उस समय की परिस्थितियां थीं। आज की परिस्थितियां....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): आज जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, इस वित्तीय वर्ष में 6 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है। वर्तमान में जीएसटी से लाखों-करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। जीएसटी में आप लोगों ने जो बात कही है, पैट्रोल-डीजल के मामले में 22 व 30 परसेंट का टैक्स है, अगर हम तुलना करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है, इसको भी कम करने की जरूरत है।

शराब के मामले में प्रतिदिन अख़बारों में पढ़ने को मिलता है कि हरियाणा से इतने ट्रक खाली होते हुए यहां पकड़े गए। यह राजस्थान में सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहां टैक्स का प्रतिशत ज्यादा है।

मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास सोजत है, वहां पर मेहंदी बहुत मात्रा में पैदा की जाती है, मेहंदी के पत्तों

(श्री अविनाश)

पर जीएसटी कम कर दी जाए तो वहां के व्यापारियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने नोटबंदी की बात भी की। आपकी बात वाजिब हो सकती है, क्योंकि आप लोग सत्ता में नहीं थे। नोटबंदी का विरोध करना आपकी मानसिकता हो सकती है लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लाइन में लगकर, आपने बताया था कि 4000 रुपये निकाले थे। 4000 रुपये आज भी बैंको का सफर करने के लिए आपके पास पर्याप्त है....

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्रीमती संतोष।

श्री अविनाश (जैतारण): लेकिन आप लोग उस पर विरोध नहीं करते हैं।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री अविनाश (जैतारण): अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री रामलाल शर्मा।

श्री अविनाश (जैतारण): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको बोलना है? श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं। मेरा निवेदन सुन लीजिए, उनको एक मिनट दे दीजिए, वह अपनी बात पूरी कर लें।

श्री सभापति: आपको बोलना है? बोलना है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, सरकार राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। मेरे ख्याल से सरकार की यही भावना होगी कि इस बिल के माध्यम से टैक्स के अंदर हम और वसूली कैसे करें। सभापति महोदय, व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार के माध्यम से टैक्स वसूल किया जाता है। व्यापारी से जनता कोई वस्तु खरीदती है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय मंत्री जी, कृपया शांत रहें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): किसी भी स्टेट का मकसद यही है, कि जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स वसूल किया जाता है, उसको लोक कल्याण के रूप में, सरकार अपनी योजना बनाकर, जनता को वापस समर्पित करने का

(श्री रामलाल शर्मा)

काम करती है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान में आय व्यय का परिवर्तित बजट 2019-20 पेश किया गया, उस बजट का अगर आज भी रिकार्ड उठाकर देख लें तो राजस्थान की सरकार ने 48 परसेंट से ज्यादा रुपया खर्च करने का काम नहीं किया। यह हकीकत, वास्तविकता है, आंकड़ों के आधार पर है।

सभापति महोदय, आज सरकार जीएसटी में संशोधन लेकर आई है, मुझे लगता है सरकार पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखे। राजस्थान में टैक्स की वसूली के संबंध में, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया है, हरियाणा और पंजाब में पैट्रोल व शराब के ऊपर टैक्स लगा रखे हैं, वह बहुत अधिक है जिससे दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजस्व का घाटा हो रहा है। शराब माफिया गिरोह पनप रहा है। आए दिन टोल नाके पर गाड़ियों की चैकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की जा रही है। जिस तरह से एक गैंगवार की शुरुआत हुई थी, राजस्थान की सरकार उस पर चिंता व मनन करे।

सभापति महोदय, दो-तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ढाई साल बीत जाने के बाद आज भी जीएसटी का पोर्टल हमेशा जाम रहता है। इसके अंदर क्या सुधार हो सकता है, किरण माहेश्वरी जी ने सुझाव दिया था कि जीएसटी के आधार पर व्यापारी दूसरी कंपनियों से माल खरीद कर, उसका बेचान करता है, सीए को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, हर महीने चुकानी पड़ती है तो उसकी अवधि अगर एक महीने की जगह तीन महीने कर दी जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। पोर्टल हमेशा जाम रहता है, इसके अंदर भी सुधार की बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी व्यापारी द्वारा जीएसटी की फाइल भरने के उपरान्त त्रुटिवश अगर ज्यादा पैसा चला जाता है, तो उसको रिवाइज करने का आज भी कोई रास्ता या सरलीकरण नहीं है। मैं चाहूंगा कोई व्यापारी अपना रिटर्न भर रहा है और रिटर्न भरने के उपरांत उसका पैसा टैक्स के रूप में ज्यादा कट कर चला जाता है तो उसका रिवाइज पैसा आना चाहिए, उसका सरलीकरण नितान्त आवश्यक है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो 28 परसेंट जीएसटी के दायरे में हैं। आज उन लोगों को, छोटे व्यापारियों को, उन किसानों को, राहत देने की आवश्यकता है, ताकि थोड़ा सुधार हो सके। कई बार जीएसटी, रिटर्न भरते समय टाइपिंग की भी त्रुटि हो जाती है, उसकी भी भारी पैनल्टी व्यापारी को चुकानी पड़ती है, उसके अंदर भी कोई सुधार हो तो ज्यादा ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, एक व्यापारी एक महीने में लगभग 25 रिटर्न भरता है। 25 रिटर्न भरने के बाद आज भी जीएसटी रिटर्न का दो व तीन नंबर फार्म ऑनलाइन नहीं है, जिससे उसके सामने संकट रहता है। वह सीए या किसी आदमी को रिटर्न भरने में ही लगाये रखता है, इसलिए इसमें भी सुधार की गुंजाइश दिखाएं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि वह माल एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट का रिफण्ड होता है, वह भी त्रुटिपूर्ण है। उसमें भी सरलीकरण का रास्ता अपनाया जाए तो उचित रहेगा।

सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने देश के प्रधान मंत्री जी मोदी की आर्थिक नीतियों को लेकर, जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, कई प्रकार के प्रहार किए। सभापति महोदय, आप बुरा न मानें तो एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं इतना जरूर कहूंगा..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, सुन तो लीजिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उस समय देश के प्रधान मंत्री कौन थे, जो जयपुर से तीन दिन तक नेशनल हाईवे को बंद करके करोड़ों-अरबों रुपये की सम्पत्ति लेकर चले गए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): करोड़ों-अरबों रुपये की सम्पत्ति का हिसाब किसके पास है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा, आप विराजिए। श्री गुलाबचंद जी कटारिया। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता का नाम पुकार लिया है,...(व्यवधान) विराजिए, प्लीज सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020....

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं जीएसटी को लाने के लिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने सोचा हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी इस विषय पर कई बार चिंतन किया कि एक देश एक टैक्स हो। जो भी कमियां टैक्स वसूली में आती हैं, उनको ठीक किया जाए, इसका विचार कांग्रेस के समय में भी हुआ। उस समय प्रणब मुखर्जी ने भी किया, मनमोहन सिंह जी ने भी इस पर विचार किया, चिदम्बरम जी ने विचार किया, लेकिन हिम्मत किसी की भी नहीं हुई क्योंकि कारण यह था कि यह आग में कूदने जैसा मामला था। जिसको टैक्स देने की आदत नहीं है, उसको टैक्स देने के दायरे में लाना, अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। आलोचना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं पर मैं यह कह सकता हूं कि इस ऐतिहासिक कानून को लाने के बाद, सारा देश, सारी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि हिन्दुस्तान ने जीएसटी के माध्यम से जो पहल की है, वह अपने आप मे बहुत ही प्रशंसनीय है। दुनिया के कई देशों ने प्रयत्न किया, लेकिन कई इससे पीछे हटे। हिन्दुस्तान ने जिस हिम्मत से इस कानून को लाने का प्रयास किया, लोगों की नाराजगी को भी बर्दाश्त किया लेकिन देश के लिये और भविष्य के लिये यह सोच करके कि इसके द्वारा देश में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन में जिस प्रकार से हरेसमेंट होता है, व्यापारी के साथ या व्यक्ति के साथ, उसमें भी कोई निजात मिलेगी। मैं सोचता हूं कि आप और हम इतने सालों से परिचित हैं, हिन्दुस्तान में टैक्स वसूली की जो लालफीताशाही है, जिसके कारण से जिसने भी व्यापार किया,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह स्वयं अपने मन से कह सकता है कि उन लोगों को किस तरह से खुश रखने के लिये हमेशा हमको कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता था। असेसमेंट कराने जाओ तो उस समय आपको परेशानी होती थी। आज कठिन कानून जरूर लग रहा है, लेकिन व्यक्ति यह बात आज महसूस करने लगा है, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि नहीं, हमारी समस्याएं काफी हल हुई हैं।

मैं सोचता हूं कि देश के प्रधान मंत्री ने जीएस.टी. लागू करने के साथ ही जी.एस.टी. कौंसिल बनाई। उस जी.एस.टी. कौंसिल में हिन्दुस्तान के प्रत्येक राज्य का कोई न कोई प्रतिनिधि रहता है। क्या यह देश के लिये सौभाग्य की बात नहीं है कि इस जी.एस.टी. कौंसिल ने अब तक 150 अमेंडमेंट किये हैं। 150 सुझाव माने हैं, व्यापारियों के हों, व्यक्तिगत व्यापार करने वाले लोग हों, इंडस्ट्री वाले हों, छोटा धंधा करने वाले लोग हों, जिन्होंने भी जो-जो सुझाव दिये और जो-जो राज्य इससे पीड़ित था, कभी 28 प्रतिशत था, तो 18 प्रतिशत हुआ, 18 प्रतिशत को कहीं 12 प्रतिशत किया, कई को बिलकुल फ्री किया, इस जी.एस.टी. से बाहर निकालने का प्रयास किया। सरकार की मंशा यह है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपना व्यापार करे और इस लालफीताशाही पर किसी प्रकार से कोई कंट्रोल हो, ताकि जो बिना मेहनत के कमा करके अरबपति, खरबपति बन रहे हैं, इन पर किसी प्रकार से लगाम लग कर देश की जनता का टैक्स का पैसा आये और देश की जनता के विकास में खर्च हो, उसके लिये प्रयत्न किया।

अब इस प्रयत्न का मैं बताता हूं। आप आलोचना चाहे कुछ भी करें लेकिन ये आंकड़े इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जी.एस.टी. के आने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने, जब आपने 01 जुलाई, 2017 से शुरू किया और 31 मार्च, 2018 तक जो कलेक्शन हुआ, वह 540000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उसके बाद आपका 2018-2019 का जो मार्च तक का कलेक्शन है वह 876746 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो अब तक कोई भी अगर आप में से चाहें कि हिन्दुस्तान का जो टैक्स कलेक्शन था, उन टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों से मिलाने का प्रयास करें, निश्चित रूप से हिन्दुस्तान का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। जब टैक्स बढ़ेगा तभी गरीब के लिये कुछ काम करने की ताकत सरकार के हाथ में आती है। यह फीगर्स मेरे नहीं हैं, जो हिन्दुस्तान में, केन्द्र में टैक्स कलेक्शन हुआ है और अभी तक दिसम्बर में 01.04.2019 से ले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करके 31.12.2019 तक का जो कलेक्शन सेन्टर गवर्नमेंट के पास हुआ वह 695620 करोड़ रुपया एकत्रित हुआ है। इसका मतलब, इसके कारण से टैक्स कलेक्शन निश्चित रूप से केन्द्र सरकार का निरन्तर बढ़ रहा है और टैक्स के दायरे में, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि लोगों ने धीरे-धीरे टैक्स के इस सिस्टम को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

यही नहीं, राजस्थान में भी 01 जुलाई, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक जो कलेक्शन हुआ, जिसमें आपका जी.एस.टी. भी है और इसमें आपका सैस भी है, ये दोनों मिला करके 18465 करोड़ रुपया हमको जुलाई, 2017 से ले करके मार्च, 2018 तक प्राप्त हुआ। उसके बाद आपने जी.एस.टी. और सैस, दोनों का मिला करके 01.04.2018 से ले करके, 31.03.2019 तक जो कलेक्शन हुआ है, वह 30721 करोड़ रुपया राजस्थान के टैक्स का इकट्ठा हुआ है। मतलब टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। ये फीगर यह प्रमाणित कर रहे हैं। इसके बाद जो अभी तक का है, GST collection in Rajasthan from 01.04.2019 to 31.12.2019, इस दिसम्बर, 2019 तक जो टैक्स कलेक्शन है और सैस, जो राजस्थान का इकट्ठा हुआ, वह 24038 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। अभी तीन महीने, जो हमारा मेक्जीमम कलेक्शन आता है, वह इस बात को प्रमाणित करेगा, जो पिछले साल 30 हजार करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ, उससे भी आपको अधिक इसमें से मिलेगा।

यही नहीं, अगर केवल राजस्थान का जो हमको केन्द्र से पैसा मिला, उसको भी अपन देखें तो निश्चित तौर पर जी.एस.टी. लगने के बाद जो 42 प्रतिशत शेयर आपको मिल रहा है, उसमें भी 2017-18 में मिला 5175 करोड़ रुपया, 2018-19 में 9392 करोड़ रुपया। अभी 2019-20 में आपको जो अब तक मिला है, वह 6349 करोड़ रुपया मिला है। इसका मतलब इसमें जो टैक्स कलेक्शन का आपका शेयर आ रहा है, वह भी आपका निरन्तर बढ़ रहा है।

मैं सोचता हूं इसमें कुछ परेशानियां हैं इसके कारण से सरकार ने, और आप स्वयं जी.एस.टी. कौंसिल में जाते हैं, मैं तो यह मानता हूं कि जी.एस.टी. कौंसिल का एक भी निर्णय ऐसा बता दो जो सर्वसम्मति से नहीं हुआ हो। जिस राज्य ने भी अपनी बात को समझाने में सफलता प्राप्त की,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस राज्य की बात को पूर्णत: उस जी.एस.टी. कौंसिल ने माना और मान करके, जी.एस.टी. कौंसिल में अभी तक एक भी निर्णय बहुमत से नहीं हुआ, 100 प्रतिशत निर्णय जो हुए थे। 150 निर्णय अब तक हुए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक है, ध्यान में आए तो आप बता देना। मेरे को कुछ नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): केरल के मामले में लाटरी का इश्यू था। उसमें बाकायदा वोटिंग से हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप बता दें, मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक हुआ है।

मतलब एक तरह से जो भी निर्णय हुआ, वह सबको कांफिडेंस में ले करके उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसका मतलब केन्द्र सरकार यह चाहती है कि किसी को भी इसमें तकलीफ कम से कम हो और कलेक्शन और टैक्स देने की आदत हो।

आप और मैं अपने जीवन के इस अनुभव से कह सकते हैं हम भी अपने जीवन में, बाजार से कितना ही सामान खरीद कर लाये होंगे लेकिन जब दुकानदार कहता है कि इस फ्रिज की कीमत तो 10 हजार रुपये है, लेकिन अगर आप बिल नहीं लोगे तो यह साढे आठ हजार में मिल जायेगा। हम लोग तुरंत उसकी स्वीकृति दे करके अपना काम करते हैं। यह हर व्यक्ति के स्वभाव में पड़ा हुआ है। मैं सोचता हूं कि टैक्स देकर ही तो हम देश की भी तरक्की कर सकते हैं और देश के उन लोगों को जो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं यह जो अमीर और गरीब की इतनी गहरी खाई पड़ गई है, वह इतनी गहरी हो गई है कि जब तक इस खाई को पाटने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कभी भी, देश की जो आप कल्पनाएं कर रहे हैं, वे कल्पनाएं साकार नहीं होंगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके लिये माध्यम यही है। इसलिये मैं सोचता हूं कि जीएस.टी. कौंसिल ने जिस प्रकार से निर्णय लिया, अभी आपने देखा होगा कि पहले 20 लाख तक का जो व्यापार करता था, उसको भी आपने बांध दिया। अब इसमें 40 लाख तक का जो सालाना व्यापार करता है, उसको अब किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं सोचता हूं, इसमें सामान्यत: गांव में जितने भी छोटे-छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको इससे मुक्त करने का प्रयास किया। इसके बाद, जो 75 लाख की सीमा थी, उसको भी बढ़ा करके डेढ़ करोड़ तक की सीमा की है। उस पर किसी भी प्रकार का कम्पोजीशन, किसी भी प्रकार का टैक्स का दायरा शुरू नहीं होगा, इसके बाद शुरू होगा। मैं सोचता हूं कि इसका मतलब आप और हम सबकी मंशा यह है कि टैक्स कलेक्शन भी हो, टैक्स कलेक्शन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह नहीं हो।

अभी रोज आये दिन आप अख़बार में पढ़ रहे हो कि लोगों ने इस जी.एस.टी. से बचने के लिये तरह-तरह की कम्पनियां बना दीं। फर्जी इस कम्पनी का माल इस कम्पनी में देना, इससे लेना, फिर उसका रिफण्ड लेकर करोड़ों रुपये सरकार के दबा लेना, मैं सोचता हूं, यह जी.एस.टी. कौंसिल और आप सब लोगों के प्रयत्न से हिन्दुस्तान में वे सारे के सारे लोग एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं, जिनके अकाउण्ट को देखने के बाद जब यह लगता है कि वास्तव में तो उसके ऊपर टीमें जा करके सर्च कर रही हैं और हजारों करोड़ रुपया हर महीने आपको लग रहा है कि जी.एस.टी. की चोरी करने में जो अपने आपको उस्ताद समझते हैं, उनको भी काबू करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का मन है कि जो कोई भी टैक्स चोरी करे, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, तब तो जाकर हम इस बारे में सोच सकेंगे। मैं सोचता हूं कि आपने जीएस.टी. के अलावा भी, हमारा जो आपसे थोड़ा, आज इसको जनमत जानने में, मैं तो कह रहा हूं कि इससे बढ़िया कानून, इसको लागू होने में अभी एक-दो साल और लग सकते हैं, जब सामान्य आदमी भी इसको समझेगा। कारण क्या है कि गांव का आदमी पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण से, यह सारा का सारा ऑनलाइन भरना, ऑनलाइन उसको आता नहीं है, वह दस लोगों से पूछता है, इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तो, आपने देखा होगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तो इसके बारे में व्यवस्था की है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि वहां उन्होंने एक एजेंसी बनाई है, उस एजेंसी के माध्यम से कोई भी अपनी बात को समझ सकता है, कह सकता है, उसका नाम उन्होंने सी.पी.सी., यह कन्ट्रोल प्रोसेसिंग सेल, दिया है। राजस्थान में इस प्रकार का सेल नहीं है कि इस प्रकार के लोग, जो इससे परेशानी महसूस करते हैं, उन लोगों को समय पर कैसे उनकी मदद करके उनको इसके बारे में तैयार किया जा सकता है।

मेरा कहना है कि कभी भी अधिक टैक्स, आप जब कभी भी जी.एस.टी. कौंसिल में जाएं तो एक बात के लिये बार-बार प्रयत्न करें कि जितना टैक्स घटाया जा सकता है, उतना घटाओ। आप इतने स्लैब, जो 28 प्रतिशत है, वह 18, 12 और 05 में लाये हैं। कोशिश कीजिये कि अधिकांश चीजें, जो सामान्य व्यक्ति के जीवन से प्रभावित रहती हैं या जिनका उपयोग होता है, वे सारी की सारी 12 और 05 प्रतिशत में आ जाएं ताकि व्यक्ति आराम से तो उसका टैक्स देगा और उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यहां सदन में हम सब लोग बैठे हैं। हमने भी अपने बच्चे-बच्चियों की शादियां की हैं। हम बच्चों को देने का गोल्ड लेकर भी आये हैं। ईमानदारी से यदि कोई कह दें कि कोई गोल्ड का हंड्रेड परसेंट बिल लेकर आया है क्या? तो यह टैक्स की चोरी है, मैं सोचता हूं कि इसको यदि आप कम करेंगे तो व्यक्ति यह सोचेगा कि जब मैं दस लाख का सोना खरीद रहा हूं तो मेरे दस हजार अगर टैक्स के चले भी जाते हैं तो मेरे को इससे बहुत कुछ कवरेज मिलता है तो आदमी चलाकर भी उसको देगा। आपका यह जो उपभोक्ता मंच का कोर्ट बना है न, अगर आपके पास अधिकृत कोई कागज होगा और उसमें किसी प्रकार का भी अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट हो गयी है तो उस केस का फैसला करने में भी, उस मिलावट के केस में भी अगर आप जाएंगे कि आपको सब-स्टैंडर्ड चीज दे दी, चाहे वह कोई फ्रिज दे दिया हो, चाहे कोई मशीन दे दी हो, अगर आपके पास बिल ही नहीं है तो आप उपभोक्ता मंच में जाकर रिलीफ क्या ले सकते हो?

(16.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

लोगों की भी धीरे-धीरे आदत डलवानी पड़ेगी। कारण क्या है कि आजकल सरकार ने सब प्रकार के कानून बनाकर हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है कि उसके साथ कोई इन-जस्टिस नहीं हो जाए लेकिन यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कब होगा? जब उसके पास बिल होगा। अगर मान लीजिए कि मेरे को सोने के बजाय उसने कुछ कम मात्रा में सोना उपलब्ध कराया, मैं अगर जाकर कोर्ट में कार्यवाही भी करूंगा तो मुझे उसका बिल तो देना पड़ेगा कि यह सोना फलां जगह से मैंने खरीदा था, तब तो मुझे न्याय मिल सकता है, नहीं तो मैं अपने घर में ही बैठा-बैठा मन मसोस कर रह जाऊंगा कि मुझे तो बहुत लो स्टैंडर्ड का, 70 परसेंट का गोल्ड दे दिया 92 परसेंट बताकर तो उसको रिलीफ कहां से मिलेगी? मैं यह सोचता हूं कि इस टैक्स की आदत के लिए जब आप जी.एस.टी. काउंसिल में जाएं तो इस बात को कहें कि सामान्य व्यक्ति के काम में आने वाली हर चीज, जिसको आप जानते हो, उसको पांच और बारह प्रतिशत की स्लैब में डालकर जी.एस.टी. काउंसिल में निर्णय कराएं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके दिमाग में यह जो पड़ा है कि हम वैट बढ़ाएंगे तो उसके कारण से हमको अधिक टैक्स की प्राप्ति होगी पर यह नहीं होगा। इससे अधिक हो सकती है। अभी आपने पैट्रोल और डीजल में, राजस्थान में जो टोटल पैट्रोल और डीजल खपता है, इस बार 5 प्रतिशत पैट्रोल और डीजल राजस्थान में कम मात्रा में, हमारे जितने भी पैट्रोल पम्प्स हैं, उनमें बिका है। इसका मतलब हमारी आवश्यकता तो बढ़ी है लेकिन पैट्रोल कम बिका है। इसका मतलब यह है कि हमारा वैट इतना अधिक है कि आस-पास के सराउंडिंग स्टेट्स हैं, उनका कम होने के कारण और ज्यादा कम भी नहीं है, हमारे यहां राजस्थान में वैट 30 प्रतिशत है जबकि पड़ौसी राज्यों में 22 परसेंट से लेकर 24 परसेंट तक है और इसके कारण से स्वाभाविक रूप से फिर भी हमको चार हजार करोड़ रुपये की आमदनी इससे होती है। मैं सोचता हूं कि अब आप लोग सोचें इस बारे में अगर हम इक्वल लाकर भी राजस्थान के इस चार हजार करोड़ रुपये के टैक्स को चार हजार करोड़ रुपये अगर प्राप्त कर सकें तो यह होने वाली कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा और इसके कारण से जिस प्रकार के केसेज बनते हैं, उस पर नियंत्रण आएगा।

इसी तरह से, आपका डीजल पर जो वैट है, वह हमारे यहां पर 22 परसेंट है जबकि किसी भी राज्य में 22 परसेंट तो हिन्दुस्तान के अंदर नहीं है 6 से लेकर 20 परसेंट के दायरे में सब है। हमारे पड़ौसी तो उससे भी कम हैं, 18 पर हैं और 16 पर हैं तो निश्चित रूप से वहां से डीजल भरा कर लाएंगे या ड्रम भर कर लाएंगे या कुछ भी होगा। आसपास के जितने पैट्रोल पम्प्स हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो हमारे सराउंडिंग में हैं, अन्य राज्यों के साथ आप उनकी सेल जाकर देखें, पहले उनकी क्या सेल होती थी और आज क्या सेल होती है? कई पैट्रोल पम्प्स तो दम तोड़ने की स्थिति में आ गये क्योंकि उनका माल बिकेगा ही नहीं क्योंकि अगर सात रुपया लीटर में फर्क है तो हर आदमी सोचेगा कि वहां से आता है।

इसी तरह से, आपने शराब पर जो वैट लगा रखा है, अब यह बात जरूर है कि आपको डीजल से आठ हजार करोड़ रुपया सालाना आमदनी हो रही है। शराब पर आपने 35 परसेंट वैट लगा रखा है और छह हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है लेकिन आसपास के जो राज्य हैं, उसमें अधिक से अधिक शराब के ऊपर जो वैट है, वह 18 परसेंट से लेकर 26 परसेंट है। अब जब 18 से है तो आप और हम सब रोज महसूस कर रहे हैं, मैं भी उस डिपार्टमेंट में रहा हूं इसलिए मैं यह जानता हूं कि आये दिन हरियाणा की शराब ठेठ वहां से चलकर मेरे डूंगरपुर को पार कर जाती है। कभी-कभी उसको डूंगरपुर वाला पकड़ता है, कभी चित्तौड़ वाला पकड़ता है, इसका मतलब इतने किलोमीटर तक तो वह घूमकर आया है, इसका मतलब लेकुना कहीं न कहीं पर है। कोई न कोई इसके साथ लगा हुआ है। यह हो ही नहीं अगर हम इसी प्रकार का टैक्स का स्लैब को ठीक करें, वैट को तो इसमें अपन सुधार कर सकते हैं।

प्रोपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी जितनी राजस्थान में है, हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमारे यहां पर है। हमारे यहां पर 7 प्रतिशत है जबकि किसी भी राज्य में 5 परसेंट से अधिक नहीं है, फिर भी हम स्टाम्प ड्यूटी से दो हजार करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं। अब यह चीनी का जो मंडी शुल्क है, मैं सोचता हूं कि अधिकांश राज्यों में शून्य है और केवल और केवल हमारे यहां पर है तो मैं यह सोचता हूं कि इन सब बातों को सोचना चाहिए कि हमें टैक्स वसूल जरूर हो लेकिन टैक्स का स्लैब ऐसा हो कि उसमें चोरी कम से कम हो सके तब तो हम उसको अच्छी कर सकें।

मैं सोचता हूं कि वैट से अच्छा कोई टैक्स कलेक्शन का तरीका नहीं हो सकता है, इसको जितना कम करके और हर व्यक्ति को अगर टैक्स देने की आदत में डालें तो मैं यह सोचता हूं कि हमारा खजाना भी उतना ही भरेगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और केन्द्र सरकार का जो कलेक्शन आ रहा है, हर साल जो बढ़ोतरी हो रही है, वह इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हिन्दुस्तान में अब तक देश की आजादी से लेकर जितना टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, वैट लगने के बाद हिन्दुस्तान में टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसके कारण मानने में किसी को एतराज नहीं, आप जब कभी भी जाओ राजस्थान का पक्ष रखते हुए, विशेषकर हमारे यहां का मार्बल का व्यवसाय लगभग उजड़ रहा है हम जिस एरिये में रहते हैं, उसका कारण 28 परसेंट से तो हमने 18 परसेंट करवा दिया, कोशिश करके जी.एस.टी. में, उस समय काउंसिल में जाकर लेकिन फिर भी 18 परसेंट में भी वह सरवाइव नहीं कर रहा है। अगली बार आप जब कभी वहां पर जाएं तो इसको 12 परसेंट पर लाने का प्रयास करें ताकि हमारा यह उद्योग किसी तरह से बच सके। जिन-जिन क्षेत्रों में भी हमारा व्यापार है और जिससे हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है इस जी.एस.टी. की अधिकता के कारण से, उसकी जाकर हमको पैरवी करनी चाहिए।

मेरी जी.एस.टी. के बारे में 100 परसेंट सहमति है लेकिन यह जो वैट के आधार पर जो हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इस पर मेरी आपसे भिन्न राय है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एक बार जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और व्यापारियों के साथ बैठकर इसकी जो पेचीदगियां हैं, उनको समझने का प्रयास करें और विशेषकर लोगों को जी.एस.टी. में अपने आपको ऑनलाइन करना है, उसके बारे में कोई प्रोपर ट्रेनिंग कहां पर हो सकती है, छोटे-छोटे व्यापारियों को हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर विचार करें। अब धीरे-धीरे हिन्दुस्तान के अंदर सब व्यक्ति स्वीकार करने के लिए मानसिकता बनाएं कि इसके आधार पर हम अपने व्यापार को शांति, सम्मानपूर्वक और बड़ी इज्जत से कर सकते हैं और कलेक्शन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैंने आपके चैम्बर में आपसे एक मिनट की इजाजत मांगी थी। सिर्फ एक मिनट के लिए अभी जो मुसीबत मैं फील कर रहा हूं, उसका जिक्र करना चाहता हूं दो लाइन में।

श्री अध्यक्ष: अभी एक बार बिल पर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो लाइन में।

श्री अध्यक्ष: खाली शायरी बोलेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी, साहब?

श्री अध्यक्ष: खाली शायरी बोलोगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, एक मिनट, साहब। सर, ऐसा है कि कल से एक अफवाह सुनने को मिल रही है और यह अफवाह जो है पक्ष के और विपक्ष के, दोनों सदस्यों के द्वारा कानाफूसी इस तरीके की हो रही है कि मैं और डा. रघु शर्मा और डा. महेश जोशी, हम तीनों, साहब...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसके बारे में? (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम तीनों मिलकर एक षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं कि हम प्रतिपक्ष के नेता पर हमला करवाना चाहते हैं यहां पर ताकि प्रतिपक्ष का नेता छुट्टी कर जाए और यह उप नेता जो हमारा मित्र है, यह वहां पर जाकर बैठ जाए। मैं इस अफवाह को बिलकुल गलत मानता हूं और बिलकुल असत्य मानता हूं इसलिए मेहरबानी करके उन सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं, चाहे वे पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, मेहरबानी करके इस तरीके की बात नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कटारिया साहब मेरे आदरणीय हैं और मैं यह चाहूंगा कि आप हमेशा यहीं पर बैठे रहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इधर नहीं, उधर ही बैठे रहें मैं यह चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं न तो आपके कहने से रहूंगा, मैं तो जनता भेजेगी तो ही आऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है, कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पर मैं यह चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बिल पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसे बिल से निकलते हैं और कौनसे बिल में कब घुस जाते हैं, पता ही नहीं है इनको खुद को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, चेयर की तरफ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य लाहोटीजी ने सैक्शन 22 का हवाला दिया कि सर्विस को इससे जोड़ा जाना चाहिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सर्विस को जोड़ने का काम जी.एस.टी. की काउंसिल करती है, अपन नहीं करते हैं।

दूसरा, आपने सैक्शन 50 में बताया कि अपील अथॉरिटी का स्थान जो है वह कम्पोजीशन का है, जी.एस.टी. काउंसिल का निर्णय जो इस तरह का है कि साहब, यहां पर होना चाहिए तो यह भी जी.एस.टी. काउंसिल का ही निर्णय होता है। राज्य सरकार को तो सिर्फ सुझाव देने की ही मात्र पावर होती है, सुझाव ही दे सकती है राज्य सरकार और कुछ कर नहीं सकती और सुझावों में आप जानते हो कि उनका बहुमत है वह जो चाहते हैं वह करते हैं। हम सुझाव तो देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ई-बिल के लिए आपने यह कहा कि साहब, 50 किलोमीटर तक का यह होना चाहिए। एक किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का होना चाहिए और 50 हजार रुपये से दो लाख तक की सीमा होनी चाहिए। यदि 50 हजार रुपये से अधिक की सीमा कर दी गयी तो इवेजन के चांसेज और बढ़ जाएंगे और राज्य के रेवेन्यू का नुकसान होगा।

इसी तरीके से, आपने सारी समस्या, करदाताओं की आपने बतायी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तो आप ही की है। यह कानून भी उन्होंने अपने बहुमत से ही बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में भी कहा था कि देखो, जीएसटी को लागू करने में हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और यह गड़बड़ हो गयी। अब बीजेपी के माननीय सदस्यगण यहां पर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बैठे हुए हैं, स्वयं सदस्यगण यह सिद्ध कर रहे हैं कि जीएसटी एक्ट में आप खुद ही देख रहे हो कि जीएसटी एक्ट में कितनी खामियां हैं। आप सभी बता रहे हैं कि ये खामियां हैं, ये खामियां हैं। यह अगर हड़बड़ी में पास नहीं होता, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई गलती नहीं रहती, अत: मेरा विपक्ष के नेताओं से यही आग्रह है कि भारत सरकार को जीएसटी के बारे में सुझाव देवें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जीएसटी में 2,600 करोड़ रुपये राजस्थान का कंपनसेशन आज भी बकाया है और उसको दिलाने का कष्ट करें। इसके साथ-साथ सी.एस.टी के 4100 करोड़ रुपये और बकाया है और वह सालों से बकाया चल रहे हैं, वह भी दिलवाने का कष्ट करें। आप भी राजस्थान का भला चाहते हो, हम भी भला चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि यह टैक्स अगर राजस्थान की सरकार के पास आ जाएगा तो राजस्थान की सरकार, जो कल्याणकारी सरकार है, वह निश्चित तौर पर गरीबों के लिये काम करेगी, मजदूरों के लिये काम करेगी, किसानों के लिये काम करेगी। मेहरबानी करके हम उसमें आपका सहयोग चाहते हैं।

इसी तरीके से लाहोटी साहब, आपने एक बात और कही एंटी-विजन के लिये। आपके समय में याद है आपको, कितनी गाड़ियां चैक हुई थीं? सिर्फ 900 गाड़ियां, जो चैक की गयी थीं, उनमें सिर्फ आपको 25 करोड़ रुपया मिला था। हमारे वक्त में एक साल के अंदर-अंदर 2700 गाड़ियां चैक हुई हैं और 75 करोड़ रुपया हमने जुटाया है।

राठौड़ साहब, आपका भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुई। तिकड़मबाजी से कोई अर्थशास्त्री किस प्रकार बनता है, अगर किसी को देखना है तो राठौड़ साहब को देखो।

श्री अध्यक्ष: अब आप मान तो गये, बन सकते हैं वह?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अर्थशास्त्र से कोई लेना-देना नहीं, अर्थशास्त्र क्या होता है, फाइनेंशियल इकोनोमी की क्या स्पेलिंग होती है, उसकी जानकारी नहीं और ठोके जा रहे हैं। जीएसटी पर तो बहस है और बात कर रहे हैं सारे वैट की।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वैट ही वैट, वैट ही वैट। पैट्रोल-डीजल, पैट्रोल-डीजल जीएसटी में आता ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान का हिस्सा 42 प्रतिशत था, लेकिन पन्द्रहवें वित्त आयोग ने जो अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी, उसमें घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, आप सीनियर लीडर हैं, डोंट इंटरवीन।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहले 100 रुपये पर 42 प्रतिशत मिलता था, अब उस 100 रुपये में से 15 तो सैस के माइनस कर दो तो 85 रुपया बचा। अब 85 रुपया का 41 प्रतिशत मिलेगा। यह नुकसान पन्द्रहवें वित्त आयोग के द्वारा राजस्थान की सरकार को मिलने जा रहा है। कुल-मिलाकर पहले राशि का जो प्रतिशत था, उसमें कमी आयी है, जबकि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। 14 प्रतिशत जीएसटी कंपनसेशन का पूरा पैसा आज तक नहीं मिला। पिछले चार महीनों में 2600 करोड़ रुपया बकाया है। देवनानी साहब ने यह गलत बोल दिया कि 27वीं मीटिंग थी, वह 27वीं नहीं 37वीं मीटिंग थी। उस 37वीं मीटिंग में ...(व्यवधान) सुन लो, सुन लो बैठो, उठो मत। उस मीटिंग में जाकर हमने काफी हल्ला किया। सारे विपक्ष के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वह सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हमने मीटिंग करके बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को खूब जमकर कहा, तब जाकर उन्होंने एक महीने का कंपनसेशन अलाउ किया। तीन महीनों में से सिर्फ एक महीने का दिया।

राजेन्द्र सिंहजी, वैट के बारे में आपने ज्यादा बातें कही हैं, जबकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि वैट के बारे में डिस्कशन नहीं था, लेकिन आप तो बोले जा रहे हो। जीएसटी में पिछली बार सरकार में 2017-2018 में कई फ्राड हुए हैं। उस जमाने में, 2017-2018 की बात करता हूं, कई फ्राड हुए हैं लेकिन पिछली सरकार ने कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं की। उन फ्राड वालों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ कोई कार्यवाही कर दी हो तो आप बता सकते हैं कि फलाने के खिलाफ हमने कार्यवाही की। अब हमने जो कार्यवाही की, वह मैं आपको बता रहा हूं।

हमारी सरकार ने जीएसटी के फ्राड की बड़े स्तर पर जांच करवाकर भिवाड़ी, जोधपुर, कोटा, कोटा में तीन ऐसे आदमी पकड़े गये जिनसे 300 करोड़ से ज्यादा के फेक बिल्स पकड़े गये हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है। लेकिन आपके वक्त में जितने फ्राड हुए, आपने एक को भी सज़ा नहीं दिलवायी, एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। खड़े होकर बोलेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बोल रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा आप बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं वह युवक हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी ड्रेस देखकर आप तो युवा लग रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपकी ड्रेस से आप युवा लग रहे हो। यह जीएसटी के बिल में अपनी रिकमंडेशन देते हैं, वह रिकमंडेशन की बात करके इस बिल को आगे बढ़ाओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं वह युवक हूं जो 80 साल की उम्र में जाने वाला हूं और आप मुझे यह मानकर चलो कि मैं 25 साल के जैसे आपकी बात को सुन लूंगा तो यह कैसे संभव होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं तो आपकी ड्रेस देखकर, मैंने समझा कि आपको 25 साल की उम्र याद होगी, इसलिए बोला था मैं तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भारत सरकार ने पूर्व में जो सैस तीन से चार रुपये प्रति लीटर था, आपने पैट्रोल-डीजल की बात की। आपने कहा कि साहब, यूं हो गया, दाम

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बढ़ गये। सैस तीन से चार रुपया प्रति लीटर था, जिसको 2014-15 में बढ़ाकर 14 से 15 रुपया कर दिया। यह किसने किया? हमने किया क्या? आप रेट की बात कर रहे हो कि पैट्रोल-डीजल पर बढ़ा दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। अब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल, जो हमारे वक्त में 100 से ज्यादा था, वह सिर्फ 40-50 पर आ गया तो भी दाम कम नहीं हो रहे हैं। अब भी भारत सरकार ने दाम कम नहीं किये। 2014-15 से लेकर 2017-18 तक चार सालों में लगभग दो से लेकर ढाई करोड़ का सैस भारत सरकार पैट्रोल-डीजल से लिया है, जो वास्तव में राज्यों की सरकारों को मिलना चाहिए था। दो से ढाई करोड़ रुपया भारत सरकार खा गयी।

माननीय धर्मनारायण जोशी जी ने फैक्ट्री और बायलर डिपार्टमेंट को समाप्त करने की बात कही, जबकि आज तो जीएसटी पर बहस हो रही है। अपने तो जीएसटी की बात करें तो ज्यादा अच्छी है। फैक्ट्री-बायलर की बात आप टीकाराम जी जूली से कर देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंहजी की सरकार के टाइम पर जैसा मैंने आपको बताया ..(व्यवधान) डीजल-पैट्रोल के लिये बात हो गयी, अब कहां तक करेंगे, छोड़ो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किरण जी ने भी कहा, अब यह किरण जी थोड़ी देर तो बैठती हैं यहां पर, फिर चली जाती हैं। अगर आप बोले हैं तो कम से कम दूसरों की भी सुनो। खुद ही खुद बोलकर चल दो, यह कौनसा तरीका है साहब? भारत की इकोनोमी आपने फिफ्थ लार्जेस्ट बतायी है। वह सारा का सारा श्रेय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी को दे दिया आपने। आप सब जानते हैं कि मनमोहन सिंहजी के टाइम पर जीडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर थी और आज जीडीपी 4.5 प्रतिशत पर है, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? मुझे समझा दो कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? बेरोजगारी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। देश का क्या फायदा हुआ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनोमी होकर क्या फायदा मिला?

श्रीमती अनिता भदेल ने कहा व्यवहारियों को जीएसटी नैटवर्क की गुणवत्ता को सुधारा जाए। इस बाबत तो आप केन्द्र सरकार से बोलो, हमसे क्या बोल रहे हो। हम तो वहां जाते हैं, अपनी बात कह देते हैं और सुनकर वापस आ जाते हैं। फैसला सारा-का-सारा वह करते हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपने रोड टैक्स की बात की, अब यह रोड टैक्स की बात पर आज चर्चा थोड़े ही थी, आप बजट के टाइम पर करना, आज तो जी.एस.टी. पर चर्चा थी।

संयम लोढ़ा साहब, हमने बोला, सही बोला, बिलकुल सही बोला, डीमोनेटाइजेशन, जी.डी.पी. नीचे आ गई, मेक इन इंडिया फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आपने बोला, सत्य बोला।

अभिनेश महर्षि साहब को मेरे से शिकायत थी कि पिछली बार जब यह बोले तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी बात में दम नहीं था इसलिए मैंने आपका काग्निजेंस लिया ही नहीं। लेकिन आज मैं आपका काग्निजेंस लेता हूं। जो भी संशोधन जीएस.टी. एक्ट में विधान सभा में प्रस्तुत किए गए हैं यह सभी संशोधन जी.एस.टी. काउंसिल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा व अन्य सभी राज्यों के द्वारा यह पारित किए गए हैं, वे हैं, हमने इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं किया। भाई, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। यह सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट है, यह कोई खेल नहीं है जिसे लड़के खेलें। हां, फाइनेंस का मामला है।

मदन दिलावर जी ने कहा कि शराब पर दस गुना जी.एस.टी. बढ़ा देनी चाहिए। मदन जी, आप तो इसके बहुत पुराने सदस्य रहे हो, इसके।

एक माननीय सदस्य: किसके?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शराब का जी.एस.टी. से क्या ताल्लुक है, भाई, उस पर वैट लगता है, वैट।

साहब, एक बात और उठी थी, भूल गया इसमें किसका नाम लिखूं किसका नहीं लिखूं पर जी.एस.टी. में छोटे व्यापारियों का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली रिटर्न भी भर सकते हैं। 01.04.2020 से प्रस्तावित न्यू रिटर्न में कंपोजिशन डीलर साल में एक बार रिटर्न भरते, जैसा वैट के समय होता था, वे कर सकते हैं।

कटारिया साहब ने फरमाया, आदरणीय, आज नहीं, आपने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, साहब, बढ़ा नहीं है। कटारिया साहब, 2018 तक जो आंकड़े आपने दिए, इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार का कुल टैक्स कलेक्शन के टारगेट के विरुद्ध काफी कमी आने वाली है। काफी कमी आने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। इस साल भारत सरकार का लगभग ढाई लाख करोड रुपये की डेफिसिट होने वाली है। बढ़ा नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बढ़ा है। इसी कारण भारत सरकार ने हमारे 2600 करोड़ रुपये कंपनसेशन के और 4100 करोड रुपये जी.एस.टी. के आज तक बकाया रख रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्यों के द्वारा जनमत जानने के लिए जो विचार दिए थे करीब-करीब उनका सबका जवाब देने का मैंने प्रयत्न किया है। फिर भी अगर कोई रह गया हो, जैसे मदन प्रजापत हैं, अब मदन प्रजापत की बात का तो जवाब ही क्या दूं, वे तो एक तरह से यही समझें आप कि वे ही वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बोला वह सही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 22 तक - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 22 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: समुचित चर्चा हो गई है, मैं आप सब की आज्ञा से....

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार। श्री भंवर सिंह भाटी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय आज की चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि साढ़े छह सात बजे तक चर्चा, उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लें। माननीय मंत्री जी।

विभिन्न विषयों पर विचार

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में हर बालक को उच्च शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसको सही डिग्री मिले, उसके लिए हायर सैकंडरी, सीनियर सैकंडरी करने वाले विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है, दोनों का अनुपात बढ़े, वह जो सकल नामांकन है, उसमें वृद्धि हो, इस दृष्टि से राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

एक समय था जब राजस्थान में बहुत कम विश्वविद्यालय थे। धीरे-धीरे कुछ विश्वविद्यालय स्थापित हुए फिर भी सरकारी विश्वविद्यालय एक बहुत ही सीमित मात्रा में बने और सीमित मात्रा में जो विश्वविद्यालय बने उनको भी राज्य सरकार अनुदान नहीं दे पाई, आज उन विश्वविद्यालयों की हालत भी खस्ता है और इस कारण से विद्यार्थियों की संख्या भी यू.जी. के स्तर पर तो बढ़ी लेकिन पी.जी. और रिसर्च के आधार पर यह विश्वविद्यालय भी अपने दायित्व को निर्वहन करने में असमर्थ लगे, विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलने लगी।

(16.47 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसलिए हमारे पिछले कार्यकाल में हम प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लाये और यह सोच करके लाये कि राजस्थान के विद्यार्थी को पूरी तरह प्रवेश मिल पाये, कम खींच रहे, वहां पर योग्य फैकल्टी बने, वहां पर नए-नए कोर्सेज प्रारम्भ हो सकें, पीएचडी के स्तर को मेन्टेन रखा जाए लेकिन विश्वविद्यालय तो बढ़े और हमने कंडीशन बहुत रखी कि उसका कारपोरेट फंड भी दो करोड़ का होगा, इतनी उसकी जमीन होगी, उसके कुछ मापदंड बनाएं। उन मापदंडों के आधार पर कुछ विश्वविद्यालय खुले लेकिन बड़ी पीड़ा होती है जब यह विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुए और जब

(श्री वासुदेव देवनानी)

इनके यहां से शिकायतें आने लगीं, माननीय सभापति महोदय, उन विश्वविद्यालयों में मनमाने ढंग से प्रवेश होने लगे, यहां तक कि कब किस का प्रवेश हो रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है, क्या कोर्सेज हो रहे हैं पता ठिकाना नहीं है, कितने समय का कोर्स है, किसको डिग्री दे रहे हैं, उसकी कोई संख्या का पता नहीं। इस प्रकार से शिक्षा का स्तर बनाए रखने की कल्पना थी, वह तो एक ओर धरी रह गई और स्तर भी लगातार गिरता गया।

वहां पर फैकल्टी के अपाइंटमेंट में यह कहा गया था कि यू.जी.सी. के हिसाब से अपाइंटमेंट होंगे, जो यू.जी.सी. के प्राध्यापक की योग्यता है वह रखी जाए लेकिन जब विश्वविद्यालयों में नजदीक से जाकर पता लगाया तो आज वहां पर फैकल्टी के जो अपाइंटमेंट है वे मनमाने ढंग से, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी योग्यता के ऐसे बनने लगे जिस प्रकार से बिजनसमैन होता है उस प्रकार से स्थिति होने लगी, कम वेतन दिया जाने लगा और अत्यधिक घंटों द्वारा कार्य कराया जाकर उनका भी वहां शोषण होने लगा। विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर जो शिक्षा है वह भी उस स्तर की नहीं मिलने लगी। इस कारण से फैकल्टी भी वहां के लोगों ने जिसको चाहा उसको रख लिया और उससे पढ़ाने लगे, जो-जो विद्यार्थी शिक्षा लेकर के बाहर आने लगा उसका स्तर भी लगातार कमजोर होता गया। कहा गया था कि उन कोर्सेज को चलाएंगे लेकिन कई कोर्सेज इस प्रकार के शुरू किए जिनकी यूजीसी से मान्यता नहीं। उन कोर्सेज का मार्केट नहीं। केवल उन कोर्सेज की फीस ले ली गई। फीस लेकर उनको अवार्ड भी किया। जिनकी किसी प्रकार की मान्यता कहीं भी नहीं थी, उसके कारण से बालक अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगे। उन बालकों के साथ धोखा किया गया लेकिन उस धोखे के बाद भी किसी प्रकार के नियंत्रण नाम की कोई चीज नहीं थी। फीस के विषय में यदि मैं कहूं तो कई विश्वविद्यालय इन कोर्सेज की तो छोड़ो बाकी कोर्सेज में भी उनसे अनर्गल फीस लेते रहे।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में भी बाहर के कई प्रदेशों के लोग आए। बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, बाकी कई अन्य प्रांतों से आते हैं। बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट उन प्रांतों में करके और उनसे कोर्सेज की मनमानी फीस वसूल करके उनका खुलेआम शोषण करने लगे। उसके बाद

(श्री वासुदेव देवनानी)

तीसरा काम होता रिसर्च कराना, उसमें मनमाने ढंग से फीस लेकर पीएचडी भी कराने लगे। उस पीएचडी की भी हालत क्या है? इसको शायद मैं अपने शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। इससे शोध स्तर बुरी तरीके से गिरा। इससे राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में भी पीएचडी करना अपेक्षाकृत मुश्किल हो गया।

सभापति महोदय, यह जो स्थिति बनी वह इस कारण से कि उसकी कभी कोई मोनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी। बिना मोनिटरिंग के यह सारे विश्वविद्यालय मनमानी करते रहे। यदि कोई बालक एक बार इनके आंकड़े में फंस गया तो उसके बाद यदि वह छोड़ना भी चाहता है तो उसको फीस लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। उनको कह दिया कि एक बार एडमिशन हो गया, फीस जमा करा दी तो तुम्हें फीस नहीं लौटाएंगे। फीस का बड़ा हिस्सा अपनी मर्जी से अपने पास रख लेते हैं। इस कारण से उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय होने लगी।

सभापति महोदय, 2017 के अंदर एचडी चारण जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उन्होंने इसके सुगम संचालन के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन सुझावों में प्रमुख सुझाव यह था कि एडमिशन की लास्ट डेट तय की जाए। जब साल भर उसको पढ़ना है, यह तो नहीं कि लास्ट एक महीना पहले कहीं जनवरी-फरवरी में एडमिशन दे दिया और मार्च-अप्रैल में परीक्षा करवा करके एक महीने के अंदर ही उसको डिग्री दे दी। इस प्रकार के जब उदाहरण आने लगे तो सुझाव दिया गया कि लास्ट डेट आफ एडमिशन अनाउंस हो। वह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल करवाई जाए। यूनिवर्सिटी उसकी सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी मय कोर्सेज वाइज, आधार कार्ड के डिटेल के साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी हर साल उपलब्ध कराए लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है किसी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की सूची उपलब्ध नहीं कराई। इसके उपलब्ध न कराने के कारण सारे विद्यार्थियों को ठगा गया। एजुकेशन का स्तर गिरता गया। प्राइवेट विश्वविद्यालयों की मनमानी चलती रही। किसको डिग्री दे रहे हैं, किसको डिग्री नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई सूची वेबसाइट पर भी नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी के पास भी रिकार्ड नहीं है।

सभापति महोदय, जब स्टूडेंट कहीं अप्लाई करता है तो उस यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री की?

(श्री वासुदेव देवनानी)

यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है। इस तरीके से फर्जी डिग्रियों की भी भरमार होने लगी। उसमें पीएचडी का तो कहना ही क्या? उसका जो सुपरवाइजर है उसके लिए यूजीसी के कुछ मापदंड तय हैं कि किसी प्रोफेसर के अंडर में आठ से ज्यादा पीएचडी नहीं कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पास छह कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पास चार कर सकते हैं। वहां पर न तो इतने टीचर हैं, न इतने वह करा सकते हैं और न उनकी योग्यता है। उस आधार पर फिर तय किया कि जो फैकल्टी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की है, वह रिसर्च स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नहीं लेगी।

सभापति महोदय, एक सुझाव और दिया कि जो फैकल्टी की डिटेल्स हैं, आपने किसी योग्यता की फैकल्टी लगाई। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपने उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या तय किया? इन सब के लिए सुझाव दिया कि वेबसाइट पर उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सिटी में मेंटेन हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी एक कापी भेजें। बायोमैट्रिक अटेंडेंस उसकी कम्पलसरी की जाए। क्वार्टरली रिकार्ड बायोमैट्रिक अटेंडेंस का हो। वह सारा यूनिवर्सिटीज के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए।

सभापति महोदय, सुझाव अच्छे थे। आपके सेक्रेटरी ने आर्डर भी जारी कर दिया लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको सुना अनसुना कर दिया। एक रद्दी कागज की तरह उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने स्टूडेंट्स का भी रिकार्ड नहीं रखा। आज यह कहा जाए कि किसी यूनिवर्सिटी के पास, इक्का-दुक्का छोड़ दें, अधिकांश के पास किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं है। डिग्री का रजिस्टर नहीं है। कहीं दिया भी है तो रान्ग इंफॉर्मेशन है कि सही इंफार्मेशन है, इसके वेरिफिकेशन की कहीं कोई चीज नहीं है। इसके कारण से आज उच्च शिक्षा का ढर्रा बिगड़ा।

सभापति महोदय, कहा गया कि आपको शिकायत करने का अधिकार है। मेरे पास यूनिवर्सिटीज के नाम हैं, इनके खिलाफ शिकायत हुई लेकिन राज्य सरकार ने चाहे वह हमारी रही हो या आपकी, मैं उस विषय पर राजनीति नहीं करता। कुछ लोग हल्के स्तर की राजनीति करें कि आपकी सरकार, आपका मंत्री, सरकार तो सरकार होती है। एक बार चुनने के बाद सरकार सभी की होती है। मंत्री सभी का होता है। आपके प्रधान मंत्री, जैसे कि

(श्री वासुदेव देवनानी)

वह आपके नहीं होंगे, आप के मंत्री, जैसे कि वह आपके नहीं होंगे। इस प्रकार की भाषा से अलग हटकर यदि विचार करें।

जैसे सिंघानिया यूनिवर्सिटी, पचेरी, झुंझुनूं की इसके खिलाफ शिकायत आई कि नियम विरुद्ध डिग्रियां दे रहे हैं। बिना पाठ्यक्रम संचालित किए, एनसीआई का कोई प्रावधान नहीं करते। यूजीसी का कोई प्रावधान नहीं मानते। इन पर उल्लंघन का आरोप लगा। हुआ क्या? हुआ यह कि जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति पर तुरंत स्थगन आ गया। हमारी जो पैरवी कोर्ट में होनी चाहिए थी, वह पैरवी नहीं हुई। इसमें सहयोग विश्वविद्यालय तो करेंगे नहीं। वह करता नहीं क्योंकि उसके खिलाफ शिकायत है। आखिर क्या किया जाए? इस स्थगन को खारिज करने के लिए उप विधि परामर्शी, कालेज शिक्षा को पत्र लिखा गया। बहुत समय बाद यह कहा गया कि उस स्टे में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जांच की जा सकती है। 2017 की बात है लेकिन जांच अभी तक पैंडिंग है। एक भी जांच का उससे उत्तर आया नहीं।

इसी प्रकार से निम्स विश्वविद्यालय है। उसमें बिना शिक्षण कराए हजारों छात्रों को पुस्तकालय विज्ञान में परीक्षा आयोजित करके डिग्रियां दे दीं। जब कोर्सेज ही नहीं चल रहे हैं, परीक्षा नहीं हुई, शिक्षण नहीं हुआ उतने दिन जितना कि नोर्म्स हैं, उतनी पढ़ाई नहीं हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहला वक्ता हूं। मुझे कहा था कि 20 मिनट मिलेंगे। उस आधार पर बोल रहा हूं। बिना अनुमति के पैट्रोलियम, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रम संचालित किये। उस समय एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी केसी शर्मा की एक कमेटी बनी। पहले कहा कि अपूर्ण जांच कमेटी है। फिर नवीन जांच समिति बनी। उसकी भी अभी तक कहीं जांच रिपोर्ट नहीं आई है जिसके आधार पर कोई कार्रवाई हो।

ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू उसने भी फर्जी डिग्रियां जारी की हैं। बिना अध्यापन के डिग्रियां जारी करने का आरोप है। उन आरोपों की भी कई बार रिपोर्ट बनीं। आपने धारा 44 में गंभीर अनियमितता पाई। उसके बाद आपने धारा 44 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया। नोटिस का जवाब आया। आपने कहा कि नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं है। दुबारा नोटिस दिया। उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके लिए भी समिति गठित की। उसकी भी रिपोर्ट आना शेष है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसी तरह से श्रीधर विश्वविद्यालय, झुंझुनूं उसका भी यही हाल है। उसमें फर्जी अंक तालिकाएं पाई गईं। फर्जी अंकतालिकाओं के मामले में समिति के गठन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। तब तक वीसी का कार्यकाल ही समाप्त हो गया। अब दूसरे वीसी की आप रिपोर्ट बनाओ। यह खेल हो रहा है।

इसी तरह जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ैला झुंझुनूं उसकी भी यही हालत है। डिपार्टमेंट आफ बिजनस एंड इकोनोमिक्स फैकल्टी के, जब वहां विश्वविद्यालय समिति बनी तो उसमें विश्वविद्यालय का पत्र जो प्राप्त होता है, आप इसमें ही इतिश्री मान लेते हैं। वह संतोषप्रद नहीं पाया गया। फिर 44 ए के तहत कारण बताओ दिया। नोटिस भी आपने 2018 में दिया, लेकिन उसका भी जो जवाब पेश हुआ, उसे परीक्षण उपरांत उचित नहीं पाया। यह केवल उचित अनुचित कारण चलता रहे।

यहां तक कि मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार उसकी भी शिकायत आई कि वह राज्य के बाहर नोएडा में संचालित संस्थानों के छात्रों के फुटवियर डिजाइन कोर्स की परीक्षा करवा रहा है। अपने कैंपस के अलावा अन्य आवास कैंपस संचालित करने की श्रेणी में आता है।

(17.00 बजे)

उसे यूजीसी के तहत ऐसा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम आंखें मूंदे हुए बैठे रहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है, माननीय सभापति महोदय, इस सबको ठीक नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान) इसीलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आधार पर यहां पर निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाया जाए और उसको पूरी पावर हो कि वह नियमों की पूरी पालना कराए।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो फैकल्टी का ट्रांसफर और अपाइंटमेंट कराए, सेवा शर्तें, नियम और वेतन, भत्तों की व्यवस्था करे, अनियमितताओं पर कठोर कार्यवाही करे, वार्षिक आडिट की व्यवस्था हो, तब जाकर ये चीजें ठीक हो सकती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह का नियामक आयोग तुरंत बनाया जाए ताकि राजस्थान के बच्चों के साथ धोखाधड़ी न हो, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके और इस प्रकार से राजस्थान की यह बहुत बड़ी सेवा होगी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, नि:संदेह यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें राजस्थान को, राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को रुचि लेनी चाहिए और इससे हमारी जनता का, हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। शिक्षा ज्ञान के लिए है, उच्च शिक्षा तरक्की के लिए है और शिक्षा जहां ज्ञान की जगह एक दुकान बन गई है। आज बड़ी-बड़ी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कालेज, व्यवसाय के लिए खोले जा रहे हैं, व्यवसायियों द्वारा खोले जा रहे हैं। पहले शराब माफिया का सुना था, बजरी माफिया का सुना था, अब शिक्षा माफिया भी हो गया है। ऐसे-ऐसे लोग इस शिक्षा जगत से जुड़ गए हैं, शिक्षा का व्यवसाय करने लग गए, जहां ज्ञान का व्यवसाय हो तो उसका अंजाम क्या होगा, यह आपसे ज्यादा कौन जानता है?

माननीय सदस्य सतीश पूनियांजी इस माफिया के बारे में ज्यादा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हैं। माननीय सदस्य राजेन्द्रजी राठौड़ साहब से पूछिए आप, जैसे शराब माफिया होता है, बजरी माफिया होता है, ऐसे ही आजकल हमारे प्रदेश में शिक्षा माफिया भी पैदा हो गया है। वही लोग जो दारू का धंधा करते-करते, कच्ची दारू बेचते-बेचते, बजरी बेचते-बेचते आज बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विश्वविद्यालयों का संचालन यूजीसी के नोर्म्स के मुताबिक होता है। यूजीसी मानदण्ड तय करती है कि कैसे-कैसे विश्वविद्यालय बनेंगे और कैसे-कैसे उनको मान्यता प्राप्त होगी और किन-किन नियमों से वह चलेंगे। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में न तो क्लास रूम्स हैं बढ़िया, न प्ले ग्राउण्ड्स हैं, न लैब्स हैं, न फैकल्टी है ट्रेण्ड और न पर्याप्त संख्या में फैकल्टी है फिर भी डिग्री बांटी जा रही है। फैकल्टी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है लेकिन डिग्री उपलब्ध है। आज कहीं आपको डाक्टरेट करनी हो, मैं सदन में ही बता दूं, ऐसे-ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं, जो फलां डाक्टर, फलां डाक्टर, कहां डाक्टर। ये खुलेआम बिक रही हैं डिग्रियां, डिग्रियों का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, इनको योग्यता के आधार पर हासिल किया जाना चाहिए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

माननीय सभापति महोदय, इसमें क्या हो रहा है, रोज आप अख़बार में देखिए, फर्जी एडवरटाइजमेंट, पांच साल में नौकरी, अमेरिका जाने की ये, इसके लिए फर्जी एडवरटाइजमेंट के मार्फत हमारे भोले-भाले बच्चों को आकर्षित किया जाता है। उनका शोषण किया जाता है। मोटी रकम ली जाती है उनसे एडमिशन के लिए और उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी आप यहां से, जयपुर से दिल्ली जाएं, निम्स यूनिवर्सिटी, पूरी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। उनके जो चांसलर, वाइस चांसलर, चेयरमैन वगैरह जो भी उनका पदनाम है, रोज एक दिन जेल में जाते हैं, दूसरे दिन बाहर आते हैं। एक दिन उनका बेटा जाता है तो दूसरे दिन उनकी पत्नी जेल चली जाती है पर इस यूनिवर्सिटी को बंद करने का आज तक किसी ने नहीं सोचा। मैं आग्रह करता हूं ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं, जो अपराधी तत्व हैं उनको किसने परमिशन दी यूनिवर्सिटी चलाने की, किसने उनको अधिकार दिया कि हमारे देश के बच्चों का, हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? माननीय सभापति महोदय, पर देखने को मिलता है कि उनका जो वार्षिक सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, जो भी उनका कन्वोकेशन होता है, बड़े-बड़े नेता उसको सुशोभित करते हैं। अपराधियों के साथ बैठते हैं और अपराधियों को शिक्षा को संचालन करने का सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाए। शिक्षा संचालन करने का अधिकार उसी को दिया जाए जो उसका पात्र हो, जो योग्यता रखता हो, जिसकी भावना हो। यह व्यापारी की दुकान नहीं है पैसा कमाने के लिए, उसके लिए व्यवसाय करे, शिक्षा का व्यावसायीकरण का मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी अपोइंट होती है, स्टाफ अपोइंट होता है, टीचर अपोइंट होता है, स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं, उसकी नीति होती है। जैसे भारत सरकार में यूनिवर्सिटीज में गरीब तबके के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, इन स्टूडेंट्स को आपको लेना पड़ेगा। फैकल्टी में होता है, स्टाफ में होता है, इन यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होता है यह? यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सरकार नियमों से चलती हैं तो सरकारी आदेशों की पालना क्यों नहीं करती? मैं आग्रह करता हूं कि सरकार उनको इसके लिए बाध्य करे और बीच-बीच में इनका इंस्पेक्शन करे

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

और सरकारी नीतियों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, यह सरकार सुनिश्चित करे।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के बारे में जितना जानता हूं, दोनों क्षेत्र की बताता हूं मैं, प्राइवेट क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की, एक भी यूनिवर्सिटी में मैंने अल्पसंख्यक प्रोफेसर नहीं सुना, किसी विभाग का हैड आफ डिपार्टमेंट, इतना बड़ा वर्ग ... (व्यवधान) आप क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा वर्ग, पूरा वर्ग ही अयोग्य है? सैकड़ों की संख्या में आपको एक बच्चा नहीं मिलता। (व्यवधान) आप चुप रहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आप चुप रहिए, मैं आपकी भावना जानता हूं, नीति जानता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आप शांत रहिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आप क्यों आग लगाना चाहते हैं? (व्यवधान) आप शांत क्षेत्र में क्यों आग लगाना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से जयपुर में शांति हुई है। आप लोग ये साम्प्रदायिक दंगे करा कराकर राजनीति में आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: आपका नाम है इसमें, आपको अलाउ करूं कि नहीं करूं बोलने के लिए? आप जब अपनी बात कहें तब बोलिए, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, ये अभी नए-नए आए हैं, मैं इनको दोष नहीं देता, पहली बार आए हैं, इनको थोड़ा ज्ञान होगा, गंभीर बनें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि जो भी सरकार की नीतियां हैं, यूजीसी के नोर्म्स हैं, उनकी पालना होनी चाहिए। जो भी नोर्म्स हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहता, क्योंकि इनको मान्यता यूजीसी ही देती है। यूजीसी के नोर्म्स हैं, उसके कायदे, कानून हैं, उनके मुताबिक यूनिवर्सिटीज का संचालन हो, चाहे विद्यार्थियों का एडमिशन हो, चाहे उसका फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे उनके स्टाफ का सलेक्शन हो। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। अगर यूनिवर्सिटी नियम से चलेगी तो ही सरकार उसको मान्यता देती है, उस नियम से चले। कोई किसी का हक थोड़े ही छीन रहे हैं? जिनको हक नहीं मिल रहा, उनको उनका हक मिलना चाहिए, यह हमारी प्रार्थना है आपसे, सरकार से।

माननीय सभापति महोदय, अब आप यह देखिए कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनका कब-कब इंस्पेक्शन किया? किसने किया? और क्या कमियां पाई और क्या कमियां नहीं पाई, वह भी सदन को बताएं। हमारे सामने आए, हम उसको पढ़े जनता से सुने, उसका मिलान तो करें। टीम जाती है उससे पहले ही उनकी सिफारिश आनी शुरू हो जाती है कि फलाना मेरा इंस्पेक्शन करने आ रहा है, आप देख लीजिए। एक-एक यूनिवर्सिटी में, खास तौर से मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, इंस्पैक्शन के दो दिन पहले डाक्टर्स अपोइंट कर देते हैं, ताकि वह आए तो उसको पूरी फैकल्टी मिले और दूसरे दिन ही वे गायब। बिना टीचर्स के कैसी शिक्षा हो सकती है? बिना योग्य शिक्षक के कैसी शिक्षा हो सकती है? फीस लेते हैं कितनी? फीस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बहुत सारा इसमें मैनेजमेंट कोटा होता है।

लाहोटी सर, सांगानेर वालों का पता नहीं है, इन्होंने डाक्टरी नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, एक-एक पीजी की क्लास का मेडिकल में एक-एक करोड़ रुपया जाता है तो एक-एक करोड़ रुपया तो आपका पूंजीपति ही देगा, गरीब कहां से देगा पढ़ने के, जो एक करोड़ रुपये फीस देकर भर्ती होगा वह क्या तो कमाएगा और क्या घर वालों को देगा? मेरी यह पीड़ा है, आप जिसको भी दीजिए योग्यता पर दीजिए, पात्रता पर दीजिए, नियम से दीजिए। बेचिये मत सीटों को, बेचा नहीं जा सकता सीटों को। शिक्षा का बेचान होगा, शिक्षा का व्यापार होगा तो गरीब आदमी उसमें मारा जाएगा और शिक्षा की उसमें हानि होगी। माननीय सभापति महोदय, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

माननीय सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इसको रोका जाए अन्यथा क्या हो रहा है कि हमारे जो गरीब लोग हैं वे इससे वंचित रह जाते हैं।

अभी आप देखिए यूनिवर्सिटीज में नया खेल चालू हुआ है, कुछ तो धर्म के आधार पर है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी कर दिया, उसमें वही पढ़ेंगे, ऐसा क्यों? आप इसी तरह कर रहे हो और उन सीटों को बेचा जाता है। शिक्षा का सबको यह समान मौका मिले। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो नियम हैं सरकार के, उस पर ये यूनिवर्सिटीज संचालित हों ताकि सबको अपना हक मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले।

माननीय सभापति महोदय, एक नियम मैं यह देख रहा हूं कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी कालेजेज और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं ये रिटायरमेंट के बाद वहां जाते हैं। ये ज्यादातर समय अपनी पोस्ट रिटायरमेंट की तैयारी करते रहते हैं। इन पर बैन होना चाहिए अन्यथा क्या हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, आज एक सरकारी यूनिवर्सिटी या कालेज का प्रोफेसर है, खुद के काम पर ध्यान कम देता है, उसको ज्यादा प्रमोट करता है। जैसे मेडिकल कालेज है जयपुर का एसएमएस, इनके आधे से ज्यादा डाक्टर प्राइवेट कालेजेज में, प्राइवेट हास्पिटल्स में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो उनको जहां से तनख्वाह मिलती है, जहां उनकी सेवा है वहां उनका ध्यान कम रहता है और दूसरे पर ज्यादा ध्यान रहता है तो किसी तरह से इस पर नियंत्रण हो ताकि जनता को उसका फायदा मिले।

सर, एक आखिरी मेरा आपसे आग्रह है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है, बहुत बच्चों का रिजल्ट विद होल्ड कर लेते हैं। उसका सैमेस्टर विद होल्ड कर लेते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप दुबारा अपीयर हों वर्ना आपका सैमेस्टर क्लीयर नहीं होगा। उसकी आड़ में उन बच्चे-बच्चियों का शोषण होता है आर्थिक और शारीरिक। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, उसमें यह कहें कि जिसका आपने रिजल्ट विद होल्ड किया, उसे एक साल के लिये रिकार्ड पर तो रखें। जैसे ही वह बच्चा उनकी इच्छापूर्ति करता है, अगले ही दिन उस रिकार्ड को नष्ट किया जाता है कि क्यों मेरा विद होल्ड किया। जैसे आपने किसी को सप्लीमैंटरी दी, पर उसका रिकार्ड तो रखिए अन्यथा इसमें पैसों का बहुत बड़ा आदान-प्रदान होता है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सभापति महोदय, आप तो शेखावाटी के हैं, आपसे ज्यादा और कौन जानता है? वह तो शिक्षा का गढ़ है। सबसे बड़ी शिक्षा की फैक्ट्री शेखावाटी में ही है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, गरीब का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और इसके आधार पर हमारे क्षेत्र की जनता आगे बढ़े। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि समय का ध्यान रखें। साढ़े छह बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में जब पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आया था 2008 में, तब मैंने आगाह किया था कि यह कालांतर में जाकर पैसे वालों की नालायक औलादों को डिग्रियां देने का माध्यम बन जाएगा। आज बारह साल के अनुभव के बाद आप चारों तरफ देखेंगे तो मेरा वह कथन सत्य होता दिखाई पड़ेगा। हमने उस समय इसका बहुत जोर-शोर से विरोध किया था कि यह उच्च शिक्षा व्यापार बन जाएगी। डिग्रियां बिकेंगी। रिसर्च बंद हो जाएगी। राउण्ड द ईयर एडमिशन होंगे। कालेज-यूनिवर्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना गये पीएचडी की डिग्रियां मिलेंगी। सिर्फ आपको दाम देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, छापे पड़े। जो कुलपति बने घूमते थे, वे गिरफ्तार हुए। उन्हें जेल जाना पड़ा और फर्जी डिग्रियों के दस्तावेज पोथों के पोथों में निकले। कई तरह के प्रावधान तो कर रखे हैं। जिस यूनिवर्सिटी को सरकार भूमि आबंटित करती है, कंडीशंस होती हैं, लेकिन वे उनकी पालना कर रही हैं अथवा नहीं, यह कोई देखने वाला नहीं है। हमारे सिस्टम को विनओवर करके वाणिज्यिक उपयोग करते हैं उस भूमि का। आसपास की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। शिकायतें मिलती हैं तो जांच की इतिश्री कर ली जाती है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जब बोलें तो इस बात का जवाब दें कि ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो रिक्रूटमेंट होता है, क्या मानदण्डों की पालना हो रही है? क्या आपने इसकी कोई जानकारी ली है? क्या इन्होंने आपको कोई जानकारी दी है? माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षा विभाग ने 2007 में निजी विश्वविद्यालय की गाइड लाइंस जारी की थीं, उन्हें पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

"For the establishment of Private Universities by a Separate Act, the following procedure shall be adopted:-

''the proposed fee structure with reference to the details of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or free-ships and scholarships to the poor students from economically poor or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and handicapped students; whether the university proposes to undertake some programmes related to local needs."

राजस्थान में किसी भी निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी ने इस गाइड लाइन का पालन किया हो तो माननीय मंत्री जी, बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, आप इन्हें डीएलसी रेट या रियायती दरों पर जमीन देते हैं। एक भी विद्यार्थी क्या इन्होंने बिना पैसे के पढ़ाया है? क्या आपने ऐसा कोई प्रावधान रखा है कि गरीब तबके के लोगों को ये नि:शुल्क शिक्षा देंगे? हमारी वे संस्थाएं स्कूल एजुकेशन में जो आपसे किसी तरह का लाभ नहीं प्राप्त कर रही हैं, वे भी गरीब बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के काम में सहयोगी बन रही हैं, लेकिन इक्का-दुक्का आप अपवाद छोड़ दें तो राजस्थान की ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक व्यावसायिक संस्था के रूप में तब्दील हो गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनके जो भवनों का निर्माण होता है, ये किसी भी स्थापित मानदण्ड की पालना नहीं करते। नेशनल हाई-वे पर आपने लैण्ड अलाट कर दिये। 132 फीट सड़क से छोड़कर निर्माण करना चाहिए। इन पर कोई वोटर कांग्रेस का नियम लागू नहीं होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम लैण्ड अलाटेड है और बाहर दुकानें बना देते हैं, काम्प्लैक्स बना देते हैं। आसपास की जितनी भी सरकारी भूमि है, उस पर निर्माण कर देते हैं। नीचे की एजेंसी उनकी सहयोगी बन जाती है।

सभापति महोदय, पतन की यह कथा कोई यहीं से चालू हुई हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्ट्री ने रिलायंस यूनिवर्सिटी को सौ करोड़ रुपये दिये थे एक्सीलैंस के नाम पर। कब दिये? जब यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही सौ करोड़ रुपये दे दिये। अब एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भारत सरकार ने कर

(श्री संयम लोढ़ा)

रखा है। यूजीसी को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। आज पैसा देने का काम यूजीसी नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री कर रही है। पूरे डिस्क्रिशन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी को इन्होंने सौ करोड़ रुपये दिये। अपनी मनमर्जी से पैसा बांटने का काम एचआरडी मिनिस्ट्री कर रही है। इस तरह से निजी क्षेत्र में एक कृपा का, प्रभाव का विस्तार ये लोग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो प्राइवेट सैक्टर के कालेज चल रहे हैं, एक-एक, दो-दो कमरों में चल रहे हैं। क्या स्तर है यह? पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा चपरासी के एग्जाम में फेल हो रहा है। किस तरीके से एक्स्टोर्शन होता है, उसका मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। चार दिन पहले पिण्डवाड़ा के एक घरट में गरासिया परिवार के एक शिक्षा कर्मी ने आत्महत्या कर ली। किसलिए कर ली? उसकी बेटी बीएड के एक प्राइवेट कालेज में पढ़ती थी। उसे नोटिस दिया गया उपस्थिति के मामले में। जब वह वापस बात करने गया तो उससे पैसे मांगे गये। वह पैसे नहीं दे सका। मजबूरी में उसकी बच्ची को निकाल दिया गया। उसने आत्महत्या कर ली। यह चार दिन पहले की घटना है, जिसका पिण्डवाड़ा थाने में आर्थिक तंगी के मामले में इस तरीके से कालेज के द्वारा धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ।

आप पता कर लें। बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर ये प्रचार करते हैं और उसके प्रभाव में आकर लोग एडमिशन ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई फैकल्टी ही नहीं है। क्या हाल हैं हमारे प्राइवेट मेडिकल कालेजों के। आपके द्वारा जो मैरिटोरियस बच्चे हैं, जिनके एडमिशंस वहां हो जाते हैं, उसी दिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो जाती है, शाम को कहेंगे- इतने की बैंक गारंटी लाओ और वह नहीं होगी तो उसका रिजैक्ट करके दूसरे को सीट दे देंगे। एक-एक सीट का कितना दाम लग रहा है? पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के कितने पैसे लिये जा रहे हैं मेडिकल के अंदर? एमबीबीएस में एडमिशन के कितने पैसे और लिये जा रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है। इस सदन में बैठे हुए कई लोग तो पार्टनर हैं उसमें और उस शिक्षा के धंधे के अन्दर अपना योगदान कर रहे हैं शिक्षा को धन्धा बनाने के अन्दर। नाम सरकार को पता है, सरकार को सब पता होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रतिभा का साधन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। गरीबी के अन्दर भी प्रतिभा आगे बढ़ सकती है, फार्मल एजुकेशन नहीं हो उसके बाद भी प्रतिभा आगे बढ़ सकती है। कबीर ने कोई फार्मल एजुकेशन ली थी? रैदास ने कोई फार्मल एजुकेशन लिया था? लेकिन आज अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर कोई भी हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी बिना कबीर को पढ़े, बिना रैदास का पढ़े पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। हमें हमारी नई पीढ़ी के मन में उस विश्वास का फिर से संचार करना पड़ेगा। आज आप देखिये, कम उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? हमने अपनी एजुकेशन से वैल्यूज़ को हटा दिया, हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम क्यों नहीं उनको यह पढ़ाते जो श्रीकृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या हम पढ़ाते हैं उन्हें? क्या हम गीता के माध्यम से उन्हें जोड़ते हैं? हर धर्म में इस तरह की पोजिटिव बात होंगी लेकिन अपने बच्चों को हम उससे नहीं जोड़ते। एक एग्जाम में वह फेल हो जाता है, वह निराशा से भर जाता है। उसके अन्दर उस विश्वास का हमें संचार करना पड़ेगा कि निराशा की कोई जरूरत नहीं है। एक कम्पीटिशन देता है.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिर में यह निवेदन करूंगा कि आप विनियामक आयोग बनाइये। सारे इन प्राइवेट सैक्टर के ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। फीस के मामले में होना चाहिए, डिग्री के मामले में होना चाहिए, एजुकेशन के मामले में होना चाहिए, रिक्रूटमेंट के मामले में होना चाहिए। आपने इनको फ्री छोड़ दिया और वे अपनी मर्जी से चल रहे हैं। आज किसकी शिकायत नहीं आ रही हैं? क्या एमसीआई की शिकायत नहीं आ रही है? क्या टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर शिकायत नहीं आ रही है? माननीय सभापति महोदय, फीस रेगुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर रखा है, टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की राजस्थान के अन्दर भी कमेटी बनी हुई है लेकिन आपके यहां कोई कमेटी नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें। प्लीज समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करिये, इसको लाइटली मत लीजिये। आज सदन के अन्दर यह चर्चा हुई है, इस चर्चा के सार्थक परिणाम आने चाहिए और राजस्थान के निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा का जो माहौल खराब हो रहा है, हमारे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं इसमें सुधार आना चाहिए, उनके भविष्य को बनाने का यह माध्यम बनना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली के ऊपर जो विचार करने और चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं वास्तव में माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगी कि यह अच्छी चर्चा करवाने के लिए उन्होंने सभी को मौका दिया।

ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं, ये वास्तव में जो शिक्षा को हम एक तरह से सेवा के भाव से देखते हैं वह शिक्षा अब सेवा के भाव से नहीं रही और कैसे उसमें से कमा सकते हैं, कैसे उसकी पूरी एक इण्डस्ट्री बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण कर सकते हैं, उस ओर जा रहे हैं।

राजस्थान के अन्दर देखें तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी 27 हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहां पर 52 हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज यहां पर 7 हैं। शायद देश के अन्दर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का देखें तो सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान के अन्दर हैं या यह कहा जा सकता है वन आफ द लार्जेस्ट जहां पर हो सकती है, वे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हैं।

राजस्थान में इन यूनिवर्सिटीज के सन्दर्भ में कई बार जब-जब कभी भी शिकायतें आईं और हमेशा मांग रही कि यहां पर एक रैगुलेटरी बोर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज वैल द स्टेट यूनिवर्सिटीज, नोट ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोगों की जो अनियमितता यूनिवर्सिटीज में देखते हैं वे केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीजी में नहीं, बल्कि कई बार स्टेट यूनवर्सिटीज में भी वे अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए लगा कि यहां पर एक रैगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए जिसकी हर बार चर्चा होती है लेकिन निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच नहीं पाते। आज अच्छा है कि इस प्रकार की चर्चा हो रही है और सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि शिक्षा को इतना कामर्शियलाइज कर दिया है, यूनिवर्सिटीज के लोग किसी भी हद तक जाते हैं, डिग्रीज को रोक देते हैं, रिजल्ट्स को रोक देते हैं और जो सीट्स हैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उन सीट्स के ऊपर डोनेशन के आधार पर एडमिशन लेना है और बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं आ रही हैं। माननीय सभापति जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं, एक तरह से हम लोग यह नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही होनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अनियमितता किसी चीज में आती है इसका यह मतलब नहीं कि हम यह कह दें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी न हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी तो हम एक बड़ा क्षेत्र दे रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए और अवसर दे रहे हैं और अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं। सारी सब चीजें हैं, लेकिन उनमें अगर कुछ अनियमितता है तो उसे हम लोगों को पूरी तरीके से चैक करना चाहिए और उसके ऊपर कैसे चैक रखा जाए, इसके बारे में सरकार को बहुत बारीकी से प्रिसाइस देखते हुए इन सारी चीजों को देखना चाहिए कि कैसे हम लोग इसमें कर सकते हैं।

अब देखा जाए तो निजी क्षेत्र में चलने वाले अधिकांश जो विश्वविद्यालय हैं, इनको अगर मैं यह कहूं कि शैक्षणिक अराजकता ये यहां पर चला रहे हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी कि हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, एक मिनट। निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली के बारे में जितने भी माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, आप सभी बहुत भली-भांति जानते हैं। आज इस पर चर्चा रखने का उद्देश्य यह है कि इनकी कमियों को हम दूर कैसे करें। मैं चाहूंगा कि आप सुझाव दें। समस्याएं तो आपको और हमको, सबको पता है। इसमें आप सुझाव देंगे तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोल पाएंगे। हम अपनी बात 15-20 मिनट कहें और सुझाव नाम की कोई चीज नहीं तो सिर्फ समय व्यर्थ होगा और जिस मकसद से हम यह चर्चा कराना चाह रहे हैं, उस मकसद में हम कामयाब नहीं होंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बात कहें और सुझाव दें कि इनमें हम क्या ऐसा करें जिससे इनमें गुणात्मक सुधार हो सके। मुझे अपेक्षा है कि आप सभी मुझे सहयोग करेंगे ताकि समय पर माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई हम करवा सकें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बहुत अच्छी बात कही कि हम गुणात्मक शिक्षा के बारे में अच्छे सुझाव दें और ये निजी विश्वविद्यालय की जो इन्होंने इस प्रकार की इण्डस्ट्री बना दी है उस पर कैसे रोक लगाकर सही रूप में गुणात्मक शिक्षा की ओर वे लोग बढ़ें।

इसमें जो कदम उठाये गये हैं उसके बारे में बता रही हूं। पिछली सरकार ने जो हमारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं उन रजिस्ट्रेशन के ऊपर किस प्रकार से वाच रखी जाए कि जहां अगर स्कूल शिक्षा है और पहली से आठवीं तक तो एक शाला दर्शन नाम से पोर्टल शुरू किया। उस पोर्टल पर जितने भी बच्चे आते थे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। इसके बाद में एक शाला दर्पण नाम का पोर्टल शुरू किया जो 9 से 12 तक के बच्चों का होता था और उसमें आ जाता था कि कितने बच्चे इसमें रजिस्टर हुए। इसी तरीके से शिक्षा दृष्टि हमने शुरू की थी जो कालेज के अन्दर पढ़ने वाले बच्चों का पूरा एक पोर्टल शिक्षा दृष्टि बनाया और उस पोर्टल पर वे सारे बच्चे हैं। अब यह बात जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कन्वे की गई कि आप भी आपके यहां पर जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उस एडमिशन को पूरा इस पोर्टल के साथ में जोड़ दीजिए और एडमिशन का सारा इसमें डाल दीजिए। यह मेरा सुझाव है कि अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये एडमिशन लेते रहते हैं, फरवरी और मार्च तक भी इनके एडमिशन चलते रहते थे, एग्जामिनेशन का टाइम आ जाता है तब तक भी एडमिशन चलते रहते हैं। इसलिए इसको फिक्स करना चाहिए कि एडमिशन जैसे ही होता है उसका पोर्टल पर डाल देंगे तो मंथ भी आ जाएगा और एक कैप होनी चाहिए कि अगस्त के बाद में कोई एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद में जब लोग अपनी पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल की डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं तो उस समय जो रिसर्च सुपरवाइजर होता है वह रिसर्च सुपरवाइजर उस यूनिवर्सिटी का होना चाहिए या उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कालेजेज का होना चाहिए लेकिन वह नहीं होता है। अब वह रिसर्च सुपरवाइजर कहां का होगा, कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी का होगा या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होगा, जो बच्चा जहां से अपना पीएचडी कर रहा है उसी जगह का वह रिसर्च का सुपरवाइजर होना चाहिए लेकिन यह नहीं होता, जिसका एक आदेश भी निकला है, उस आदेश की कापी भी है लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है इसलिए उसकी पालना होनी चाहिए। यह 24.10.2017 का एक आदेश निकला हुआ है, जिस आदेश में कहा है कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अगर वह रिसर्च सुपरवाइजर दूसरी यूनिवर्सिटी का या दूसरी जगह का होता है तो यह यूजीसी के नार्म्स के विरुद्ध है, वायलेशन आफ यूजीसी नार्म्स है, इसको तुरन्त सुधारना चाहिए, लेकिन इसकी मोनिटरिंग अभी भी नहीं हो रही है। इसमें आज तक भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, वे बाहर के हैं।

दूसरा, मैंने यहां कहा कि आपके जो फैकल्टी के डिटेल्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के डिटेल्स ही नहीं होते। कोई भी फैकल्टी का जो मैम्बर है वह क्या एलिजिबल है या नहीं, पढ़ाने योग्य है या नहीं, वह कम पैसे में मिल रहा है इसलिए इसको रख दिया जाए और उनकी फैकल्टी की डिटेल्स कहीं पर भी नहीं होती। यह पूरी तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फैक्ल्टीज लगी हुई हैं उन लोगों के सारे डिटेल्स ऑनलाइन होने चाहिए और साथ ही अवेलेबिलिटी आफ द स्टूडेंट का रिकार्ड पूरा डिटेल में होना चाहिए, उसकी फाइनल डिग्री उसको मिलती है तब तक, क्यों फेक डिग्रीज इतनी सारी आ रही हैं, पता नहीं, वह बच्चा पढ़ भी रहा है उसके कालेज में, यूनिवर्सिटी में या नहीं और सीधा उसको डिग्रीज दे दी, तो जब ये सारी चीजें आएंगी। उसके सेमेस्टरवाइज, उसके एग्जामिनेशन, उसके मार्कशीट्स, उसके रिजल्टस, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो ये जो फेक डिग्री वाली चीजें हैं, उसके ऊपर हम बिलकुल स्टाप लगा सकेंगे।

ऐसे ही हम लोगों ने कुछ इस प्रकार की चीजें, जिसको मैं कहूंगी हमने अपने जो छात्रों की जो वेबसाइट हैं, जो मैंने कहा शिक्षा दृष्टि, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजों को हमने कहा था कि जो कालेजेज, अभी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं। माननीय सभापति जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनके कैम्पस में डिस्टेंस कोर्सेज चलाती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी चलाये एफिलिएटेड कालेज के साथ, एफिलिएशन जो है देने का, उनको अधिकार नहीं है। किसी भी कालेज को एफिलिएटेड नहीं कर सकती है, लेकिन वे कालेज को एफिलिएट करती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी तो करती ही हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी करती है। किस नाम से कर रही है? अब वे डिस्टेंस लर्निंग सेन्टर्स चलाकर, ये कांस्टीट्यूएंट कालेज का नाम देकर पूरी अच्छी तरह से अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अब आप मेडिकल कालेज का, सही कहा मुझसे पूर्व हमारे उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य ने कि ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर पीजी के लिए एक करोड़ रुपया डोनेशन, मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर, वह जो डाक्टर बनेगा, वह एमडी होने के बाद, वह डाक्टर किस गांव में जाकर सेवा करेगा। जो एक करोड़ रुपया अपना डोनेशन देकर आया है तो एक तरह से पूरी लूट मचा रखी है, कोई उसके ऊपर कैप नहीं, किसी प्रकार की कोई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती है। अगर उस यूनिवर्सिटी का वीसी, जो यूनिवर्सिटी वीसी, हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी का हमें चयन करना होगा तो एक कमेटी बनी होती है, जिस कमेटी के आधार पर उनका चयन होता है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो वीसी बनाना है, वह उनकी मर्सी पर है, वह चाहे किसी को बना दें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें भी कोई न कोई रूल्स एंड रैगुलेशन होना चाहिए, इसलिए माननीय सभापति जी, एक बात बहुत क्लीयर है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वे भी 'नैक' के द्वारा एक्रीडेटेड होनी चाहिए, 'नैक' से एक्रेडिटेशन नहीं होना। इसी का मैन यह है कि यूनिवर्सिटी का कोई मापदण्ड नहीं रहता, 'नैक' से एक्रीडेटेड है या नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसको भी बिलकुल फिक्स करना चाहिए कि वह 'नैक' से एक्रीडेटेड हो। मैं आज केन्द्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): I am saving time, sir. आपने कहा कि सुझाव दें, मैं सुझाव ही दे रही हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गिर्राज सिंह।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): चलिए, मैं अंतिम एक सुझाव दे दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी रैगुलेशन एक्ट जो है, उसके तहत इन सब प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट, दोनों ही यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज रेग्यूलेटरी एक्ट, जो लम्बे समय से हमारा प्रतीक्षित है, इसको लाना चाहिए। उसे आप इसी सैशन के अंदर लेकर आइये, हम सब मैम्बर्स अक्रास द पार्टी लाइन उसका स्वागत करेंगे। राजस्थान के जो हमारे युवा हैं, उनके भविष्य के लिए वह बहुत अच्छा होगा। उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, उनको गुणवत्ता की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शिक्षा मिलेगी और साथ-साथ ये जो लूट खसोट चल रही है, उसके ऊपर कहीं न कहीं रोक लगेगी। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने सुझाव के लिए बोला है। ये बात तो ठीक है कि निजी विश्वविद्यालय हैं, पहले तो एडमिशन करने के नाम पर तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये फीस लेंगे और वह लेने के बाद में इनका एक सिस्टम अलग से है कि आपको एसी रूम दिखांएगे और एसी रूम दिखाने के बाद में उसके नाम पर अलग चार्ज ले लेंगे। फिर, आपको बढ़िया खाने के नाम पर दिखाएंगे कि यह हमारी बढ़िया किचन बनी है, किचन के नाम पर अलग ठगी करेंगे। सभापति महोदय, अब इतनी बड़ी ठगी होने के बाद में, एक ठगी उनकी अलग से है कि जो बच्चे कालेज में जाएं या नहीं जाएं, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। चाहे कोई जाए या नहीं जाए, उसका एक्स्ट्रा उनको अलग पैसा चाहिए। अगर, किसी ने पैसे नहीं दिये तो उसको फेल कर देंगे, मतलब इनके 12 महीने तो पेपर होते हैं। 12 महीने इनका रिजल्ट आता है, मर्जी आये जिसको ये पास कर देंगे, मर्जी आये जिसको फेल कर देंगे। जिसने पैसा दे दिया, उसको तो ये पास कर देंगे और जिसने पैसा नहीं दिया उसको फेल कर देंगे। सभापति महोदय, उसका भी एक सिस्टम है कि आपकी बैक लगी है। अब कितनी बैक लगी है, नहीं मालूम, यही सिस्टम है।

सभापति महोदय, मैं खुद अपने बच्चे के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं कालेज में गया, पहले बोले कि इसकी चार बैक लगी हैं। दूसरी बार गया तो बोले कि इसकी तीन बैक लगी है। इसके बाद मैं मंत्री जी के पास गया, मंत्री जी ने बात की तो उसके बाद में बोला कि इसमें दो ही बैक लगी है। जब हम लोगों के साथ में यही हो रहा है तो जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके साथ क्या हाल हो रहा होगा।

सभापति महोदय, ये देखो, अभी किरण जी कह रही थीं, जो 2017 में बिल पास हो गया, 2017 में आपने क्या किया, आप तो तब उच्च शिक्षा मंत्री थीं। आपको ही कुछ करना चाहिए था। जैसे आपने नहीं किया, वैसे ही इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई फर्क तो है नहीं, न तो आपमें कोई फर्क है, न इनमें

(श्री गिर्राज सिंह)

कोई फर्क है तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो गरीब बच्चे हैं, जो बेचारे लाख-लाख, दो-दो लाख, पचास-पचास हजार रुपये, वे अपना जुगाड़ करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं से, उनके मां-बाप गरीब हैं, खेती करने वाले किसान लोग हैं, उनकी समस्या है। अब वह एक करोड़ रुपये कहां से लाए डाक्टर बनने के लिए। वह करोड़ न दे तो उनका भी हिलना नहीं है। सभापति महोदय, एक उन्होंने हाजिरी के नाम पर अलग टैक्स लगा रखा है। इसकी हाजिरी कम है, पता ही नहीं, कब इनकी हाजिरी पूरी हो जाए। जब इनको पैसा पूरा मिल जाए, जो उन्होंने टारगेट बना रखा है, उसके हिसाब से पूरा पैसा लेने के बाद में, उसके बाद में, वे सबकी हाजिरी कर दें। अपनी सरकार में, सभापति महोदय, जो सरकारों ने इतनी जमीन दी है..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जो इतनी सरकारी जमीन दी है इनको, हम इनको फोकट में, अपनी सरकार की जमीन क्यों, अपनी सम्पत्ति लुटा रहे हैं। सौ-सौ बीघा, दो-दो सौ बीघा एलाट कर रहे हैं। हम इतनी क्यों इनके लिए जमीन एलाट कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने देखा मेरे विधान सभा क्षेत्र में और धौलपुर में क्या, पूरे राजस्थान के अंदर कई कालेज तो ऐसी हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रखी है और कालेज चला रखे हैं। उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं और वे आराम से डिग्री बांटने में लगे हैं।

मैं तो, सभापति महोदय, यही कहना चाह रहा हूं मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इनका परमानेंट, जो इनका रिजल्ट है, एक तो वह बंद होना चाहिए। जब अपने सरकारी विश्वविद्यालय के पेपर होते हैं, तब एक साथ इनके पेपर कराये जाएं, एक साथ इनका रिजल्ट निकाला जाए। ये नहीं, आज कोई निकाल रही कालेज, कल किसी की परीक्षा हो रही है, परसों किसी की परीक्षा हो रही है और पूरी साल जिनकी कभी कोई बैक लगती नहीं, जब भी जाओ पेपर दे आओ, मर्जी आये जब इनका रिजल्ट ले आओ, मर्जी आए जिसे फेल कर दें, मर्जी आए जिसको ये पास कर दें। जो अपने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, इनके साथ ही इनके पेपर कराये जाएं। इनके साथ ही इनका रिजल्ट निकाला जाए और इनका जो हाजिरी का सिस्टम है, जो लूटमार कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई ऐसा अपने सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम है, जो अंगूठा लगाया जाए या कोई हाजिरी रजिस्टर है, वह कराया जाए।

(श्री गिर्राज सिंह)

मैं तो मंत्री जी यही निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत बड़ा एक बिजनस बना रखा है, लूटमार का एक केन्द्र बन चुका है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप इस वक्त कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। अगर, आपने कार्यवाही नहीं की इन लोगों के खिलाफ तो ये यूं ही लूटमार करेंगे। जो अपनी सरकार जमीन अलाट कर रही है। इनको क्यों हम जमीन दे रहे हैं फोकट में? दो-दो सौ, तीन-तीन सौ बीघा जमीन, इन्होंने इतनी लम्बी चौड़ी बिल्डिंग बना रखी है और अपनी सरकार की जमीन है। इनकी कौन सी लागत लगी है उसमें, ये कौन से गरीब बच्चे को पढ़ाई कराएंगे। इन्होंने किसी को सुविधा दी क्या अब तक? एक भी नहीं दी है। इनको जो जमीन है, जमीन की आज की जो बाजार की कीमत है, सरकारी रेट नहीं, सभापति महोदय, इनके नाम से जो पूरी जमीन अलाट की है। इनसे जमीन की कीमत वसूली जाए और इन पर यहीं ब्रेक लगाया जाए। आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी। जोशी साहब, समय का ध्यान रखेंगे, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने इतनी कृपा की, वही बहुत है, पांच मिनट दिये, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विषय है। इसको राजनीति से ऊपर उठकर, हम लोग इस चर्चा के विषय बने, मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं सरकार का। सभी विषय इसमें आ गये, क्योंकि स्थिति जो शिक्षा की है। हमारे उनियारा वाले सदस्य ने कहा था कि जैसे पहले भू माफिया होते थे ऐसे शिक्षा माफिया हो गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। आज पूरे देश में विश्वविद्यालयों में लगभग 339 कोर्स चलते हैं। इतने बड़े विषय में कहां कौन सा विषय चलता है परंतु शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार से हुआ है, बड़ा व्यापार करने वाला, व्यापार नहीं चला तो विश्वविद्यालय खोल दिया, और तो और मुझे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का अच्छी तरह से पता है वहां एक डाक्टर नौकरी करते हैं, वे मेरे मित्र हैं। मैंने पूछा, डाक्टर साहब रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहे हैं क्या तो वह बोले कि नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, वहां मेरा नाम चल रहा है क्योंकि उनको यूजीसी की मान्यता लेनी है। मंत्री महोदय, यूजीसी की मान्यता लेनी है इसलिए सीनियर डाक्टर उनको

(श्री धर्मनारायण जोशी)

चाहिए और इसीलिए वे वहां पर नौकरी कर रहे हैं। कितने रुपये देते हैं, एक लाख रुपये महीने देते हैं केवल नाम चलाने के। यह जो शिक्षा में स्थिति बनी है इसके बारे में मेरी प्रार्थना है कि इसको हम सब मिलकर सुधारें।

आज क्या स्थिति बनी है क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति है, उसमें दोष है। दोष क्या है, दोष यह है कि आज विश्वविद्यालय में या स्कूल में भी जिसके 33 परसेंट आते हैं, उसको पास मानते हैं यानी उसका ज्ञान तो 33%, उसका अज्ञान 67% तो आगे जाकर आखिर वह बच्चा क्या करेगा तो यह जो स्थिति देश में बनी हुई है, मैं सोचता हूं कि इसमें हम सब मिलकर सुधार करें। फिर जो हमारे पास आते हैं, वह सदस्य कहकर गए कि एमडी के लिए, एमएस के लिए एक करोड़ डोनेशन लेते हैं। नहीं, एमबीबीएस के लिए 1-1 करोड़ लेते हैं। हमारे उदयपुर में गुजरात के विद्यार्थी आते हैं। अनेक मेरे परिचित आते हैं, वह कहते हैं कि साहब, दस लाख उनसे कम करवा दीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, मंत्री महोदय, आपके पास एजेंसी है, आपके पास मैन पावर भी है, सरकार भी है, आप उन विद्यार्थियों के छापा मारकर इंटरव्यू करवाइए कि आपने कितना डोनेशन दिया तो यह चित्र आपके सामने आ जाएगा।

इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है शिक्षा में सुधार के लिए विशेषकर विश्वविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जो स्थिति बनी है, फिर एक बात गुजरात विश्वविद्यालय ने की थी, हम भी उसको लागू करें यहां कि जो विद्यार्थी, मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां रिजर्वेशन का कोई लाभ आज दिन तक नहीं मिला है आदिवासी क्षेत्र में। जनजाति में आज हिसाब लगाएंगे डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर जिले में जो जनजाति क्षेत्र है वहां से कितने डाक्टर बने हैं, कितने इंजीनियर बने हैं। नहीं, नथिंग, बिल्कुल ऐसा आएगा कोई 0.11 परसेंट आएगा। वह भी नहीं आएगा इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जनजाति क्षेत्र में जैसे भैरोंसिंह जी ने एक स्कीम चालू की थी नौकरी के लिए कि जनजाति क्षेत्र को स्पेशल परसेंटेज में छूट दी जाती थी, ऐसे ही हमारे जनजाति के विद्यार्थियों को एडमिशन में छूट देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। फिर जिसका रिजर्वेशन के कारण 50 परसेंट में एडमिशन हो जाता है और 80 परसेंट में एडमिशन नहीं होता है, मेरी आपसे प्रार्थना है जो बच्चे 80 परसेंट वाले जिनका एडमिशन

(श्री धर्मनारायण जोशी)

नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग में, ऐसे बच्चों की फीस सरकार भरे और उनको प्राइवेट में जहां एडमिशन हो रहा है वहां एडमिशन कराएं। अगर मोनिटरिंग सरकार की ठीक प्रकार से रहेगी तो निश्चित रूप से इस शिक्षा में सुधार करेंगे। सरकार का एक अच्छा पॉजिटिव रोल होने के कारण मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मोनिटरिंग करें। यूजीसी मान्यता देती है। आजकल तो वीडियोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी के बाद भी छोटे-छोटे कमरे हैं, छोटे-छोटे घर हैं, 1-1 कमरों में विश्वविद्यालय चल रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मोनिटरिंग ठीक प्रकार से होगी, ऐसी एजेंसी को भेजिए, अचानक भेजिए, एजेंसी के ऊपर फिर एजेंसी को भेजिए तो यह शिक्षा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है वह भ्रष्टाचार रुकेगा मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विश्वविद्यालयों में वातावरण भी ठीक हो, हमारी शिक्षा गुणवत्ता की बने और आपने चर्चा कराई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री पुखराज। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, सदन में आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। शिक्षा की स्थिति वर्तमान में क्या है और निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की जो स्थिति है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। प्राचीन समय में हमारे देश ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए और एक ऐसी परंपरा हमारे देश में रही जिससे राष्ट्र का नाम विश्व में गौरवान्वित हुआ। आज मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकतर शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा के रूप में व्यवसाय बना लिया है उसकी वजह से आज जब छात्र कोई भी तकनीकी डिग्री लेकर कालेज से बाहर निकलता है तो वह पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होता है क्योंकि जिस संस्थान में वह पढ़ा है उसने उसे स्किल डवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पूर्व की सरकार के समय भी बड़ी-बड़ी बातें हुईं और उससे पहले जब और भी सरकारें सत्ता में रहीं, तब भी राजस्थान में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली निजी शिक्षण संस्थानों पर सरकार के प्रभावी नियंत्रण के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग गठन की बात कही

(श्री पुखराज)

मगर दुर्भाग्य से निजी शिक्षण संस्थानों की लाबिंग सरकार के जिम्मेदारों पर इस कदर हावी रही कि इन शिक्षण संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज तक कोई भी नियामक आयोग गठित नहीं हो पाया।

मान्यवर जी, हम सबको यह अच्छे से पता है कि आज अगर केवल जयपुर की ही बात करें तो यहां जो भी निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं, उन विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी कैडर की जो बात होनी चाहिए, वह नहीं है। आज जो मापदंड एक यूनिवर्सिटी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी ने तय कर रखे हैं, उन मापदंडों को शायद ही कोई निजी विश्वविद्यालय पूरा करता है। मेरे गृह जिला जोधपुर में स्थित जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा हजारों की तादाद की फर्जी डिग्रियां बांटी गई। पैसे लेकर मनचाहे कोर्सेज में पास कर दिया गया। चाहे जयपुर के निम्स की बात करें, वहां इस कदर फर्जीवाड़ा है मगर सरकारी नुमाइंदों के संरक्षण में छात्रों का मनमर्जी से शोषण करते रहे। चाहे जयपुर की नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करूं, वहां के मालिक की दादागीरी इस कदर थी कि उसके घर के सामने उसी कॉलेज के छात्रों ने सैल्फी ली तो उसने निजी सुरक्षा गार्डों से उन पर गोली चलवा दी। उसके खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं हुआ, यह उदाहरण है कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफिया पनपा है। उसका यह ताजा उदाहरण है।

माननीय, एक जमाना था जब इंजीनियरिंग किए हुए छात्र को जाब के लिए भटकना नहीं पड़ता था लेकिन राजस्थान में जैसे ही निजी क्षेत्र में इन कालेजों को बढ़ावा मिला, पूरे इंजीनियरिंग क्षेत्र की जो स्थिति है, मैं समझता हूं, पूरे सदन को इस बात की चिंता करके कोई सार्थक हल निकालने की जरूरत है। आज शिक्षण संस्थानों के विषय पर चर्चा हो रही है, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि मंत्री जी, जब इसका जवाब दें तो यह घोषणा इस सदन में करें कि निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग का गठन कब तक कर लिया जाएगा। साथ ही, सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर प्रदेश के अंदर जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, क्या वह यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मापदंडों को पूरा करते हैं या नहीं, उसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, अन्यथा हर गली में कालेज, विश्वविद्यालय खोलकर हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। इससे केवल शिक्षा.. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। विराजिये। श्रीमती अनिता भदेल। माननीय सदस्या, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को हम कैसे बना सकते हैं,... 5 मिनट में?

श्री सभापति: आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 5 मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): फिर मुझे नहीं बोलना है, 5 मिनट में विषय ही नहीं आता है।

श्री सभापति: चलिए, श्री रामप्रताप कासनियां 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, कासनियां जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालयों के ऊपर ...(व्यवधान) जो चर्चा हो रही है। आपने जैसे फर्माया, सुझाव दो। सुझाव एक छोटा सा दे रहा हूं।

सभापति महोदय, यह जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे इंजीनियर कालेज हैं, चाहे मेडिकल कालेज हैं, इनमें पढ़े हुए इंजीनियर, डाक्टर किस तरह की सेवा करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे एक डाक्टर को एमबीबीएस की डिग्री मिल गई तो वह कितने भी आदमी मारे उसको लाइसेंस मिल गया क्योंकि वह प्रैक्टिकली पढ़ने के लिये नहीं जाएंगे और घर बैठे ही डिग्री लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से रिटायर प्रोफेसर घर बैठे इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों से तनख्वाह ले रहे हैं और एडमिशन में दुनियाभर की लूट कर रहे हैं। चाहे हायर एजुकेशन है, चाहे नीचे की एजुकेशन है, इसको रोकना है तो एक तरीका है और वह आप तो जानते हो, जैसे किसान के पशुओं का काग जो पंछी होता है, वह नुकसान करता है, कुचर कर टक्कर डाल देते हैं। एक काग को मार कर ऊपर लटकाने से वहां काग नुकसान नहीं करते। मंत्री महोदय, अगर आपको वाकई में सुधार करना है तो एक दो काग को मारकर टंगा दो, काका जी को मरता देख मरने की सौगंध खा लेंगे। यह सब को पता है कि यह काम कोई गरीब आदमी नहीं चला सकता, अरबपति, करोड़पति आदमी ही इस काम को चला सकता है और वह साधु सन्यासी नहीं है। वह अपना मुनाफा पहले देखते

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हैं। सरकार तो करोड़ों रुपये की जमीन उनको कौड़ियों में आबंटन करने का काम करती है। रहा सवाल स्ट्रक्चर निर्माण करने का, तो नाप तोल के अनुसार उन्होंने भवन बनाया या नहीं बनाया, उनके पास रिसर्च के सारे साधन हैं या नहीं, कौन जाकर देखता है। सब संस्थाओं में कैमरा लगा लो और दो चार को मार कर लटका दो, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप सख्ती से कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करो तो अपने आप सुधार आ जाएगा। सभापति महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गोपाल लाल।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): निजी विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली पर आज सदन में विचार किया जा रहा है, इसके लिये माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों तरफ के सदस्यों ने काफी चर्चा की है, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनमें काफी अनियमितता पाई जाती हैं और उसके लिये सरकार का उन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिये। अभी सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं, उन पर पूरा गौर करना चाहिये। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आये दिन मीडिया में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर एवं छात्रों एवं अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी व ठगी के प्रकरण आते रहते हैं। इनके कई कारण हैं, कई कारणों से छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता है क्योंकि बिना मान्यता, बिना वैधानिक संस्थाओं के अनुमोदन के पाठ्यक्रम संचालन कर दिये जाते हैं, इसलिए छात्रों को तीन चार साल पढ़ने के बाद पता लगता है कि इनकी मान्यता ही नहीं है तो वह बड़े दुःखी होते हैं और उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, कोर्टों के चक्कर काटते हैं। निजी मेडिकल विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कर दिये जाते हैं। जहां 100 सीट होती हैं, वहां 120 सीट ले ली जाती हैं और जो 20 छात्र होते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उनके अभिभावक जो बड़ी आशा से अपने छात्र को पढ़ाने की बात करते हैं, उनको उच्च शिक्षा दिलाने की बात करते हैं, आपने देखा होगा निम्स में इसी प्रकार से ज्यादा छात्र ले लिये, वह बच्चे आये दिन कोर्ट में जा रहे हैं, विश्वविद्यालय के विरोध में प्रदर्शन करना, यह सभी चीजें चलती रहती हैं।

(श्री गोपाल लाल मीना)

विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी कई जगह कार्य करती है। अभी बता रहे थे कि एक मेडिकल कालेज में सर्विस करता है, दूसरी जगह जाकर आपरेशन करता है, दूसरी जगह पैसे कमाता है, यह नहीं होना चाहिये। एक जगह उसका एनरोलमेंट है तो दूसरी जगह उसको नहीं लेना चाहिये। ट्रस्ट या सोसाइटी में परिवार या उनके संवर्ग का प्रतिनिधित्व है, व्यापारी की तरह दुकान चलाई जा रही है। जोधपुर में, झुंझुनूं में सिंघानिया विश्वविद्यालय में धोखाधड़ी के केस हुए हैं, यह सब आप लोगों के सामने हैं। नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं होती है। वैधानिक चयन प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता है। वेतन भत्ते यूजीसी के अनुसार देय नहीं है, यह होना चाहिये। यूजीसी, एमसीआई, एआईसीपीई, राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं किया गया है। शोषण को खतम करने के लिये नियामक आयोग बनाना चाहिये, जिससे सभी अनियमितताओं पर रोक लग सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग के छात्रों को फीस में रियायत होनी चाहिये, यह मेरे सुझाव ही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें, बहुत हो गया, काफी हो गया अब। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग करें। आप विराजिए, विराजिए, सहयोग करें। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): फीस का निर्धारण, बिना मान्यता के पाठ्यक्रम....

श्री सभापति: प्लीज विराजिए, विराजिए आप।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): भ्रमित विज्ञापनों से बचें। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीया, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगी आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिलकुल। आज शिक्षा का युग है, शिक्षा के बिना जीवन को अधूरा माना जाता है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में लिमिट की सीटें होती थीं लेकिन उन युवाओं में दक्षता होती थी, निपुणता होती थी, डिग्री प्राप्त होने पर वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते थे और डिग्री का कोई महत्व होता था। दूरदराज के युवक-युवतियां उससे वंचित रह जाते थे, इसलिए सरकार की सोच यह रही कि जो युवक-युवती जहां का रहने वाला है, वह वहां पर आसानी से शिक्षा सुविधा प्राप्त कर सके, इस सोच के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली गईं। युवाओं को सस्ती, अच्छी, गुणवत्ता वाली शिक्षा, दक्षता वाली शिक्षा मिल सके, किसी कार्यकुशल में प्रवीण बन सके, नये-नये रोजगार के आयाम बन सके, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई थीं कि रोजगार के रास्ते खुल जाएं, युवक-युवतियों को रोजगार मिले, इसलिए सरकारों ने निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता और स्वायत्तता दी थी ताकि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसका उलटा हुआ। न कोई रिसर्च, न कोई शोध, न विद्यार्थियों को कोई प्लेटफार्म मिला। खेल, प्रतियोगिता, व्यायाम, सदाचार, मान-सम्मान, सब कुछ जाता रहा और इसका विपरीत परिणाम हुआ कि प्राइवेट विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता का सही उपयोग नहीं कर रहे। निजी विश्वविद्यालयों के प्रचलन में आने से हमारी जिन डिग्रियों की पहले वेल्यू होती थी, जिसका सम्मान होता था, उसका स्तर गिर गया है। खेल गायब हो गया। वहां से प्रतियोगिताएं गायब हो गईं।

(18.00 बजे)

संस्कृति, कला, वाद, संवाद और जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं, वे ज्ञान के मंदिर की जगह बिजनस की बिल्डिंग नजर आती हैं। उन्होंने अपना गोरखधंधा बना लिया है। अच्छी लुकआउट बिल्डिंग, एक तो विदेशों से जोड़कर अपना आयाम खड़ा कर लेते हैं और युवक-युवतियों में एक भ्रम पैदा करके अपने आपको श्रेष्ठ बना देते हैं। उस नाम से युवाओं से मोटी राशि ली व वसूली जाती है। एक बार अगर फीस ले ली तो वापस नहीं लौटायी जाती है। इसका कैसे समाधान हो सके, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मनमाने तरीके से डिग्रियां वितरित करती हैं। कोई भी युवा किसी भी ट्रेड का अगर डिप्लोमा लेना चाहे, डिग्री लेना चाहे तो वे इन यूनिवर्सिटियों में आसानी से मिल जाती हैं और वे रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे हालात और बेरोजगारी की जिम्मेदार ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी फीस निर्धारित होनी चाहिए। प्रत्येक साल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

इस पर मीटिंग होनी चाहिए। उनकी हर एक गतिविधि पर सरकार की नजर होनी चाहिए। खेल प्रतियोगिता हो, यूनिफार्म हो, किताब-कापी के लिए युवक-युवतियों से जो पैसा लिया जाता है, जो फीस वसूली जाती है, वह भी एक ही बार इनकी सारी फीस ली जाए और मीटिंग की जाए और सरकार की तरफ से कोई कमेटी गठित की जाए, उसमें कोई लॉयर भी हो, प्रोफेसर हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी हो और कोई न कोई जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि इनकी मनमानी नहीं चल सके। इनकी फीस तय कर दें और हर महीने उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि इनकी मनमानियों पर रोक लगायी जा सके।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पाश्चात्य संस्कृति है, जिससे युवक-युवतियां अपने भारत देश की और राजस्थान की संस्कृति कल्चर, मान-सम्मान, सदाचार, इन सब चीजों को भुलाते जा रहे हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज न जाने कहां हमारी युवा पीढ़ी को लेकर जाएंगी। अनेक युवक-युवतियों में धूम्रपान है, इस तरह का शौक पड़ा हुआ है, जिससे आज का भारत देश का, राजस्थान का युवक भटक रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए, आज की चर्चा तभी सार्थक होगी, जब इन पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल विश्नोई। माननीय सदस्य पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार निजी विश्वविद्यालय इसलिए खोलती होंगी कि सरकार अपने सीमित संसाधनों से सरकारी विश्वविद्यालय उस मात्रा में नहीं खोल पाती है, जिस मात्रा में प्रदेश के नौजवानों को इसकी आवश्यकता है। इस विचार के साथ, इस पुनीत उद्देश्य के साथ निजी विश्वविद्यालयों को खोलने का काम सरकारें करती हैं, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों की जिस तरह की बातें हम देखते आ रहे हैं और जो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि डिग्री बेचने का काम निजी विश्वविद्यालयों में शुरू हो गया। जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गयी थी, वह उद्देश्य कहीं का कहीं रह गया।

शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर जो उम्मीद निजी विश्वविद्यालयों से की जानी चाहिए, उस उम्मीद पर ये खरे नहीं उतर रहे क्योंकि निजी

(श्री बिहारीलाल)

विश्वविद्यालयों में जिस तरह की फैकल्टी होनी चाहिए, वह भी नहीं है। फीस की बात आयी, मनमर्जी की फीस। शिक्षा को व्यापार बना लिया गया है जबकि सरकारी तंत्र में सरकारी विश्वविद्यालय जो सरकार ने खोले हैं, उनका यह उद्देश्य नहीं है, शिक्षा व्यापार नहीं है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, नौजवान के लिए जरूरी है। ज्ञान व विज्ञान के केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी थी। शोध के केन्द्र विकसित हों, ओनली डिग्री देने की दुकानें न बनें। अधिकतर निजी विश्वविद्यालयों में ऐसे कोर्सेज चालू कर दिये गये हैं, जिनसे ज्यादा धन अर्जन होता है।

बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है और उस निजी विश्वविद्यालय में जिस तरह से थोक के भाव डिग्रियां बांट रहे हैं और बेरोजगारों की श्रेणी में नए पढ़े-लिखे नौजवान और भर्ती होते जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या है कि हिडन चार्जेज के नाम पर जो कि निजी विश्वविद्यालयों की फीस में कहीं मैंशन नहीं होता है, हिडन चार्जेज के नाम पर ऐसे अनेकों चार्जेज छात्रों पर लगाये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, कभी-कभी तो निजी विश्वविद्यालयों में ऐसा भी होता है कि एडमिशन किसी कोर्स में दिया जाता है और उसकी मान्यता नहीं हो तो छात्र का एडमिशन किसी दूसरे पाठ्यक्रम में कर दिया जाता है। इस तरह की बातों पर आज निश्चित रूप से चर्चा हो रही है, सदन में सार्थक चर्चा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकारी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी, राष्ट्रीय तकनीकी परिषद् और अनेक तरह की परिषदों का नियंत्रण रहता है, उसी तरह निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए एक नियामक आयोग बने, जिसकी लंबे समय से चर्चा है। यह नहीं कि आज चर्चा कर ली, निजी विश्वविद्यालय सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और फिर इस बात को भुला दिया जाए, सदन का समय जाया न हो, निश्चित तौर पर नियामक आयोग बने और नियामक आयोग बनकर जिस उद्देश्य से हम निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करे, उसको रैगुलेट करे, उस पर पूरी मोनिटरिंग करें, ऐसे उद्देश्य के साथ नियामक आयोग का गठन हो। कहीं ऐसा भी न हो कि सरकार अपने रिटायर्ड लोगों को जबरदस्ती उसमें घुसाने का काम करे, निजी विश्वविद्यालयों पर एक और तरह की एक पाबंदी-सी लगाए।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत एक सुझाव है कि सीबीसीएस सिस्टम निजी विश्वविद्यालयों में भी प्रारम्भ करना चाहिए। इस सिस्टम में यह व्यवस्था रखी गयी है कि छात्र-छात्राएं बीई, एमबीए, एमसीए, बीसीए अन्य पाठ्यक्रमों में जहां एडमिशन लेते हैं, उसके साथ-साथ एडमिशन के बाद अपनी पसंद के सब्जैक्ट भी चुन सकें, अपनी खास डिग्री के साथ अन्य विषय लेने के विकल्प भी इसमें रहते हैं और पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी रहेगा। इससे यह फायदा होगा कि इस व्यवस्था में विद्यार्थियों के लिए रोजगार की संभावना बढ़ेगी। सिस्टम में कई पाठ्यक्रम ऐसे रहें कि उनकी परीक्षा नहीं होगी। पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान रहेगा और ऐसे विद्यार्थियों को फील्ड में काम करने में आसानी होगी और नौकरी मिलने में सहूलियत रहेगी और अधिक विकल्प खुले रहने की संभावना रहेगी। इस सिस्टम से विद्यार्थियों के पास पढ़ाई के अधिक विकल्प रहेंगे। जिस तरह की भी डिग्री में वह प्रवेश लेता है, उसके साथ-साथ प्रवेश पाठ्यक्रम के साथ-साथ अपनी पसंद के विषय का भी अध्ययन कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। हम सब लोग किसानों के परिवारों से आते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय में जो एन्ट्रेंस टैस्ट, जैट यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम लिया जाता है और देश के किसी विश्वविद्यालय में, राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालय में जैट एन्ट्रेंस फीस जो रखी है वह ज्यादा से ज्यादा 900 रुपये रखी गयी है, लेकिन राजस्थान में 2700-2800 रुपये तक रखी गयी है। इसमें भी सीटें कम कर दी गयी हैं। निजी विश्वविद्यालयों पर चर्चा हो रही है, यह बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सार्थक विषय पर चर्चा करने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था। मैं शेखावाटी से हूं, आप भी स्वयं वहीं से हैं। उस समय जो हमारे हायर बिजनसमैन बिरला एवं पोद्दार थे, उनके पास शिक्षा का पूरा केन्द्रीयकरण था। उनके द्वारा शेखावाटी में शिक्षा स्टार्ट की गयी थी। सभापति महोदय, मुझे दो

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बार राजस्थान विधान सभा में शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला। राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में 51 यूनिवर्सिटी बनीं, 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनीं, 1660 प्राइवेट सैक्टर में कालेज आए।

माननीय सभापति महोदय, यह प्राइवेट कन्सैप्ट इसलिए आया, मेडिकल कालेज का, इंजीनियरिंग कालेज का, क्योंकि हमारे पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हमारे बच्चे मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिए दक्षिण भारत या महाराष्ट्र में जाते थे और बहुत सारे बच्चे विदेश जाने लग गये। इंजीनियरिंग के अंदर भी यही स्थिति थी क्योंकि हमारे पास स्टडीज का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इस कारण यह जरूरत पड़ी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कालेजेज का एक्ट आया, वहीं इसकी शुरुआत हुई। माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट सैक्टर के अंदर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 7 हजार के इनमें एम्प्लायमेंट हैं और करीब 3 लाख बच्चे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में नहीं हैं। जयपुर में गिने-चुने विश्वविद्यालय हुआ करते थे लेकिन प्राइवेट सैक्टर का जो जाल हुआ तो मैं समझता हूं कि पूरा राजस्थान इसमें कवर हो चुका है। निश्चित रूप से मेडिकल कालेज में डोनेशन एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, उसके आधार इन सबको करना चाहिए। एडमिशन के अंदर कोई इर्रेगुलरटीज हैं तो उन सबको भी फोलोअप करना चाहिए कि इर्रेगुलरटीज नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर की यूनिवर्सिटीज में हम लोग नये-नये कालेज खोल रहे हैं। 15 नये मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, but we don’t have the teachers. जो बार-बार कम्प्लेंट आ रही है कि एमसीए के लिए टीचर इधर जा रहे हैं। आप डाक्टर तो बना देंगे लेकिन अध्यापक कहां से लाएंगे? एनोटोमी, फिजियोलॉजी, फार्मोक्लॉजी, एक भी टीचर नहीं मिलेगा। आपको पहले अपने टीचर्स की टीम खड़ी करनी पड़ेगी ताकि अपने जो सीकर, चूरू, सबके जो माननीय बैठे हैं, इन सबके 32 जिलों के मेडिकल कालेज हैं, you want the teachers. इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने टीचर्स की टीम तैयार करें। किसी भी माध्यम से करें।

सभापति महोदय, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 30 एकड़ जमीन आपने बता रखी है। वर्टिकल एक्सपांशन की जरूरत हो गई। जमीनें नहीं हैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इसलिए अब वर्टिकल एक्सपांशन होना चाहिए। नोर्म्स में रिलेक्सेशन होना चाहिए। यूजीसी ने नोर्म्स बना रखे हैं वाइस चांसलर बनाने के लिए लेकिन जो सेठ जी हैं, मालिक हैं प्राइवेट कालेज के, वे स्वयं वाइस चांसलर बने हुए हैं या वहां के हैड बने हुए हैं। इस तरह से नहीं चल सकता। स्थायी शिक्षकों का अनुबंध भी होना चाहिए। आपके पास रैगुलर टीचर्स होने चाहिए। ये जो फेक डिग्रीज हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू है। मेरे वक्त में भी हुआ था सिंघानिया विश्वविद्यालय का, जांच हुई और जो उनके वाइस चांसलर थे, वे जेल में गए। अगर सख्ती नहीं की गई तो राजस्थान में शिक्षा का जो स्वरूप है, निश्चित रूप से उसके मुंह पर काला धब्बा लगेगा। हमारे पास बेहतरीन टीम है, वनस्थली विद्यापीठ, कमला जी, सुमित्रा जी वहां से निकलीं। हमारा बिट्स पिलानी, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र थे, चव्हाण, वह खुद बिट्स पिलानी के थे। उनके पास बेहतरीन टीम थी।

सभापति महोदय, स्पोर्ट्स के अंदर भी, आज जरूरत है कि आपको हर सैक्टर में चाहिए। इंडिया की 10 परसेंट आर्मी सीकर, झुंझुनूं से हैं। वहां पर नये सब्जेक्ट खोलने की जरूरत है। आज विश्वविद्यालयों की ये हालत हो रही है, जहां दस हजार स्ट्रेन्थ थी, वह घटकर एक हजार हो गई। मेरे से पूछने आए कि डाक्टर साहब क्या करें? मैनेजमेंट खतम, इंजीनियरिंग खतम, यूनिवर्सिटी बिल्कुल जीरो और कगार के ऊपर है, आवश्यकता है नये कोर्सेज चालू करें। मेरा आग्रह है कि पंजाब से आफिसर्स आते हैं आर्मी में, साउथ से आते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, मैंने स्वयं प्रयास किया था कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, वह विश्वविद्यालयों में नये तरीके से चालू हो। स्पोर्ट्स की आउटस्टेंडिंग पर्सनेलिटीज बैठी हैं यहां पर जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है। स्पोर्ट्स के हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरे गांव की लड़की शॉटपुट के अंदर इंडिया में गोल्ड मैडल अंडर 14 में लाई। कोई रास्ता नहीं है। एक बच्ची है 14 साल की, गोल्ड मैडल है, इंडिया में जूनियर्स में, कोई रास्ता नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला टीच कर रहा है। मैं बधाई दूंगा मुख्य मंत्री जी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आउटस्टेंडिंग 2 परसेंट मार्क्स हमारे एथलीट्स, प्लेयर्स के लिए दिए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने 1974 में वह मैच देखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्वयं खेल के प्रशंसक हैं। राजस्थान

(श्री जितेन्द्र सिंह)

विश्वविद्यालय का फाइनल में मुकाबला हुआ था कालीकट यूनिवर्सिटी से वालीबाल का। कालीकट यूनिवर्सिटी का कैप्टेन था जिमी जार्ज, जो इंडिया की टीम का भी कैप्टेन था। राजस्थान की टीम ने स्ट्रेट तीन सैट में इंडिया के कैप्टेन की कालीकट यूनिवर्सिटी को हरा दिया और गोल्ड मैडल लिया। 6 के 6 लड़के आपके सीकर के थे। मैंने 1974 में अपनी आंखों से देखा। ऐसी प्रतिभाएं आपके पास छिपी हुई हैं, you need the new subjects. मेरा आपसे आग्रह है कि जो-जो भी हमारे प्राइवेट सैक्टर के अंदर लेकुनाज हैं, वे तो हैं लेकिन Private Universities are the necessity of the Rajasthan. बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तो दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जहां विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। एक विद्यार्थी फर्जी डिग्री से एडमिशन लेता है। वहां चुनाव घोषित होते हैं। चुनाव घोषणा के बाद नामांकन भरे जाते हैं। वह फर्जी डिग्री पाया हुआ विद्यार्थी नामांकन भरता है, 25 अगस्त को। उसके बाद जब चुनाव की तारीख आती है, उससे एक दिन पहले उसकी डिग्री की जांच होती है। डिग्री फर्जी पाई जाती है तो चुनाव निरस्त हो जाते हैं। इसमें दो विद्यार्थी नामांकन भरते हैं। चुनाव निरस्त नहीं, स्थगित हो जाते हैं। कायदा तो यह है कि चुनाव स्थगित हो गए, एक आवेदनकर्ता का आवेदन निरस्त हो गया तो दूसरे आवेदनकर्ता को विजयी घोषित करना चाहिए था। लेकिन नहीं किया गया और सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया। सरकार ने चार महीने के बाद मार्गदर्शन दिया कि जहां से चुनाव की प्रक्रिया रोकी है, वहां से प्रारम्भ करें क्योंकि उस दूसरे को घोषित नहीं करना था इसलिए फिर वापस मार्गदर्शन के लिए भेज दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का नाटक विश्वविद्यालय में हो रहा है। विक्रम नागर नाम का एक विद्यार्थी फर्जी डिग्री लेकर आता है। चुनाव लड़ने के लिए ही एडमिशन होता है। विक्रम नागर, गुंजन झाला, दोनों नामांकन भरते हैं, चुनाव लड़ने के लिए विक्रम नागर का आवेदन निरस्त हो जाता है और गुंजन झाला को जो निर्वाचित घोषित करना था, वह नहीं किया गया है। यह कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं

(श्री मदन दिलावर)

है। यह कोटा विश्वविद्यालय है। कोटा सरकारी विश्वविद्यालय है जिसमें इस प्रकार का नाटक हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार नींद लिए बैठी है और किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंट रही है, इसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सैकण्ड नामांकनकर्ता था, जिसने आवेदन किया है, उसको तुरंत विजयी घोषित करना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत। संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार के लिए समय दिया गया। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कार्यशैली पर सवाल उठाए। मैं धन्यवाद देता हूं चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों की करीब-करीब एक ही भावना है कि आज जो शिक्षा के मंदिर, गुरुकुल जिनको मंदिर की तरह अलग भावना से देखा जाता था, आज पैसों के बल पर शिक्षा के मंदिर की जगह प्रोफेशनल व्यापार का केन्द्र बन गये हैं। ये कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं हैं। अपने ही भाई-बंधु, बड़े-बड़े लोगों का इसमें हाथ है।

माननीय सभापति महोदय, हर कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा संस्कारवान बने, डिग्री हासिल करे लेकिन न तो इस डिग्री में दम है, न संस्कारवान है। माननीय सभापति महोदय, हाथ खड़ा करवा दें कि दुनिया में ऐसा कौन-सा बाप है जो अपने बेटे को संस्कारवान नहीं बनाना चाहता हो या फर्जी डिग्री, अगर दुनिया में एक बात और कही जाए कि फर्जी डिग्री देने के लिए काम शुरू हो रहा है, उसमें एक के सौ गुणा होंगे तो हज़ारों तैयार हो जाते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि अगर मैं मेरे बच्चे के लिए यह स्वीकार नहीं करता हूं तो जो भी ये गोरखधंधे हो रहे हैं, कोई न कोई पढ़ने वाला अपना ही बच्चा है, अपने ही परिवार का है। इसके ऊपर बड़ा चिंतन करना और गहराई से समझना पड़ेगा। आज स्तर भी गिर रहा है, विश्वास भी उठ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, निजीकरण जरूरी है, लेकिन उनके ऊपर सख्त

(श्री मदन प्रजापत)

नियम, कड़ा कानून बने ताकि उनमें कारगुजारी नहीं हो। सबकी भावना है तो कौन-सी तकलीफ आ रही है इस कड़े कानून में? सबकी भावना है तो सर्वसम्मति से इसके ऊपर मंथन किया जाए कि आज जो मर्जी के मालिक बन गए हैं, वाइस चांसलर की जो बात आ रही थी, कम से कम ये मर्यादा है कि विद्वान और पढ़ा-लिखा आदमी हो। भले ही शराब माफिया हैं, भले ही बजरी माफिया हैं, दुकान की तरह एक दुकान का मालिक है। खुद पढ़ा-लिखा है या नहीं है, लेकिन डिग्री के ऊपर सिग्नेचर चलते हैं तो यह मर्यादाओं का हनन है।

सभापति महोदय, इस संबंध में पहले भी कई बातें आईं। इन विश्वविद्यालयों में आने के पैसे और गैर हाजिर रहने के लिए भी अलग से फीस देनी पड़ती है। अगर वह फीस नहीं देता है, तो उनकी गैर हाजिरी लगाई जाती है। सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने भावना प्रकट की, मैं आभार व्यक्त करता हूं।

जब उन्होंने शुरुआत की, उनमें नियम-कायदे अलग थे। रियायती दर पर ज़मीनें लीं। एमएलए लैड, एमपी लैड से उन्होंने भवन भी बनवाए। एक मालिक की तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डिग्री में, शिक्षा में ताकत नहीं होगी, किसी क्षेत्र का बच्चा है, वह जहां भी जाएगा, खुद का तो भविष्य है ही बरबाद, जहां भी जाएगा, आने वाले समय में समाज के लिए नुकसानदायक साबित होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, समय की कमी है। कुल मिलाकर एक ही बात है कार्यशैली पर सबने सवाल उठाए हैं तो कुछ न कुछ तो इस बात में वज़न है। माननीय मंत्री जी विराजमान हैं कि प्राइवेट जरूरी है लेकिन उनको हिदायत दी जाए, सख्त कानन्‌ हो, ताकि सरकार का डर और भय हो, नहीं तो हकीकत में चाहे शेखावाटी हो, हर ज़िले में खुल रहे हैं, हर ज़िले में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एक तरह से व्यापार...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह भी एक तरह से माफिया है। शिक्षा माफिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह भावी पीढ़ी तैयार करने का मंदिर है, मंदिर उजड़े नहीं, मंदिर की इमेज और फेथ में अंतर नहीं हो। सख्त से सख्त कानून बनाकर, सर्वसम्मति से फैसला लिया जाए ताकि उनको संदेश जाए कि हमने कोई भी बदमाशी की तो सरकार की तरफ से नकेल कसी जाएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाबचंद जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अब की बार, इस सत्र में, कुछ ऐसे विषय, वास्तव में अब तक इस सदन में चर्चा नहीं हुई, उस पर चर्चा हुई। विशेषकर विश्वविद्यालय, आज निजी विश्वविद्यालय का विशेष प्रकरण। विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में फले फूले, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता।

मैं सोचता हूं कि राजस्थान देश में नम्बर वन होगा, हमने पिछले वर्षों में 52 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की। जिन आधारों से इन विश्वविद्यालयों को हमने स्वीकृति दी है, एक तरीके से उस विश्वविद्यालय को बनाने वाली मैनेजमेंट कमेटी को सर्व अधिकार सम्पन्न बना दिया। प्रो वाइस चांसलर से लेकर खानदान के सब लोगों को उसमें सारे अधिकार दे दिए। इनके सारे स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो यह लगता है कि एक परिवार या रिश्तेदारों का मिला हुआ एक समूह है। यह सब लोग सेवा की दृष्टि से सोचकर यहां आए हैं पर हकीकत यह है कि निजी विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, 6-7 को छोड़ दीजिए, डीम्ड यूनिविर्सिटी हो, वनस्थली हो, पिलानी की हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस अच्छी हैं। जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में सब अच्छा ही कहते हैं। जो बनाई वह बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए। वी सी का सलेक्शन कैसे होगा, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मर्जी चाहे जिसको लाकर बिठा दो और मर्जी चाहे जिसके दस्तखत से डिग्री बांट दो। जब विश्वविद्यालय बन रहे थे तब भी पक्ष और विपक्ष ने इन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सब बातों को उजागर किया था। मैं उसकी कमियां-खामियां नहीं निकाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो बन गई चिंता की बात नहीं है लेकिन यह व्यवस्थित चलें। जैसा कि सब लोगों का कहना है, यह डिग्री बांटने की जगह बन गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जवाब दें तब कहें कि इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों से, 2007 से निजी विश्वविद्यालय बनाए जो अभी 2019 तक बने, इनमें अब तक जितनी भी पीएचडी की डिग्री दी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है, मेरे पास एग्जेक्ट आंकड़े नहीं हैं, 27 विश्वविद्यालय जो सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, जब से चले तब से लेकर अब तक, उनके द्वारा जितने पीएचडी होल्डर नहीं निकाले उतनी पीएचडी इन लोगों ने करा दी।

मुझे कोई भी बता दें कि पीएचडी के लिए वहां जो गाइड था, वह कौन था? वह गाइड वहां एज ए प्रोफेसर काम करता है या नहीं करता है? या गाइड और कोई है? लिस्ट में किसी और का नाम है, कहीं भी उसकी उसमें एंट्री नहीं है? तो इस प्रकार से यह इस डिग्री का मखौल हो रहा है। यह बात सही है कि मैं भी डिग्री ले लूं और डाक्टर गुलाब चंद कटारिया लिखूं तो अभिमान तो होगा लेकिन उस अभिमान के लायक हूं कि नहीं हूं इसका किसी ने टैस्ट करने का प्रयास नहीं किया। पीएचडी देने का प्रोसीजर सरकारी विश्वविद्यालय में जिस प्रकार है, उस प्रोसीजर से वह बच्चा गुजरा कि नहीं गुजरा। जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक उसकी क्वालिटी नहीं सुधरेगी। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दे रहा हूं। जिस समय यह विश्वविद्यालय बने थे, पक्ष में थे या विपक्ष में थे, इस पर जब तक राजस्थान सरकार की तरफ से कंट्रोलिंग बाडी, आपने कहा था कि इन विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने के लिए हम एक रैगुलेशन एक्ट लाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर यह एक काम हो जाए इन विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी बाडी बन जाए जो समय-समय पर इसको देखे, सारा निरीक्षण करे। इनके पास बोर्ड आफ कंट्रोल है कि नहीं है, एजुकेशन की दृष्टि से वहां कोई मेकेनिज्म बना या नहीं बना, यह देखें। यहां से स्वीकृति देने के बाद राज्य सरकार का एक नये पैसे का भी इस पर अधिकार नहीं है, इन्वाल्वमेंट नहीं है। यहां एकेडमिक काउंसिल नहीं है। किसी प्रकार का हमारा कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। न बोर्ड में है, न एडवाइज काउंसिल में हमारी कोई दखलअंदाजी है। न टीचर्स की भर्ती में कोई दखलअंदाजी है। न वाइस चांसलर में कोई दखलअंदाजी है। आडिट नहीं देखते कि कहां से पैसा आता है, कहां खर्च करता है। केवल और केवल हमने दस करोड़, और बिल्डिंग बना दी, डिग्री बांटने की फैक्ट्री बना दी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज हमको नहीं लग रहा है, लेकिन इन विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हुए बच्चे जब विभिन्न स्थानों के कम्पीटिशन में जाएंगे तब क्या होगा। पहले तो परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर नौकरी मिल जाया करती थी, अब अधिकांश राज्य किसी न किसी कम्पीटिटिव एग्जाम द्वारा ही बच्चों का सलेक्शन करते हैं, तो वहां यह बच्चा फेल होगा। कारण यह है कि बच्चा आता ही नहीं है। न उसकी अटेंडेंस होती है, न ही पढ़ाई होती है। यह सच्चाई है, मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उसकी हकीकत देख रहा हूं। आप अगर अटेंडेंस देखो, तो कोई आता ही नहीं है। एडमिशन कराने के लिए फीस जमा करा दो और चले जाओ, यह स्थिति तो हमारे बीएड कालेजों की है। यह स्थिति है कि आप केवल एक बार फीस जमा कराकर चले जाओ और महीने-दो महीने में एक बार आकर अटेंडेंस दे दो। दो साल के कोर्स में 21-21 हजार रुपये की फीस उस गरीब को भरनी है क्योंकि आवश्यक है कि बिना बीएड के नौकरी नही लगेगी। केवल डिग्री लेने आता है, उसके बाद बीएड की परीक्षा पास करना इतना कठिन नहीं है कि वह घर बैठकर तैयारी करे और पास नहीं हो। हम तो उसे एज ए टीचर बनाना चाहते हैं लेकिन हमारा उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। इस पर कोई न कोई ऐसी रेगुलेटरी बाडी बने। मेरा यह नहीं है कि यह खराब है, यह खराब नहीं है। कुछ को छोड़ दीजिए। आप दुर्भाग्य तो देखिए कि हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपको भी काम पड़ा होगा और मुझे भी काम पड़ा होगा। कभी भी कोई एडमिशन कराये तो एक करोड़ या 80 लाख से कम में किसी का एडमिशन होता ही नहीं है।

श्री सभापति: हकीकत है यह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किसी का एडमिशन होता ही नहीं है। मतलब एक तरह से, यह बात जरूर है कि उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह भी फॉरेन करेंसी में चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, वह भी फॉरेन करेंसी में चाहिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कई प्रकार की अड़चनें हैं। उसमें भी आपका अगर रैगुलर, मैरिट में भी लिस्ट में नाम हो गया, उसने आपको सूचना भेजी और समय पर सूचना नहीं मिली, आपको पहुंचने में अगर दो घंटे भी देर हो गई तो आपकी जगह दूसरे आदमी को भर्ती करने के लिये उनको अवसर मिल जाता है।

सारी बीमारी की जड़ अगर निकालना चाहते हैं और एजुकेशन के स्टैण्डर्ड को सुधारना चाहते हैं, अगर मन में इच्छा है तो निश्चित रूप से एक तो इनके कोर्स के बारे में जरूर पता करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में कौन-कौनसे कोर्स चल रहे हैं। हमारी आवश्यकता के हिसाब से भी कुछ कोर्स विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलें, ताकि हमको जिस प्रकार का बच्चा चाहिए उस प्रकार का छात्र हमको मिले। अपने जीवन के सारे साधनों से एक तरह से वह आगे बढ़ सके। लब्बोलुआब, इसमें सारी जो स्थितियां हैं, भले ही मैं इसको कहूं चाहे कोई भी कहे, इतनी अनियमितता तो किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं होगी, यह मैं दावे के साथ एक टीचर के नाते कह रहा हूं। मैं एक टीचर के नाते कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते नहीं बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं कि प्राइमरी स्कूल का भी अपना कोई तौर-तरीका होता है, जिस तरीके से वह स्कूल चलता है। लेकिन यह विश्वविद्यालय इन सारे तौर-तरीकों को छोड़ करके केवल और केवल हमने धन्ना सेठों के परिवारों के लिये एक रास्ता खोल दिया, जिस रास्ते से, फैक्ट्रियां चलाना फायदे का धंधा नहीं रहा, उतनी मेहनत करने के बाद भी उतना प्रोफिट नहीं होता है, लेकिन यह एजुकेशन की सेवा के नाम से घुस करके एक प्रोफिट कमाने का धंधा उन्होंने निकाल दिया। उसको रोकने का कोई और तरीका मुझे समझ में नहीं आता है। इस पर कोई रैगुलेटरी अथोरिटी बनाकर कोई कानून ऐसा बने, जो कानून सरकार के हाथ में भी, उसको कन्ट्रोल करने का कोई अधिकार ले, और परीक्षा सम्भव हो सकती हो तो हम किसी न किसी एक एजेंसी से करायें। मैं तो सोचता हूं कि चाहे हमारे ही विश्वविद्यालय क्यों न हों, परीक्षा के स्तर को कायम करने के लिये भी, जैसे आल इंडिया लेवल पर मेडिकल की दृष्टि से वे लोग इस बारे में बढ़े हैं कि कोई तो परीक्षा की एजेंसी हो ताकि वह डाक्टर है, इस बात का कम से कम कहीं तो तय हो जाये।

ऐसे ही विभिन्न डिग्रिया लेकर जो बच्चे निकल रहे हैं, उनकी डिग्री भी स्टैण्डर्ड की हो तो कोई न कोई एक कामन परीक्षा का ऐसा कोई आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनता हो, और उसमें से आप उनको डिग्री देने का काम करें तो विश्वविद्यालय कहेंगे कि हमारी स्वायत्तता क्या हुई। वास्तव में सवाल तो यह आयेगा कि जब हम विश्वविद्यालय हैं तो स्वायत्त तो हैं ही हैं। स्वायत्त होने का मतलब, इस प्रकार की डिग्रियों का बंटना और बच्चों के साथ जो तमाशा चल रहा है उसको रोकना चाहिए। भविष्य में, जब तक इनको हम ठीक नहीं कर दें, कम से कम नये प्राइवेट विश्वविद्यालय और कोई एकेडमिक साइड को छोड़ करके किन्ही कोर्सेज में आप खोलना चाहें तो जरूर खोलें, लेकिन केवल और केवल सामान्य शिक्षा के लिये इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की आगे बढ़ोतरी नहीं करें।

यह ठीक है कि कहने की दृष्टि से एक उपलब्धि कह सकते हैं, मेरी आलोचना करने का कुछ नहीं है, मैं मंत्रीजी से विनम्र भाव से कहता हूं, हमारी सरकार ने और हमने भी सोचा कि कोई न कोई इस प्रकार की अथोरिटी जरूर बनायें, जो इन सारे विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में सरकार की कहीं दखलंदाजी भी रखे और उसका स्तर जिस तरह से बना रहना चाहिए, उस स्तर का वह विश्वविद्यालय चल करके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करे। इतनी बात कह करके अपनी बात को पूर्ण करता हूं।

श्री सभापति: माननीय बलवानजी पूनियां, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। दो ही मिनट में।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दो ही मिनट में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के बाद तो यह नई परिपाटी है।

श्री सभापति: पहले गलती से उनका नाम छूट गया था। दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, पहले शिक्षा समाज में विशेष लोगों का विशेषाधिकार रहा। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा का विस्तार किया। आजादी के बाद हिन्दुस्तान में अपनी शिक्षा के बढ़ावे के लिये कई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जे.एन.यू., आई.आई.टी., आई.आई.एम. और एम्स खोले गये। उससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आई। उसके बाद, जब 1991 के बाद नीतियां बदलीं और निजी विश्वविद्यालय आने शुरू हुए तो सबसे पहले हमारे यहां सिक्किममणिपाल में 1995 में पहले

(श्री बलवान पूनियां)

विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों का घोटाला हुआ, जैसे हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि गुसलख़ानों में, छोटे-छोटे मकानों में और बिना भर्ती, बिना रिक्रूटमेंट के, बिना योग्य लोगों के डिग्री दी, बांटी, शिक्षा की गुणवत्ता निजी शिक्षण क्षेत्र में खराब हुई।

सभापति महोदय, मेरा इसमें उच्च शिक्षा मंत्री को बहुत छोटा-सा सुझाव है कि अभी कालेज व्याख्याता की भर्ती के लिये आपने एक शर्त लगाई है, आपने बहुत अच्छी यह डिबेट आज कराई, लेकिन कहीं न कहीं 'गुड अकेडमिक' शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि निजी विद्यालयों को, निजी महाविद्यालयों को, और निजी विश्वविद्यालयों को यह शब्द बढ़ावा दे रहा है क्योंकि इनमें लोगों को फर्जी डिग्रियां मिलीं। हम सब लोग मान रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरा छोटा-सा, एक मिनट का सुझाव और है।

जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें भर्ती के साथ-साथ छात्र संघों का, छात्रों के अधिकारों का और उसकी फीस का गठन, नियामक आयोग गठन किया जाये और बाकायदा उसकी आडिट हो। यह निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाई जाये।

सभापति महोदय, आज किसान की जो हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर के नाम पर जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वे फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं, जिससे आने वाले समय में खेती भी संकट में जाएगी। जैसे मेडिकल कालेजों में फर्जी डिग्रियां हैं, जैसे हमारे साथी रामप्रतापजी दुःखी थे, लोगों के जीवन और मौत का सवाल है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसलिये आपकी सकारात्मक बहस के लिये धन्यवाद। निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने का आप काम करेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: आपका कहना सही है। गलती से उनका नाम छूट गया था। मंत्री महोदय।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे सदन के स्पीकर महोदय का और आसन का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने पूरे सदन की और पूरे प्रदेश की भावनाओं के अनुसार राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, उनकी कार्यशैली पर विचार करने के लिये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

सदन के 17 माननीय सदस्यों के द्वारा प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्य शैली पर विचार और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उच्च शिक्षा में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं हमारे विद्यार्थियों को आज के समय जो महसूस की जा रही हैं, वह हमारे सदन के हमारे सभी माननीय सदस्यों के द्वारा, आज विशेषकर चूंकि निजी विश्वविद्यालयों पर चर्चा रखी गई, तो निजी विश्वविद्यालयों की कार्य शैली, उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर और बहुत सारे विषयों पर चर्चा रखी गई।

माननीय सभापति महोदय, आज की हमारी इस चर्चा में सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा भी, जो स्वयं शिक्षा विभाग के हैं और शिक्षा विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे बहुमूल्य और बहुत ही अच्छे सुझाव आज पूरे सदन को और सरकार को जानने को मिले।

माननीय वासुदेव देवनानीजी के द्वारा हमारे राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितता की बात कही गई। कर्मचारियों को कम तनख्वाह, सैलेरी के जो निर्धारित मापदण्ड हैं, उसके अनुसार नहीं देने की बात कही गई। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बिना मान्यता के कोर्स संचालन के बारे में माननीय सदस्य के द्वारा बताया गया। इन तमाम अनियमितताओं पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाये, उसके लिये प्रोपर मोनिटरिंग की व्यवस्था हो, उसमें एक रेगुलेशन बोर्ड, एक नियामक आयोग बनाने की बात माननीय देवनानीजी के द्वारा बताई गई।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से जो अनियमितताओं की बातें कही गई हैं, इन विश्वविद्यालयों में बहुत सारी शिकायतें पूर्ववर्ती सरकार के समय से चली आ रही हैं। कुछ कमेटियों का गठन किया गया था। उन

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कमेटियों के द्वारा कुछ विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करना भी प्रस्तावित किया गया। सरकार द्वारा कार्यवाही की भी गई लेकिन इस दौरान माननीय न्यायालय से इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्थगन भी ले लिये गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए देवनानीजी के द्वारा जो सुझाव आये हैं उन पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा, उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और आगे आने वाले समय में जो कमियां, पिछले जब से राजस्थान में 2007 से हमारे यह निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने शुरू हुए हैं क्योंकि नई संस्थाएं जब आती हैं तो सरकार, शिक्षा चूंकि, सिर्फ सरकारी संसाधनों के माध्यम से उच्च शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इस सोच के साथ हमारी पूर्व में चाहे कोई भी सरकार रही हो पिछले 13 सालों में, 15 सालों में, सबका यह प्रयास रहा है कि राजस्थान में सरकारी के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थाओं को भी बढ़ावा मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री हरीश चन्द्र मीनाजी के द्वारा, माननीय श्री संयम लोढ़ाजी के द्वारा, हमारी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरीजी द्वारा, श्री गिर्राज सिंहजी मलिंगा के द्वारा, श्री धर्मनारायण जोशीजी के द्वारा, हमारे माननीय सदस्य श्री पुखराजजी, श्री रामप्रताप कासनियां साहब, श्री गोपाल लाल मीनाजी, श्रीमती शकुन्तला रावतजी, श्री बिहारीलालजी विश्नोई, डा. जितेन्द्र सिंहजी, जो बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और उच्च शिक्षा विभाग के दो बार मंत्री भी रहे हैं, आपके द्वारा भी और श्री मदन दिलावर जी के द्वारा, श्री मदन प्रजापतजी और हमारे सदन के प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री गुलाब चन्द कटारियाजी और श्री बलवान पूनियांजी सहित तमाम जो हमारे माननीय सदस्य हैं, इन 17-18 सदस्यों के द्वारा राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति और उनमें की जा रही अनियमितताओं, फर्जी डिग्रियां देने की शिकायत, बिना फैकल्टी के या कम फैकल्टी से कोर्सेज के संचालन की शिकायत, फीस, मनमानी फीस वसूली करने की शिकायत और इसके अलावा डोनेशन के नाम पर, हाज़िरी के नाम पर या अलग-अलग माध्यमों से निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किये जाने का मुद्दा सदन के माध्यम से आज चर्चा में उठाया गया।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी समय में, आजादी के समय राजस्थान में केवल एक मात्र हमारा 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय खुला था और उसके बाद धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई जो आज भी यथावत जारी है।

अभी उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 14 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं तथा 51 निजी विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसमें निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2004 में निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता महसूस की गयी और उसके अनुसार 2007 में निजी विश्वविद्यालय स्थापना गाइड-लाइन जारी की गयी।

वर्तमान में राजस्थान में 51 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। जो राजस्थान के विस्तृत भूभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें से कई विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां पर राजकीय महाविद्यालय भी उस क्षेत्र में नहीं खुल पाये थे वहां भी यह विश्वविद्यालय वर्तमान में संचालित हैं और विश्वविद्यालयों में दो हजार से लेकर पांच हजार तक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक समय था जब प्रदेश के विद्यार्थी उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के अन्य राज्यों में अध्ययन के लिए जाया करते थे जो प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए काफी महंगा और कष्टप्रद था।

माननीय सभापति महोदय, 2004 में राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) केवल 6.04 था जो 2018-19 में बढ़कर 23 परसेंट हो गया है। 2004 में अनुसूचित जाति वर्ग में यह अनुपात 7 था जो बढ़कर अब 20 हो गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में 2004 में यह अनुपात 4.61 था, जो अब बढ़कर 21.3 हो गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जहां इस वर्ग का राष्ट्रीय औसत 17.2 है, वही राजस्थान का 21.3 है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में लगातार बढ़ते नामांकन अनुपात में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, विकसित देशों की तुलना में हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कम है लेकिन संतोष

(श्री भंवर सिंह भाटी)

की बात यह है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के स्थापित होने से सामान्य शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, बॉयो टैक्नोलॉजी, नैनो-टैक्नोलॉजी, हास्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस शिक्षा, इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं।

निजी विश्वविद्यालयों के यदि हम योगदान की बात करें तो प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश हुआ है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थी भी यहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान प्रदान कर रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार संभव हो सका है। उच्च और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों में अभिवृद्धि हुई है। चिकित्सा और पैरामेडिकल जैसे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा बढ़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा संक्षिप्त में पूरे सदन से यही आग्रह रहेगा कि सरकारी विश्वविद्यालय हो, सरकारी महाविद्यालय हो या सरकारी संसाधनों का हमारे प्रदेश में शिक्षा और उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है लेकिन उसके साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी, जब से निजी क्षेत्र के यह महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षा का, हायर एजुकेशन का जो रेशो है, वह भी बढ़ा है और इन संस्थानों का योगदान भी बहुत ज्यादा है। सभी संस्थान इस प्रकार के नहीं हैं कि उन पर हम कुछ अनुचित या अंगुली उठा सकें लेकिन बहुत सारे ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनके द्वारा अनियमितताएं की शिकायत आज सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है।

जो विनियामक आयोग बनाने की बात है, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय 14वीं विधान सभा के चौथे सत्र में, हमारे पूर्ववर्ती उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा विनियामक आयोग बनाने की घोषणा की गयी थी।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

उस पर काफी प्रक्रिया, एक कमेटी बनायी गयी, बहुत सारे विषय विशेषज्ञों की राय भी ली गयी लेकिन तीन साल तक वह कमेटी नहीं बन पायी। उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद हाइएस्ट लेवल पर जाने के बाद में उसको वापस टर्नडाउन कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए और इन संस्थानों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, यह हमारे विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो। फीस आदि की एक समानता हो, जो लूट और जिस प्रकार से असमानता की जो बातें आज सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से आई हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यही आग्रह करना चाहूंगा कि विनियामक आयोग बनाने के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया चालू की गयी थी, उसका भी हमने अध्ययन करवाया है और उसके अलावा जो शिकायतें लगातार इन विश्वविद्यालयों में आ रही हैं, उनका हम परीक्षण करवा रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के आयोग काम कर रहे हैं, उन तमाम जो बिंदु हैं, उन पर हम गहनता से विचार कर रहे हैं। हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा-पत्र में भी यह वादा भी किया है। हमने जन घोषणा-पत्र में भी यह बात कही है कि हम निजी शिक्षण संस्थानों और हायर एजुकेशन के जो निजी संस्थान हैं, या जो दूसरे संस्थान हैं, उनके लिये विनियामक आयोग बनाएंगे।

मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो बहुमूल्य सुझाव आये हैं बहुत ही उपयोगी सुझाव आपने दिये हैं और निश्चित रूप से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय की पूरी मंशा है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो और राजस्थान का युवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं पूरी तरह से उसमें गंभीर हैं। आपने देखा है कि पहले ही बजट में राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र में महाविद्यालय खोले गये। दो नये विश्वविद्यालय - पत्रकारिता का और विधि का विश्वविद्यालय खोला गया तो निश्चित रूप से राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिये विनियामक आयोग बनाने की जो बात आज पूरे सदन के, चाहे पक्ष के सदस्य हैं, चाहे विपक्ष के सदस्य हैं,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सभी सदस्यों के द्वारा जो बात आज आयी है, उन तमाम अनियमितताओं को दूर करने के लिये, उन पर नियन्त्रण करने के लिये आप सबकी राय के अनुसार अतिशीघ्र विनियामक आयोग बनाने की हम कार्यवाही करेंगे और राजस्थान के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में राजस्थान के युवाओं को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप सबका बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18.51 बजे गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार

152. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों को नियुक्तियां दी गईं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में बेरोजगार युवकों की लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में दिनांक 31.12.2019 को कुल 1291752 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार विभाग रोजगार का सृजन नहीं करता अपितु बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है।

(3) जी हां। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों की संख्या में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अधीन शिक्षित बेराजगारों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, आई टी आई में उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर, रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के किसानों को मुआवजा

153. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद में वर्ष 2019 में खरीफ फसल के समय अतिवृष्टि हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी

(श्री गोतम लाल)

किसानों की फसल के खराबे का आंकलन करवाकर गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त कर ली है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों का कितना-कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवार बाढ़ प्रभावित कृषकों की संख्या जिनका 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक खराबा हुआ है, का विवरण निम्नानुसार है:-

पं.स. का नाम	कृषकों की संख्या
लसाड़िया	30960
झल्लारा	28105
धरियावद	57537

(2) जी हां। बाढ़ से प्रभावित किसानों की पूर्ण सूचियां जिला कलेक्टर द्वारा सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने पर बजट आबंटन कर शीघ्र ही कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही कर दी जाएगी।

बाड़मेर में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल स्थापित करने की कार्ययोजना

154. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेडिकल कालेज, बाड़मेर का लोकार्पण कब किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बाड़मेर मुख्यालय पर एक नया सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल स्थापित करने एवं राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर को 500 बैड का करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त घोषणाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय मेडिकल कालेज बाड़मेर का लोकार्पण दिनांक 29.08.2019 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया।

(2) मेडिकल कालेज बाड़मेर के लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु भूमि आरक्षित करने एवं राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर को 500 बैड करने की घोषणा की गयी थी।

भूमि आरक्षित करने एवं शैयाओं में वृद्धि कर 500 करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पंजीकृत क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटियां

155. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितनी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी पंजीकृत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के पास उक्त में से कितनी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सोसाइटियों में से कितनी सोसाइटियों का आडिट व निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निवेशकों की पूंजी की रक्षा हेतु केन्द्र द्वारा बनाये गये कानून को राज्य में लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 860 क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटियां पंजीकृत हैं, जिनकी जिलेवार सूची (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य में क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटियों के बारे में इकाई कार्यालयों से 146 क्रेडिट सोसायटियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन सोसायटियों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सोसायटियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही करना, सोसायटी व सदस्य को मध्यस्थता कर शिकायत का निस्तारण किया जाना, सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना व आवश्यक होने पर वसूली

(सहकारिता मंत्री)

अधिकारी नियुक्त किया जाना आदि कार्यवाही की गई है। जिलेवार (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

(3) दिनांक 17.02.2020 तक 163 सोसाइटियों का आडिट व 198 सोसाइटियों का निरीक्षण किया गया है। सूची (परिशिष्ट-3) पर संलग्न है।

(4) जी हां। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21) की धारा 7 की उप-धारा (1) अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 15.10.2019 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू कर दिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल फर्टिलाइजर्स लि. गडेपान द्वारा रसायन के प्रयोग से भूमिगत जल में बदलाव

156. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रासायनिक खाद व उर्वरक निर्माता वृहद् उद्योग चम्बल फर्टिलाइजर्स लि. गडेपान द्वारा खाद निर्माण में विभिन्न रसायन आदि का उपयोग किया जाता है? यदि हां, तो किस-किस रसायन का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योग के निर्माण के समय उद्योग परिसर तथा समीपवर्ती क्षेत्र के भूमिगत जल की गुणवत्ता की जांच की गई थी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक जांच करवा ली जाएगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग की सीमा में एवं सीमा से लगे क्षेत्र में उपलब्ध भूमिगत जल के मिश्रण में बदलाव आता जा रहा है? यदि हां, तो कितना व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार रासायनिक खाद/उर्वरक निर्माता वृहद् उद्योग मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गडेपान द्वारा दो प्रकार के खाद/उर्वरक क्रमश: यूरिया एवं सिंगल सुपर फास्फेट/ग्रेन्यूलर सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। तत्समय जांच की जानकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध नहीं है, तथापि बाद के वर्षों की जांचों का विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। भू जल विभाग के अनुसार समीपवर्ती क्षेत्र (गडेपान) के भू-जल नमूने के रासायनिक विश्लेषण में असामान्य परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन

157. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में जिला झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के लिए झुंझुनूं जिले के दोरासर गांव में भूमि आबंटित कर दी गई थी?

(3) क्या उक्त विश्वविद्यालय के लिए विशेषाधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को जारी अधिसूचना क्रमांक प. 2(35) विधि/2/2013 के अनुसार झुंझुनूं में राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर झुंझुनूं के आबंटन आदेश क्रमांक प 12 (3)(78)राज/13/3916-22 दिनांक 21.08.2013 से ग्राम दोरासर 50.58 है. भूमि को राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनूं की स्थपना हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग जयपुर को नि:शुल्क आबंटित की गयी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। विशेषाधिकारी की नियुक्ति के आदेश की प्रति परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) जी हां। विश्वविद्यालय पुन: प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

थानागाजी में रीको हेतु भूमि का आरक्षण

136. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में तहसील मुख्यालय थानागाजी पर रीको क्षेत्र अविकसित है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रीको के लिए जो आरक्षित भूमि है वह बहुत ही कम है? क्या सरकार अन्य स्थान पर पर्याप्त मात्रा में भूमि आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र थानागाजी की स्थापना दिनांक 12.11.1997 को 33 एकड़ भूमि पर की गई थी। औद्योगिक क्षेत्र थानागाजी दिनांक 18.08.2017 को विकसित घोषित किया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र थानागाजी में कुल 56 भूखण्ड नियोजित किये गये थे जिनमें से दिनांक 30.11.2019 तक 50 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। इन आबंटित भूखण्डों पर वर्तमान में 10 भूखण्डों पर 10 इकाइयां उत्पादनरत हैं तथा 5 भूखण्ड पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र थानागाजी में रीको के पास कुल 33 एकड़ भूमि है। इसमें कुल 56 भूखण्ड नियोजित किये गये थे, जिनमें से दिनांक 30.11.2019 तक 50 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा 06 भूखण्ड रिक्त हैं। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दृष्टि से उपयुक्त राजकीय भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही बाबत राजस्व अधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।

बाड़मेर में संचालित तेल कंपनियों द्वारा सीएसआर फण्ड का उपयोग

137. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) बाड़मेर में संचालित तेल कंपनियों द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीएसआर फण्ड का उपयोग कहां-कहां, कितना-कितना और किन-किन कार्यों हेतु किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सीएसआर फण्ड का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में या सम्पूर्ण जिले में किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम्पनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम, 2014 दिनांक 01-04-2014 से लागू किये गये हैं, जिसके तहत सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों द्वारा उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिडयूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

बाड़मेर जिले में संचालित कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक सीएसआर के तहत किये गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट-1** एवं शिडयूल-VII की प्रति **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि सीएसआर व्यय की सूचना सीएसआर कम्पनियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही प्रेषित की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर फण्ड की मोनिटरिंग हेतु राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 06/2018 के अनुसार कंपनी के कारपोरेट सामाजिक गतिविधियों के लिये निर्धारित राशि व्यय करने हेतु अपने संचालन के स्थानीय क्षेत्र ओर आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट-3** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर शहर में वर्ष 2019 में भारी वर्षा में ध्वस्त मकानों का मुआवजा

138. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में वर्ष 2019 में अत्यधिक वर्षा एवं तूफान से कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवारों के मकान या तो ध्वस्त हो गये अथवा भारी नुकसान हुआ? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है? यदि हां, तो कितनें परिवारों को मुआवजा राशि दी गई एवं कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला कलेक्टर अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार सूचना शून्य है।

(2) बिन्दु संख्या 01 की सूचना शून्य होने से सूचना शून्य है।

दौसा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में रिक्त पद

139. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

दौसा जिले में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद वर्तमान में कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन दौसा जिले में विधान सभा क्षेत्रवार एवं स्थानवार नाम सहित स्वीकृत, रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के छात्रावासों में बायोमैट्रिक मशीनों से उपस्थिति

140. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के छात्रावासों में बायोमैट्रिक मशीनों द्वारा उपस्थिति होती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर बायोमैट्रिक मशीनें सही हैं व कहां-कहां पर खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

(2) क्या सरकार उक्त खराब मशीनों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में संचालित छात्रावासों में से केवल एक छात्रावास में बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति होती है। शेष छात्रावासों में बायोमैट्रिक मशीन खराब हैं, उसका विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा खराब मशीनों की सूचना मांगी गयी है, जिनकी तकनीकी समीक्षा कर ठीक करवाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वृद्ध किसानों को पेंशन देने की योजना

141. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में वृद्ध किसानों को पेंशन दिये जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो किस-किसको व कितनी-कितनी पेंशन राशि दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बजट में उक्त पेंशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लघु व सीमान्त किसानों को अंशदायी पेंशन देने की केन्द्रीय सरकार की योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा है, को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 के तहत निम्नलिखित दर से पेंशन देय हैः

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रति माह,

2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 1000 प्रति माह।

जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2019 को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जारी किए गए, जो दिनांक 1.03.2019 से प्रभावी हैं।

दिनांक 17.02.2020 को इस योजनान्तर्गत 2,77,757 लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 30,000.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य में सहकारिता विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को अंशदायी पेंशन देने की योजना दिनांक 9 अगस्त, 2019 से प्रभावी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

होम्योपैथी चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवा योजना

142. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कुल कितने राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय हैं? उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले में कितने चिकित्सालय हैं?

(2) प्रदेश में विगत 4 वर्षों में होम्योपैथी के कितने नए चिकित्सालय खोले गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि होम्योपैथी औषधियों को नि:शुल्क दवा योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार होम्योपैथी चिकित्सा को सर्वसुलभ एवं व्यापक बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 6 राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित है। उदयपुर संभाग में कोई होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित नहीं है।

(2) विगत चार वर्ष (2015-16 से 2018-19) में कोई नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं खोला गया है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) निःशुल्क दवा योजना में शामिल नहीं है लेकिन होम्योपैथी चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध होम्योपैथी औषध निःशुल्क वितरित की जाती है।

(4) 1-होम्योपैथी चिकित्सा को सर्वसुलभ एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य में 6 होम्योपैथी चिकित्सालय एवं 190 औषधालय संचालित हैं एवं 56 सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

2-होम्योपैथिक चिकित्सा के विस्तार हेतु राज्य में 56 सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का पद सृजित कर एकल चिकित्सा केन्द्र के रूप विकसित किया गया है।

3-राज्य में संचालित शिक्षा केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के द्वारा छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, निःशुल्क औषध वितरण किया जा रहा है तथा मौसमी बीमारी एवं अन्य रोगों के बचाव संबंधी जानकारी भी दी जा रही है।

डीडवाना के बांगड़ चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति

143. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर की सम्पूर्ण सुविधा होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत नहीं किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अन्तर्गत पात्रता पूर्ण नहीं करने के कारण राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने का प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर जिले में लिंग जांच परीक्षण करने वाले सोनोग्राफी सेंटरों के विरुद्ध कार्यवाही

144. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में कुल कितने सोनोग्राफी सेन्टर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लिंग जांच परीक्षण पूर्णतया प्रतिबंधित होने के उपरान्त भी उक्त सोनोग्राफी सेंटरों पर लिंग जांच परीक्षण किये जा रहे हैं?

(3) विगत पांच वर्षों में उक्त जिले के किस-किस सेन्टर पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार ऐसे सोनोग्राफी सेंटरों को पूर्णतया बंद करने एवं उनके संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 128 सोनोग्राफी केन्द्र संचालित हैं।

(2) पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अंतर्गत लिंग जांच परीक्षण पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं वर्तमान में पंजीकृत सभी सोनोग्राफी मशीनों पर एक्टिव ट्रेकर लगा हुआ है। उक्त सोनोग्राफी केन्द्रों पर लिंग जांच परीक्षण किया जा रहा हो, ऐसा कोई प्रकरण वर्तमान में विभाग के समक्ष नहीं आया है।

(3) विगत 5 वर्षो में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन पर पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों एवं अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन द्वारा सोनोग्राफी कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियमानुसार कार्यवाही कर माननीय न्यायालयों में परिवाद पेश किये गये हैं। जोधपुर जिले के पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जोधपुर जिले के अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन द्वारा सोनोग्राफी कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन करने पर पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों तथा अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन द्वारा सोनोग्राफी कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एवं सोनोग्राफी केन्द्रों को पूर्णतया बन्द करने व उनके मालिकों के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों तथा न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में कार्डियोलोजी यूनिट की स्थापना

145. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेडिकल कालेज बाड़मेर के अधीन राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में कितनी यूनिट वर्तमान में कार्य कर रही हैं तथा यूनिट हैड का नाम तथा कितने कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी यूनिट स्थापित नहीं है जिसके कारण से हृदय रोग मरीजों को अन्यत्र रैफर करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज के अधीन राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में कार्डियोलोजी यूनिट स्थापित कर मरीजों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज बाड़मेर एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बाड़मेर में कुल 15 यूनिट वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बाड़मेर में कार्डियोलोजी यूनिट स्थापित नहीं है। हृदय रोग से सम्बन्धित मरीजों को मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। जिस मरीज को हृदय रोग विशेषज्ञ एवं एन्जियोग्राफी की आवश्यकता होती है, उसे रैफर किया जाता है।

कार्डियोलोजी यूनिट सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का एक विभाग होता हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के द्वारा दिनांक 29.08.2019 को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बाड़मेर का लोकार्पण किया गया। उसमें

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हेतु यूआईटी की भूमि आरक्षित करने की घोषणा की गयी थी। भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में अलग कार्डियोलोजी यूनिट की स्थापना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी

146. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्तमान में क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

(2) प्रदेश में विगत एक वर्ष में उक्त योजनाओं द्वारा कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा लाभान्वित होने वालों की संख्या व उक्त पर सरकारी खर्चे का कुल संभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनाओं को एकीकृत कर दिनांक 01.09.2019 से नवीन योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है।

(2) विगत एक वर्ष में उक्त योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये गये मरीजों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों में राजकीय चिकित्सालयों में लाभान्वित मरीजों की संख्या का संभागवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है तथा निजी चिकित्सालयों में लाभान्वित मरीजों की संख्या का संभागवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

योजनान्तर्गत सरकार से प्राप्त राशि को संभाग अथवा जिला स्तर पर नहीं दिया जाता है। राज्य स्तर पर विगत 3 वित्तीय वर्षों में हुए आयव्यय का विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकानों पर नकली दवा विक्रय पर कार्यवाही

147. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 में प्रदेश में सहकारी उपभोक्ता संघ की दवा दुकानों पर नकली दवा मिलने के प्रकरण दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार दवारा उक्त प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई और किन-किन को दोषी पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नकली दवाओं की बिक्री के विरुद्ध कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु वर्ष 2019 में औषधि नियंत्रक अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2019 को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा संचालित दुकानों से दवाओं के सैम्पल लिये गये थे, जिनमें से Gaballa-M एवं Ace-Gm दवाओं का सैम्पल औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा "not of standard quality" घोषित किया गया।

भरतपुर जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. के सैन्ट्रल दवा स्टोर में दिनांक 12.12.2019 को सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा दवाओं के सैम्पल लिये गये, जिनमें एक दवा Vildagliptin (Jalra 50mg) का सैम्पल "not of standard quality" पाया गया।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की दुकानों पर लिये गये दवा सैम्पल को औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा "not of standard quality" घोषित किया गया। उक्त संबंध में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर में कार्यालय आदेश क्रमांक 4052-4062 दिनांक 09.08.2019 एवं 6895-6970 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा संबंधित कम्पनी व वितरक की खरीद, बिक्री एवं भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

(सहकारिता मंत्री)

भरतपुर जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. भरतपुर द्वारा "not of standard quality" दवा सप्लाई करने वाली फर्म को किसी भी प्रकार की कोई दवा की आपूर्ति नहीं करने हेतु पत्र क्रमांक 3267 दिनांक 06.02.2020 द्वारा लिखा गया।

(3) सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण बिन्दु 2 में अंकित कर दिया गया है।

(4) प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा शिकायत संदेह, सूचना एवं औचक जांच के दौरान जांच एवं विश्लेषण हेतु औषधियों के नमूने उठाये जाते हैं। जांच एवं विश्लेषण में नकली/अवमानक घोषित औषधियों के क्रम में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

148. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नये आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, किन्तु वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र के स्वीकृत/खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत/ खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक हटने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(2) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र के स्वीकृत/खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन महिला कल्याण योजना

149. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी के नाम पर महिलाओं के कल्याण हेतु नई योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं के कल्याण हेतु नई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :-

1- इंदिरा महिला शक्ति (I M Shakti) उद्यम प्रोत्साहन योजना।

2- इंदिरा महिला शक्ति (I M Shakti) प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना।

· महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क (RS-CFA) प्रशिक्षण।

· महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क (RS-CIT) प्रशिक्षण।

· शिक्षा सेतु योजना।

· कौशल सामर्थ्य योजना।

3- इंदिरा महिला शक्ति (I M Shakti) जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली के जनजाति क्षेत्र में विकास कार्य

150. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मावली में कराये गये विकास कार्यों का मद, कार्य स्थान व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की मावली व गिर्वा तहसील के गांवों के लिए विकास कार्यों के कितने प्रस्ताव व योजनाएं विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मावली में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों का मद, कार्य, स्थान व राशि वार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली की तहसील मावली व गिर्वा के गांवों के लिए विकास कार्यों के कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

प्राप्त अभिशंषाओं के आधार पर विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सम्मुख रखे जाने वाले प्रस्तावों में बजट की उपलब्धता, आवश्यकता एवं उपादेयता के आधार पर सम्मिलित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र में किसानों को कुएं गहरे कराने हेतु अनुदान

151. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनजाति क्षेत्र के लघु सीमान्त बीपीएल व जनजाति किसानों के लिए कुएं गहरे कराने हेतु टाडा में उक्त किसानों को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त किसानों ने अपने स्तर पर कार्य पूर्ण कर लिया है?

(2) क्या सरकार विगत 5 वर्षों में ऐसे लाभान्वित किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में किन-किन एवं कब-कब किसानों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी नरेगा एवं टीएडी मद के कन्वर्जेन्स से अनुसूचित क्षेत्र में लघु सीमान्त बी.पी.एल. एस.टी. कृषकों के अपूर्ण कुओं को गहरा कराये जाने हेतु पात्र कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

उक्त कार्य हेतु जिला परिषद् को विभाग द्वारा नियमानुसार राशि का हस्तांतरण किया गया एवं संबंधित द्वारा राशि उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण किया है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा ऐसे लाभान्वित किसानों को भुगतान किया जा रहा है। कुल 19246 स्वीकृत कार्यों में से 10152 कार्य प्रारम्भ हुए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कुल 3362.65 लाख रु. की राशि जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दी गयी है, जिसमें से 3018.07 लाख की राशि

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान से शेष रहे किसानों द्वारा नियमानुसार बिल प्रस्तुत करने के आधार पर संबंधित कार्यकारी संस्था/पंचायत समिति द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

(3) उक्त योजना अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित होने से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत पांच वर्षों में इस योजनान्तर्गत कृषकों को लाभान्वित नहीं किया गया है।

सलूम्बर में वृक्ष मित्र योजना के तहत वृक्षारोपण

152. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में गत एक वर्ष में वृक्ष मित्र विद्यालयों के तहत कितना वृक्षारोपण किया गया व उक्त वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) उक्त विद्यालयों में वृक्षारोपण के संबंध में भविष्य की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में गत एक वर्ष में वृक्ष मित्र विद्यालयों के तहत 12881 पौधे लगाये गये, जिसमें 11163 पौधे वर्तमान में जीवित हैं।

(2) वन विभाग द्वारा वृक्ष मित्र विद्यालयों के लिए पौधे की मांग होने पर उन विद्यालयों को नियमानुसार पौधे उपलब्ध करवाने एवं पौधों की सुरक्षा आदि से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी दी जावेगी।

उदयपुर शहर में बर्ड पार्क की स्थापना

153. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर शहर में बर्ड पार्क निर्माण के लिये केन्द्र सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली राशि का अनुपात क्या है? इसमें से कितनी राशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है? कितनी-कितनी उक्त से प्राप्त होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त के लिए किस स्वीकृति के तहत निविदा कब जारी की गई, उक्त निविदा कब खोली गई और निविदा के आधार पर कार्यादेश किस एजेन्सी को दिया गया? उसकी पूर्णता की तारीख क्या तय की गई और क्या उक्त अवधि में कार्य पूर्ण हो गया? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बर्ड पार्क के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है एवं यह कब तक पूर्ण होगा तथा उक्त के एनक्लोजरों में वर्तमान में पक्षियों की उपलब्धि कितनी हो चुकी है, कितनी अभी भी शेष है और कब तक सभी प्रकार के पक्षी उक्त एनक्लोजरों में आ जायेंगे तथा कब तक उक्त बर्ड पार्क को जनता के लिये उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में बर्ड पार्क निर्माण के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि एवं अवशेष राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

उल्लेखनीय है कि इस बर्ड पार्क के लिए भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) स्वीकृति एवं टेण्डर से संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(3) बर्ड पार्क में कार्य आदेश के अनुसार 11 पिंजरों के निर्माण में से 8 पिंजरों का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 3 पिंजरों का निर्माण अधूरा है जिसे बजट की उपलब्धता होने पर पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एनिमल हास्पिटल, किचन, पब्लिक टायलेट, पाथवे, ऑवर हेड टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में प्राप्त एक्जोटिक बर्ड के नाम व संख्या का विवरण संलग्न पररिशिष्ट-'सी' अनुसार है और विभिन्न प्रकरण के बर्ड्स लाने की प्रक्रिया चल रही है।

एनक्लोजर का निर्माण पूर्ण होने पर बर्ड डिस्प्ले हेतु कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीमेन्ट प्लांटों के प्रदूषण से दुष्प्रभाव की शिकायतें

154. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित सीमेंट प्लांटों में प्रदूषण विशेषक कणीण (डस्ट) प्रदूषण और भूमि, जल, वनस्पति जंतुओं पर दुष्प्रभाव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था है? क्या सरकार उक्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में संचालित सीमेंट प्लांटों से प्रदूषण होने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक 'अ' पर है।

(2) जी हां। शिकायतों को प्राप्त कर उनका समयबद्ध निस्तारण करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 29/01/2020 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्नक 'ब' पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं की भागीदारी

155. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कौशल विकास के संचालित सभी पाठ्यक्रमों का तथा संस्थान के नाम, टी.एस.पी. जिलेवार एवं टी.एस.पी. में जनजातियों के कुल युवाओं को विगत एक वर्ष में दिये गये प्रशिक्षण का तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कौशल विकास पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक् से स्थान आरक्षित हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतमलाल)

(3) क्या यह भी सही है कि कौशल विकास पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के युवा कम भाग लेते हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विगत एक वर्ष में संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों टी.एस.पी. जिलावार, तहसीलवार, संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं टी.एस.पी. में जनजाति युवाओं को दिये गए प्रशिक्षण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निगम द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले युवाओं में से 14 प्रतिशत स्थान जनजाति युवाओं के लिए आरक्षित है। इस क्रम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 21.02.2019 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आरएसएलडीसी द्वारा संचालित अन्य चार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों क्रमशः रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP), मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। कौशल विकास पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के आशार्थियों की पर्याप्त भागीदारी है। आरएसएलडीसी द्वारा अभी तक कुल 4,01,270 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या 47,593 है जो कि प्रशिक्षण का लगभग 12 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति के युवाओं की कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने हेतु निगम द्वारा पंजीयन शुल्क 50 प्रतिशत रखा गया है जो रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) में रु. 600/- के स्थान पर रु. 300/- एवं नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) में रु. 400/- के स्थान पर रु. 200/- है। इसके अतिरिक्त नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को शिथिलता देते हुए सुरक्षा जमा राशि को माफ किया गया है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

निगम द्‌वारा जनजाति क्षेत्र के युवाओं के विकास हेतु आरएसएलडीसी द्‌वारा कन्वर्जेंस माडल के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (TADD), के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर अनुसूचित जनजाति के युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

156. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुंझुनूं में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं तथा उनमें से अब तक कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में बेरोजगारी भत्ते से वंचित बेरोजगारों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार कार्यालय झुंझुनूं में दिनांक 31.12.2019 को विभिन्न योग्यताधारी कुल 80959 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले स्नातक योग्यताधारी 7014 बेरोजगार आशार्थियों को दिनांक 31.12.2019 तक बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

(2) सम्पूर्ण राजस्थान में 31.12.2019 तक 159728 पात्र बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है जिनमें से झुंझुनूं जिले में 7014 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया और 734 आवेदक वंचित रह गये क्योंकि मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत प्रदेश में एक वर्ष में अधिकतम 160000 (एक लाख साठ हजार) पात्र बेरोजगार आशार्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 157

(स्थगित)

शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित श्रमिक

158. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत किस-किस जिले में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या सरकार अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में प्राप्त एवं लाभान्वित श्रमिकों का वर्षवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में मण्डल की योजनाओं का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही देय है। अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मण्डल कोष से योजनाओं का हितलाभ दिया जाना संभव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास के संस्कृत शिक्षा संस्थानों में रिक्त पद

159. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संस्कृत शिक्षा के कितने-कितने शिक्षण संस्थान वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त संस्थानों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों के पद सृजित हैं तथा कितने वर्तमान में रिक्त हैं? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संस्कृत शिक्षा के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अनुपात के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संस्कृत शिक्षा के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय एवं इनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। महाविद्यालय के शैक्षिक पदों को भरने हेतु महाविद्यालय सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम अधिसूचित किए जाने के उपरान्त भर्ती प्रक्रिया संभव हो सकेगी।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

शारीरिक शिक्षक III ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।

अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है।

(3) संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अनुपात मानदण्ड की छाया प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

160. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत की महत्ता को

(श्री नरेन्द्र नागर)

दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार की नीति के अनुसार शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में क्रमोन्नत होने वाली वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय की कक्षा-12 में न्यूनतम छात्र संख्या 30-40 होनी चाहिये।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, रटलाई में वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में 21 छात्र अध्ययनरत हैं।

अतः संस्था शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नति हेतु वरिष्ठ उपाध्याय (कक्षा-12) में निर्धारित न्यूनतम छात्र संख्या मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती है।